रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1984 (पौष 8, 1906)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1984 (PAUSA 8, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

सूचना

सं० ओ० एण्ड एम०/59172—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 50 के अंतर्गत निर्मित भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली 1955 के विनियम 76(1) के अनुसरण में केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित हस्ताक्षराधिकारों का प्रयोग करने के लिए निम्नांकित कर्मचारियों को एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है :—

(1) चालू खाते में 2000 रुपयों तक की नकद राशि या चेकों की जमा रसीदों पर तथा बचत बैंक खातों, आवर्ती जमा खातों एवं जनता जमा खातों में 2000 रुपयों तक की नकद जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करने के लिए :—

शाखाओं में टैलर।

(2) बैंक खाते या सरकारी खाते में 10000 रुपयों तक की राशि के लिए जमा की नकद रसीदों पर हस्ताक्षर करने के लिए :—

शाखाओं में उप प्रधान रोकड़िया।

(3) ग्राहकों, अन्य बैंकों आदि को नेमी किस्म की संसूचनाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए जो उसी कर्मचारी के कार्य से सम्बन्धित हो, जैसा समय-समय पर प्रबन्ध निदेशक प्राधिकृत करें :—

शाखाओं में लिपिक स्टाफ।

(4) बैंक के मानक फार्मों पर ग्राहकों के लिए 2000 रुपयों तक की राशि की नामे/जमा संसूचनाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए :—

शाखाओं में लिपिक स्टाफ।

(5) बैंक तथा सरकारी खातों पर 3000 रुपयों तक की राशि के लिए नकद रसीदों पर हस्ताक्षर करने के लिए :—

शाखाओं में रोकड़िया :

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी
समिति के आदेश अनुसार
ए० एस० पुरी,
प्रबन्ध निदेशक

दी इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया

कलकत्ता, दिनांक 27 नवम्बर 1984

सं० 18—सी० डब्ल्यू० आर० (105)/84—दि कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स रेग्यूलेशन 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दि इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैट्स आफ इण्डिया के परिषद ने कहे हुए रेग्यूलेशन के विनियम 17 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अमल कुमार दास शर्मा, एम० एम० काम० ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, गुहा भवन, पोर्ट ब्लेयर लाइन, पी० ओ० बैरकपुर—743101 (सदस्यता सं० 1075) के नाम को 26 नवम्बर, 1984 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया।

डी० सी० भट्टाचार्या,
सचिव

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

सं० कार्मिक—III प्रशा० (क्षे०—II/16)(63)79/आ० प्रा०—केन्द्रीय सरकार की अनुमति से केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 घ की उपधारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1962 का और संशोधन करते हुए निम्न—लिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 1984 होगा।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1962 की तीसरी अनुसूची के पैराग्राफ 3 के नीचे दी गई तालिका में :—

(क) सहायक (मुख्यालय) के पद से सम्बन्धित क्रम सं० 3 में 25 प्रतिशत प्रविष्टि के समक्ष एक आशुलिपिक (कनिष्ठ) शब्दों के पश्चात "और वरिष्ठता के आधार पर पहले ही पदोन्नत किए गए सहायक जिसके ऊपर कोई भी परीक्षा कोटे का पद रिक्त है" शब्द जोड़े जाएंगे।

(ख) मुख्य लिपिक (क्षेत्रीय कार्यालय) के पद से सम्बन्धित क्रम सं०—4 में 25 प्रतिशत प्रविष्टि के समक्ष आशुलिपिक (कनिष्ठ) शब्दों के पश्चात् "और वरिष्ठता के आधार पर पहले ही पदोन्नत किए गए मुख्य लिपिक जिसके ऊपर कोई भी परीक्षा कोटे का पद रिक्त है" शब्द जोड़े जाएंगे।

पाद टिप्पणी :—

1. सा० का० नि० सं० 691 द्वारा भारत के राजपत्र भाग—II, धारा 3 (i) में तारीख 19 मई, 1962 को मूल नियम प्रकाशित।

2. सा० का० नि० सं० 1483 द्वारा तारीख 15 सितम्बर, 1983 को संशोधित नियम, भारत के राजपत्र भाग—II, धारा 3 उप धारा (i) तारीख 14 सितम्बर, 1963 को प्रकाशित।

3. सा० का० नि० सं० 592 तारीख 31 मार्च 1964 द्वारा संशोधित नियम, भारत के राजपत्र भाग—II, धारा 3, उपधारा (i) में तारीख 11—4—1964 को प्रकाशित।

4. सा० का० नि० सं० 896 द्वारा दिनांक 2 जून, 1966 को संशोधित नियम।

5. सा० का० नि० सं० 1824 द्वारा तारीख 22 नवम्बर, 1966 को सठशोधित नियम।

6. सा० का० नि० सं० 127 द्वारा संशोधित नियम भारत के राजपत्र भाग—II, धारा 3, उपधारा-(i) तारीख 17 जनवरी, 1967 को प्रकाशित।

7. सा० का० नि० सं० 127 द्वारा संशोधित नियम भारत के राजपत्र, भाग—II, धारा 3, उपधारा (i) तारीख 28 जनवरी, 1967 को प्रकाशित।

8. सा० का० नि० सं० 787 द्वारा तारीख 16 मई, 1970 को संशोधित नियम।

9. सा० का० नि० सं० 1155 द्वारा तारीख 7 अगस्त, 1971 को संशोधित नियम।

10. सा० का० नि० सं० 1602 द्वारा तारीख 30 अक्तूबर, 1971 को संशोधित नियम।

11. सा० का० नि० सं० 149 द्वारा तारीख 7 जनवरी, 1972 को संशोधित नियम।

12. सा० का० नि० सं० 88 द्वारा तारीख 8—1—72 को संशोधित नियम।

13. सा० का० नि० सं० 533 द्वारा तारीख 26—5—1973 को संशोधित नियम।

14. सा० का० नि० सं० 547 द्वारा तारीख 26—5—1973 को संशोधित नियम।

15. सा० का० नि० सं० 591 द्वारा तारीख 2—6 1973 को संशोधित।

16. सा० का० नि० सं० 645 द्वारा तारीख 16—6 1973 को संशोधित नियम।

17. सरकारी अधिसूचना सं० 19(30)/69—पी० एफ० 1 द्वारा तारीख 17-6-1975 द्वारा संशोधित नियम।

18. अधिसूचना सं० ए०—12018/6/74—पी० एफ० 1 द्वारा तारीख 25—8—76 को संशोधित नियम।

19. सा० का० नि० सं० 645 द्वारा तारीख 16—6—77 को संशोधित नियम।

20. सा० का० नि० सं० तारीख 28—10—78 को संशोधित नियम।

21. अधिसूचना सं० एडीएम० (आर०—II)/14(7)/80 35813 द्वारा तारीख 23—12—1980 को संशोधित नियम।

22. सा० का० नि० सं० शून्य द्वारा तारीख 7 नवम्बर, 1981 को भारत के राजपत्र में भाग—II, धारा—4 में प्रकाशित।

बी० का० भट्टाचार्य,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

36 वीं वार्षिक रिपोर्ट, 1983-84

(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 35 के अनुसार)

अध्याय 1

वर्ष का सिंहावलोकन

1.01 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड 30 जून, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखा विवरण सहित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों पर 36वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है किन्तु वर्ष 1983-84 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों और कार्य-परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में (क) देश का आर्थिक दृश्य (ख) महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों (ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में परिचालन गतिविधियों और (घ) उद्योगों के कार्य-निष्पादन का सामान्य रूप में संक्षिप्त अवलोकन करना लाभ दायक होगा ।

(क) आर्थिक दृश्य

1.02 भारतीय अर्थ-व्यवस्था 1982–83 के दौरान समु-स्थानशील रही जब कि 1983–84 (अप्रैल-मार्च) में देश की आर्थिक स्थिति में सर्वतोमुखी सुधार हुआ ।

1.03 देश के कतिपय भागों में बाढ़, तूफान और सूखे के बावजूद, लेकिन सामान्यतया अच्छे मानसून के कारण वर्ष 1983–84 में कृषि उत्पादन में 12.5% की ठोस विकास दर रिकार्ड की गयी। वर्ष 1983–84 में अनाज का 1,510 लाख टन के रिकार्ड स्तर का उत्पादन हुआ जबकि 1981–82 में यह स्तर 1,333 लाख टन था तथा वर्ष 1982–83 में 1,284 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था। वाणिज्यिक फसलों में केवल तिलहनों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ; जब कि गन्ना कपास, पटसन और मेस्टा का उत्पादन सामान्य से कम हुआ। वर्ष 1983–84 में गन्ने का उत्पादन वर्ष 1982–83 के 1,891 लाख टन से घटकर 1,700 लाख टन रह गया। वर्ष 1982–83 के 83 लाख गांठों के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1983–84 में कपास का उत्पादन 77 लाख गाठें रहा। इसी तरह लगातार दो वर्षों में—1982–83 में 61 लाख गांठों और 1983–84 में लगभग 65 लाख गांठे, अच्छी फसल न होने के कारण कच्चे पटसन के उत्पादन में कमी रही ।

1.04 वर्ष 1983–84 में औद्योगिक उत्पादन की समग्र विकास दर 5.2% रही, जबकि पिछले वर्ष यह 3.9% थी।

1.05 अवस्थापना क्षेत्र की 7.4% पर विकास दर इस से भी बेहतर रही। वर्ष 1983–84 के दौरान देश में शक्ति जनन 13,990 करोड किलो वाट रहा जो कि वर्ष 1982–83 में यह 13,000 करोड किलो वाट था जिससे कि 7.6% की वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष 1983–84 में कोयले का उत्पादन 1,384 लाख टन रहा जो कि वर्ष 1982–83 में 1,305 लाख टन था जिससे कि 6% की विकास दर परिलक्षित होती है। कोयले की ढुलाई में भी पिछले 5% की तुलना में 6% की वृद्धि हुई। कच्चे पैट्रोलियम के उत्पादन में 23.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1983–84 के दौरान पैट्रोलियम शोधन उत्पादों में 6.3% की वृद्धि हुई। वर्ष 1983–84 के दौरान फास्फेटिक और नाइट्रोजीनियस उर्वरकों के उत्पादन में क्रमश: 6.9%–और 1.9–%की वृद्धि हुई। सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1982–83 के 234 लाख टन से बहुकर 1983–84 में 271 लाख टन हो गया जिससे कि उत्पादन 15.8% बढ़ा ।

1.06 रेलवे ने 1983–84 के दौरान राजस्व अर्जित करने वाले 2,300 लाख टन माल की ढुलाई की जो कि पिछले वर्ष 1982–83 की तुलना में 0.3% से मामूली अधिक है। कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न, पैट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में वृद्धि हुई जबकि लोहा खनिज, उर्वरकों, कच्चे लोहे और तैयार इस्पात की ढुलाई में गिरावट आई। लेकिन, प्रति वैगन प्रतिदिन के हिसाब से निवल टन किलोमीटर के मापदंड के अनुसार क्षमता में काफी सुधार हुआ ।

1.07 पहली बार, वर्ष 1983–84 के दौरान देश की प्रमुख 10 बन्दरगाहों ने 1,000 लाख टन माल लदान और उतारने का लक्ष्य प्राप्त किया अर्थात् पिछले वर्ष के 980 लाख टन माल की तुलना में इस वर्ष 1,005 लाख टन माल उतारा और चढ़ाया गया जिससे 2.6% की वृद्धि परिलक्षित होती है । माल उतारने और चढ़ाने के लक्ष्यों में और भी ऊंचा लक्ष्य प्राप्त होता परन्तु अक्तूबर, 1983 में बम्बई की बन्दरगाह में 26 दिन की हड़ताल और मार्च, 1984 में पूरे भारत में बन्दरगाह हड़ताल से इस पर दुष्प्रभाव पड़ा। पिछले वर्षों की भांति ही वर्ष 1983–84 में कुल माल उतारने और चढ़ाने में कच्चे तेल और पैट्रोलिय मउत्पादों का भाग 47% रहा और इसके बाद लोहा खनन (22%) का दूसरा स्थान रहा ।

1.08 उपादान लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विकास दर वर्ष 1983–84 में लगभग 8% रही जो कि 1982–83 में 1.8%, 1981–82 में 5.2% और 1980–81 में 7.9% थी। इस प्रकार छठी पचवर्षीय योजना (1980–85) के प्रथम चार वर्षों के दौरान औसत वार्षिक विकास दर 5.2% प्रतिवर्ष के लक्ष्य की तुलना में 5.7% प्रतिवर्ष रही :

1.09 वर्ष के दौरान समग्र रूप से निवेश वातावरण अनुकूल बना रहा। औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रारम्भिक सीमा 3 करोड़ रुपए को बढ़ा कर 5 करोड़ करने के बावजूद भी 1983 में जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या 1,055 रही जो कि वर्ष 1982 में 1043 थी। आशय पत्रों का औद्योगिक लाइससों में से परिवर्तन

और भी प्रभावशाली रहा। वर्ष 1983 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या वर्ष 1982 के 432 की तुलना में 1,075 रही। वर्ष 1983 के दौरान मंजूरी प्रदान किए गए विदेशी सहयोग अनुमोदनों की संख्या 673 रही जो कि 1982 में 590 और 1981 में 389 थी।

1.10 वर्ष 1983–84 (जुलाई–जून) में कुल 1,184.5 करोड़ रुपए की राशि के पूंजी निर्गमों के लिए मंजूरियां प्रदान की गई जो कि 1982–83 (जुलाई–जून) में 967.1 करोड़ रुपए थी। भारत के पूंजी बाजार इतिहास में पहली बार वर्ष 1983–84 के दौरान शेयरों और डिबेंचरों के रूप में कुल पूंजी 1,013 करोड़ रुपए उगाही गई जो कि वर्ष 1982–83 के दौरान बढ़े हुए 751 करोड़ रुपए से भी 35% अधिक है। इस राशि में 345 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर, 1 करोड़ रुपए के अधिमान शेयर, 57 करोड़ रुपए के परिवर्तनीय डिबेंचर और 610 करोड़ रुपए के गैरसंप-रिवर्तनीय डिबेंचर हैं गैर–संपरिवर्तनीय डिबेंचरों ने देश के निगमित वित्त ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

1.11 थोक मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि 1982–83 के 2.6% के मुकाबले वर्ष 1983–84 में 9.3% की रही। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापे गए अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर वर्ष 1983–84 में 10.7% रही।

1.12 सार्वजनिक तथा भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों में सावधि जमा राशियों सहित मुद्रा पूर्ति को समाविष्ट करते हुए कुल आर्थिक स्रोत पिछले वर्ष के 10,442 करोड़ रुपए या 16.7% तुलना में वर्ष 1983–84 के दौरान 12,699 करोड़ रुपए या 17.4% हो गए। वर्ष 1983–84 में अपनाए गए साख जमा नीति उपाय उत्पादक और अग्रता क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर बिना कोई दबाव डालते हुए और साथ ही मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण डालते हुए मन्दी और तेजी दोनों मौसमों के दौरान तरलता आधिक्य को नियन्त्रित करने में सहायक हुए।

1.13 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार 201.1 साधारण शेयरों (आधार 1970–71-100) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूति मूल्य सूचकांक में बिन्दु के आधार पर 26 मार्च, 1983 को 178.5 के सूचकांक पर 12.7% की वृद्धि हुई। सिवाय सूती वस्त्र, नौ-परिवहन और सीमेंट के अन्य सभी प्रमुख उद्योग समूहों ने सामान्य सूचकांक वृद्धि में योगदान दिया। बहुत बढ़िया फसल भावनाओं, सरकार द्वारा अपनाई गई व्यावहारिक आर्थिक नीतियों और पूंजी-बाजार को संस्थानों द्वारा दिए गए सहयोग के परिणामस्वरूप विशेषकर जनवरी, 1984 तक दिखायी गयी बुकता से भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ।

1.14 निरन्तर कठिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के बावजूद भी पिछले वर्ष भारत के विदेशी व्यापार में देखी गयी सुधार की प्रवृत्ति बनी रही। निर्यात 8,805 करोड़ रुपए से 9.9% बढ़कर 9,676 करोड़ रुपए हो गया। जबकि आयात 14,193 करोड़ रुपए से 8.9% बढ़कर 15,457 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार वर्ष के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 5,388 करोड़ रुपए की तुलना में 5,781 करोड़ रुपए हुआ। यदि बन्दरगाह हड़ताल न होती तो निर्यात लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए की सीमा पार कर लेता और व्यापार घाटा पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहता।

1.15 वर्ष 1983–84 में संतुलन स्थिति में एक नया मोड़ आया, जिसका प्रमुख कारण अपरिलक्षित आवतियों में लगातार वृद्धि होना रहा है। गैरप्रवासी भारतीयों के निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाये कदमों के कारण मार्च, 1983 के अन्त में गैरप्रवासी भारतीयों के 1,332 करोड़ रुपए के निवेश दिसम्बर 1983 के अन्त में बढ़कर 2,695 करोड़ रुपए हो गये। विदेशी सहायता का निवल प्रवाह 1982–83 में 1,302 करोड़ रुपए से बढ़कर 1983–84 में 1,551 करोड़ रुपए हो गया। भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व वर्ष 1982–83 की समाप्ति पर 4,265 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1983–84 की समाप्ति पर 5,498 करोड़ रुपए हो गया जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 28 9% अधिक है। सुखद विदेशी विनियम स्थिति तथा बहतर आर्थिक प्रबन्ध को देखते हुए भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अधिक निधि लेने की व्यवस्था का लाभ न उठाने की निर्णय लिया और मूल रूप से इसे उपलब्ध कराय गए 500 करोड़ को विशेष आहरण अधिकारों में से भी भारत ने 110 करोड़ के विशेष आहरण अधिकार छोड़ने का निर्णय किया।

(ख) नीति परिवर्तन

(i) लाइसेंसिंग नीतियां और पद्धतियां

1 16 वर्ष के दौरान, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति और निवेश नीति सरकार की निरन्तर समीक्षा के अधीन रही ताकि इसके निरन्तर विकास स्थिति 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के समग्र ढांचे और छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में निर्धारित लक्ष्यों के भीतर सुनिश्चित की जा सके।

1 17 अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता के पुनर्पुष्ठांकन की योजना को 31 मार्च, 1985 तक बढ़ा दिया गया है। 1984–85 के दौरान क्षमता के पुनर्पुष्ठांकन की स्वीकृति, 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए 5 वर्षों में से किसी एक वर्ष में हुए अधिकतम उत्पादन में 1/3 और बढ़ाकर दी जायगी, बशर्ते कि यह उत्पादन क्षमता और इसके 25–% के योग से अधिक हो। उन इकाइयों, जो कि पिछले, इस पहले इस सुविधा का स्वयं लाभ नहीं उठा पायीं लेकिन योजना के अन्तर्गत लाभ लेने की पात्र थीं, को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र बनाया गया।

1 18 एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा कम्पनियों को कुछ शर्तों के अधीन अकार्बनिक उर्वरक, अखबारी कागज, पोर्टलैण्ड सीमेंट, पिग आयरन, इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, छीजन पुनरुपयोग उपकरण, डायरी उपकरण, रसायन उद्योग के लिए मशीनरी आदि, जैसे उच्च अग्रता के चुने हुए उद्योगों में पर्याप्त विस्तार करने या नए उपक्रमों को लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की छूट दी गयी थी। इस प्रकार की एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों के लिए निर्यात अनिर्यता श्रेणी 'ख' तथा 'ग' जिलों में उद्योग लगाने के

लिए कम करके 50% और श्रेणी 'क' जिलों में सम्बन्ध में 30% कर दी गयी ।

1 19 वर्ष के दौरान , लागू किए गए एकयाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार तथा अधिनियम, 1969 में संशोधन के अन्तर्गत मुक्त व्यापार क्षत्रों के 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों और उपक्रमों को एम० आर टी० पी० अधिनियम की धारा 21 और 22 के उपबन्धों से छूट दी गयी थी । संशोधन से उत्पादन के भाग, आपूर्ति, संवितरण या सामान और सेवाओं का नियंत्रण, किसी उपक्रम को 'प्रमुख' उपक्रम बना देने की सीमा 1/3 भाग से घटा कर 1/4 भाग कर दी गयी थी । 'प्रमुख' उपक्रमों को, जब तक कि वे कार्य के उसी प्रकार, जिस प्रकार की उन्होंने प्रमुख स्थिति प्राप्त कर रखी है, के उपक्रमों को स्थापित करने का प्रस्ताव न रखती हों, अधिनियम की धारा 22 के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया था । लेकिन इस प्रकार के उपक्रमों के आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप विस्तार की संभावना लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 25% तक सीमित कर दिया गया था । निर्गमित क्षेत्र में नियंत्रण के उपायों के रूप में प्रयोग की जा रही निवेश कम्पनियों को भी एम० आर० टी० पी० अधिनियम की सीमा में लाया गया है ।

1.20 वर्ष 1983–84 में निर्यातोन्मुखी इकाइयों को भी उनके द्वारा निर्मित मदों, जिनके लिए कि कुल 25% की समग्र सीमा के भीतर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति दी गयी थी, को देशी बाजार में बेचने की अनुमति भी दी गयी ।

1.21 देश के भीतर और बाहर तकनीकी उन्नति पर सूचना एकत्र करने और प्रसार करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय में 'प्रौद्योगिकी अभिज्ञान एवं सूचना कक्ष' बनाया गया ।

1.22 वर्ष के दौरान, प्रदूषण नियंत्रण, वन-क्षेत्र संरक्षण और भौगोलिक स्थलों से सम्बन्धित शर्तों और प्रविष्टियों को समाविष्ट करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों, विदेशी सहयोगों और पंजीकरणों के लिए आवेदन-प्रपत्र संशोधित किए गए । यह निर्णय लिया गया कि किसी भी राज्य, जिसने कि वायु-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियमों को अधिसूचित नहीं किया और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन नहीं किया, को 30 सितम्बर 1983 के बाद कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा ।

1.23 कुछ अत्यन्त प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों (अर्थात् प्राथमिक धातुकर्मीय उत्पादक उद्योग तथा जस्ता, सीसा, तांबा एल्युमीनियम और इस्पात, कागज, कीटनाशक, तेलशोधक कारखाने, उर्वरक, पेण्ट , रंग, चर्म शोधन , रेयन , सोडियम/पोटैशियम साइनेमाइड, मूल औषधियां, फाउण्ड्री, बैटरियां, एसिड/एलकलीज, प्लास्टिक, रबड़, सीमेंट और एजबेस्टस) के सम्बन्ध में जून, 1984 में सरकार ने निदेश जारी किए कि उपरोक्त उद्योगों के सम्बन्ध में आशय-पत्र (क) परियोजना-स्थल सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा वातावरणीय दृष्टिकोण से अनुमोदित कर दिया गया है और (ख) उद्यमी (उद्यमियों) ने उचित उपकरण स्थापित करने और प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कदम उठाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों, दोनों को वचन दिया है, के बाद ही औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तन त होंगे ।

1 24 मशीन टूल उद्योग की लाइसेंसिंग पद्धति 20 जुलाई 1983 को उदार की गयी थी और लाइसेंसिंग के प्रयोजन के लिए मशीनी औजारों को 15 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया ।

1 25 नई कताई मिलों को स्थापित करने की अनुमति केवल निरूपित 'उद्योग रहित जिलों, में ही दी गयी । वस्त्र उद्योग की बहुरेशा नीति' के अन्तर्गत कुछ रियायतों और लोच की अनुमति दी गयी । निर्यात अनिवार्यता से सम्बद्ध रियायती शुल्क योजना के अन्तर्गत स्थापित करघों के लिए पूर्णरिशा लोच की अनुमति दी गयी । अन्य मामलों में प्रतिस्थापन के द्वारा शटल रहित करघ स्थापित किए जाने की दशा में पोलिएस्टर रेशे/फिलामेंटट धागे से 100% सिन्थेटिक वस्त्रों के उत्पादन की अनुमति (विस्कोज फिलामेण्ट धागे)/एसिटेट फिलामेण्ट धागे से बने हुए आर्ट सिल्क वस्त्रों को छोड़कर) दी गयी ।

1.26 मांग और उत्पादन में अन्तर को देखते हुए पी० वी० सी० की लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया । आपूर्ति के स्रोतों के विशाखन के लिए और क्षेत्र में नवीनतम टैक्नोलॉजी को प्रारम्भ करवाने के लिए आटो-इलेक्ट्रिकल्स के क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये । निजी क्षेत्र को भी दूर-संचार उपकरणों का उत्पादन करने की अनुमति दी गयी ।

(ii) रुग्ण इकाइयों से सम्बन्धित नीति

1 27 वर्ष के दौरान, अक्तूबर 1981 में घोषित रुग्ण उद्योगों के लिए नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा और कदम उठाए गए । 1981 नीति मार्ग निर्देशों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रशासनिक मंत्रालय, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, जहां रुग्णता व्यापक रूप से हो, के लिए स्थायी समितियां स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार करेगा और इस प्रकार की समितियां रुग्णता की सीमा और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक नीति उपायों की समय-समय पर समीक्षा करेंगी । वर्ष के दौरान वाणिज्य मंत्रालय के वस्त्र विभाग और इस्पात एवं खान मंत्रालय के इस्पात विभाग ने क्रमशः वस्त्र और इस्पात उद्योगों के लिए स्थायी समितियों का गठन किया ।

1 28 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भी भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों आदि द्वारा इसके पास भेजी गयी समस्या परियोजनाओं (उद्योग विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिगृहीत इकाइयों या राष्ट्रीकृत इकाइयों को छोड़कर) की जांच करने के प्रयोजन के लिए और रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने का समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वोत्तम प्रकार की कार्यवाही पर विचार करने के लिए एक स्थायी समिति बनायी । वित्तीय संस्थानों ने व्यावहार्य सम्भव रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए और इस दिशा

में उचित कदम उठाने के लिए भारत सरकार को इस प्रकार के और अन्य मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजने के लिए अपने प्रयासों को गहन रूप से जारी रखा ।

(iii) कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए नीति

1.29 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाएं लगाने के लिए उद्यमियों के लिए प्रोत्साहनों की नई नीति, अप्रैल, 1983 में प्रारम्भ की गयी थी जिसके अन्तर्गत 133 'उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिले' और विशेष क्षेत्र, अर्थात् श्रेणी 'क' के जिले नियत पूंजी निवेश की 25% की दर से 25.00 लाख रुपए की सीमा के भीतर केन्द्रीय निवेश उपसहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बनाए गए थे। केन्द्रीय निवेश उपसहायता के लिए श्रेणी 'ख' में 54 जिलों की पात्रता 15 लाख रुपए की सीमा सहित नियत पूंजी निवेश का 15% थी। श्रेणी 'ग' में 112 जिले पहली बार 10% की उप-सहायता के लिए 10 लाख रुपए की सीमा के भीतर पात्र बनाए गए थे ।

1.30 नई योजना के प्रमुख पहलुओं में से एक यह था कि श्रेणी 'ख' और 'ग' में नगर-क्षेत्रों के ब्लाकों/तालुकाओं/ग्रामीण क्षेत्रों/विस्तार में उभरने वाली औद्योगिक इकाइयां, जहां 31 मार्च 1983 की स्थिति के अनुसार निवेश 30 करोड़ रुपए से अधिक हो गए थे, केन्द्रीय उपसहायता की पात्र नहीं होंगी । वर्ष के दौरान, यह स्पष्ट किया गया कि 'लघु क्षेत्र इकाइयों' को स्थापित करने के लिए रियायती वित्त की सुविधा श्रेणी 'ख' और 'ग' के नगर-क्षेत्रों के ब्लाकों/तालुकाओं/ग्रामीण क्षेत्रों/विस्तार में निवेश स्तर, जहां निवेश 30 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, के बावजूद पहले की तरह जारी रहेगी । यह भी स्पष्ट किया गया था कि 30 करोड़ रुपए की सीमा को निश्चित करते समय, औद्योगिक उद्यमों, अर्थात्, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या विभागीय में हो किए गए निवेशों का गणन किया जायेगा और औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्रों, पावर सब-स्टेशनों, जल संयंत्रों, सामान्य उपयोग तथा सेवायें, आदि जैसे अवस्थापना में किए निवेशों, यदि कोई हों, को शामिल नहीं किया जाएगा । इसी तरह यह भी स्पष्ट किया गया था कि उन परियोजनाओं में, जहां आशय-पत्रों/केन्द्रीय सरकार अनुमोदन/विदेशी सहयोग अनुमोदनों, आदि की शर्तों के अनुसार अनुमोदन पहली अप्रैल, 1983 को या उससे पहले प्राप्त किय गये थे निवेश श्रेणी 'ख' और 'ग' जिलों में लागू 31 मार्च, 1983 की स्थिति के अनुसार 30 करोड़ रुपए की सीमा के बावजूद , केन्द्रीय निवेश उप-सहायता के लिए पूर्ववत् पात्र रहेंगे ।

(IV) निर्यात-आयात नीति

1.31 वर्ष 1983-84 के लिए घोषित निर्यात-आयात नीति से निर्यात और घरेलू उत्पादन बढ़ाने में काफी प्रेरणा मिली । औद्योगिक टेक्नोलाजी के आयात की अनुमति परिष्कृत, उच्च अग्रता श्रेत्रों और निर्यातोन्मुख/आयात प्रतिस्थापन उद्योगों के लिए दी गयी । नकद प्रतिपूरक सहायता से नयी मदों के सम्बन्ध में घोषित की गयी और पर्याप्त निर्यात सम्भावना रखने वाली कई मदों के सम्बन्ध में बढ़ायी गयी । प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क कम करके 35% कर दिया गया । पूंजीगत माल के आयात की पद्धति घरेलू पूंजीगत माल उत्पादन में तेजी लाने के लिए विनिर्दिष्ट उद्योगों के सम्बन्ध में संशोधित की गयी । चार वस्त्र मशीनरी मदों पर आयात शुल्क बहुत कम कर दिया गया । निर्यात बाध्यताओं के अनुरूप रियायती आयात-शुल्क से अधिक चौड़ाई वाली शटल रहित खड्डियों और रोटर कताई मशीनों के आयात की अनुमति दी गयी । चर्बी के आयात और इसके घरेलू उपयोग के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाये गए । विभिन्न इलेक्ट्रानिक मदों पर शुल्क वापसी दरें या तो समाप्त कर दी गयी या घरेलू मूल्यों को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से कम कर दी गयी । अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में निर्यातकों द्वारा भाग लेने की पद्धति को सरल बनाया गया । टैक्नोलाजी का दर्जा बढ़ाने के लिए आयात के लिए कुछ श्रेणी के निर्यातकों के अनुरोधों की समीक्षा करने और उनका निपटान करने के लिए वर्ष के दौरान एक समन्वय समिति गठित की गयी ।

1.32 वर्ष 1984-85 के लिए निर्यात-आयात नीति का लक्ष्य निर्यात उत्पादन और निर्यात के लिए और सभी आवश्यक आयात में निरन्तर अभिवृद्धि द्वारा उत्पादन आधार को मजबूत और विकसित करने के लिए और प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना है, जिससे उचित मामलों में आधुनिकीकरण हो और उत्पादकों/निर्यातकों को कच्चे माल और कल-पुर्जे, आदि आसानी से प्राप्त हो सकें। नीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं, पूंजी माल से सम्बन्धित 149 मदों को खुले सामान्य लाइसेंस की सूची में रखना, 53 मदों को इस सूची से बाहर निकालना और आयात को सरल बनाने के लिए 13 मदों को एक सूची से दूसरी सूची में परिवर्तित करना । प्रतिबन्धित सूची (चर्बी को छोड़कर) खत्म कर दी गयी है । आयात लाइसेंसों की वैधता अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गयी है । विशेष प्राथमिकता क्षेत्रों, जैसे निर्यात उत्पादन, वातावरण, कृषि, जल साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, कम लागत, गृह-निर्माण, नवीकरणीय/गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों का विकास और उपयोग आदि में तकनीक की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है । जिन मामलों में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन अधिक है, उनमें ही अब निर्यात प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है । अधिक मूल्य वृद्धि वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है । लघु, कुटीर क्षेत्र में चुनी हुई वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से 'उद्यमी व्यापारी निर्यातक' नामक निर्यातकों की एक नयी श्रेणी को प्रोत्साहित किया जा रहा है । जिन वस्तुओं के निर्यात में विदेशी मुद्रा अर्जन की दर ज्यादा है उनमें उत्पादकों को सुलभता से प्राप्त करने की दृष्टि से 10% से कम निर्यात अर्जन होने पर प्रतिपूर्ति दर 1% प्रति बिन्दु बढ़ा दी गयी है । कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यातक हार्डवेयर परीक्षण उपकरण और साफ्टवेयर औजारों के आयात के लिए अपनी विदेशी मुद्रा आय के 50% की सीमा तक आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं ।

(V) साख नीति

1.33 उच्च साख संभावना वाली अतिरिक्त तरलता को गतिशील बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकद रिजर्व अनुपात दर वर्ष 1983-84 में विभिन्न स्तरों पर 29 जुलाई 1983 से 7.5% से 8%, 27 अगस्त, 1983 से 8.5%

और अंततः 4 फरवरी, 1984 से 9% कर दी गयी है। 12 नवम्बर, 1983 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 11 नवम्बर, 1983 की स्थिति के अनुसार स्तर पर मांग और सावधि देयताओं में वृद्धि के 10% की नकद रिजर्व अनुपात को बनाए रखना था। खाद्यान्न खरीद के वित्तपोषण के लिए बढ़ाए गए ऋण के लिए पुनर्वित्त सीमा में भी परिवर्तन किए गए। अक्तूबर 1983 में घोषित व्यस्त मौसम साख नीति को 1983-84 में उदार बनाने के कुछ उपाय शामिल थे। 25 नवम्बर, 1983 से बैंकों को 125% की वृद्धि 1982 में अर्जित औसत मासिक स्तर पर सीमा तक निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त की अनुमति दी गयी। अन्य ऋण उदारता उपायों में राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों को ऋणों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पुनर्बट्टा सुविधा में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए करना और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राधिकरण योजना के लिए कटौती बिन्दु 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए करना सम्मिलित था।

1.34 हाल ही में, सांविधिक तरलता अनुपात 28 जुलाई, 1984 से 35-% से बढ़ाकर 35.5% और पहली सितम्बर, 1984 से 36% कर दी गयी है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धिशील नकद रिजर्व अनुपात के अन्तर्गत जनवरी, 1977 और अक्तूबर, 1980 के बीच जब्त किए गए नकद शेषों के 1/5 भाग को 27 अक्तूबर, 1984 और 1 दिसम्बर 1984 को दो किस्तों में देने का निर्णय लिया है। यह प्राथमिक मुद्रा के उत्पादन के बिना राष्ट्रीय अग्रताओं के ढांचे के भीतर अत्यावश्यक सरकारी क्षेत्र निवेशों के लिए स्रोत उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से है।

(ग) परिचालन गतिविधियां

(i) निरूपित 'क' 'ख', और 'ग' श्रेणी जिलों में परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त की योजना

1.35 निरूपित कम विकसित और 'क', 'ख' और 'ग' के रूप में श्रेणीकृत जिलों/क्षेत्रों में उभरने वाली परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नई योजना के अनुरूप वित्तीय संस्थानों ने भी इन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों का एक नया कार्यक्रम घोषित किया है। पहली अप्रैल, 1983 से प्रभावी किए गए प्रोत्साहनों के नए कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिलों की सभी तीन श्रेणियों स्थापित की गयी परियोजनाएं निम्नानुसार सकल आधार पर (केन्द्रीय सरकार से एक-मुश्त केन्द्रीय निवेश उप-सहायता के अतिरिक्त) राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त की पात्र होंगी :

जिले/क्षेत्र	ऋण सहायता (करोड़ रु०)	हामीदारी सहायता (करोड़ रु०)
श्रेणी 'क'	5.00	2.50
श्रेणी 'ख'	3.00	1.50
श्रेणी 'ग'	2.00	1.00

ऋण सहायता के रियायती भाग पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

1.36 श्रेणी 'क'/विशेष क्षेत्रजिलों में लगाई गई परियोजनाएं' भी निम्नलिखित रियायतों की पात्र होंगी --

--परियोजना लागत का प्रवर्तक अंशदान 15% जो एम० आर० टी० पी० संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित 25 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी लागत वाली उच्च पूंजी लागत परियोजनाओं के मामले में घटाकर 10% कर दिया जायगा। (प्रवर्तकों के अंशदान का गणन करने के लिए 'परियोजना विशिष्ट अवस्थापना' पर लागत श्रेणी 'क' जिलों की परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना लागत में शामिल नहीं की जायेगी। दूसरे शब्दों में 'परियोजना विशिष्ट अवस्थापना' वाली लागत के भाग के लिए प्रवर्तकों के अंशदान की आवश्यकता नहीं होगी।

--इकाई की ऋण सेवा क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऋण इक्विटी अनुपात के सम्बन्ध में अधिक लचीला दृष्टिकोण रहेगा।

--श्रेणी 'क' जिलों में स्थापित/स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपयोग न किये गये रुपया ऋण के भाग पर कोई वचनबद्धता प्रभार नहीं लगेगा।

--'परियोजना विशिष्ट अवस्थापना' के विकास के लिए परियोजना लागत के 20% तक सीमित ब्याजमुक्त ऋण/परियोजना द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद 'परियोजना विशिष्ट अवस्थापना' के लिए 5 करोड़ रुपए की सीमा तक 12.5% प्रति वर्ष की रियायती दर पर ब्याज लगेगा।

(ii) 'उद्योग रहित जिलों' में निरूपित 'विकास केन्द्रों' में अवस्थापना के विकास के लिए सहायता

1.37 केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक 'उद्योग-रहित जिले' में दो 'विकास केन्द्रों के लिए अवस्थापना विकास कार्य को करने वाली राज्य सरकारों को सहायता देने का भी निर्णय लिया है। केन्द्रीय सहायता प्रति जिला 2 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के भीतर अवस्थापना विकास की कुल लागत के 1/3 भाग तक सीमित होगी। 'उद्योग रहित जिले' में 'विकास केन्द्र' का चयन करने में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि 1971 की जनगणना के अनुसार विकास केन्द्र की जनसंख्या 50,000 या अधिक हो और 1971 की जनगणना के अनुसार गैर-घरेलू उत्पादन क्षेत्र में 10,000 से कम कामगार हों। अवस्थापना की मदें, जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी, निम्नानुसार हैं : सम्पर्क सड़कें निर्माण, औद्योगिक जल आपूर्ति, सामाजिक अवस्थापना, जैसे हाउसिंग, स्कूल, डिस्पेंसरियां, अस्पताल आदि मल-प्रवाह व्यवस्था, साधारण सेवायें और पावर सब-स्टेशन, जल -निकास-व्यवस्था, पुलिया, औद्योगिक हाउसिंग, तकनीकी प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं जो कि क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार करते समय आवश्यक समझी जएं। लेकिन, भूमि के अधिग्रहण और औद्योगिक सम्पदाओं के विकास पर किए गए व्यय सामान्यतया सम्बन्धित राज्य सरकार के पूरे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और अवस्थापना के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता में से उनको पूरा किए जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रति जिला 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता चार किस्तों में चरण-बद्ध तरीके से

इस शर्त पर उपलब्ध करवाई जायेगी कि विकास केन्द्र में अवस्थापना के विकास पर राज्य सरकारों का व्यय 4 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सीमा तक हो।

1.38 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी श्रेणी 'क' के 'उद्योग' रहित/विशेष क्षेत्र जिलों में आवश्यकता आधारित अवस्थापना विकास में अन्तर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता और 4 करोड़ रुपए के राज्य सरकार के अंशदान के अतिरिक्त राज्य औद्योगिक विकास निगमों, आदि के माध्यम से निरूपित 'विकास केन्द्रों' में 'क्षेत्र-विशिष्ट अवस्थापना विकास 'प्रति उद्योग-रहित' जिले को सावधि ऋणों के रूप में 5 करोड़ रुपए तक और अधिक वित्त उपलब्ध करवायेगा।

(iii) उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए उदार ऋण योजना

1.39 वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण सहायता उपलब्ध करवाने की योजना की समीक्षा की गई और पहली जनवरी 1984 से लागू पर्याप्त उदारताओं सहित संशोधित योजना प्रारम्भ की गई। संशोधित योजना के अन्तर्गत कुल 4 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता जो कि प्रारम्भ में 12.5 प्रति वर्ष की रियायती ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाई गई थी, के लिए पहली मार्च पर 1984 से ब्याज की दर में और कमी करके इसे 11.5% प्रति वर्ष कर दिया गया। वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयों के मामले में ब्याज की दर घटाकर 10% प्रति वर्ष तक की जा सकती है परन्तु वित्तपेषित इकाइयों की वित्तीय स्थिति सुधरने और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप संस्थान बाद में ब्याज की दर को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

1.40 उदार ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता आधुनिकीकरण कार्यक्रमों, जैसे (क) प्रक्रिया टेकनोलाजी और/या उत्पाद का दर्जा बढ़ाया जाना, (ख) ऊर्जा बचत, (ग) प्रदूषण निवारण उपाय (घ) छीजन और उप-उत्पादों का पुनः उपयोग और वसूली, (ङ) निर्यात उन्मुखता (च) आयात प्रतिस्थापन (छ) दुर्लभ कच्चे माल का संरक्षण/प्रतिस्थापन (ज) वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर क्षमता उपयोग में सुधार (झ) सामग्री की देखभाल में सुधार करके इकाई के भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति लाना, के लिये उपलब्ध होगी।

1.41 योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनने वाली औद्योगिक संस्था के लिये यह आवश्यक है कि वह कम से कम 10 वर्षों से परिचालन में रही हो और प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपकरण 10 वर्ष की अधिक अवधि से उपयोग में लाए जाते रहे हों। यदि परियोजना का लक्ष्य निर्यात में वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, ऊर्जा बचत और प्रदूषण निवारक उपायों को अपनाना हो तो 10 वर्षों के मानदण्ड में ढील दी जा सकती है।

1.42 उदार ऋण योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता पर वित्तीय संस्थानों की सामान्य उधार ब्याज दर लगेगी। लेकिन योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई समग्र सहायता, चाहे वह रियायती ब्याज दर पर हो या ब्याज की सामान्य उधार दर पर, "संपरिवर्तनीयता खण्ड' की प्रयोज्यता से मुक्त रहेगी।

(iv) 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को सहायता

1.43 '100 निर्यात उन्मुख इकाइयों', के वित्तपोषण के मामले में प्रदान की गई 'अग्रता' के अतिरिक्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, वर्ष के दौरान, इकाई की निर्यात प्रगति और संस्थानों को अपने वायदे पूरे करने की शर्त के आधार पर पहले पांच परिचालन वर्षों के लिए इस प्रकार की इकाइयों को रुपया ऋणों पर लागू ब्याज दर में (सामान्य अथवा रियायती, जो भी लागू हो), पहली जनवरी, 1984 से प्रभावी 1.5 प्रतिवर्ष की छूट देने के लिए सहमत हो गए हैं।

(v) संपरिवर्तनीय खण्ड

1.44 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने पात्र औद्योगिक संस्थाओं को ऋण सहायता प्रदान करते समय वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाये/लागू किए जाने वाले संपरिवर्तनीयता विकल्प के सम्बन्ध में संशोधित निदेशक सिद्धान्त जारी किए। संशोधित निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार 'संपरिवर्तनीयता खण्ड' पहली मार्च, 1984 से केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से बकाया तथा प्रस्तावित (कुल वित्तीय सहायता मंजूर रुपया ऋण और अथवा अभिदत्त रुपया, डिबेंचर और/अथवा सार्वजनिक निर्गमों में हामीदारी के फलस्वरूप) देयता (पहले निर्धारित 1 करोड़ रुपये की सीमा के स्थान पर) समग्रतः 5 करोड़ से अधिक हो।

145 सामान्यतः, 'संपरिवर्तनीयता खण्ड' के लगाए जाने के समय और संपरिवर्तन विकल्प के वास्तविक प्रयोग के समय भी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्रीय और/या राज्य सरकार (सरकारों), सरकारी उपक्रम/कम्पनियों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों/राज्य औद्योगिक निवेश निगमों (पुनः क्रय करने की व्यवस्थाओं के अंतर्गत सम्मिलित को छोड़कर), भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों (वास्तविक निवेश) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (निवेश संस्थानों सहित) को मिलो-जुलो शेयरधारिता गैर-एम०आर० टी०पी० कम्पनियों के मामले में 26% और एम०आर०टी०पी० कम्पनियों/बड़े औद्योगिक घरानों के मामले में 40% से अधिक न हो। लेकिन संस्थान, ऋण को मात्रा के भेद-भाव के बिना सभी मामलों में कुप्रबन्ध/चूक होने पर संपरिवर्तन के अधिकार का प्रयोग पूर्ववत रखेंगे और निवेश संस्थान अपने सामान्य निवेश कारोबार के रूप में बाजार में शेयर खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं चाहे ऐसा करने से गैर–एम०आर०टी०पी० कम्पनियों में सरकारी वित्तीय संस्थानों के धारण 26% और एम०आर० टी०पी० कम्पनियों/बड़े घरानों में 40% से अधिक भी क्यों न हो जाएं।

1.46 किस सीमा तक और किस मूल्य पर संपरिवर्तन विकल्प, जहां कहीं भी लागू हो, का प्रयोग किया जाना है

सामान्यतया अग्रिम रूप से अर्थात् विभिन्न सम्बन्धित पहलुओं का गणन करने के बाद संपरिवर्तन विकल्प लगाते समय निश्चित किया जायेगा । संपरिवर्तन की अवधि इष्टतम उत्पादन के प्रारम्भ होने की तारीख से सामान्यतया 3 वर्षों के लिए होगी और विकल्प का प्रयोग इस अवधि के दौरान एक से अधिक बार किया जा सकता है लेकिन संपरिवर्तन निर्धारण की समग्र सीमा वही रहेगी ।

1.47 इस समय की स्थिति के अनुसार संपरिवर्तनीयता खण्ड निम्नलिखित पर बिल्कुल भी लागू नहीं है—

—आधुनिकीकरण के उद्देश्य, अथवा वर्तमान निर्धारित क्षमता में अतिरिक्त संतुलन उपस्कर प्राप्त करने के लिए मंजूर किए गए रुपया ऋण;

—गैर-योजना वित्त की प्रकृति, जैसे, आन्तरिक बिजली उत्पादन के लिए डीजल जेनरेटिंग सैट, ऊर्जा बचत और प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण, आदि खरीदने के लिए मंजूर रुपया ऋण;

—पहले से वित्तपोषित परियोजना की मामूली अति व्यय को पूरा करने के लिए मंजूर रुपया ऋण बशर्ते, कि अति-व्यय उचित हो और प्रबन्धक वर्ग के नियन्त्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ हो और प्रवर्तक इसमें अपना उल्लेखनीय योगदान दें;

—'उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिलों' के रूप में अधिसूचित श्रेणी' 'क' जिलों में स्थापित की जाने वाली परियोजना (एम०आर०टी०पी० अथवा गैर–एम०आर०टी०पी० किन्हीं भी संस्थाओं द्वारा स्थापित) को मंजूर रुपया ऋण;

—वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विदेशी मुद्राओं में मंजूर किए गए उप-ऋण;

—(क) सरकारी क्षेत्र अथवा (ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 619ख की परिधि में आने वाले उद्यम; (ग) सहकारी क्षेत्र की इकाइयों को मंजूर किए गए रुपया ऋण;

— जिन कम्पनियों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने 5 करोड़ रुपये अथवा इससे कम (मंजूर और बकाया सहित) सकल वित्तीय सहायता प्रदान की है (चूक करने वाली/कुव्यवस्थित/रुग्ण इकाइयों को छोड़कर);

— जो रुपया ऋण पांच वर्ष की अवधि (छूट अवधि सहित) में पुनर्देय हैं, बशर्ते कि ऋण पर 1% वार्षिक का अतिरिक्त ब्याज लगेगा ;

— वाणिज्यिक बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य उद्योग विकास निगमों और राज्य उद्योग निवेश निगमों द्वारा दिए गए रुपया ऋण अथवा डिबेंचर ऋण; और

— निगमित क्षेत्र की 100% निर्यातोन्मुख इकाइयां ।

(vi) नामित निदेशकों की भूमिका

1.48 नामित निदेशक एक ओर वित्तीय संस्थानों तथा दूसरी ओर वित्तपोषित संस्थाओं में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं । सरकार ने इस सम्बन्ध में वर्ष के दौरान संशोधित निदेशक सिद्धान्त जारी किए, जो पहली मार्च 1984 से लागू हो गए हैं । इन निदेशक सिद्धान्तों में व्यवस्था की गई है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित सभी एम० आर०टी०पी० कम्पनियों में नामित निदेशक नियुक्त किए जाएं, चाहे उनकी सहायता या शेयरधारिता कितनी भी क्यों न हो । जहां तक गैर एम०आर०टी०पी० कम्पनियों में नामित निदेशकों की नियुक्ति का सम्बन्ध है इसका स्व-विवेक अधिकार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में निहित है और यह निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखकर चयनात्मक आधार पर प्रयोग किया जाता है:

— इकाई समस्या ग्रस्त है और इसके रुग्ण होने की संम्भावना है;

— संस्थानात्मक शेयरधारिता की मात्रा 26% से अधिक है;

— ऋणों/निवेशों के रूप में संस्थानात्मक जोखिम 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है ।

1.49 वित्तपोषित संस्था के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना नामित निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्ट रूप से निर्धारित जिम्मेवारी को निभायें । नामित निदेशकों को आश्वस्त करना है कि वित्तपोषित संस्थाओं की निदेशक बोर्ड बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा की जाए और इन पर विचार किया जाए :—

— इकाई की वित्तीय प्रगति;

— सस्थानों को देय की अदायगी;

— उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क एवं सांविधिक देयताओं सहित सरकारी देयताओं की अदायगी (यदि कोई संस्था यह अनुभव करती है कि कोई कर विशेष/अदायगी अनुचित है तो नामित निदेशक से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्था के मामले के प्रथमत: उचित होने के बारे में अपने को आश्वस्त करें);

— जहां पर प्रवर्तक समूह का काफी हित हो, वहां पर अन्तर निगमित निवेशों और सहयोगी संस्थाओं को दिए गए ऋण अथवा लिए गए ऋण;

— शेयरों के सभी लेन-देन;

— संविदाओं का निष्पादन, कच्चे माल, तैयार माल, मशीनरी, आदि की खरीद और बिक्री; और

— विशेषकर, प्रबन्धक वर्ग से सम्बन्धित खर्च की भारी मदें (ताकि फिजूल और फालतू खर्च की प्रवृत्ति तथा निधियों का अप्रवर्तन रोका जा सके)।

1.50 इस विषय पर सरकारी निदेशक सिद्धान्तों में यह भी व्यवस्था की गई है कि उन सभी मामलों में, जिनमें संस्था की प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपये अथवा अधिक है खर्च का सार्वधिक अनुमान लगाने के लिए निदेशक बोर्ड की एक लघु लेखा परीक्षण उप-समिति (गैर-पदाधिकारी निदेशकों

से गठित) का गठन किया जाए। इस समिति का संस्थानात्मक नामित निदेशक भी सदस्य होगा, जिससे निम्नलिखित दायित्व पूरा करने की अपेक्षा है—

(क) सांविधिक लेखा-परीक्षकों और बोर्ड में सम्पर्क;

(ख) आन्तरिक लेखा-परीक्षकों और बोर्ड में सम्पर्क;

(ग) नियंत्रण व्यवस्था और प्रबन्ध सूचना व्यवस्था पर विचार करना और इसे लागू करना; और

(घ) आश्वस्त करना कि यदि फिजूल खर्चों की कोई प्रवृत्ति हो तो उसे रोका जाए।

(vii) कार्यविधि को कारगर और सरल बनाना

1.51 वर्ष के दौरान, कार्यविधि को कारगर बनाने के अपने लक्ष्य के अनुरूप अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने सभी परियोजनाओं, चाहे उनकी परियोजना लागत कितनी भी हो, को 'परियोजना वित्तपोषण भागीदारी प्रमाण-पत्र योजना' के दायरे में लाने के लिए सहमति दी, ताकि आवेदक संस्थाओं को 'एक ही स्थान पर, साख की सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि का रुपया ऋण प्रदान किए जाने के मामले में परियोजना की वित्तपोषण पद्धति के लिए भारतीय औद्योगिक विकासबैंक के अनुमोदन की शर्त भी हटा दी गई। वाणिज्यिक बैंकों को भी 3.00 करोड़ रुपये तक की पूंजी लागत वाली परियोजनाओं को दीर्घकालीन 'ऋण प्रदान' करने में भागीदारी की अनुमति दे दी गई, और उसके पश्चात 7 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं में बैंकों को भाग लेने की अनुमति दे दी गई।

1.52 इसके अतिरिक्त, वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा नियमित प्रतिभूति स्थापित करने सहित, मूल दस्तावेज निष्पादन करने तक रुपया ऋणों में से मंजूर किए गए पूरक/अन्तरिम ऋणों के मामले में, प्रथम संवितरण की तारीख से लागू ब्याज दर से 365 दिन तक 1% वार्षिक का अतिरिक्त ब्याज न लेने की व्यवस्था विदेशी मुद्रा ऋणों में मंजूर किए गए अंतरिम ऋणों पर भी लागू कर दी गई।

1.53 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सहायता के संवितरण से सम्बन्धित विधिक और दस्तावेज तैयार करने के सम्बन्ध में लिए जाने वाले प्रभारों को 27 मार्च, 1984 से वसूल न करने का निर्णय लिया। केवल उन्हीं मामलों में जिनमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या तो अग्रणी संस्थान के रूप में अथवा अखिल भारतीय स्तर पर अकेला ही वित्तपोषक संस्थान रहा हो तो यात्रा, जांच-पड़ताल, आदि के खर्च अथवा निगम द्वारा तय किए गए अनुसार सालिसिटरों/अधिवक्ताओं को की गई अदायगी की वास्तविक राशि वसूल की जायेगी।

1.54 वचनबद्धता प्रभार की वसूली के मामले में भी, इसे ऋण करार के बन्धक होने की तारीख अथवा आशय पत्र जारी होने से 180 दिन की समाप्ति, जो भी पहले हो, से वसूल करने की व्यवस्था को अक्तूबर 1983 में सरल बनाया गया ताकि 'पूरक ऋण करार' भी इसकी परिधि में आ जाए और तदनुसार पूरक ऋण करार/ऋण करार के बन्धक होने की तारीख अथवा आशय पत्र जारी होने से 180 दिन की समाप्ति पर से, जो भी पहले हो, इसका गणन किया जा सके।

1.55 वर्ष के दौरान मूल्यांकन और संवितरण प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाया गया, जिनमें प्रमुखतः आवेदकों को 'साझी पहुंच' में रखना; परियोजना 'का एक ही स्थान पर मूल्यांकन 'एक ही स्थान पर' दस्तावेजीकरण 'एक ही स्थान पर, साख उपलब्ध करना" और मामले अनुसार अग्रणी संस्थान के रूप में पदनामित किए जाने पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम में से 'एक ही संस्थान' द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही किया जाना शामिल है। इस उद्देश्य के लिए भागीदारी प्रमाण-पत्र योजना व्यवस्था का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना और इस की व्यवस्थाओं को अन्तर संस्थानात्मक स्तर पर और भी कारगर तथा सरल बनाया गया।

(घ) उद्योगों की सामान्य समीक्षा

1.56 विभिन्न भागों में 6% से 40% तक (मांग की तुलना में) बिजली की कमी, और 1983 में 1,432 हड़तालों एवं 384 ताला बन्दियों से 250.5 लाख मानव दिवसों की हानि के बावजूद भी सामान्य रूप से उद्योग कुछ सीमा तक अपना उत्पादन तथा लाभप्रदता बढ़ा सका।

1.57 औद्योगिक उत्पादन को सामान्य सूचकांक (आधार 1970-100) 1983–84 के दौरान 173.8 से बढ़कर 182.9 हो गया जिसमें 5.2% की वृद्धि हुई। 1982–83 और 1983–84 के वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्तियों का उल्लेख सारणी : में दिया गया है :

सारणी 1 : औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्ति

अधिभार	क्षेत्र	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
		1982-83 (अप्रैल मार्च)	1983-84 (अप्रैल) –मार्च)
1	2	3	4
9.7	खनन	10.6	11.2
81.1	निर्माण	2.3	4.0
9.2	ऊर्जा	7.1	7.6
100.0	समस्त उद्योग	3.9	5.2

1.58 उक्त से स्पष्ट है कि खनन और बिजली उद्योग का कुल औद्योगिक गतिविधि में लगभग पांचवां भाग रहा और इनका वृद्धि प्रतिशत उल्लेखनीय था (क्रमशः 11.2% और 7.6%), इसके विपरीत निर्माण उद्योग का औद्योगिक गतिविधियों में काफी हिस्सा होते हुए भी इसकी विकास दर केवल 4% रही।

1.59 उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 149 उद्योगों में से (औद्योगिक उत्पादन में सरकारी सूचकांक के अनुसार जिनका कुल भार में से 80% के लगभग हिस्सा है) 1983–84 के दौरान 102 उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई। केवल 44 उद्योगों के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि रही और 3 उद्योग 1982–83 के दौरान उपलब्ध उत्पादन दर को ही बनाए रखने में सफल रहे।

1.60 जो उद्योग 1983–84 के दौरान उत्पादन में अग्रणी थे, अर्थात् जिनकी उत्पादन दर 1982–83 की तुलना में 10% अथवा इससे अधिक रही, वे हैं; कच्चा पेट्रोलियम (23.2%), चाय (12.0%), सूती धागा (11.5%), सूती वस्त्र (16.5%), चर्म वस्त्र (10.5%), चमड़े के जूते (16.7%), न्यूज प्रिंट (45.7%), आटो टायर (11.4%), ट्रैक्टर टायर (24.0%), स्कूटर टायर (19.9%), साइकिल टायर (20.5%), कास्टिक सोडा (12%), सोडा ऐश (25.7%), कैलशियम कार्बाइड (42.8%), तरल क्लोरीन (15.0%), हाई डेन्सिटी पोलीथिलीन (13.8%) पी वी सी रेसिन्स (57.6%), पालिस्ट्रीन (21.4%), केपरोलेक्टम (18.0%), नायलन फिलामेन्ट धागा (18.2%), विस्कोस स्टेपल रेशा (65.7%), पोलियस्टर फिलामेन्ट धागा (98.4%), सेलुलोस फिल्म (32.4%), डी०डी०टी० (25.0%), औद्योगिक विस्फोटक (19.6%), क्लोरेम फिनिकोल (49.9%), विटामिन ए (16.6%), सीमेन्ट (15.8%), बिक्री योग्य कच्चा लोहा (27.4%), जोड़-रहित पाइप और ट्यूबें (10.4%), एल्युमीनियम सी०जी० ग्रेड (20.4%), एल्युमीनियम चादरें और ढोल (13.5%), एल्यूमीनियम फ्वायल्स (27.7%), जिंक (16.0%), बोल्ट, नट और रिवेट (69.4%), रेजर ब्लेड (11.3%), ढले हुए हाथ के औजार (17.9%), बायलर (10.7%), शुगर मशीनरी (20%) कागज और लुगदी मशीनरी (18.5%), रबड़ मशीनरी (47.6%), हवा और गैस कम्प्रेसर (62.9%), कृषि ट्रैक्टर (20.5%), घरेलू रेफ्रिजिरेटर (29.9%), सिलाई मशीनें (10.4%), पावर ट्रांसफार्मर्स (24.2%), बिजली की मोटरें (12.5%), बजली के पंखे (14.6%), फ्लोरोसेंट ट्यूबें (51.3%), ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स (24.0%), रेलवे वैगन (13.0%), मोटर साईकिलें (18.8%), मोपेड (47.4%), तिपहिये (20.7%), साइकिल (21.9%)।

1.61 जो उद्योग अपने उत्पादन में 10% या इससे अधिक पीछे रहे और जिनकी विकास दर नकारात्मक रही, वे हैं; चीनी (=17.1%), पटसन वस्त्र (=22.4%) सिंग्रेट (=11.2%), लिनोलियम (=65.8%), गैलाथियन (=25.6%), सिन्थेटिक डिटरजेन्ट (=12.1%), विक्रेय इस्पात (=12.3%), सी० आई० स्पन पाइप (=12.1%), तांबा, पीतल चादरें और ढोल (=12.2%), ट्विस्ट ड्रिल (=10.7%), धरती धकेल मशीनरी (=18.0%), रोड रोलर (=44.5%), टाइपराइटर (=11.1%), पी आई एल सी तारें (=41.5%), क्लाक (=18.4%), पेन्सिल (=11.5%), और जिप फास्टनर (=39.6%)।

1.62 वर्ष के दौरान, विस्थापित क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई परन्तु कम उत्पादन के कारण माल निर्माण क्षेत्र में सामान्य क्षमता प्रतिशत उपयोग में मामूली गिरावट आई जो 1982–83 के 76% से घटकर 1983–84 में लगभग 75% हो गई। इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 1 में वर्ष 1983–84 के लिए कुछ चुने हुए उद्योगों की विस्थापित क्षमता उत्पादन प्रतिशत क्षमता उपयोग की तुलना में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 505 वित्तपोषित संस्थाओं की स्थिति उनसे प्राप्त हुई रिपोर्टों के आधार पर तुलनात्मक रूप में दर्शायी गई है।

1.63 उपभोक्ता, माल उद्योग के क्षेत्र में, जिसका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वित्तपोषण कार्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, 1983–84 के दौरान चीनी, सूती, ऊनी और पटसन वस्त्र तथा कागज की प्रगति कुछ धीमी रही।

1.64 वर्ष के दौरान, चीनी का कम उत्पादन होने के प्रमुख कारण थे : (क) गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में कहीं-कहीं सूखा पड़ना, (ख) गन्ना उत्पादन क्षेत्र में कमी होने से गन्ने के उत्पादन में कमी होना (ग) कुछ क्षेत्रों में मिलों द्वारा गन्ने की दी गई अलाभप्रद कीमत, और (घ) खांडसारी को मिलने वाले उत्पाद शुल्क राहत सहित विभिन्न कारणों से गन्ने का खांडसारी और गुड़ बनाने में अधिक उपयोग, इत्यादि।

1.65 वस्त्र उद्योग में, लम्बी हड़ताल के पश्चात् बम्बई आधारित मिलों का खुल जाना पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि होने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा, अन्यथा उद्योग को कच्चे माल की पूर्ति से अधिक मांग होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी, बढ़ी हुई उत्पादन लागतें, पुराने संयंत्र और साज-सामान, उचित मांग न होने से भारी भंडार एकत्रित होना तथा बाजार में मंदे की स्थिति, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप कार्यकारी पूंजी का भी अभाव रहा। विकेन्द्रीकृत क्षेत्र (अर्थात् हथकरघे और शक्तिकरघे) का हिस्सा बढ़ने से और पिछले 2–3 वर्षों के दौरान शक्तिकरघा क्षेत्र में विशेष वृद्धि को देखते हुए जिसका प्रमुख कारण इस द्वारा (उत्पाद शुल्क आदि की दर कम होने से) कम लागत पर वस्त्र उत्पादन करने और बेचने की क्षमता है, संगठित मिल क्षेत्र के कार्य परिणामों पर लगातार दुष्प्रभाव पड़ा है। संगठित क्षेत्र में मिलों के अनार्थिक परिचालनों के फलस्वरूप कुछ मिलों में रुग्णता हो गई है। पहली मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 3 मिलों सहित

46 सूती वस्त्र इकाइयां बन्द पड़ी थीं। मिलों के बन्द होने के कारण अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 के बीच हुए उत्पादन में हानि का अनुमान 61.49 मिलियन किलो ग्राम धागा और 232.06 मिलियन मीटर कपड़ा लगाया गया था।

1.66 पटसन वस्त्र के लिए भी 1983–84 का वर्ष प्रतिकूल ही रहा, जिसके प्रमुख कारण (क) विदेशी बाजारों में हुई मांग में गिरावट (ख) 16 जनवरी, 1984 से 8 अप्रैल, 1984 की अवधि में 84 दिनों के लिए मिलों में हड़ताल और (ग) 1982–83 और 1983–84 के दौरान हल्की फसल होने से मांग अधिक होने के कारण कच्चे पटसन की कीमतों में वृद्धि।

1.67 कागज उद्योग में बड़ी मिलों में, जिनमें से 1983–84 के दौरान 8 मिलें तो बन्द रहीं, उत्पादन कम होने का प्रमुख कारण श्रमिक असन्तोष, अप्रचलित संयंत्र और साज-सामान तथा दिन-प्रतिदिन कम हो रहे जंगल-आधारित परम्परागत कच्चे माल और अन्य उत्पादों की ऊंची लागत रहा। लघु कागज इकाइयों में से भी वर्ष के दौरान लगभग 135 इकाइयां बन्द पड़ी रहीं और इनके उत्पादन पर विशेषकर पाक-रसायनों की वसूली न होने से अधिक उत्पादन लागत, कृषि से प्राप्त होने वाले कच्चे माल और अन्य गौण रेशों, आदि की उपलब्धता में अनिश्चितता और इनकी ऊंची लागतें रहा। आयात की हुई 'पुरानी कागज-मशीनों' पर आधारित इकाइयां इन मशीनों के हल्के कार्य निष्पादन और जल्दी-जल्दी खराब हो जाने के कारण समस्याओं से ग्रस्त रहीं।

1.68 मूल-उद्योग समूह (अर्थात् मूल धातु, मूल औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, बिजली उत्पादन आदि) की प्रगति मूल धातु समूह को छोड़कर लगभग संतोषजनक रही।

1.69 मूल धातु उद्योग में बिजली की कमी तथा कोकिंग कोयले की अनियमित पूर्ति, इस्पात उत्पादों की कम मांग, भण्डारों का जमा होना और सक्षम बाजार नीति के अभाव में बिक्री योग्य इस्पात, इस्पात सिल्लियों, आदि के उत्पादन में गिरावट से दुष्प्रभाव पड़ा। बिजली की कमी और प्रबन्ध समस्याओं के कारण एल्युमिनियम, तांबा, जिंक तथा पारे के उत्पादन की दर में भी कमी हुई।

1.70 उर्वरक, सीमेन्ट, खनन और खदान, भारी रसायन, थर्मोप्लास्टिक और सिन्थेटिक, रंगाई का सामान कीट नाशक, दवाइयां और औषध की प्रगति कुल मिलाकर पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही।

1.71 सरकार द्वारा सीमेंट से 'आंशिक नियंत्रण' हटाने और 'आवश्यकता आधार पर ऊंचे अवधारण मूल्य' लेने की अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप लगभग सभी सीमेंट इकाइयों के कार्य निष्पादन और लाभप्रदता में विस्मयकारी मोड़ आया। सन्तोषजनक कार्य प्रगति को देखते हुए उद्योग को अपने साधनों से आधुनिकी करण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, गीली प्रणाली से सूखी प्रणाली में परिवर्तन और चूने की खदानों का मशीनीकरण करना चाहिए।

1.72 पूंजी माल उद्योगों में, भूमि समतल करने वाली मशीनरी को छोड़कर, आमतौर पर अन्य सभी औद्योगिक निर्माण इकाइयों की प्रगति पिछले वर्ष की तुलना में 1983–84 के दौरान अच्छी रही। इसी प्रकार, बिजली मशीनरी समूह में भी वायरों और तारों को छोड़कर पावर ट्रांसफारमरों, बिजली मोटरों, बिजली पंखों, बल्बों और फ्लोरोसेंट ट्यूबों की प्रगति प्रभावशाली रहीं। वायर और तारों के उत्पादकों को राज्य विद्युत् बोर्डों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण कम आर्डर प्राप्त होने से हानि हुई।

1.73 साख नियंत्रणों में ढील दिए जाने से कृषि ट्रैक्टर उद्योग ने कुल मिलाकर, उत्पादन और बिक्री, दोनों में सन्तोषजनक प्रगति की। लेकिन कुछ ट्रैक्टर इकाइयों को सामना करना पड़ा। आमतौर पर, पावर टिलर इकाइयों की प्रगति सामान्य से कम रही और उत्तर प्रदेश की एक इकाई को अपने अलाभप्रद परिचालनों के कारण उत्पादन बन्द कर देना पड़ा।

1.74 1983–84 के दौरान, देश में रेलवे वैगनों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई चूंकि रेलवे ने इनकी बड़ी मात्रा में खरीद की, जो इनके एकमात्र खरीददार हैं। परिवहन साज-समान और आटोमोबाइल उद्योग की प्रबन्ध की दृष्टि से कमजोर इकाइयों को छोड़कर शेष सभी का कार्य सन्तोषजनक रहा। आटोमोबाइल उद्योग में लाइसेंस नीति के उदार बनाए जाने के फलस्वरूप बेहतर विदेशी तकनीक से उल्लेखनीय नई क्षमता पैदा किए जाने से आटोमोबाइल उद्योग के सभी भागों में सराहनीय प्रगति हुई, जो भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की अच्छी प्रगति का सूचक है। आटोमोबाइलों की अच्छी मांग होने से 1983–84 के दौरान टायर ट्यूबों के उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हुई।

1.75 जहां तक, निगमित क्षेत्र का लाभप्रदता का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि होने के बावजूद भी समग्र उद्योग में वित्तीय प्रगति असंतोषजनक ही बनी रही। लगभग 400 चुनी हुई संस्थाओं की 1982–83 में बिक्री (उत्पाद शुल्क रहित) की वृद्धि दर 106 रही, जो कि 1981–82 में 21.7% थी। आय की अपेक्षा खर्चों में तेजी से वृद्धि होने के कारण, 1982–83 के दौरान सकल लाभ में केवल 4.6 की विकास दर रही। कर के बाद लाभों तथा अर्जित लाभों में क्रमशः 2.4% और 4.2% की वृद्धि हुई।

1.76 निगमित क्षेत्र ने जिस दिशा में अधिक ध्यान देना शुरू किया वह है, : सकल स्थिर पूंजी निर्माण। सकल स्थिर परिसम्पत्तियों की निर्माण दर 1979–80 के 11.9 %की तुलना में 1982–83 में बढ़कर लगभग दुगुनी, अर्थात्, 21.4% हो गई। संयंत्र और मशीनरी पर निवेश, 1981–82 के 15.2% की तुलना में 1982–83 में बढ़कर 18.3%

हो गए और यह स्थिर परिसम्पत्तियों की वृद्धि का 61% भाग है ।

1.77 सामान्य निष्कर्ष यह है कि उद्योग ऐसी निगमित कुशलताओं को अपना कर अपनी वित्तीय प्रगति (विशेषकर अच्छी स्थिति में) सुधार सकता है, जिससे कि उद्योग को (क) लगातार नवीकरण और प्रतिस्थापन, के साथ तकनीक में सुधार, ऊर्जा संरक्षण, लागत कटौती करने से संयंत्र और कलपुर्जों को बढ़िया हालत में रखने और (ख) विशेषकर, उपयोगी इंजीनियरिंग, लागत नियंत्रण, और वित्तीय प्रबन्ध के क्षेत्र में आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों का उपयोग करने में सहायता मिले । चूंकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसे वित्तीय संस्थान की व्यावहार्यता और लाभप्रदत्ता काफी सीमा तक इस की वित्तपोषित संस्थाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है अतः निगमित कुशलताओं में उक्त पहलुओं का औचित्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है ।

अध्याय 2

प्रगति एवं कार्य-परिणाम

(क) परियोजना वित्तपोषण कार्य

आवेदनों की आवती

2.01 वर्ष 1983–84 के दौरान, वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए आवदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर वर्ष के दौरान 332 संस्थाओं के आवदनों पर कुल 1,931.19 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर के लिए विचार किया जबकि पिछले वर्ष 290 संस्थाओं के आवेदन कुल 1,538.88 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए थे । इन 332 आवेदक संस्थाओं में से 160 संस्थाओं के आवेदन नई परियोजनाएं लगाने के लिये थे और 172 संस्थाओं के आवेदन उनके विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण योजनाओं और/अथवा अतिव्यय के आंशिक भाग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता, आदि के लिए थे ।

2.02 वर्ष के दौरान, जिन 332 संस्थाओं के आवेदनों पर विचार किया गया उनमें से 311 संस्थाओं के आवेदनों पर 355.14 करोड़ रुपये की कुल सकल वित्तीय सहायता मंजूर की गई और 4 संस्थाओं को वापस लिया अथवा बन्द किया हुआ मान लिया गया । वर्ष की समाप्ति के समय 149.93 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के लिए 17 संस्थाओं के आवेदन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अग्रणी दायित्व में विचाराधीन थे ।

आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने की समयावधि

2.03 वर्ष के दौरान, सहायता मंजूर की गई 311 संस्थाओं में से 269 संस्थाओं को प्रत्येक मामले में पूर्ण सूचना प्राप्त होने की तारीख से चार महीने के भीतर सहायता मंजूर की गई, 23 को छः महीने की अवधि के भीतर तथा 19 को छः महीने से अधिक की अवधि में सहायता मंजूर की गई ।

वर्ष के अन्त में बकाया आवेदन

2.04 जिन मामलों में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अग्रणी था, उनमें 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन आवेदनों की स्थिति (पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों सहित) सारणी 2 में दी गई है ।

सारणी 2 : बकाया आवेदन

(30 जून, 1984 की स्थिति थे अनुसार) (करोड़ रुपये)

बकाया आवेदनों की श्रेणी (भा०औ०वि०नि० अग्रणी मामले)	जिन संस्थाओं के आवेदन विचाराधीन थे, उनकी संख्या	सहायता की राशि जो संयुक्त रूप में वित्तीय संस्थानों से मांगी गई थी
1	2	3
प्रक्रिया हेतु तैयार संस्थाओं से आवेदन (श्रेणी 'क' के रूप में वर्गीकृत)	8 (15)	29.78 (21.47)
उन संस्थाओं के आवेदन जिनसे सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मामले/आधारभूत मुद्दे बकाया हैं और जिन्हें अभी तय किया जाना है (श्रेणी 'ख' के रूप में वर्गीकृत)	9 (21)	120.15 (159.92)
जोड़	17 (26)	149.93 (181.39)

टिप्पणी : कोष्ठकों में पिछले वर्ष, अर्थात् 1982–83 की स्थिति दी गई है ।

मंजूरियां और संवितरण

2.05 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वर्ष के दौरान 311 संस्थाओं की 340 परियोजनाओं के लिए कुल 355.14 करोड़ रुपये की सकल वित्तीय सहायता मंजूर की गई जबकि पिछले वर्ष यह सहायता 251 संस्थाओं की 298 परियोजनाओं के लिए 275.53 करोड़ रुपये मंजूर की गई थी ।

2.06 3 संस्थाओं की 3 परियोजनाओं को 1.52 करोड़ रुपये की रद्द की गई मंजूरियों, आदि का समायोजन करने के बाद, 308 संस्थाओं की 337 परियोजनाओं के

लिए मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता की राशि 353.62 करोड़ रुपये रही जिससे, पिछले वर्ष में 249 संस्थाओं की 296 परियोजनाओं के लिए 273.88 करोड़ रुपये की निवल मंजूरियों में 29.1% की वृद्धि हुई।

2.07 1983–84 में 253.42 करोड़ रुपये के संवितरण किए गए जबकि 1982–83 में यह राशि 219.18 करोड़ रुपये रही। इस प्रकार इसमें 15.6% की वृद्धि हुई।

2.08 सारणी 3 में वर्ष के दौरान और आरम्भ से लेकर 30 जून, 1984 तक की गई मंजूरियों और संवितरणों का सुविधा-वार वर्गीकरण दिया गया है।

सारणी 3 : मंजूरियों और संवितरणों का सुविधा-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

सुविधा	1983–84 (जुलाई–जून)		30 जून, 1984 तक संचयी	
	मंजूरियां रु०	संवितरण रु०	मंजूरियां रु०	संवितरण रु०
1	2	3	4	5
रुपया ऋण				
— उदार ऋण योजना	30.87 (8.7%)	26.72 (10.5%)	205.50 (9.6%)	157.32 (9.8%)
— सामान्य	221.48 (62.6%)	207.50 (81.9%)	1451.92 (67.3%)	1142.44 (71.3%)
विदेशी मुद्रा ऋण	55.05 (15.6%)	11.98 (4.7%)	254.79 (11.8%)	185.20 (11.6%)
हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	38.77 (11.0%)	5.30 (2.1%)	172.62 (8.0%)	60.25 (3.8%)
गारंटियां				
आस्थगित अदायगियों के लिए	5.45 (1.5%)	0.54 (0.2%)	45.17 (2.1%)	31.52 (2.0%)
— विदेशी ऋणों के लिए	2.00 (0.6%)	1.38 (0.6%)	26.75 (1.2%)	24.91 (1.5%)
जोड़	353.62 (100.0%)	253.42 (100.0%)	2156.75 (100.0)%	1601.64 (100.0%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

सुविधा

2.09 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा, 30 जून, 1984 को समाप्त 36 वर्ष की अवधि के दौरान, समग्र देश में फैली हुई 1,567 औद्योगिक संस्थाओं की 1,894 औद्योगिक परियोजनाओं को 2,156.75 करोड़ रुपये की संचयी निवल वित्तीय सहायता मंजूर की गई। 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार संचयी संवितरण 1,601.64 करोड़ रुपये रहा जो कुल मंजूरियों का 74.3% है। लेकिन, मंजूर की गई कुल ऋण सहायता के संदर्भ में किया गया संवितरण 30 जून, 1984 को 77.7% था। 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार 1,166 संस्थाओं से कुल बकाया सहायता 1,112,49 करोड़ रुपये थी।

प्राथमिकता क्षेत्र को सहायता

2.10 उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उद्योगों और अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को (जो मूल रूप में दिनांक 21 अप्रैल, 1982 की नीति घोषणा के साथ पठित दिनांक 2 फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति कथन के परिशिष्ट–1 में उल्लिखित है) वर्ष के दौरान मंजूर की गई कुल सहायता का 80.4% भाग प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान वित्तपोषित 337 परियोजनाओं में से उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त तथा अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों की परियोजनाओं की संख्या 255 रही और उन्हें 284.44 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

2.11 जहां तक 1983–84 में 253.42 करोड़ रुपये के संवितरण का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान इनका 86.1% भाग, अर्थात् 218.25 करोड़ रुपये का संवितरण उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त तथा अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को किया गया।

2.12 कुल मिलाकर, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दशक (1974–84) के दौरान प्रदान की गई सहायता

का लगभग 83.3% भाग उच्च प्राथमिकता वाले तथा अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राप्त हुआ।

सहायता का उद्देश्य-वार वर्गीकरण

2.13 सारणी 4 में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1984 तक संचयी रूप से मंजूर तथा संवितरित की गई सहायता का उद्देश्य-वार विश्लेषण दिया गया है।

सारणी 4 : मंजूर तथा संवितरित की गई सहायता का उद्देश्य-वार वर्गीकरण (करोड़ रुपए)

उद्देश्य		1983–84 (जुलाई–जून)		30 जून, 1984 तक संचयी	
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां रु०/	संवितरण रु०	मंजूरियां रु०/	संवितरण रु०/
1	2	3	4	5	6
नई परियोजनाएं	147	252.25 (71.3%)	160.38 (63.3%)	1407.89 (65.3%)	992.85 (62.0%)
विस्तार/विशाखन	44	35.19 (10.0%)	45.32 (17.9%)	399.56 (18.5%)	347.86 (21.7%)
आधुनिकीकरण/नवीकरण आदि					
— उदार ऋण योजना	67	30.87 (8.7%)	26.72 (10.5%)	205.50 (9.5%)	157.32 (9.8%)
— सामान्य	79	35.31 (10.0%)	21.00 (8.3%)	143.80 (6.7%)	103.61 (6.5%)
जोड़	337	353.62 (100.0%)	253.42 (100.0%)	2156.75 (100.0%)	1601.64 (100.0%)

टिप्पणियां : (i) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

(ii) वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण/नवीकरण, आदि के लिए दी गई सहायता में, पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) में सहायता प्राप्त कुछ नई/विस्तार/विशाखन परियोजनाओं की लागतों में हुए अति-व्यय के भाग को पूरा करने के लिए कुछ संस्थाओं को मंजूर की गई सहायता भी शामिल है।

2.14 वर्ष के दौरान, सहायता प्राप्त 337 परियोजनाओं में से नई परियोजनाओं की संख्या 147 थी जिन्हें सहायता का 71.3% भाग प्राप्त हुआ। इनमें से 16 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये तक थी; 29 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये से कम थी; 71 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम थी; तथा 31 परियोजनाएं ऐसी थीं जिनकी प्रत्येक की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक थी। अतः स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान वित्तपोषित नई परियोजनाओं में से 30.6% परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये तक थी और 69.4% परियोजनाएं ऐसी थीं जिनकी प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक थी।

2.15 प्रतिशत आधार पर, 5 करोड़ रुपये तक की पूंजी लागत वाली नई परियोजनाओं को सहायता का 10.9% भाग प्राप्त हुआ और शेष 89.1% भाग उन परियोजनाओं को प्राप्त हुआ, जिनकी प्रति परियोजना पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक थी।

2.16 नई परियोजनाओं के बाद आधुनिकीकरण और नवीनीकरण योजनाओं के अन्तर्गत 146 परियोजनाओं को वर्ष के दौरान मंजूर की गई सहायता का 18.7% भाग प्राप्त हुआ। इसमें, उदार ऋण योजना के अन्तर्गत 67 परियोजनाओं को 30.87 करोड़ रुपये की सहायता भी शामिल है। उक्त योजना पहली जनवरी, 1984 से काफी उदार कर दी गई है।

2.17 पिछले वर्ष की तुलना में 1983–84 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता में नई परियोजनाओं की संख्या में 61% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान 'उदार ऋण योजना' के अन्तर्गत आधुनिकीकरण सहायता के भाग में भी पिछले वर्ष की तुलना में 157.9% की वृद्धि हुई।

वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण (क) सहकारी क्षेत्र

2.18 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सहकारी क्षेत्र की 29 परियोजनाओं को 26.97 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की। इनमें 17 चीनी सहकारिताओं को 14.66 करोड़ रुपये की सहायता, 11 वस्त्र सहका-

रिताओं को 10.75 करोड़ रुपये की सहायता तथा एक सुपारी और कोका तैयार करने वाली सहकारिता को 1.56 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

2.19 वर्ष के दौरान, सहकारी क्षेत्र की इकाइयों को 40.01 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया जिसमें से 23.94 करोड़ रुपये 43 चीनी सहकारिताओं तथा 16.07 करोड रुपये 37 वस्त्र सहकारिताओं को संवितरित किए गए।

2.20 30 जून, 1984 तक संचयी रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 254 सहकारिताओं को 269.34 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर कर चुका है जिसका 84.4% भाग पहले ही संवितरित किया जा चुका है। सारणी 5 में, विभिन्न औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर तथा संवितरित की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है।

सारणी 5 : औद्योगिक सहकारिताओं को वित्तीय सहायता

(1948–1984) (करोड़ रुपये)

औद्योगिक सहकारिता की प्रकृति	सहकारिताओं की संख्या	मंजूर की गई सहायता रु०	संवितरित राशि रु०
1	2	3	4
चीनी	179	187.08	171.07
सूत कताई	68	59.1	49.67
पटसन	1	0.79	0.79
उर्वरक	3	18.00	3.00
कृत्रिम रेशे	1	2.50	2.50
वनस्पति तेल	1	0.22	0.22
कोका पाउडर	1	1.56	—
जोड़	254	269.34	227.25

30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा की गई कुल संचयी सहायता का 12.5% भाग सहकारी क्षेत्र को प्राप्त हुआ।

निगमित क्षेत्र

2.21 निम्नलिखित सारणी 6 में, निगमित क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं जिनमें निजी, संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं, को वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1984 तक संचयी रूप मंजूर में तथा संवितरित की गई सहायता का विश्लेषण दिया गया है।

सारणी 6 : निगमित-क्षेत्र को जूर औमर संवितरित की गई सहायता का विश्लेषण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1983-84 (जुलाई–जून) मंजूरियां		संवितरण	30 जून, 1984 तक संचयी मंजूरियां		संवितरण
	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०/	रु०/	परियोजनाओं की संख्या रु०/	राशि रु०/	रु०/
1	2	3	4	5	6	7
निजी	230	202.94	147.22	1276	1320.90	1004.22
संयुक्त	41	83.93	31.86	161	300.96	171.93
सरकारी	37	39.98	34.33	203	265.55	198.24
जोड़	308	326.65	213.41	1640	1887.41	1374.39

2.22 पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सहायता राशि में निजी क्षेत्र की संस्थाओं में 36.1% तथा संयुक्त क्षेत्र की स्थिति में 66.1% वृद्धि हुई। लेकिन, वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को दी गई सहायता का भाग पिछले वर्ष की गई मंजूरियों की तुलना में 12.3% कम हो गया। वर्ष के दौरान निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र की इकाइयों को कुल सहायता का क्रमशः 57.4%, 23.7% और 11.3%, भाग प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि निजी निगमित क्षेत्र में बड़े औद्योगिक गृहों अर्थात् एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत, पारस्परिक रूप से सम्बद्ध औद्योगिक गृहों को प्राप्त सहायता में कमी हुई। यह पिछले वर्ष कुल मंजूर सहायता के 13.2% की तुलना में कम होकर 7.6% रह गई।

2.23 उल्लेखनीय है कि 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के समय मुख्यतः निजी निगमित क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करण का मुख्य दायित्व सौंपा गया था। 1970 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा चयनात्मक आधार

पर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को भी निजी निगमित क्षेत्र की परियोजनाओं के समान ही वित्तपोषण किया जाने लगा तथा संयुक्त क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की उस समय विकसित रूपरेखा के अनुरूप सहायता प्रदान की जाने लगी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों में सरकारी और संयुक्त क्षेत्र के भाग को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

2.24 संचयी रूप से भी देखा जाए तो 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की कुल सहायता में 'निजी' क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग सर्वाधिक अर्थात् 61.2% रहा, संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग क्रमश: 14.0% तथा 12.3% रहा। समग्र निगमित क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 30 जून, 1984 तक दी गई कुल सहायता का 87.5% रही। मंजूर की गई कुल सहायता में से संचयी संवितरण 30 जून, 1984 तक 72.8% रहा।

सहायता का उद्योग-वार प्रसार

2.25 वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1984 तक संचयी रूप से सहायता का उद्योग-वार प्रसार सारणी 7 में दिया गया है।

सारणी 7 : सहायता का उद्योग-वार प्रसार

(करोड़ रुपये)

उद्योग	1983–84 (जुलाई–जून)			30 जून, 1984 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
मूल उद्योग (अर्थात् मूल धातु उद्योग, मूल औद्योगिक रसायन, उवरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि)	84	118.07	33.4	416	722.10	33.5
पूंजी माल उद्योग (अर्थात् मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपस्करण, परिवहन उपस्कर आदि)	52	64.62	18.2	275	254.98	11.8
मध्यवर्ती माल उद्योग (अर्थात् रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद, अधातु खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एव ट्यूब, आदि)	69	83.39	23.6	337	349.77	16.2
उपभोक्ता माल उद्योग (अर्थात् चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती, ऊनी, वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)/	125	84.10	23.8	819	788.22	36.6
सेवा उद्योग (अर्थात् होटल,आदि)	7	3.44	1.0	47	41.70	1.9
जोड़	337	353.62	100.0	1894	2156.75	100.0

2.26 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता का उल्लेखनीय भाग जिन उद्योगों को प्राप्त हुआ वे हैं : सीमेंट (16.1%) मूल रसायन और रसायन उत्पाद (10.7%), कृत्रिम रेशे और रेसिन (10.1%), वस्त्र (10,8%), परिवहन उपस्कर (9.4%), बिजली मशीनरी (6.5%), उर्वरक (5.8%) लोहा व इस्पात (4.2%), चीनी (5%), आदि।

2.27 संचयी रूप मे, वस्त्र तथा चीनी उद्योगों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता रहा जो कि निगम की कुल सहायता का 27.4% था। तत्पश्चात् सीमेंट (11.6%), मूल औद्योगिक रसायन और विविध रसायन उत्पाद (9.0%), कागज व कागज उत्पाद (6.9%), लोहा व इस्पात (6.1%) उर्वरक (5.1%), कृत्रिम फाइबर और रेसिन (5.1%) परिवहन उपस्कर (4.5%), मशीनरी (3.9%) बिजली मशीनरी व उपकरण (3.5%), रबड़ उत्पाद (2.7%), अलौह धातु (2.3%), अधातु खनिज उत्पाद (2.2%), शक्ति जनन (1.7%), आदि का स्थान रहा।

सहायता का राज्य-वार प्रसार

2.28 वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1984 तक संचयी रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता का राज्य-वार प्रसार सारणी 8 में दिया गया है।

सारणी 8 : सहायता का राज्य/राज्य-क्षेत्र वार प्रसार

(करोड़ रुपये)

राज्य/राज्य-क्षेत्र	1983–84 (जुलाई–जून)			30 जून, 1984 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०/	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०/	कुल का प्रतिशत
1 2	3	4	5	6	7	
आन्ध्र प्रदेश	39	61.92	17.5	167	214.04	9.9
असम	3	2.30	0.7	18	22.51	1.0
बिहार	11	4.12	1.2	57	60.07	2.8
गुजरात	40	48.86	13.8	185	239.73	11.1
हरियाणा	21	20.91	5.9	85	71.64	3.3
हिमाचल प्रदेश	3	2.53	0.7	18	20.99	1.0
जम्मू व काश्मीर	2	2.52	0.7	9	6.85	0.3
कर्नाटक	21	13.88	3.9	146	160.17	7.4
केरल	8	7.86	2.2	59	67.51	3.1
मध्य प्रदेश	10	20.93	5.9	62	84.36	3.9
महाराष्ट्र	40	33.30	9.4	341	329.57	15.3
मेघालय	—	—	—	2	2.74	0.1
नागालैंड	1	0.16	—	2	0.66	—
उड़ीसा	8	17.27	4.9	43	68.33	3.2
पंजाब	14	15.06	4.3	69	91.40	4.2
राजस्थान	20	16.89	4.8	81	124.11	5.8
सिक्किम	1	1.00	0.3	1	1.00	0.1
तमिलनाडु	34	23.27	6.6	158	188.26	8.7
त्रिपुरा	—	—	—	1	1.16	0.1
उत्तर प्रदेश	39	48.32	13.7	196	234.70	10.9
पश्चिम बंग	16	8.41	2.4	153	121.50	5.6
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	1	0.51	0.1
अरुणाचल प्रदेश	1	0.16	—	1	0.16	—
चण्डीगढ़	1	—	—	2	0.35	—
दिल्ली	1	0.65	0.2	19	25.56	1.2
गोआ	—	—	—	10	10.53	0.5
पांडिचेरी	3	3.30	0.9	8	8.34	0.4
जोड़	337	353.62	100.0	1894	2156.75	100.0

*आन्ध्र प्रदेश में ली है।

2.29 वर्ष के दौरान, राज्य-वार सहायता की प्रवृत्ति की विशेष बात यह रही कि सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को पहली बार निगम की सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष, कम विकसित राज्य, जैसे आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर, मंजूर की गई निगम की सहायता में अपने भाग की स्थिति सुधार सके। अन्य राज्यों में से गुजरात और हरियाणा भी, वर्ष के दौरान मंजूर की गई निगम की राज्य-वार सहायता में अपने भाग की स्थिति सुधारने में समर्थ रहे।

2.30 संचयी रूप से, महाराष्ट्र और गुजरात ने मिलकर, निगम की कुल सहायता का 26.4% भाग प्राप्त किया। इस क्रम में, इसके बाद उत्तर प्रदेश तथा तत्पश्चात् आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, आदि का स्थान रहा।

कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं को सहायता

2.31 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1983–84 में मंजूर की गई सहायता की प्रमुख विशेषता यह रही कि अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित/स्थित की जाने वाली परियोजनाओं का भाग पिछले वर्ष के 57.6% से बढ़कर 68.6% हो गया।

2.32 कम विकसित जिलों/क्षेत्रों के वर्ग 'क' (उद्योग-रहित/विशेष क्षेत्र जिले) 'ख' और 'ग' के रूप में पुनः वर्गीकरण से भावीय औद्योगिक वित्त निगम ने विशेष प्रयास किए हैं कि इसकी सहायता यथासंभव अधिक 'उद्योग-रहित' जिलों/कम विकसित क्षेत्रों तक पहुंचे। वर्ष के दौरान श्रेणी 'क' (उद्योग-रहित/विशेष क्षेत्र जिले) की 23 परियोजनाओं को 26.97 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई जबकि पिछले वर्ष 15 परियोजनाओं को 16.67 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी। श्रेणी 'ख' और 'ग' जिलों की 102 और 62 परियोजनाओं को क्रमश 135.35 करोड़ रुपये तथा 80.10 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई जबकि पिछले वर्ष 94 और 40 परियोजनाओं को क्रमश: 89.46 करोड़ रुपये तथा 51.70 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी।

2.33 अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की वित्तपोषित परियोजनाओं में से 103 नई परियोजनाएं हैं जिनमें 77 परियोजनाओं में से प्रत्येक की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये और इससे कम है और 26 परियोजनाओं में से प्रत्येक की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है।

2.34 श्रेणी 'क', 'ख' और 'ग' जिलों की वित्तपोषित परियोजनाओं के मुख्य उद्योग थे सूती वस्त्र (28) सीमेंट (21), रसायन व रसायन उत्पाद (20), लोहा व इस्पात (9), बिजली मशीनरी (12), कागज (12), उर्वरक (10), विविध अधातु खनिज उत्पाद (10), कृत्रिम रेशे (10), परिवहन उपस्कर (10), चीनी (9), आदि।

2.35 30 जून, 1984 तक संचयी रूप से, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित 837 परियोजनाओं को 1,082.64 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी। यह निगम की निवल संचयी मंजूरियों का 50.2 प्रतिशत है।

नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाएं

2.36 वर्ष के दौरान, वित्तपोषित 147 नई परियोजनाओं में से 20 परियोजनाएं नए और तकनीकज्ञ उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की गई जिन्हें 18.33 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। इनमें से दो परियोजनाएं प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, नए/तकनीकज्ञ उद्यमी द्वारा स्थापित एक और परियोजना को, जिसे पहले वित्तपोषित किया गया था, पूरा करने के लिए 0.28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध की गई।

2.37 भारतीय उद्योग की 36 वर्ष की सेवा के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, विस्तृत पृष्ठभूमि से प्रथम पीढ़ी के अनेक उद्यमियों को देश के औद्योगिक क्षेत्र में लाने में सफल रहा है। इन नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 235 परियोजनाओं को केवल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ही 147.25 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है।

ऊर्जा संरक्षण और/अथवा नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन

2.38 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्तपोषण के प्रस्तावों पर विचार करते समय ऊर्जा संरक्षण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग, व्यर्थ-माल के पुन: उपयोग और प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान देता रहा। उदाहरणार्थ, कोयले से फूंके जाने वाले बायलरों के स्थान पर चावल की भूसी, एक कृषि छीजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बायलरों पर जोर दिया गया। इसी प्रकार होटलों में सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर हीटरों तथा अतिथियों के उपयोग के लिए पानी गर्म करने की सौर ऊर्जा व्यवस्था, आदि पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने के लिए वर्ष के दौरान जिन सल्फ्यूरिक एसिड और सिंगल सुपर-फास्फेट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई, उनके सम्बन्ध में सुनिश्चित किया गया कि सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए संयंत्रों द्वारा डी.डी.सी.ए. प्रक्रिया अपनाई गई हो, तथा उनमें उप-उत्पाद, अर्थात् सोडियम सिलिको फ्लोराइड प्राप्त करने की सुविधाएं भी हों। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया गया कि संयंत्र, सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्रों में अभिसंस्कार की गई गैसों में प्राप्त अतिरिक्त उष्णता को समुचित रूप से उपयोग करने में समर्थ हैं।

विदेशी सहयोग पर आधारित तथा विदेशों से टेक्नोलाजी अन्तरण करने वाली परियोजनाओं को सहायता

2.39 रसायन व रसायन उत्पाद समूह, उर्वरक, मशीन व हिस्से पुर्जे, बिजली व इलेक्ट्रानिक उपकरण, लोहा व लेइस्पात तथा परिवहन उपस्कर उद्योगों की 95 नई विस्तार और विशाखन परियोजनाओं में से जिन 38 परियोजनाओं को निगम द्वारा वर्ष के दौरान 117.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, वे परिष्कृत तथा विदेशों से आयातित टेक्नोलाजी पर आधारित हैं। जिन देशों से टेक्नोलाजी प्राप्त की गई तथा उन परियोजनाओं की संख्या का विवरण इस प्रकार रहा जापान (8), संयुक्त राज्य अमरीका (6), जर्मन संघ गण राज्य (7) स्विटजरलैंड (4), स्वीडन (1), इटली, (3), फ्रांस (1), ब्रिटेन (3), हालैंड (1), जर्मन जनवादी गणतन्त्र (1), कनाडा (2), तथा नार्वे (1)।

2.40 एक ही देश अथवा विभिन्न देशों के अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त हुई तकनीकी पर आधारित परियोजनाओं को अनुमोदित करने का भी प्रयास किया गया ताकि कुछ समय

पश्चात् समानान्तर तकनीकी से प्राप्त होने वाले विशेष लाभों और उपयोगों का अनुमान लगा सकना संभव हो सके। यह भी ध्यान रखा गया कि विदेशी सहयोग से देश में स्थापित की जा रही परियोजनाओं को सहयोग करार की अवधि में हुए तकनीकी संवर्द्धन का लाभ प्राप्त होता रहे।

निर्यात-उन्मुख परियोजनाओं को सहायता

2.41 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 100% निर्यात-उन्मुख तीन परियोजनाओं को 3.87 करोड़ रुपये की कुल सहायता प्रदान की। निर्यात-उन्मुख अन्य 3 परियोजनाओं को वर्ष के दौरान निगम से 4.91 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

नए आयामों में प्रवेश

2.42 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सहायता प्रदान करने के आयाम को विस्तृत करने की दृष्टि से पहली बार कारोबार की नई दिशाओं में प्रवेश किया जो वास्तव में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में इसके नए आयामों में प्रवेश का सूचक है।

2.43 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में, 1982 में किए गए संशोधन के बाद निगम ने पहली बार 1983-84 में निम्नलिखित से सम्बन्धित परियोजनाओं का वित्त पोषण किया :

(क) फर्मास्युटिकल उद्योग की लघु इकाई स्थापित करने के लिए तमिलनाडु में चिंगलपेट में एक 'औद्योगिक एस्टेट' का विकास, और

(ख) तीर्थयात्रियों को कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ियों से जम्मू व कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित सुप्रसिद्ध वैष्णो देवी के मन्दिर तक ले जाने के प्रयोजन के लिए 'यात्री हवाई रज्जुमार्ग' का निर्माण।

2.44 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, एकरंगी और बहुरंगी छपाई सुविधाओं वाली एक आधुनिक आफ सेट-प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल की एक परियोजना का भी पहली बार वित्त पोषण किया। इसी प्रकार, निगम द्वारा तमिलनाडु की एक प्रमुख समाचारपत्र संस्था को इसकी 20 वर्ष पुरानी लैटर प्रेस मशीनों को आधुनिक परिष्कृत वेब आफ-सेट प्रिंटिंग मशीनों से प्रतिस्थापित करने के लिए पहली बार जर्मन मार्क उप-ऋण में आधुनिकीकरण सहायता प्रदान की गई। इसी प्रकार, रायगढ़ (महाराष्ट्र) जिले में स्थापित की जाने वाली, 2500 बैटरी-संचालित औद्योगिक और बिजली वाहनों के सड़क माडल का निर्माण करने वाली परियोजना भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित अपने प्रकार की पहली परियोजना थी।

मंजूर और संवितरित की गई सहायता का योजना-वार वर्गीकरण

2.45 वर्षों के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों की महत्वपूर्ण विशेषता, इसकी उधार और निवेश नीतियों को देश की पंचवर्षीय योजनाओं के साथ एकीकरण रही। निगम प्रत्येक योजना की अवधि के दौरान देश में उद्योगीकरण की गति के अनुरूप चलने में समर्थ रहा है, जोकि सारणी 9 से स्पष्ट है।

सारणी 9 : योजनाबवार मंजूर और संवितरित की गई सहायता

(करोड़ रुपये)

30 जून को समाप्त वर्ष	मंजूर की गई वित्तीय सहायता				संवितरित की गई वित्तीय सहायता			
	ऋण रु०	हामीदारियां रु०	गारंटिया रु०	कुल रु०	ऋण रु०	हामीदारियां रु०	गारंटिया रु०	कुल रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
पहली योजना से पूर्व की अवधि :								
1949–51	8.13	—	—	8.13	5.79	—	—	5.79
पहली योजना :								
1952–56	27.03	—	—	27.03	10.94	—	—	10.94
दूसरी योजना :								
1957–61	52.19	3.57	16.30	72.06	40.62	1.31	15.11	57.04
तीसरी योजना :								
1962–66	121.41	17.22	29.48	168.11	98.23	14.00	26.80	139.03
वार्षिक योजनाएं								
1967	13.07	1.87	4.00	18.94	34.16	2.90	5.64	42.70
1968	14.90	1.49	0.88	17.27	26.78	1.06	2.62	30.46
1969	24.11	2.41	0.39	26.91	16.32	1.68	0.28	18.28
जोड़	52.08	5.77	5.27	63.12	57.26	5.64	8.54	91.44

चौथी योजना :								
1970	12.05	1.25	0.04	13.33	17.89	0.85	0.34	19.08
1971	28.18	2.15	0.42	30.75	18.90	0.87	0.20	19.97
1972	33.67	4.57	—	38.24	23.76	1.00	0.11	24.87
1973	40.82	2.01	0.60	43.43	33.34	2.30	0.61	36.25
1974	35.38	2.47	0.04	37.89	30.63	1.46	0.05	32.14
जोड़	150.10	12.44	1.10	163.64	124.52	6.48	1.31	132.31
पांचवीं योजना :								
1975	29.58	3.89	—	33.47	37.68	1.07	0.34	39.09
1976	45.14	3.11	—	48.25	43.59	2.40	—	45.99
1977	84.52	8.28	—	92.80	58.79	1.72	—	60.51
1978	99.35	5.49	0.28	105.12	59.29	5.10	—	64.39
जोड़	258.59	20.77	0.28	279.64	199.35	10.29	0.34	209.98
1979	140.05	9.66	—	149.71	68.92	3.15	0.20	72.27
1980	142.23	8.70	—	150.93	92.67	2.24	—	94.91
जोड़	282.28	18.36	—	300.64	161.59	5.39	0.20	167.18
छठी योजना :								
1981	180.57	17.15	0.70	198.42	125.79	2.14	—	127.93
1982	229.04	19.41	5.77	254.22	183.86	2.67	0.87	187.40
1983	243.39	19.16	5.57	268.12	210.81	7.03	1.34	219.81
1984	307.40	38.77	7.45	353.62	246.20	5.30	1.92	253.42
जोड़	960.40	94.49	19.49	1074.38	766.66	17.14	4.13	787.93
कुल जोड़	1912.21	172.62	71.92	2156.75	1484.96	60.25	56.43	1601.64

2.46 छठी योजना (1980-85) के प्रथम चार वर्षों के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की कुल मंजूरियां तथा संवितरण, निगम द्वारा पांचवीं योजना की समग्र अवधि के दौरान, की गई कुल मंजूरियां तथा संवितरणों से क्रमशः 284.2% तथा 275.2% अधिक है।

संपरिवर्तनीयता विकल्प का निर्धारण, प्रयोग और छूट

2.47 वर्ष के दौरान की गई मंजूरियों के सम्बन्ध में केवल 141 मामलों में संपरिवर्तनीयता खण्ड निर्धारित किया गया। वर्ष के दौरान तीन मामलों में संपरिवर्तनीयता अधिकार का प्रयोग किया गया और 35 मामलों में छूट दी गई। संचयी रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 929 मामलों में 'संपरिवर्तनीयता' खण्ड निर्धारित कर चुका है, 93 मामलों में संपरिवर्तनीयता विकल्प का प्रयोग किया जा चुका है और सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 285 मामालों में इससे छूट दी जा चुकी है। पहली मार्च, 1984 से संपरिवर्तनीयता खण्ड की प्रारम्भिक सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने से इस सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यविधि निर्धारित किये जाने के बाद मामले-वार समीक्षा किये जाने का प्रस्ताव है।

नामांकन

2.48 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 42 वित्तपोषित संस्थाओं के निदेशक बोर्डों के नामित (विभागीय और गैर-विभागीय) नियुक्त किये। 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 537 वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में 294 नामितों को नियुक्त किया जिनमें से 168 गैर-विभागीय थे।

उधार दरें

2.49 यद्यपि मूल उधार दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु ब्याज आदि लगाने के तरीकों के सम्बन्ध में कुछ सुधार किए गए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में 30 जून, 1984 को वर्ष की समाप्ति के समय लागू ब्याज दरों का पूरा विवरण परिशिष्ट II में देखा जा सकता है।

जन हित में की गई मंजूरियां

2.50 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 26(2) की व्यवस्थाओं के अधीन कारोबार को नियमित करने के उद्देश्य से निदेशक बोर्ड द्वारा बनाए गए तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अनुमोदित किए गए, भारतीय

औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982 की व्यवस्थाओं के अनुरूप उन संस्थाओं की सूची रिपोर्ट के परिशिष्ट III में दी गई है जिनमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक, हितबद्ध थे और जिन्हें 1983-84 में निदेशक बोर्ड द्वारा 'जन-हित' में वित्तीय सहायता मंजूर की गई।

(ख) प्रवर्तन कार्य

—नई दिशाएं

2.51 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रवर्तन कार्यों का महत्व, देश के उद्योगीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़ाने, तथा संस्थानात्मक अवस्थापना सुविधाओं/सहायता में कमी को दूर करने के लिए 'प्रोत्साहन उपायों' पर रहा।

2.52 निगम ने अपने द्वारा किए गए विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर वर्ष के दौरान 180.28 लाख रुपये व्यय किए जब कि 1982-83 में यह राशि 71.25 लाख रुपये थी। इस प्रकार, इस वर्ष प्रवर्तन कार्यों पर व्यय की गई राशि पिछले वर्ष से 153.0% अधिक रही।

2.53 वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1984 तक संचयी रूप से विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर किए गए व्यय का ब्यौरा सारणी 10 में दिया गया है।

सारणी 10 : प्रवर्तन कार्यों पर किया गया व्यय

(लाख रुपये)

कार्यों की प्रकृति	1983-84 (जुलाई-जून) राशि रु०	30 जून, 1984 तक संचयी राशि रु०
(1)	(2)	(3)
औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण	2.11	3.05
प्रवर्तन (उप-सहायता) योजनाएं	40.45	102.82
विशेष अनुसंधान अध्ययन, व्यावहारिता रिपोर्ट और अन्य दत्तकार्य	0.62	9.78
तकनीकी सलाहकारी संगठनों को इक्विटी तथा अन्य सहायता	3.38	43.17
जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को स्रोत-सहायता	80.72	410.86
विकास बैंकिंग केन्द्र सहित प्रबन्ध विकास संस्थान को स्रोत-सहायता	21.80	437.13
भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान की निधि में सहायता	28.00	28.00
उद्यमी विकास कार्यक्रमों को सहायता	1.56	2.04
ग्रामीण विकास के अंतर्राष्ट्रीय अनावरण को सहायता	1.00	1.00
भा० औ० वि० नि० चेयरों को सहयता	0.74	20.04
अनुस्थापन कार्यक्रमों तथा राज्य-स्तरीय संस्थानों को सहायता	—	4.25
अन्य	—	59.36*
जोड़	180.28	1121.50

*परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त :

'उद्योग-रहित जिलों' की औद्योगिक क्षमता के सर्वेक्षण

2.54 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 'उद्योग-रहित जिलों' में विकासात्मक कार्यों के अनुवर्तन का दायित्व लिए जाने का पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था। कांगड़ा जिले के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य हिमाचल सलाहकारी संगठन लि० (हिमकान) को सौंपा गया, जैसलमेर जिले का राजस्थान सलाहकारी संगठन लि० (राजकान) को, धार, गुना, झाबुआ और सीधी जिलों का मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि० (एमपीकान) को तथा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, पन्ना और नरसिंहपुर जिलों का आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक व तकनीकी सलाकारी संगठन लि० (एपीटको) को सौंपा गया। वर्ष के दौरान, संगठनों से उनकी प्रारूप रिपोर्टें प्राप्त हुई तथा उन परविभिन्न राज्यों में गठित की गई (विशेष मार्गदर्शन एवं अनुवर्तन समितियों' द्वारा विचार किया जा रहा है। इन समितियों की अध्यक्षता राज्य के सचिव/विकास आयुक्त (उद्योग) द्वारा की जाती है तथा इसमें राज्य-स्तरीय संगठनों, जिला उद्योग केन्द्रों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। निरूपित परियोजनाओं की 'प्रथम दृष्टि में' तकनीकी व्यावहार्यता और बाजार उपलब्धता की दृष्टि से जांच करने के उद्देश्य से एक 'अन्तर संस्थापनात्मक जांच समिति' भी बनाई गई है ताकि इन क्षेत्रों में चुनी हुई परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने के लिये राज्य-स्तरीय प्रवर्तनात्मक संस्थानों को सलाह दी जा सके। उक्त समिति में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं।

2.55 सभी 'उद्योग-रहित जिलों' को क्रमबद्ध ढंग से 'उद्योग-रहित जिलों' के लिये संस्थानात्मक गहन विकासात्मक प्रयास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने की योजना है जिसका भार भारतीय

औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा उठाया जा रहा है। उन अतिरिक्त जिलों का पता लगाने के लिये समय-समय पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है जिन्हें उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके।

प्रवर्तन योजनाएं

2.56 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में निम्नलिखित छः प्रवर्तन योजनाओं का उल्लेख किया गया था जो भा० औ० वि० नि० ने अपनी ओर से शुरू की थीं और जो प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से चालू थीं :

—देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिये उप-सहायता योजना (30-11-1977)।

—बाजार अध्ययन लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप-सहायता योजना (30-11-1977)

—व्यावहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए लघु उद्यमियों को उप-सहायता योजना (1-7-1978)

—सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिये उप-सहायता योजना (1-9-1978)

—अति लघु तथा लघु स्तर के क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए उप-सहायता योजना (28-6-1982)

—बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व-विकास और स्व-नियोजन के लिए सहायता योजना (28-6-1982)

2.57 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप 'व्यावहार्यता अध्ययनों, आदि की लागत को पूरा करने के लिए लघु उद्यमियों को उप-सहायता योजना' के अन्तर्गत उप-सहायता की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये और शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उद्यमियों के मामले में 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये की गई; लेकिन योजना की अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन को वार्षिक उप-सहायता की समग्र सीमा को, योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया।

2.58 बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व-विकास और स्व-रोजगार के लिये सहायता के अन्तर्गत, माता-पिता की संयुक्त वार्षिक आय की 10,000/- रुपये की सीमा को पात्रता मापदण्ड से हटा दिया गया ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति योजना के अन्तर्गत लाए जा सकें।

2.59 वर्ष के अन्त में, 'देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिये उप-सहायता योजना' के सम्बन्ध में और समीक्षा की गई तथा 'इन-हाऊस' अनुसंधान व विकास प्रयासों के माध्यम से टेक्नोलाजी विकास के लिये 'सहायता योजना' नामक एक नई योजना पहली जुलाई, 1984 से आरम्भ की गई। इस समय प्रचलित दोनों योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं।

(क) देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए उप-सहायता योजना

—योजना के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं, चाहे वे अति लघु, लघु अथवा मध्यम स्तर के क्षेत्रों में हों (5 करोड़ रुपये की पूंजी लागत तक) और जो या तो राज्य वित्तीय निगमों (राज्य वित्तीय गिनम अधिनियम, 1951 द्वारा स्थापित) अथवा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि० की वित्तीय सहायता से स्थापित की गई हैं, मामले-वार आधार पर निर्धार्य, एक बार दी जाने वाली उप-सहायता के रूप में सहायता की हकदार हैं।

—अति लघु और लघु क्षेत्र की इकाइयों के मामले में उप-सहायता, देशी तकनीक ग्रहण करने की लागत के 80% तक सीमित है, लेकिन 20,000 रुपये या परियोजना लागत के 10%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। 5 करोड़ रुपये तक की कुल परियोजना लागत वाली मध्यम स्तर की इकाइयों के मामले में उप-सहायता, देशी तकनीक ग्रहण करने की लागत के 80% तक सीमित है, लेकिन यह राशि 5 लाख रुपये या परियोजना लागत के 10%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

—योजना का पात्र बनने के लिये परियोजना राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए तथा देशी तकनीक (किसी भी प्रक्रिया सहित) अथवा किसी अन्य जानकारी पर आधारित होनी चाहिए, जो सरकारी प्रयोगशालाओं, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय, अनुसंधान विकास निगमों अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान में विकिसित हुई हो, अथवा उसके द्वारा उसका आविष्कार किया गया हो।

—परियोजना द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित देशी तकनीक ऐसी होनी चाहिए, जिसका देश मे वाणिज्यक स्तर पर पहले उपयोग न किया गया तथा यह प्रस्तावित उत्पाद के निर्माण के लिये आधारभूत होनी चाहिए, केवल उसकी अनुकृति मात्र नहीं।

—अति लघु और लघु क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में योजना राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से तथा अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सीधे चलाई जा रही है।

(ख) इन-हाऊस अनुसंधान व विकास प्रयासों के माध्यम से टेक्नालोजी विकास के लिए सहायता योजना

—यह देश में अपने प्रकार की पहली योजना है जिसका उद्देश्य, निगमित और सहकारी क्षेत्रों की संस्थाओं (एम०आर०टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों को छोड़कर) द्वारा किए गए इन-हाऊस अनुसंधान व विकास प्रयासों के माध्यम से देशी रूप से टेक्नोलाजी विकास में सहायता करना है।

—योजना के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, 10% ब्याज दर पर उदार शर्तों पर प्रत्यक्ष रूप से ऋण सहायता

प्रदान करता है। ऋण की राशि प्रयोगशाला से वाणिज्यिक स्तर तक टेक्नोलाजी के विकास/अपनाने के लिए किए गए इन-हाऊस अनुसंधान व विकास प्रयासों की लागत के 50% अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उदार शर्तों पर उपलब्ध ऋण सहायता की पुनर्अदायगी, विकसित टेक्नोलाजी को वाणिज्यिक स्तर पर सफलतापूर्वक अपनाने और काम में लाने के बाद अथवा प्रथम संवितरण की तारीख से तीन वर्ष के बाद, जो भी पहले हो, आरम्भ होगी।

—इन-हाऊस अनुसंधान व विकास प्रयासों के माध्यम से विकसित टेक्नालोजी के सफल होने की स्थिति में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसके द्वारा उपलब्ध की गई उदार ऋण सहायता के आधार पर पेटेन्ट अधिकारों में, यदि कोई हों, भी हिस्सेदार होगा तथा डिजाइन और टेक्नालोजी को लाभ-भोगी इकाई द्वारा इसको मिल्कियत के रूप में मानने की अनुमती नहीं दी जाएगी।

—योजना के अन्तर्गत सहायता का पात्र बनने के लिये आवेदक संस्था भारत सरकार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा इन-हाऊस अनुसंधान व विकास प्रयासों के माध्यम से ऐसी टेक्नोलाजी के विकास में सक्रिय रूप से कार्यरत होनी चाहिए जो उत्पाद विशेष के निर्माण के लिए आधारभूत हो तथा देश में पहले उपलब्ध न हो। यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार विकसित टेक्नोलाजी बाहर उपलब्ध अन्य तुलनीय टेक्नोलाजियों के साथ लागत, गुण उत्पादन, तकनीकी प्रक्रिया, आदि क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर सके।

—योजना के अन्तर्गत सहायता का पात्र बनने के लिए, प्रयोगशाला से वाणिज्यिक स्तर तक टेक्नोलाजी विकास के लिए अनुसंधान व विकास प्रयासों की कुल लागत 5 लाख रुपये से अधिक तथा 50 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संस्था या तो राज्य वित्तीय निगम अथवा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की वित्त-पोषित इकाई होनी चाहिए।

2.60 सिवाय 'देशी तकनीक के ग्रहण' को प्रोत्साहित करने के लिए उप-सहायता योजना तथा 'इन-हाऊस अनुसंधान व विकास प्रयासों के माध्यम से टेक्नोलाजी विकास के लिए सहायता योजना' के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाएं, समग्र देश में राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों के सहयोग से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित तकनीकी सलाहकारी संगठनों की एजेंसी के माध्यम से चलाई जा रही है। प्रवर्तन योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा तकनीकी सलाकारी संगठनों के माध्यम से 1983-84 में तथा 30 जून, 1984 तक संचयी रूप से, संवितरित की गई निम्नलिखित सारणी 11 में दी गई है।

(लाख रुपये)

सारणी 11 ; प्रवर्तन योजनाओं के अन्तर्गत संवितरित की गई उप-सहायता

प्रवर्तन योजनायें	1983-84 (जुलाई—जून)		30 जून, 1984 तक संचयी	
	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित की गई राशि रु०	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित की गई राशि रु०
लघु उद्यमियों को उप—सहायता योजना	611	20.52	2077	67.63
सहायक और लघु उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप—सहायता योजना	12	2.00	90	9.67
बाजार अध्ययन लागत पूरी करने के लिए नए उद्यमियों की उप—सहायता योजना	5	0.72	5	0.72
अति लघु और लघु उद्योगों की रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए उप सहायता योजना	9	0.43	9	0.43
जोड़	637	23.67	2181	78.45

उपर्युक्त के अतिरिक्त, देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के उप-सहायता योजना के अन्तर्गत, राजस्थान की एक 'ग्लायक्सल-इकाई को वर्ष के दौरान, 16.94 लाख रुपये संवितरित किए जा चुके हैं, और गुजरात की एक इथेलीन-डायमाइन्स इकाई को इस योजना के अन्तर्गत 18.58 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है। संचयी रूप से, योजना के आरम्भ से लेकर 30 जून, 1984 तक 24.37 लाख रुपये की उप-सहायता संवितरित की जा चुकी है।

विशेष दत्तकार्यों के लिये वित्त व्यवस्था

2.61 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सलाहकारी संगठनों और अपने-अपने क्षेत्रों में उद्योग के प्रवर्तन से संबंधित विभिन्न अन्य राष्ट्रीय तथा राज्य-स्तरीय विकास एजेंसियों द्वारा प्रायोजित और/अथवा किए गए व्यावहार्यता अध्ययनों, परियोजना रिपोर्टों, बाजार सर्वेक्षणों, तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों, परियोजना रूपरेखा, औद्योगिक सम्भावना, सर्वेक्षणों, अनुसंधान अध्ययनों आदि से सम्बन्धित, विशेष दत्तकार्यों जहां इन्हें निगम की वर्तमान प्रवर्तन योजनाओं के अधीन उप-सहायता नहीं दी जा सकती, की परामर्श लागत में मामलेवार अनुसार, समय-समय पर भागीदारी करता रहा है।

2.62 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, 'उद्योगों के लिए जन-शक्ति नियोजन तथा स्थानीय लोगों के उद्योगों में योगदान के लिए उपाय', विषय पर एक अनुसंधान अध्ययन की लागत के हिस्से को वहन करने की स्वीकृति प्रदान की। गुजरात औद्योगिक व तकनीकी सलाहकारी संगठन लि०

द्वारा किए गए उक्त अध्ययन में विकासशील क्षेत्रों विशेष रूप से गुजरात के भड़ौच, पंचमहल और सुरेन्द्रनगर जिलों में जहां लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां, 1940 से भी अधिक हैं, जनशक्ति आवश्यकताओं तथा उद्योगों की समस्याओं में गहन सर्वेक्षण करके विचार किया जाना है। इस अध्ययन से, राज्य के चुने हुए विकासशील क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के स्तर तथा स्वरूप को आगे बढ़ाये जाने की सम्भावना है और साथ ही उन मिले-जुले उद्योगों का अनुमान लगाया जाना है जो विकसित किए जा सकते हैं। अध्ययन के परिणामस्वरूप औद्योगिक जनशक्ति योजनायें, जोकि पूर्वोल्लिखित गुजरात के तीन जिलों के लिए तैयार की जानी है, दक्षता की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त उद्योग की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्रभावशाली उपाय का सुझाव देंगी और इसके अतिरिक्त जहां तक इनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने से है, ये औद्योगिक रोजगार में स्थानीय लोगों को भी सम्मिलित करने के उपाय सुझायेंगी ।

तकनीकी सलाहकारी सहायता

2.63 अति लघु क्षेत्र में भी सर्वाधिक अति लघु और लघु स्तर में सर्वाधिक लघु तथा मध्यम स्तर के उद्यमियों को भी कम लागत पर उच्च कोटि की सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (राज्य स्तरीय संगठनों और बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने तकनीकी सलाहकारी संगठनों की स्थापना की है। अब तक 15 तकनीकी सलाहकारी संगठन (कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित किए गए एक संगठन सहित) कार्य कर रहे हैं और देश के उत्तरी भाग के कुछ राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'उत्तर भारत तकनीकी सलाहकारी संगठन लि०' (निटकान) नामक 16वां तकनीकी सलाहकारी संगठन, 28 मार्च, 1984 को संस्थापित किया गया जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अग्रणी है।

2.64 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित किए गए सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति और विकास में भाग लिया है, लेकिन क्रमश: 1977, 1978 और 1979 में स्थापित किए गए हिमाचल सलाहकारी संगठन लि० (हिमकॉन), राजस्थान सलाहकारी संगठन लि० (राजकॉन) और मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि० (एमपीकॉन) के सम्बन्ध में इसका अग्रणी दायित्व है।

सारणी 12; भा.औ.वि. नि. द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार

विवरण	हिमकान		राजकान		एम पीकान	
	1983 तक संचयी	31.12.83	1983 तकसंचयी	31.12.83	1983 तकसंचयी	31.12.83
1. पूरे किए गए वचकार्यों (निवेश सम्बन्धी) की संख्या	103	488	65	288	236	586
2. उपर्युक्त 1 के सम्बन्ध में अपेक्षित अनुमानित निवेश (करोड़ रुपये	16.11	119.07	10.81	50.07	148.17	323.41
3. उपर्युक्त 1 के सम्बन्ध में रोजगार सम्भावना (व्यक्तियों की संख्या)	2567	22696	1251	8726	5358	12572
4. पूरे किए गए अन्य वचकार्य	18	82	49	89	13	509
5. आयोजित किए गए उद्यमीय विकास कार्यक्रमों की संख्या	2	4	2	7	13	28
6. प्रशिक्षित किए गए उद्यमियों की संख्या	30	64	50	170	336	668

2.65 हिमकॉन, राजकॉन और एमपीकॉन द्वारा 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त उनके लेखांकन वर्ष तथा दिसम्बर 1983 को संचयी रूप से की गई प्रगति का सार सारणी 12 में दिया गया है।

2.66 1983 में हिमकॉन के कार्य-परिणामों में 1.87 लाख रुपये का घाटा हुआ क्योंकि परामर्श-आय 1982 में 8.50 लाख रुपये थी जो 1983 में कम होकर, 6.49 लाख रुपये रह गई। 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त वर्ष के लिए राजकॉन और एमपीकॉन के कार्य-परिणामों में क्रमश: 0.08 लाख रुपये और 0.16 लाख रुपये का आधिक्य रहा।

2.67 समग्र रूप से सभी पन्द्रह तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने 30 जून, 1984 तक व्यावहार्यता अध्ययनों, परियोजना रिपोर्टों, परियोजना रूपरेखाओं, औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षणों, पुनर्स्थापन, अध्ययनों, मूल्यांकन और अन्य वचकार्यों आदि से सम्बन्धित 13,263 वचकार्य किए जो लघु और लघु मध्यम औद्योगिक परियोजनाओं को परामर्श के क्षेत्र में उनके पड़ रहे प्रभाव का प्रमाण है।

2.68 उद्यमीय विकास के क्षेत्र में, अधिकांश राज्यों में तकनीकी सलाहकारी संगठन, उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर 30 जून, 1984 तक तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने 6,647 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया तथा प्रशिक्षित उद्यमियों को उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की।

2.69 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों के संगठनात्मक ढांचे और दीर्घकालीन, नीतियों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने की दृष्टि से उनके प्रबन्ध निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किए जाने के अतिरिक्त, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने भी अपने अग्रणी दायित्व में आने वाले तकनीकी सलाहकारी संगठनों के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित

किया। सम्मेलन में विचार-विमर्श का मुख्य क्षेत्र तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा, उनके राज्यों की सम्बन्धित योजनाओं सातवीं योजना के लिए किए जा रहे कार्यों, आदि का अध्ययन करने के पश्चात, अगले पांच वर्षों के लिए निगमित योजनाएं तैयार करना था ताकि वे सफलतापूर्वक अपने-अपने राज्यों में औद्योगिक विकास की दीर्घकालीन प्रक्रिया के अनुकूल बन सकें तथा टेक्नोलॉजी को लघु उद्यमियों तक पहुंचाने में सहायक बन सकें। उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों अध्ययनों के कार्यान्वियन पर भी जोर दिया गया तथा राज्य के उन विकास-कार्यक्रमों, जो उनके कार्यक्षेत्रों के अन्तर्गत आते है, के अनुसार उद्यमियों की स्थापना तथा उनकी कारोबार योजनाओं के एकीकरण पर भी जोर दिया गया ।

बीज/जोखिम पूंजी के लिए सहायता

2.70 यह विदित ही है, कि मध्यम और बड़े पैमाने के औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के इच्छुक व्यावसायिकों को साधारण पूंजी में सहायता प्रदान करने के लिये उपयुक्त संस्थानात्मक तन्त्र की आवश्यकता को समझ कर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 1975 में नई दिल्ली मे जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान (आर० सी०एफ०), प्रायोजित करके संस्थानात्मक व स्थापना सुविधाओं की उपलब्धता में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा किया है।

2.71 जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रवर्तक अंशदान के 50% तक भाग को पूरा करने के लिए उद्यमियों को (प्रवासी-भारतीयों सहित) 15 लाख रु० से 30 लाख रु० तक (प्रवर्तकों की संख्या के आधार पर) ब्याज रहित व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करता है। 1983 (जनवरी-दिसम्बर) में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने 15 प्रवर्तकों को उनकी 8 परियोजनाओं के लिए 93.24 लाख रुपये की जोखिम पूंजी सहायता प्रदान की। तदुपरान्त 30 जून, 1984 को समाप्त छमाही के दौरान, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने 20 उद्यमियों को उनके द्वारा प्रवर्तित 11 परियोजनाओं के सम्बन्ध में 149.00 लाख रुपये की जोखिम पूंजी सहायता प्रदान की। 30 जून, 1984 को समाप्त छमाही के दौरान में अत्यधिक सहायता वृद्धि का कारण था जोखिम पूंजी सहायता योजना को उदार बनाया जाना, तथा उसके लिए क्षेत्र-विस्तार और पात्रता मापदण्ड को विस्तृत बनाया जाना, जिसका, पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था।

2.72 30 जून, 1984 तक संचयी रूप से जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान द्वारा इसके 8 वर्ष के कार्यों के दौरान, 111 प्रवर्तकों को उनकी 67 परियोजनाओं के लिये कुल 602.58 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई थी। इसमें से, प्रतिष्ठान द्वारा 30 जून, 1984 तक 384.88 लाख रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी थी।

2.73 इस समय जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के स्रोत पूर्णतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पूरे किए जा रहे हैं।

प्रबन्ध के व्यवसायीकरण और प्रबन्धकीय कुशलता बढ़ाने के लिए सहायता

2.74 दिन-प्रतिदिन की प्रबन्ध व्यवस्था के स्तर में विकास और सुधार लाने के लिए और प्रबन्ध व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, जैसा कि विदित है 1973 में दिल्ली के निकट, प्रबन्ध विकास संस्थान का प्रायोजन किया था।

2.75 तत्पश्चात विकास बैंकों, औद्योगिक विकास एजेंसियों, तकनीकी सलाहकारी संगठनों, आदि के व्यावसायिकों तथा कार्यपालकों के प्रशिक्षण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रबन्ध विकास संस्थान के एक पक्ष के रूप में 1977 में विकास बैंकिंग केन्द्र की स्थापना की गई।

2.76 प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र सहित) आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों का प्रशिक्षण देता है ताकि विशेष प्रशिक्षण अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उद्योगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वर्ष 1983 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान ने 2,052 भागीदारों के लाभ के लिए 101 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जिनमें 36 भागीदार अन्य विकासशील देशों से थे ।

2.77 प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र सहित) में अगले छः महीने के दौरान 42 कार्यक्रम आयोजित किए जिनसे 844 भागीदार लाभान्वित हुए जिनमें 66 अन्य विकासशील देशों से थे ।

2.78 संचयी रूप से देखा जाए तो प्रबन्ध विकास संस्थान को, (विकास बैंकिंग केन्द्र सहित), जिसने अपने कार्यों का एक दशक पूरा कर लिया है, 30 जून, 1984 तक 546 कार्यक्रम आयोजित करने में सफलता प्राप्त हुई जिससे 14,027 भागीदार लाभान्वित हुए जिनमें से बाहरी देशों के 479 भागीदार थे।

2.79 प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र सहित) ने इसी अवधि के दौरान अनुसंधान और परामर्श के क्षेत्र में, देश के विभिन्न भागों में 38 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं।

2.80 प्रबन्ध विकास संस्थान (विकास बैंकिंग केन्द्र) को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन, आर्थिक विकास संस्थान, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, एशियाई उत्पादकता परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय, विकास के लिए जर्मन प्रतिष्ठान आदि के सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित करने में प्रतिष्ठा प्राप्त की।

उद्यमीय विकास के लिए सहायता

2.81 उद्यमीय विकास के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का योगदान (क) उद्यमीय विकास कार्यक्रम आयोजित करने वाली एजेंसियों को वित्तीय सहायता (ख) राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान की स्थापना में सहायता, और (ग) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विज्ञान तथा औद्योगिक उद्यमीय विकास बोर्ड के विज्ञान

तथा औद्योगिक उद्यमीय विकास कार्यक्रम की लागत में अपना योगदान रहा है ।

2.82 राष्ट्रीय विज्ञान और औद्योगिकी उद्यमीय विकास बोर्ड ने उद्यमीय प्रशिक्षण और विकास और अमेरिका तथा यू० के० में 'विज्ञान पार्कों की रूप रेखा पर आधारित 'विज्ञान व प्रौद्योगिकी उद्यमीय पार्कों का स्थापना करने के सम्बंध में कार्यक्रम तैयार किए हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी उद्यमीय पार्क का उद्देश्य अनुभवहीन उद्यमियों के लिए उपयुक्त स्थितियों की स्थापना करना है ताकि वे अपने विचारों को प्रारम्भिक स्तर पर औद्योगिक परियोजना का रूप दे सकें । विज्ञान व प्रौद्योगिकी उद्यमीय पार्कों को एक प्रकार से नर्सरी औद्योगिक एस्टेट समझा जा सकता है जिनसे विज्ञान व टेकनोलाजी की जानकारी रखने वाले भावी उद्यमियों को इसके दायरे में आने तथा दो से तीन वर्ष तक की अवधि में उन्हें साहसी उद्यमी बनाए जाने की सम्भावना है । अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने सिद्धान्त रूप में चुनिंदा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में उक्त पार्क स्थापित करने के लिए 'बैंक ग्राह्य' प्रस्तावों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की सहमति व्यक्त की है ।

2.83 भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने जुलाई 1983 में अपना कार्य प्रारम्भ किया था और इस वर्ष की अवधि के दौरान इसने छः सामान्य उद्यमीय विकास कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें से दो त्रिवेन्द्रम (केरल) में एफ पोर्ट ब्लेयर (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) में एक पणजी (गोआ) में और दो चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में थे। चण्डीगढ़ का उद्यमीय विकास कार्यक्रम तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका प्रमुख लक्ष्य पालिटेक्नीक डिप्लोमाधारियों को उद्यमियों के रूप में विकसित करना तथा पालिटेक्नीकों ने उद्यमीय विकास कार्यक्रम आरम्भ करना है ।

2.84 भारतीय उद्यमीय विकास संस्थान ने, उद्यमीय विकास के क्षेत्र में स्रोतों और विशेषज्ञों का दल तैयार करने के राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु के रूप में, वर्ष के दौरान एक राष्ट्रीय प्रलेखन कार्यक्रम आयोजित किया जिसका प्रमुख ध्यान विभिन्न तकनीकी सलाहकारी संगठनों, भारतीय स्टेट बैंक, लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों, आदि द्वारा आयोजित किए गए उद्यमीय विकास कार्यक्रमों पर था । विभिन्न अनुसंधान शर्तों और संगठनों के शामिल कर के तथा अनुसंधान गतिविधियों के लिए, यन्त्रों, कार्यविधी और योजनाओं को अन्तिम रूप देने के बाद वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रलेखन तथा मूल्यांकन कार्य आरम्भ किया गया ।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास और उद्यमीय विकास के लिए सहायता

2.85 वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 'भारतीय सांस्कृतिक कार्य संस्था द्वारा आयोजित (ग्रामीण विकास का अन्तर्राष्ट्रीय अनावरण कार्यक्रम में भाग लिया। इससे लगभग 52 देशों द्वारा किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने में तथा विशेष रूप से कार्यविधि दृष्टिकोण, टेक्नोलोजी सम्बन्धित उनके उन अनुभवों को लाभ उठाने में सफलता प्राप्त हुई जो सफल सिद्ध हो चुके हैं तथा अन्य देशों में लागू किए जा सकते हैं । 'ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय अनावरण) कार्यक्रम से, ग्रामीण औद्योगिक विकास में साझेदार के रूप में निगमित क्षेत्र की भूमिका गतिविधियों और उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला जा सका ।

2.86 जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, बिहार राज्य की आदिवासी जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आदिवासी युवाओं को सफल उद्यमी एवं स्वामियोजन पैदा करने वाले बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से रांची में (ग्रामीण उद्यमीय विकास संस्थान) स्थापित करने के लिए ज़ेवियर समाज सेवा संस्थान, रांची को 5 लाख रुपये का योगदान देने के लिए सहमति प्रदान की ।

2.87 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ताल्लुका कर्जात में ग्रामीण प्रबन्ध व उद्यमीय विकास केन्द्र की स्थापना के लिए ग्राम विकास ट्रस्ट को तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायता (पूंजी और आवर्ती व्यय दोनों के लिए) प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान की । ग्रामीण प्रबन्धक व उद्यमीय विकास केन्द्र का उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और प्रबन्ध उत्पादेय उपलब्ध करना है ताकि ग्रामीण व अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार प्रगति तथा उद्देश्य पूर्ण विकास किया जा सके । प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावशाली तथा व्यावहारिक बनाने के लिए उक्त केन्द्र ने 'डेयरी' तथा 'ग्रामीण उद्योग' के क्षेत्र में प्रदर्शन इकाइयां भी स्थापित की हैं ।

अनुसन्धान और विकास प्रवर्त्तन

(i) चीनी संयंत्रों की प्रतिदिन 1,250 टन मानकीकृत क्षमता का अध्ययन

2.88 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने पिछले वर्ष, संयंत्र और उपकरणों के डिजाइन में सुधार तथा खोई का अन्य महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए संरक्षण करके ऊर्जा उपयोग को इष्टतम करने की दृष्टी से, प्रतिदिन 2,000 टन क्षमता के विस्तार के योग्य चीनी संयंत्रों की प्रतिदिन 1,250 टन मानकीकृत क्षमता का विशेष अध्ययन करवाया था । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा वर्ष के दौरान पूरे किए गए उक्त अध्ययन से चीनी संयंत्र मापदण्डों तथा चीनी उद्योग में ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सुधार करने के सम्बन्ध में उपयोगी आंकड़े प्राप्त हुए । रिपोर्ट में की गई सिफारिशें मानक चीनी संयंत्रों के मापदण्डों में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति को सौंप दी गई हैं ताकि आर्थिक व्यावहार्यता तकनीकी प्रगति और ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सुधार किया जा सके ।

(ii) रुग्ण औद्योगिक परियोजनाओं की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन का अनुसन्धान अध्ययन —

2.89 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित तथा वित्तपोषित और भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किये गये उक्त अध्ययन के पूर्ण होने पर प्रबन्ध प्रक्रियाओं से सम्बन्धित उपयुक्त आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे जिनसे अनेक उद्यमों को आरोग्य किया जा सकता है। प्राप्त सूचना के अनुसार अध्ययन से सम्बन्धित आधारभूत कार्य भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है।

(iii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पीठें

2.90 वर्षों के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने विकास बैंकिंग वित्तीय और औद्योगिक प्रबन्ध औद्योगिक अर्थशास्त्र, आदि में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में प्रबन्ध संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के साथ अच्छे सम्बन्ध बना लिए गए हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने यथा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गोहाटी और मद्रास विश्वविद्यालयों में एक-एक तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद में एक, इस प्रकार छः पीठों की स्थापना की है।

2.91 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्राध्यापक डा० आर० एस० सबनीस ने 5 अक्तूबर, 1983 को 'भारत में औद्योगिक नीति तथा वित्त सम्बन्धी कुछ मुद्दों' के विषय पर बम्बई विश्वविद्यालय दीक्षान्त हॉल में 'द्वितीय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम वार्षिक व्याख्यान' दिया। व्याख्यान की अध्यक्षता बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ० एम० एस० गोरे द्वारा की गई तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के तत्कालीन अध्यक्ष श्री बी० बी० सिंह, मुख्य अतिथि थे।

2.92 भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबन्ध प्राध्यापक प्रो० एस० सी० कुच्छाला ने 26 मार्च, 1984 को 'उत्पादन* कम्पनियों की वित्तीय स्थिति' विषय पर संस्थान के प्रांगण में 'पांचवां भारतीय औद्योगिक वित्त निगम वार्षिक व्याख्यान' दिया। व्याख्यान, निश्चित अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट उत्पादन तत्वों वाली 61 कम्पनियों के अध्ययन पर आधारित था तथा इसने तेजी से प्रगति कर रहे उद्यमों द्वारा अपनायी गयी पद्धति की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाई ताकि अन्य संस्थाओं द्वारा अपेक्षित कार्य दिशा निर्धारित की जा सके।

2.93 वर्ष के दौरान, गोहाटी विश्वविद्यालय में डा० पी० सी० गोस्वामी ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम प्राध्यापक के रूप में कार्यग्रहण किया। आशा है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में आगामी वर्षों में कुछ उपयोगी अनुसन्धान कार्य किया जाएगा।

प्रवर्तन कार्यों के वित्तपोषण स्रोत

2.94 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रवर्तन कार्यों का वित्तपोषण या तो वातव्य आरक्षित निधि अथवा ब्याज अन्तर-जन्य निधियों में से किया जा रहा है।

2.95 वातव्य आरक्षित निधि 1972–73 में स्थापित की गई, जिसमें 30 जून, 1983 तक निगम के लाभों में से 362.00 लाख रुपये की राशि अन्तरित की जा चुकी थी। 30 जून, 1984 को समाप्त वर्ष के दौरान, 50.00 लाख रुपए की और राशि अन्तरित की गई जिसके परिणामस्वरूप 30 जून, 1984 को वातव्य आरक्षित निधि की कुल राशि 412.00 लाख रुपये हो गई। इसमें से 264.54 लाख रुपए की राशि निगम के विभिन्न प्रवर्तन कार्यों के लिए उक्त तारीख तक उपयोग की जा चुकी थी।

2.96 ब्याज अन्तर-जन्य निधियां, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, क्रेडितान्स्टाल्ट-फर-वाइडरफबाऊ (के० एफ० डब्ल्यू०), भारत सरकार और जर्मन संघ गणराज्य के बीच किए गए करारों की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों पर अदा किए गए ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त राशि है। 30 जून, 1983 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को ब्याज अन्तर-जन्य निधि के अन्तर्गत ऋणों और अनुदानों के रूप में 1,060.60 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी थी। वर्ष के दौरान, 76.50 लाख रुपए की राशि अनुदानों के रूप में तथा 58.00 लाख रुपए के राशि ऋणों के रूप में प्राप्त हुई। इससे, ब्याज अन्तर-जन्य निधि का कुल आबंटन 30 जून, 1984 को 1195.10 लाख रुपए हो गया जिसमें से 856.96 लाख रुपए की राशि निगम के विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर उपयोग की जा चुकी थी।

(ग) स्रोत

2.97 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के स्रोतों में इसकी शेयर पूंजी आरक्षित निधियां, बांडों के निर्गमन द्वारा बाजार से उधार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से ऋण, विदेशी वित्तीय संस्थानों से विदेशी ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से ऋण, ऋणियों द्वारा ऋणों की पुनर्अदायगी और इसके द्वारा धारित निवेशों की बिक्री/विमोचन निहित हैं। 1983–84 में स्रोतों की प्रगति के सम्बन्ध में निगम की स्थिति निम्नलिखित है।

शेयर पूंजी

2.98 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की प्रदत्त शेयर पूंजी 22.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 27.50 करोड़ रुपये कर दी गई, जिसके लिए 5,000/- रुपये प्रत्येक के 10,000 शेयरों (आठवीं सीरीज) पर 2,500/- रुपये प्रति शेयर की दर से बकाया राशि की मांग की गई तथा 5,000/- रुपये प्रत्येक के 10,000 शेयरों (नौवीं सीरीज) का अतिरिक्त निर्गम किया गया जिसके प्रत्येक शेयर पर 50 प्रतिशत आवेदन राशि की मांग की गई।

आरक्षित निधियां

2.99 30 जून, 1984 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में से 21.80 करोड़ रुपये के अन्तरण और ब्याज अन्तर-जन्य निधि (अनुदान मांग) के अन्तर्गत उपयोग की गई 0.29 करोड़ रुपये और वातव्य आरक्षित निधि में उपयोग की गई 0.34

करोड़ रुपये की राशि का समायोजन करने के पश्चात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की आरक्षित निधियां 66.93 करोड़ रुपये से बढ़कर 88.09 करोड़ रुपये हो गई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की आरक्षित निधियां इसकी प्रदत्त पूंजी से इस प्रकार 60.59 करोड़ रुपये अधिक हो गई हैं।

बांड निर्गम

2.100 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष के दौरान तीन सार्वजनिक बांड निर्गम जारी किए, अर्थात 24 अक्तूबर, 1983 को 45.50 करोड़ रुपये के 8.75 प्रतिशत बांड, 2000, 27 फरवरी, 1984 को 27.50 करोड़ रुपये के 8.75 प्रतिशत बांड, 2001; 14 जून, 1984 को 110.00 करोड़ रुपये के 9 प्रतिशत बांड, 1999। सभी निर्गमों में पूर्ण अभिदान हुआ और निर्गमों की अनुज्ञेय 10% राशि, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा रखी जा सकती थी, मिलाकर बांडों के निर्गम द्वारा वर्ष के दौरान 201.05 करोड़ रुपये की कुल राशि जुटाई गई।

2.101 विमोचित 8.80 करोड़ रुपये के 5 3/4% बांड, 1983 को घटाकर, 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार, बांडों की निवल बकाया राशि 881.54 करोड़ रुपये हो गई जबकि 30 जून, 1983 को यह 689.30 करोड़ रुपये थी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से उधार

2.102 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अस्थायी उधार जो 30 जून, 1984 से काफी पहले पुनर्अदा कर दिये गये थे, के सिवाय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार से कोई उधार नहीं लिया गया। लेकिन, वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 20 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सरकार को 1.76 करोड़ रुपये पुनर्अदा किए गए जिसके परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से लिए गए उधारों की निवल बकाया राशि 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 85.75 करोड़ रुपये और 5.88 करोड़ रुपये से कम होकर 83.75 करोड़ रुपये तथा 4.12 करोड़ रुपये रह गई।

2.103 जहां तक ब्याज अन्तर-जन्य निधियों के अन्तर्गत ऋण भाग का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से 0.58 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और इस खाते में 0.17 करोड़ रुपये की राशि पुनर्अदा की गई। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को देय ब्याज अन्तर-जन्य निधियों के कुल ऋण भाग की राशि 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार 5.37 करोड़ रुपये रही जबकि 30 जून 1983 को यह राशि 4.96 करोड़ रुपये थी।

विदेशी वित्तीय संस्थानों से उधार

2.104 वर्ष के दौरान, 20 मिलियन जर्मन मार्क के 22वें ऋण के आबंटन से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के विदेशी मुद्रा उधार 277.500 मिलियन जर्मन मार्क हो गए। जिसमें क्रदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ (के० एफ० डब्ल्यू०), जर्मन संघ गणराज्य द्वारा मंजूर किए गए जर्मन मार्क ऋण शामिल है जिनमें से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून, 1984 तक पात्र औद्योगिक संस्थाओं को 281.305 मिलियन जर्मन मार्क के उप-ऋण मंजूर किए। इसके अतिरिक्त, जर्मन मार्क निधियों में से 162.372 मिलियन जर्मन मार्क के उप-ऋण मंजूर किए गए; इन निधियों में उप-ऋणियों से वसूल की गई वह राशि होती है जिसे जर्मन गणराज्य के के० एफ० डब्ल्यू० को पुनर्भुगतान किए जाने तक भारत सरकार के अनुमोदन से जर्मन मार्क में परिवर्तित किया गया है।

2.105 30 जून, 1983 की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को के० एफ० डब्ल्यू० से उपलब्ध जर्मन मार्क ऋण की बकाया राशि 148.359 मिलियन जर्मन मार्क थी। वर्ष के दौरान, 12.178 मिलियन जर्मन मार्क के समकक्ष राशि प्राप्त की गई और 4.833 मिलियन जर्मन मार्क की राशि पुनर्अदा की गई। विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों के अधीन 30 जून, 1984 को 155.704 मिलियन जर्मन मार्क (30 जून, 1984 को लागू तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर 62.76 करोड़ रुपये के समकक्ष) की राशि बकाया रह गई।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से उधार

2.106 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अपने विदेशी विनिमय स्रोतों को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से उधार लेने की अनुमति प्रदान की, इसके अनुरूप भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने पहली बार यूरो-मुद्रा बाजार में 20.00 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 22 करोड़ रुपये के बराबर) का यूरो-मुद्रा ऋण लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश किया। इस सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अन्य भागीदार बैंकों/वित्तीय संस्थानों अर्थात मित्सुबिशी बैंक (यूरोप) एस० ए० बैंक आफ योकोहामा (यूरोप) एस० ए० यूरोपियन अरब बैंक (ब्रुसेल्स) एस० ए० और मित्सुबिशी ट्रस्ट और बैंकिंग कार्पोरेशन (यूरोप) एस०ए० के प्रबन्धक और एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे कान्टिनेन्टल बैंक एस० ए०/एन० वी० ब्रुसेल्स (बेल्जियम) के बीच 24 जुलाई, 1984 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

2.107 यूरो-मुद्रा ऋण वाणिज्यिक शर्तों पर लिया गया है और इसमें से प्रदान किए गए उप-ऋणों की मंजूरी और उनकी पुनर्अदायगी इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि यह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की पुनर्अदायगी के दायित्वों के अनुरूप बनी रहे। उप-ऋणियों पर ब्याज की दर लन्दन-इन्टरबैंक छमाही विक्रय दर से 2 प्रतिशत वार्षिक अधिक ली जाएगी।

2.108 यूरो-मुद्रा ऋण लिये जाने से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इस ऋण से अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं अर्थात खनन, नौ-परिवहन, समुद्री मत्स्य उद्योग, बिजली, पावर और गैस का उत्पादन, होटल, आदि की विदेशी मुद्रा आवश्यकताएं भी पूरी कर सकेगा जो निगम के वर्तमान विदेशी मुद्रा साधनों के अधीन पात्र नहीं थीं। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र सहित बड़ी परियोजनाओं को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्राप्त किए गए यूरो-मुद्रा साधनों से उल्लेखनीय लाभ होगा।

ऋणों की पुनर्अदायगी और प्रतिभूतियों की बिक्री/विमोचन

2.109 वर्ष के दौरान, निगम को ऋणियों द्वारा मूलधन के रूप में 57.75 करोड़ रुपये की पुनर्अदायगी की गई जो कि पिछले वर्ष 45.75 करोड़ रुपये थी।

2.110 निवेशों की बिक्री/विमोचन से वर्ष के दौरान 1.85 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1.51 करोड़ रुपये थी।

2.111 (क) ऋणों की पुनर्अदायगी, (ख) निवेशों की बिक्री/विमोचन और (ग) 0.52 करोड़ रुपये के ऋणों को साधारण पूंजी में अन्तरित करने से 1983–84 में 60.12 करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति हुई जो पिछले वर्ष की 48.09 करोड़ रुपये की प्राप्ति से 25% अधिक है।

निधियों के स्रोत तथा उपयोग

2.112 सहायता के संवितरण, उधारों की पुनर्अदायगी, बांडों के विमोचन, ब्याज, लाभांश और कर की अदायगी के लिए निधियों की कुल आवश्यकता 1983–84 में 347.29 करोड़ रुपये रही जो पिछले वर्ष की 289.61 करोड़ रुपये की निधियों की आवश्यकता से 19.9% अधिक है।

2.113 निधियों की उक्त आवश्यकताओं को (i) प्रदत्त पूंजी में 5.00 करोड़ रुपये की वृद्धि, (ii) 34.03 करोड़ रुपये का कर से पूर्व लाभ, (iii) ऋणियों से वसूली और निवेशों की बिक्री, आदि–60.12 करोड़ रुपये, (iv) बांडों के माध्यम से बाजार से उधार–201.05 करोड़ रुपये, (v) 4.91 करोड़ रुपये के समकक्ष विदेशी मुद्रा उधार, (vi) ब्याज अन्तर-जन्य निधियों के अन्तर्गत 1.35 करोड़ रुपये की प्राप्ति, (i) विविध स्रोतों से 1.00 करोड़ रुपये और (viii) बकाया 39.83 करोड़ रुपये को प्रारम्भिक नकद शेष से पूरा किया गया।

(घ) वसूलियां, चूकें, आदि

वसूलियां

2.114 ब्याज के रूप में 83.88 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई, जिसमें से 69.75 करोड़ रुपये की राशि, वर्ष के दौरान देय 107.50 करोड़ रुपये की राशि में से थी और शेष 14.13 करोड़ रुपये, वर्ष के आरम्भ में बकाया 18.77 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के रूप में थे। अत: वर्ष के दौरान देय ब्याज की प्रतिशत वसूली 64.9% रही तथा बकाया ब्याज की प्रतिशत वसूली 75.3% रही।

2.115 जहां तक मूलधन का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान प्राप्त हुई 57.75 करोड़ रुपये की राशि में से 50.61 करोड़ रुपये, वर्ष के दौरान देय हुए, 89.50 करोड़ रुपये की राशि मूलधन से सम्बन्धित थी और बकाया 7.14 करोड़ रुपये, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया 33.75 करोड़ रुपये के मूलधन से सम्बन्धित थे। इस प्रकार वर्ष के दौरान देय मूलधन राशि की वसूली का प्रतिशत 56.5 तथा बकाया मूलधन की वसूली का प्रतिशत 21.2 रहा। 'मूलधन की बकाया' के अधीन वसूल की जाने वाली राशि को वर्तमान चली आ रही लेखांकन पद्धति, जिसमें वसूलियों को पहले 'ब्याज की बकाया' के अधीन समायोजित किया जाता है और इसके पश्चात 'मूलधन की बकाया' में समायोजित किया जाता है, के सन्दर्भ में देखना होगा।

चूकें

2.116 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जिन वित्तपोषित संस्थाओं से 1,056.19 करोड़ रुपये की ऋण सहायता बकाया थी, उनकी संख्या 1,109 थी। निस्सन्देह, इनमें से कुछ को कार्यान्वयन अवस्था में मुश्किलें आई, कुछ तो परिचालन के प्रारम्भिक वर्षों में और कुछ कई वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात् रुग्ण हो गयीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, कुछ उद्योगों जैसे चीनी, वस्त्र, कागज, इंजीनियरिंग, आदि की असन्तोषजनक प्रगति के कारण अधिकांश संस्थाओं को, वित्तीय संस्थानों के प्रति समय पर अपने दायित्व पूरे करने में वास्तव में कठिनाई का सामना करना पड़ा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, कठिनाइयों का सामना करने वाली इकाइयों (विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें चूकें, औद्योगिक इकाइयों के विस्तृत समूह में पूर्णत: 'बाह्य' कारणों से थीं) की सहायता करने की अपनी नीति के अनुरूप उन्हें, अतिदेय राशियों, आदि का भुगतान क्रम स्थगित/पुन: निर्धारित करके आवश्यकतानुसार राहत प्रदान की।

2.117 कठिनाईग्रस्त संस्थाओं को दी गई राहतों के मामलों को छोड़कर वर्ष के अन्त में 193 चूककर्ता संस्थाएं थीं तथा चूक की कुल राशि 61.93 करोड़ रुपये (37.42 करोड़ रुपये के मूलधन और 24.51 करोड़ रुपये के ब्याज सहित) रही। 30 जून, 1984 को स्थिति के अनुसार यह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रदान किए गए कुल बकाया ऋण का लगभग 5.9% रहा जबकि 30 जून, 1983 को यह प्रतिशत 6.1 था।

2.118 वर्ष 1983–84 के दौरान इन चूकों के उद्योग-वार विश्लेषण से स्पष्ट है कि 193 चूककर्ता संस्थाओं में से 41 संस्थाएं सूती वस्त्र उद्योग, 30 चीनी, 14 कागज, 9 पटसन और 12 धातु उत्पाद समूह उद्योग से सम्बन्धित थीं, जिन पर अकेले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की ही क्रमश: 10.18 करोड़ रुपये, 17.20 करोड़ रुपए 7.52 करोड़ रुपये, 3.29 करोड़ रुपये, और 2.67 करोड़ रुपये की चूक राशि बकाया थी। 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त पांच उद्योगों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की कुल चूकों का 60% भाग रहा।

रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन

2.119 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 'समस्या मामले विभाग' ने, रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन की सरकारी नीति के अनुरूप, आठ मामलों में पुनर्स्थापन योजनाएं बनाई, एक मामले में प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, पांच मामलों में प्रबन्ध व्यवस्था/नियन्त्रक हित में परिवर्तन किए, तीन मामलों में पट्टे पर परियोजनाओं को दिया और/अथवा कार्य जारी रखने के लिए सहायता प्रदान की, तीन मामलों में विलयन की योजनाएं

अनुमोदित की और दो मामलों में देय राशियों के निपटान के लिए व्यवस्था की।

2.120 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल की दो टायर इकाइयों तथा एक एल्युमिनियम इकाई का राष्ट्रीयकरण किया गया। उड़ीसा की एक संयुक्त वस्त्र मिल का भी राज्य सरकार द्वारा सभी निजी शेयरधारिता का अधिग्रहण करके राष्ट्रीयकरण किया गया। उधारदाता संस्थाओं के हितों की रक्षा की दृष्टि से वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा दो मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई। अन्य मामलों में, सम्बन्धित आग्रणी संस्थान द्वारा अन्य संस्थानों, बैंकों तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से पुनर्स्थापन कार्यक्रम अथवा उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। पूर्णतया अव्यावहार्य इकाइयों के बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया और सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा ऐसे मामलों में सम्बन्धित राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ भी सम्पर्क बनाए रखा गया।

(ङ) कार्य-परिणाम

सकल लाभ

2.121 वर्ष के दौरान, सकल लाभ 34.03 करोड़ रुपये रहा जबकि वर्ष 1982–83 में यह 27.02 करोड़ रुपये था। इसमें 25.9 % की वृद्धि हुई।

निवल लाभ

2.122 10.14 करोड़ रुपये की कराधान व्यवस्था के बाद वर्ष 1983–84 में निवल लाभ 23.89 करोड़ रुपये रहा जबकि 1982–83 में यह 17.31 करोड़ रुपये था। इसमें 38.0 % की वृद्धि हुई।

विनियोजन

2.123 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल लाभ में से किए गए विनियोजन सारणी 13 में दिए गए हैं।

सारणी 13 : निवल लाभ का विनियोजन

(करोड़ रुपये)

	यह वर्ष (1983-84) (जुलाई-जून) रु०		पिछला वर्ष (1982-83) (जुलाई-जून) रु०	
(1)	(2)		(3)	
वर्ष के लिये निवल लाभ		23.89		17.31
विनियोजन				
निम्नलिखित निधियों में अन्तरित—				
(क) सामान्य आरक्षित निधि	8.15		3.88	
(ख) वातव्य आरक्षित निधि	0.50		0.35	
(ग) विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (iii) के अधीन)	13.14		11.47	
कर्मचारी कल्याण निधि को आवंटन		21.79		15.70
		0.01		0.01
लाभांश की अदायगी		2.09		1.60
जोड़		23.89		17.31

लाभांश

2.124 सन्तोषजनक कार्यपरिणामों को देखते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर 8½% वार्षिक की दर से लाभांश अदा करने का अनुमोदन किया जबकि पिछले वर्ष यह 8 % वार्षिक घोषित किया गया था।

कर

2.125 30 जून, 1984 को समाप्त लेखांकन वर्ष में कराधान के लिए 10.14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जबकि पिछले वर्ष 9.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, इसके आरम्भ से लेकर अब तक केवल कर के रूप में 65.05 करोड़ रुपये राजकोष को अदा किए हैं जो इसकी प्रदत्त पूंजी के दुगुने से अधिक है।

मनोरंजन, आदि पर व्यय

2.126 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, मनोरंजन पर 1.40 लाख रुपये, अपने स्टाफ ट्रांजिट कक्षों के रखरखाव पर 1.13 लाख रुपये, प्रचार और विज्ञापन पर

3.15 लाख रुपये और अपने अधिकारियों द्वारा विदेशों में पाठ्यक्रमों/सेमिनारों में जाने/भाग लेने पर 0.41 लाख रुपये की राशि व्यय की। सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित, अध्यक्ष की विदेश यात्राओं पर 0.99 लाख रुपये का व्यय हुआ।

कार्य-परिणामों की प्रवृत्ति

2.127 पिछले पांच वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य-परिणाम सारणी 14 में नीचे दिए गए हैं।

सारणी 14 : पिछले पांच वर्ष के कार्य-परिणामों का सार

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष				
	1980 रु०	1981 रु०	1982 रु०	1983 रु०	1984 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपार्जित ब्याज	37.23	44.38	59.15	77.65	99.35
अन्य आय	2.54	3.87	4.78	5.77	5.62
कुल आय	39.77	48.25	63.93	83.42	104.97
अदा किया गया ब्याज	26.30	30.80	39.49	50.80	64.33
अदा किया गया कमीशन और दलाली	0.48	0.26	0.52	0.61	0.88
स्थापना व्यय	1.82	2.57	2.52	2.97	3.36
निवेशों से हानि	0.03	0.47	0.64	0.44	0.14
अन्य व्यय	0.96	1.21	1.40	1.58	2.23
कुल व्यय :	29.59	35.31	44.57	56.40	70.94
सकल लाभ	10.18	12.94	19.36	27.02	34.03
करोत्तर लाभ	5.39	4.56	6.85	9.71	10.14
निवल लाभ	4.79	8.38	12.51	17.31	23.89
लाभांश	6.5%	7.0%	7.5%	8.0%	8.5%

2.128 उपर्युक्त से स्पष्ट है कि —

—सकल आय 1983–84 में पहली बार 100 करोड़ से अधिक हो गई।

—1983–84 में सकल आय पिछले वर्ष से 25.8% अधिक हो गई।

—वर्ष के दौरान, लाभ में पिछले वर्ष से 25.9% की वृद्धि हुई।

—सकल आय से सकल लाभ का प्रतिशत 1983–84 में 32.4% रहा जोकि पिछले वर्ष जितना ही है।

—वर्ष के दौरान, निवल लाभ में पिछले वर्ष के निवल लाभ से 38.0% की वृद्धि हुई।

—सकल आय में निवल लाभ का प्रतिशत 1983–84 में 22.8% रहा।

वित्तीय स्थिति

2.129 पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति सारणी 15 के निम्नानुसार है :

सारणी 15 : पिछले पांच वर्ष के तुलन-पत्रों का सार

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष				
	1980 रु०	1981 रु०	1982 रु०	1983 रु०	1984 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिसम्पत्तियां					
निवेश	32.43	35.48	39.52	45.82	53.46
ऋण व अग्रिम	442.85	548.01	690.82	864.73	1056.19
गारंटियां और हामीदारी संविदाएं	0.74	0.60	1.21	2.40	4.10
नकद और अन्य परिसम्पत्तियां	58.41	44.77	74.67	74.78	98.14

सारणी 15 (क्रमशः)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देयताएं					
उधार					
(क) बांड	378.28	433.47	554.55	689.30	881.54
(ख) सरकार और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से उधार	55.57	59.84	85.25	96.60	93.24
(ग) विदेशी मुद्राओं में	21.96	42.51	51.01	59.67	62.76
प्रावधानों सहित चालू और अन्य देयताएं	30.11	34.82	43.00	50.33	54.66
प्रासंगिक देयताएं (गारंटियां और हामीदारी)	0.74	0.50	1.21	2.40	4.10
निम्नलिखित के रूप में निवल मूल्य					
शेयर पूंजी	15.00	17.50	20.00	22.50	27.50
आरक्षित निधियां	32.18	39.22	50.27	65.94	87.39
ब्याज अन्तर-अन्य निधियां (अनुदान)	0.59	0.90	0.93	0.99	0.70
ऋण : इक्विटी अनुपात	9.6 : 1	9.3 : 1	9.7 : 1	9.5 : 1	9.1 : 1

लेखे

2.130 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का लेखापरीक्षित लेखा, जिसमें वर्ष का लाभ-हानि लेखा और 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र है, परिसम्पत्तियों और देयताओं के पूर्ण विवरण सहित इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2.131 विद्यमान लेखांकन पद्धति और कार्याविधि को सरल बनाने तथा निगम में कम्प्यूटर प्रणाली के विस्तार और व्यावहार्यता का अध्ययन करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कं०, नई दिल्ली द्वारा निगम की लेखांकन पद्धति की समीक्षा की। वर्ष के अन्त में, परामर्शदाताओं की रिपोर्ट विभागीय कम्प्यूटराइजेशन समिति के विचाराधीन थी।

लेखा-परीक्षा

2.132 नियमित 'आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली' के अलावा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लेखों की सांविधिक लेखा-परीक्षा प्रत्येक वर्ष दो लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है जिनमें से एक का नामांकन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जाता है तथा दूसरा लेखा-परीक्षक (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न) शेयरधारियों द्वारा चुना जाता है। वर्ष 1983-84 के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कं०, सनदी लेखापाल को सांविधिक लेखा-परीक्षक नामित किया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारियों (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न) ने 19 अक्तूबर, 1983 को हुई पिछली वार्षिक महासभा में मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, बम्बई को उसी अवधि के लिए लेखा-परीक्षक चुना। वर्ष 1983-84 के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में इस वर्ष के लेखे के साथ संलग्न है।

अध्याय 3

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों का समाज और आर्थिक विकास पर प्रभाव

(क) परियोजना वित्तपोषण कार्य

नियोजित औद्योगिक विकास

3.01 देश के नियोजित आर्थिक विकास में पिछले साढ़े-तीन दशकों की अवधि के दौरान हुए औद्योगिक निवेश तथा ढांचे के परिणामों में निगम के कार्यों का लघु रूप होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अपनी स्थापना से 30 जून, 1984 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 1,567 औद्योगिक संस्थाओं की 1,894 औद्योगिक परियोजनाओं को 2,156.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता की राशि से अधिक महत्वपूर्ण इसका उत्प्रेरक दायित्व रहा है जिसके अनुसार इसे इन वित्तपोषित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 17,561.71 करोड़ रूपए की समग्र वित्तीय सहायता जुटाने में अपना योगदान दिया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता की परिधि में बहुत से विस्तृत उद्योग हैं, और यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि संगठित क्षेत्र में सम्भवतः कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है, जिसे निगम की सहायता का लाभ प्राप्त न हुआ हो।

3.02 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की गुणात्मक परिलब्धियां भी इस तथ्य का प्रमाण है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इसके अधिनियम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में सफल प्रयासी रहा है। अपने अधिनियम के अनुरूप भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से अपेक्षा की जाती रही है, कि यह निगमित और सहकारी क्षेत्रों की पात्र मध्यम तथा बड़े आकार की औद्योगिक परियोजनाओं को मध्यम और दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराए। अपने

आप में किसी औद्योगिक संस्था को स्थापित करने या उसका प्रवर्तन करने के लिए निगम प्राधिकृत नहीं है । अतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास प्राप्त होने वाले वित्तीय सहायता के आवेदनों की मात्रा विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों में उनको दिए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के अनुरूप मध्यम और बड़े आकार की औद्योगिक परियोजनाओं की मात्रा पर निर्भर करती है । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम विश्वास के साथ कह सकता है कि विभिन्न राज्यों/केन्द्र-शासित क्षेत्रों को मिलने वाली इसकी सहायता का भाग वर्ष-दर-वर्ष उन द्वारा प्राप्त किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के अनुरूप ही रहा है ।

गुणात्मक परिलब्धियां

3.03 गुणात्मक परिलब्धियों से भी अधिक देश के औद्योगिक वित्तपोषण के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की गुणात्मक परिलब्धियां महत्वपूर्ण रही हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने विगत वर्षों में औद्योगिक वित्त क्षेत्र के अन्य राष्ट्रीय विकास वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर 'परियोजना उन्मुख दृष्टिकोण' की स्वीकार्यता, 'प्रतिभूति उन्मुख दृष्टिकोण' की धारणा के स्थान पर, जो विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए लम्बे अरसे से चली आ रही थी, स्थापित करवाई है । आज के संदर्भ में, विस्तृत पहलुओं, जैसे औद्योगिक संस्था की लाभप्रदता और उत्पादेयता, समग्र व्यावहार्यता और ग्राह्यता, प्रबन्धक वर्ग की गुणवत्ता, संगठनात्मक ढांचा, राष्ट्र अर्थव्यवस्था में परियोजना के सम्भावित योगदान एवं सरकारी नीति में निर्धारित लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति, आदि पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपने कारोबार में विशेष ध्यान देता है ।

वित्तपोषित इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था पर प्रभाव

3.04 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपनी अनुवर्ती प्रक्रिया तथा व्यवस्था के दौरान इस बात का ध्यान रखता है कि औद्योगिक उपक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक प्रबन्ध के प्रति जागरूकता और वित्तीय नियन्त्रण तथा अन्य अनुशासन की भावना पैदा हो सके । बड़ी संख्या में प्रबुद्ध प्रवर्तक और सक्षम प्रबन्धक वर्ग अब अधिकाधिक मात्रा में संगठन की आवश्यकता पर बल देते हैं और परियोजना के परिचालन अवस्थाओं में निगम द्वारा किए गए प्रयास से उन्हें जो अपेक्षित मात्रा में लाभ हुआ है उसकी प्रशंसा करते हैं । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयों में 'प्रबन्धक–संवर्धन' को धीमी प्रगति के बावजूद काफी मात्रा में ग्रहण किया है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग में प्रबन्ध के व्यावसायीकरण को एक सही दिशा-निदेश प्राप्त हुआ है ।

सामाजिक-आर्थिक योगदान

3.05 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से लेकर समस्त राष्ट्र में हुए समग्र उद्योगीकरण में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 36 वर्षों के दौरान अपनी सेवा उपलब्ध कराकर सामाजिक-आर्थिक योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । पिछले पांच वर्षों के ही दौरान में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने विभिन्न उद्योगों, जैसे चीनी (13.45 लाख टन), सूती वस्त्र (20.78 लाख तकुए), सीमेंट (165.53 लाख टन), कागज (2.94 लाख टन लिखाई और छपाई कागज), उर्वरक (38.39 लाख टन) आदि में उल्लेखनीय क्षमताएं पैदा करने में पिछले 5 वर्षों के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । इसके अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक समूहों के अधीन वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न मदों के लिए भारी मात्रा में क्षमता पैदा करने में निगम ने काफी सहायता दी है जिसमें होटल भी शामिल है । पिछले पांच वर्षों के दौरान नई विस्तार और विशाखन परियोजनाओं से लगभग तीन लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है ।

3.06 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1983–84 के दौरान वित्तपोषित की गई नई, विस्तार/विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन के आधार पर उन द्वारा किए गए आर्थिक योगदान का विश्लेषण नीचे सारणी 16 में दिया गया है ।

सारणी 16 : 1983–84 के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(करोड़ रुपये)

उद्योग	परियोजनाएं (संख्या)	कुल पूंजी लागत (रु०)	सम्भावित प्रत्यक्ष रोजगार (संख्या)	उत्पादन का मूल्य (रु०)	सकल मूल्य वृद्धि (रु०)	प्रति वर्ष क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी	16	137.70	7,282	99.72	24.07	2.88 लाख टन चीनी ।
सूती वस्त्र	22	138.10	12,359	137.36	37.58	3.78 लाख तकुए ।
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	19	524.41	4,636	216.20	120.82	50.63 लाख टन सीमेंट और 0.30 लाख टन सीमेंट प्रेशर पाइप्स ।
रसायन और रसायन उत्पाद						0.40 लाख टन औद्योगिक विस्फोटक, 0.15 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट, 0.33 लाख टन फिटकरी, 32.50 लाख क्यू० मी० आक्सीजन, 2.00 लाख क्यू० मी० एसीटीलीन, 9.20 लाख क्यू० मी० नाइट्रोजन, 0.36 लाख क्यू० मी० अर्गन गैस, 300 टन इथीलीन डायमाइन्स और पोलिमाइन्स, 3.30 लाख टन सोडा ऐश, 0.08 लाख टन थैलिक एनहाइड्राइड, 300 टन डिस्पर्स

सारणी 16 (क्रमशः)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						साइज, 0.20 लाख टन मेथानोल, 0.50 लाख टन धातु–थर्मल कार्बन पेस्ट, 500 टन रसायन कार्बन, 0.11 लाख टन क्लोरोमेथान्स, 37 टन एम्पीसीलीन ट्राइहाइड्रेट, 30 टन एमोक्सीलीन ट्राइहाइड्रेट क्लेक्सोलीन सोडियम और मथासीलीन सोडियम, 1,500 टन गिलेटिन, 12,850 लाख जिलेटिन के खाली कैप्सयूल, 20.73 लाख आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें और 0.30 लाख फ्लैप्स, 0.03 लाख टन पी०वी०सी० फिल्में और शीटें, 0.02 लाख टन शीट मोल्डिंग कम्पाउन्ड और डो मोल्डिंग कम्पाउन्ड, 0.01 लाख टन प्लास्टिक घटक, 0.41 लाख टन चावल की भूसी के तेल का परिशोधन, 0.02 लाख टन मल्टीफिलोमेंट पोलीप्रोपेलीन यार्न, 0.03 लाख टन पोलीप्रोपेलीन फिलामेंट यार्न, 0.30 लाख टन पौलिएस्टर स्टेप्ल फाइबर, 0.06 लाख टन नायलोन–6 फिलामेंट यार्न, 55 लाख वर्ग मी० वाइनल (पी०वी०सी०) फ्लोर कवरिंग्स, शीटें फिल्में और कोटिड फैब्रिक्स, 57 लाख दबने वाली मल्टी-लेमिनेटिड ट्यूबें, 2,400 टन परिष्कृत रबड़ और 242 टन सोडियम सिलिको फ्लोराइड, 1,919 टन आयुर्वेदिक औषध ठोस, 2,709 किलोलीटर आयुर्वेदिक औषध तरल और 15,770 लाख आयुर्वेदिक औषध गोलियां
कागज और कागज उत्पाद	4	15.56	242	5.18	1.70	0.31 लाख टन लेखन व मुद्रण कागज, 3,300 टन क्राफ्ट कागज, 0.13 लाख टन खोई लुगदी और 3,300 टन फारुगेटिड मीडिया।
उर्वरक	11	160.81	2,508	206.72	48.98	5.54 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट, 2.92 लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड और 3.06 लाख टन डायमोनियम फास्फेट।
मशीनरी और उपकरण	8	55.40	2,694	122.55	37.93	2.200 टन सीमेंट मशीनरी, 2,000 हाइड्रालिक सिलेंडर, 100 हाइड्रालिक मोबाइल खनित्र और क्रेनें, 850 टन भारी माला में माल उठाने के औजार, 2,500 ट्रैक्टर, 75 वायुरुद्ध सेन्ट्रिफ्युगल रेफ्रिजेरेंट, 500 प्रत्येक अर्द्ध-वायुरुद्ध कम्प्रैसर्स, ओपन टाइप कम्प्रैसर्स और वाटर कूल्ड/एअर कूल्ड स्प्लिट सिस्टम पैकेज इकाइयां और 1,000 उच्च दबाव मल्टी-जोन बैंडर मेकर्स।
बिजली मशीनरी, यंत्र, उपकरण और पूर्जे	15	115.49	3,004	169.57	46.88	300 यंत्र ट्रांसफार्मर, 34,000 स्टार्टर, 38,000 जेनरेटर, 44,000 रेग्युलेटर/आल्टरनेटर, 31,250 रोटेरी कम्प्रैसर्स, 4,790 इलैक्ट्रानिक और न्यूमैटिक प्रक्रिया नियन्त्रण उपकरण, 470 लाख एल्युमीनियम इलैक्ट्रोलाइटिक कैपिसिटर्स, 10,000 लाख मी० श्रव्य चुम्बकीय टेपें, 500 मी० वीडियो और कम्प्यूटर चुम्बकीय टेपें, 1,200 किलोमीटर एक्स-एल० पी० ई० केबल्स, 23.75 लाख कंडक्टर किलोमीटर पोलिथिलीन एंसुलेटिड जेली, फिल्ड टेलीफोन केबल, 18,500 ब्लैक एंड व्हाइट टी०वी० ग्लास बल्ब, 5 लाख ब्लैक एंड व्हाइट टी० वी० पिक्चर ट्यूबें, 50 लाख फ्लोरोसेंट ट्यूबें और 64.80 लाख जी० एल० एस० लैम्प।
लोहा व इस्पात	13	60.88	3,208	90.14	23.70	29,500 टन एस० जी० क्वालिटी ग्रेडिड स्पेशल ग्रे/ग्रे आयरन पिट्ठवां लोहा कास्टिंग, 44,500 टन माइल्ड हाई कार्बन स्टील इग्गाट, 6,200 टन कोल्ड रोल्ड एस० एस० स्ट्रिप्स, 10,200 माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील तारें, 16,000 टन हाट रोल्ड स्टील उत्पाद और 500 टन सिन्टर्ड हाई स्पीड स्टील।
परिवहन उपस्कर	13	224.52	9,107	486.16	111.09	10,000 वाणिज्यिक वाहन, 10,000 हल्के वाणिज्यिक वाहन, 2,500 औद्योगिक और सड़क माडल बैटरी संचालित वाहन, 2,20,000 मोटर साइकिलें, 1,00,000 लाइट वेट स्कूटर, 75,000 मोपेड, 10,000 साइकिलें और 1,710 टन आटोमोबाइल कम्पोनेंट सिन्टर्ड पाउडर, 48,000 वाइपर मोटरें, 2.00 लाख प्रोपैलर शाफ्ट, क्लच सहित 31,250 रोटेरी कम्प्रैसर्स।
होटल	2	8.52	481	4.00	1.85	217 कमरे।
अन्य	33	249.79	9,275	231.68	72.26	
जोड़	191	2343.76	62,556	2,263.25	711.31	

3.07 उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान प्रदान की गई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता विभिन्न उद्योगों जैसे चीनी (2.88 लाख टन), सूती वस्त्र (3.78 लाख लकुए), सीमेंट (50.63 लाख टन), कागज (0.31 लाख टन लिखाई और छपाई कागज), इकहरे सुपर फास्फेट आदि उर्वरक (8.60 लाख टन), में उल्लेखनीय क्षमताओं को बनाने में उत्प्रेरक भूमिका अदा की है । इसके अतिरिक्त रसायन और रसायन उत्पाद समूह, मशीनरी और कल-पुर्जे, लोहा तथा इस्पात, होटल आदि उद्योगों की वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयों में भी काफी मात्रा में क्षमता पैदा किए जाने की संभावना है ।

3.08 उपर्युक्त 191 परियोजनाओं द्वारा 62,556 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की संभावना है । इन परियोजनाओं द्वारा उत्पादन किए गए माल के मूल्य का 2,263.25 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इनसे सकल मूल्य 711.31 करोड़ रुपये की वृद्धि किए जाने की संभावना है। वर्ष के दौरान, वित्तपोषित की गई 337 परियोजनाओं की कुल लागत 2,923.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो कि इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जुटाए गए साधनों में किए गए प्रयास का स्वतः प्रमाण है ।

औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों का विकास

3.09 देश के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित आर्थिक विकास राष्ट्रीय लक्ष्य है । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि 1983–84 के दौरान अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की 187 परियोजनाओं को कुल 242.42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो कुल सहायता का 68.6% है । इनमें से 23 परियोजनाओं को 26.97 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई जो श्रेणी 'क' (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिले) में स्थित होंगी, पिछले वर्ष इसी कोटि की 15 परियोजनाओं को 16.67 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों को आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव का प्रमाण यह है कि इससे वहां के स्थानीय लोगों की आर्थिक दशा सुधरी है, और सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का ढांचा मजबूत हो रहा है । चूंकि अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में लगने वाली अधिकतर परियोजनाएं ग्राम और/अथवा अर्ध–शहरी क्षेत्रों में लगाई जा रही है अतः इन परियोजनाओं से उन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है । सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि अधिसूचित पिछड़े/कम विकसित जिलों की परियोजनाओं को दी गई सहायता से वहां के लोगों में 'विकास--जागरूकता' के प्रति सजगता पैदा हो गई है । उद्योगों ने जहां एक ओर वहां के लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है, वहां इसके साथ ही इन परियोजनाओं से अति लघु और लघु तथा मरम्मत सेवाओं आदि के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अन्य व्यापार तथा दुकानों के स्थापित किए जाने में सहयोग प्रदान किया है ।

उद्योग क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन की उत्प्रेरक भूमिका

3.10 राष्ट्रीय नीति का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य उत्पादकों, उपभोक्ताओं आदि में बहुमुखी सहकारिता आंदोलन के विकास में सहायता प्रदान करना रहा है । उद्योग के क्षेत्र मे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बड़े स्वाभिमान के साथ इस बात का दावा कर सकता है कि राष्ट्र की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए इसने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है । सहकारी आंदोलन की शुरूआत औद्योगिक क्षेत्र में सर्वप्रथम 1949–50 में तब हुई थी जब कि महाराष्ट्र में पहली सहकारी चीनी फैक्टरी की स्थापना की गई थी और यह संयोग की बात है कि निगम द्वारा वित्तपोषित यह पहली सहकारिता थी । तब से लेकर चीनी सहकारिताओं की संख्या लगातार बढ़ती रही है और निस्सन्देह रूप से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए प्रयासों और केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन तथा पथ-प्रदर्शन से इनकी अभिवृद्धि लगातार हो रही है पर इसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सहायता भी अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है । 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 254 सहकारिताओं को 269.34 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर चुका था ।

3.11 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का सहकारी उद्योगों को सहायता का उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि वह अधिकतर कृषि-आधारित औद्योगिक सहकारिताओं को प्राप्त हुई है और उद्योगों को देश के सुदूर क्षेत्रों तक फैला पायी है, और उन स्थानों पर भी उद्योग लग पाए हैं, जहां पर कि पहले कोई भी उद्योग नहीं था । सहकारी उद्योगों ने समग्र ग्रामीण दृश्य को परिवर्तित कर दिया है । उत्पादकों तथा राज्य सरकारों द्वारा सहकारी-संगठनों को ठोस धरातल पर खड़ा करने के लिए किए गए प्रयास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सफल रहे हैं । विशेषकर चीनी सहकारिताओं ने गन्ने के गहन विकास के लिए विस्तृत उपाय किए हैं जिनसे कि न केवल गन्ने की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि हुई है अपितु गन्ने में रस की मात्रा मे भी बढ़ोत्तरी हुई है, और इससे उन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित होने में भी सहायता मिली है । इस मे कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सहकारिताओं के लग जाने से वहां पर बेहतर सड़कें, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और बेहतर जल--व्यवस्था, स्कूलों तथा अस्पतालों आदि की स्थापना होने के अतिरिक्त ग्रामीण लोगों का औद्योगिक सहकारिताओं में विश्वास भी पैदा हुआ है और इन्होंने कृषि-क्षेत्र की बचत को उत्पादक उद्देश्यों के लिए जुटाने में सहायता दी है । सहायक और सम्बद्ध उद्योग जैसे औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए स्थापित की गई शोधक इकाई, खोई पर आधारित कागज संयंत्र, मिले हुए और दानेदार उर्वरकों के संयंत्र भी चीनी सहकारी फैक्ट्रियों की देन रहे हैं । कुछ राज्यों में अधिकतर सहकारिताओं के सफल संचालन में इनमें वहां के लोगों का विश्वास जम गया है और इस प्रकार देश के उद्यमियों के एक नए वर्ग का जन्म हुआ है । औद्योगिक

आंदोलन का अन्य नए उद्योगों में प्रसार जैसे वस्त्र, पटसन, उर्वरक, कृत्रिम धागा, वनस्पति, तेल पिराई, कोका पाउडर आदि जो इस बात का प्रमाण है कि यह आंदोलन अब लोकप्रिय होता जा रहा है ।

(ख) प्रवर्तन गतिविधियां

3.12 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की प्रवर्तन गतिविधियों को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह औद्योगिक विकास की समग्र प्रक्रिया को प्रभावित करे और न केवल कम विकसित क्षेत्रों में उद्योग के प्रसार में सहायता दे अपितु मध्यम, सहायक और छोटे क्षेत्रों के उद्योगों में नए उद्यमियों के विकास को भी प्रोत्साहित करे । इन गतिविधियों को राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया गया है जिनका लक्ष्य राष्ट्र के विभिन्न भागों का सन्तुलित विकास, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन, उद्यमीयता को विकसित करके देशों में उद्यमीयता का प्रसार, मध्यम और छोटे स्तर के उद्यमियों को उनकी परियोजना निरूपण, कार्यान्वयन तथा संचालन आदि में अति आवश्यक सहायता और पथ-प्रदर्शन प्रदान करके मदद करना रहा है।

अति लघु तथा लघु उद्योगों को सहायता

3.13 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रवर्तन तथा विकास दायित्व का प्रमुख उद्देश्य मानवीय तथा भौतिक साधनों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए 'सहायक उपाय' सुझाना रहा है चूंकि प्रमुख उद्देश्य अति लघु तथा लघु क्षेत्र (सहायक उद्योगों सहित) के उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देना है । इसके साथ ही इनका महत्वपूर्ण लक्ष्य कमजोर तथा समाज के दलित वर्गों की सहायता प्रदान करना रहा है जो कि राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक नीति विशेषकर 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप है ।

(ग) उद्यमीयता आधार को विस्तृत करना

3.14 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रवर्तित किया गया जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान उन उद्यमियों, जिनके पास आवश्यक अनुभव, दक्षता और उद्यमीयता प्रतिभा है, और जो मध्यम तथा बड़े पैमाने के औद्योगिक उपक्रम लगाना चाहते हैं परन्तु जिनके पास प्रवर्तक के हिस्से की साधारण पूंजी लगाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, को साधारण पूंजी लगाने में सहायता प्रदान करता है । ब्याज रहित व्यक्तिगत ऋणों के रूप में प्रवर्तकों को मध्यम तथा बड़े स्तर की परियोजनाएं लगाने के लिए उपलब्ध कराई गई जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की यह आंशिक सहायता जोखिम पूंजी वित्तपोषक के क्षेत्र में देश में अपने प्रकार का एक नमूना है ।

छोटे उद्यमों को परामर्श सहायता

3.15 तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा परियोजना 'प्रारम्भ करने की अवस्था से लेकर उसके विस्तार और सलाहकारी सेवाओं, बाजार सूचना' आदि को एक स्थान पर सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने से विशेषकर अति लघु, लघु और मध्यम पैमाने के क्षेत्रों के प्रथम पीढ़ी उद्यमियों को बहुत ही सहायता मिली है । जो उद्यमी, अभी तक वाणिज्यिक आधार पर काम करने वाले बड़े परामर्शदाताओं के पास जाने की अन्य रूप से हिम्मत भी नहीं कर सकते थे अब देश के सभी 16 तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने सभी अति लघु, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमियों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं । तकनीकी सलाहकारी संगठन अति लघु, लघु तथा मध्यम स्तर के उद्यमियों को बहुत ही अच्छे स्तर की परामर्श सेवाएं अति कम लागत (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई उप-सहायता के कारण) पर उपलब्ध कराते हैं और अधिकतर मामलों में सुरचित उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों जिनमें परियोजना परामर्श और राज्य स्तर के वित्तीय संस्थान तथा बैंकों आदि से वित्तीय और अन्य-सहायता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, का आयोजन करके उद्यमीयता विकास में भी सहायता दी जाती है ।

प्रबन्ध दक्षताओं में अभिवृद्धि और उद्यमीयता का विकास

3.16 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान इसके विकास बैंकिंग केन्द्र के साथ मिलकर दैनिक प्रबन्ध की गुणवत्ता में विकास करने तथा सुधार लाने के लिए कार्यरत है और यह प्रबन्ध के व्यवसायीकरण तथा प्रबन्ध दक्षताओं में स्तर सुधार के लिए भी काम कर रहे हैं । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अखिल भारतीय संस्थानों तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित किया गया भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान राष्ट्र के समग्र भागों में उद्यमीयता विकास आंदोलन के प्रसार के लिए प्रयास कर रहा है और इसे गति प्रदान कर रहा है ।

प्रवर्तन योजनाएं

3.17 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की प्रवर्तन योजनाएं अति लघु तथा लघु क्षेत्र के उद्यमों के विकास, बायो-गैस और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक साधनों के उपयोग, अति लघु और लघु क्षेत्र में उद्योगों की रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन, स्थानीय रूप से उपलब्ध तकनीक का उपयोग तथा इन-हाऊस अनुसंधान और विकास प्रयासों से तकनीक को विकसित/ग्रहण करना, बेरोजगार युवा व्यक्तियों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना, आदि पर पर्याप्त ध्यान दे रही है ।

सहायकीकरण को सहायता

3.18 जहां एक ओर सहायकीकरण को आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतों से प्राप्त हुए लाभ के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा वहां इन्हें दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण से मिलने वाले लाभ के दृष्टिकोण से मापना होगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने की योजना के अनुरूप इन्हें सहायकीकरण के लिए उचित उत्पादों के व्यावहारिकता अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट/व्यावहार्यता रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है जिसके लिए उप-सहायता प्रदान करता है । यदि एक उद्यमी तकनीकी सलाहकारी संगठन/विशिष्ट एजेंसी को अपना दस्तकार्य सौंपता है तो उसे रिपोर्ट आदि की शत-प्रतिशत लागत की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा की जाती है । दस्तकार्य के पूरा हो जाने पर 75% की उप-सहायता की अदायगी तकनीकी सलाहकारी संगठन/

विशिष्ट एजेंसी को कर-दी जाती है और सहायक इकाई द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर लेने के पश्चात् तथा पैतृक इकाई के साथ सहायक इकाई बनने के सम्बन्ध हो जाने के बाद शेष 25% की उप-सहायता भी अदा करादी जाती है।

'सलाहकारी संस्कार' के विकास को सहायता

3.19 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की दो योजनाएं अर्थात् व्यावहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए छोटे उद्यमियों को प्रदान करने की उप-सहायता योजना तथा अति लघु क्षेत्र उद्योगों में रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए उप-सहायता योजना, बहुत ही लोकप्रिय रही है और अति लघु तथा लघु स्तर के उद्यमियों, जो अभी तक बड़े व्यावसायिक सलाहकारों के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, को 'सलाहकारिता के लिए संस्कार' को प्रोत्साहित करने में प्रेरक रही है। दोनों योजनाओं के अधीन यदि वत्तकार्य किसी अनुसूचित जाति/जन जाति अथवा शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी से हो तो उस मामले में व्यावहार्यता तथा परियोजना रिपोर्ट आदि को तैयार करने के लिए तकनीकी सलाहकारी संगठन द्वारा लिए गए शुल्क का शत-प्रतिशत भाग (कुछ सीमाओं के अधीन) उप-सहायता के रूप में दिया जाता है।

स्व-विकास और स्व-रोजगार प्रयासों के लिए सहायता

3.20 अन्य योजना गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने में सहायता करती है और यह देश के बेरोजगार युवकों को स्व-विकास तथा स्व-नियोजन के लिए सहायता प्रदान करके उनमें असहाय के भावना के स्थान पर सक्षमता की भावना को जागृत करती है। इस योजना के अधीन उन व्यक्तियों को, जिन्होंने उद्यमीयता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बैंकों आदि से ऋण प्राप्त कराने के लिए उन द्वारा लगाए जाने वाले सीमांत धन की राशि तकनीकी सलाहकारी संगठन/विशिष्ट एजेंसी के माध्यम से उदार ऋण के रूप में निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

20-सूत्री कार्यक्रम और निगम की प्रवर्तन गतिविधियां

3.21 20-सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास के दर्शन को एक नई दिशा प्रदान करना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसे विकास बैंकों के लिए जो विशेष महत्वपूर्ण हैं, वे हैं : ग्रामीण विकास, बिजली उत्पादन, बायो-गैस और ऊर्जा के वैकल्पिक तथा नवीकरणीय साधनों का विकास, निगमित क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-परिणामों में सुधार करना, आदि। इन क्षेत्रों के बारे में भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसे संस्थानों का दायित्व मूल रूप से पूरक ही है चूंकि इन क्षेत्रों में अन्य विशिष्ट संस्थानों/एजेंसियों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का दायित्व सौंपा गया है। फिर भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की गतिविधियां इस बात का प्रमाण है कि यह 20-सूत्री कार्यक्रम की भावना के अनुरूप कार्य कर रही है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जहां कहीं भी आवश्यक अथवा उचित समझा गया है, यह अपने लघु रूप में भी सामाजिक, आर्थिक अवस्थापना के अन्तराल को भरने के लिए मदद कर रही है।

अध्याय 4

बोर्ड, प्रशासन, कार्मिक एवं विविध

निदेशक बोर्ड

4.01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की 12 बैठकें हुईं, जिनमें से 10 नई दिल्ली में, एक बंगलौर में और एक कलकत्ता में हुई।

4.02 वर्ष के दौरान, श्री बी० बी० सिंह ने, भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप 29 फरवरी, 1984 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार त्याग दिया। उनके स्थान पर निगम के कार्यपालक निदेशक, श्री डी० एन० डावर को, 19 अप्रैल, 1984 से चार वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। निगम का निदेशक बोर्ड, श्री बी० बी० सिंह द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष के रूप में उनकी अवधि के दौरान की गई अमूल्य सेवाओं और योगदान की अति प्रशंसा करता है।

4.03 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री आर० के० कौल ने, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के फल-स्वरूप 30 सितम्बर, 1983 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने 11 नवम्बर, 1983 से, श्री आर० के० कौल के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के अतिरिक्त सचिव, श्री वी० के० दर को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। श्री दर ने पहली मार्च, 1984 से 18 अप्रैल, 1984 तक की अवधि के दौरान निगम के अध्यक्ष के कार्यों का भी निष्पादन किया। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने श्री वी० के० दर के स्थान पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के संयुक्त सचिव, श्री अशोक चन्द्र को 24 अप्रैल, 1984 से निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

4.04 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (कक) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, श्री के० पी० त्रिपाठी, जिन्होंने 15 जनवरी, 1983 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया था, के स्थान पर श्री पी० एल० करिहालू को 29 नवम्बर, 1983 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक नामित किया।

4.05 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारियों की 19 अक्तूबर, 1983 को आयोजित 35वीं वार्षिक महासभा में, श्री ओ० पी० गुप्ता के स्थान पर अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री एस० एल० बालूजा, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक, को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (ख) के अन्तर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया। उसी बैठक में बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों, आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री जी० वी० कपाड़िया को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (ङ) के अन्तर्गत सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री एन० एस० सपकल के स्थान पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि० के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री बी० एस० थोराट को निर्वाचित किया गया।

4.06 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड, श्री आर० के० कौल, श्री वी० के० दर, श्री ओ० पी० गुप्ता और श्री एन० एस० सपकल द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से निदेशक के रूप में सम्बद्ध रहने के दौरान की गई अमूल्य सेवाओं की अति प्रशंसा करता है।

तकनीकी सलाहकार समितियां

4.07 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों पर अपनी छः तकनीकी सलाहकार समितियों की सेवाओं का लाभ उठाता रहा। वर्ष के दौरान, 'एस्प्रिन परियोजनाओं' का तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता का अध्ययन करने के लिए और पोलिस्टर स्टेप्ल फाइबर तथा केल्शियम सिलिसाइट/फेरो-सिलीकान परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तदर्थ सलाहकार समितियों की बैठकें भी आयोजित की गईं।

राज्य सलाहकार समितियां

4.08 वर्ष के दौरान पांच राज्य सलाहकार समितियों की बैठकें क्रमशः हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात में आयोजित की गईं। इन बैठकों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का इसका भूमिका, योगदान और गतिविधियों के सम्बन्ध में बेहतर जानकारी और मूल्यांकन करने में सहायता प्राप्त हुई तथा इनसे निगम को इसकी अपनी नीतियों और पद्धतियों के बारे में मूल्यवान सूचना भी प्राप्त हुई। इन बैठकों से निगम को, सम्बंधित राज्यों में औद्योगीकरण की समस्याओं और सम्भावनाओं की तत्काल जानकारी भी प्राप्त होती है तथा इनसे जन संपर्क की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा सम्बन्धित राज्य सरकार प्राधिकरणों, राज्य स्तरीय संस्थानों, बैंकों, उद्योग, और वाणिज्य के प्रतिनिधियों, अर्थ शास्त्रियों, निजी, संयुक्त, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की ऋणी संस्थाओं, सहयोगी संस्थानों, आदि के बीच सम्प्रेषण दूरी को कम करने में भी सहायता प्राप्त हुई।

अन्तर-संस्थान समन्वय

4.09 1983-84 के दौरान, नीति विषयक मामलों और वित्तीय और/अथवा पुनरुद्धार सहायता के व्यक्तिगत मामलों पर विचार करने के लिए शीर्ष संस्थान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वावधान में अखिल भारतीय दीर्घ-कालीन ऋण प्रदान करने वाले और निवेश संस्थानों (भा० औ० वि० बैं०, भा० औ० वि० नि०, भा० औ० साख एवं निवेश निगम, जी० बी० नि०, सा० बी० नि०, भा० यू० ट्र०, भा० औ० पु० नि०) की ग्यारह अन्तरसंस्थान और तेईस वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठकें हुईं। इन बैठकों से समस्या और/अथवा रुग्ण मामलों में समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने तथा अपनाने में भी सहायता प्राप्त हुई। आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक बैंकों और राज्य-स्तर के संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी इन बैठकों में विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर भागीदारी

4.10 श्री बी० बी० सिंह (भा० औ० वि० नि० के तत्कालीन अध्यक्ष) ने, 3 दिसम्बर, 1983 से 12 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के दौरान लीमा, पेरू में आयोजित विकास वित्तीय संस्थानों के विश्व संघ की दूसरी सामान्य महासभा में तथा विकास बैंकरों के सम्मेलन (विश्व संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के जर्मन प्रतिष्ठान द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित) में भाग लिया। उक्त सभा में 'परिवर्तनशील राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेश में विकास बैंकों की प्रतिक्रिया', 'विकास वित्तीय संस्थानों की निवेश समस्याएं', 'एशिया और प्रशांत में विकास बैंकों का उनके परिचालन वातावरण परिवर्तनों को प्रभावित करने में योगदान' आदि जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

4.11 श्री डी० एन० डावर (भा० औ० वि० नि० के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक) ने, 4 अप्रैल, 1984 से 10 अप्रैल, 1984 की अवधि के दौरान हैनोवर, जर्मन संघ गणराज्य में हुए विश्व व्यापार मेले में भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया। उन्होंने हैनोवर मेले में भागीदारों को संयुक्त उद्यमों और तीसरे राष्ट्र परियोजनाओं का वित्तपोषण' विषय पर व्याख्यान दिया। भारतीय मूल के गैर-प्रवासियों के लिए भारत में निवेश अवसरों पर आयोजित एक सेमिनार में श्री डी० एन० डावर ने भागीदार को 'भारत में उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता' विषय पर व्याख्यान दिया।

4.12 श्री डी० एन० डावर ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष के रूप में 15 मई, 1984 से 20 मई, 1984 तक की अवधि के दौरान हांग कांग में भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'भारत-आपका आर्थिक सहयोगी' विषय पर एक अन्य सेमिनार में भाग लिया। इस सेमिनार में श्री डी० एन० डावर द्वारा प्रस्तुत किया गया पृष्ठ भूमि पत्र, देश तथा विदेश में भारतीय निवेशकों के लाभ के लिए भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

एशिया और प्रशांत में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन का सातवां वार्षिक सम्मेलन

4.13 विकास बैंकिंग बन्धुत्व की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटना थी, एशिया और प्रशांत में विकास वित्तीय संस्थानों का सातवां वार्षिक सम्मेलन, जो 19 अप्रैल, 1984 से 21 अप्रैल, 1984 तक की अवधि के दौरान नई दिल्ली में भा० औ०, वि० बैं०, भा० औ० वि० नि० तथा भा० औ० साख एवं निवेश निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया और इसमें अनेक अखिल भारतीय और राज्य स्तर के संस्थानों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त एशिया और प्रशांत के विभिन्न देशों के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मूल विषय था 'नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए विकास वित्तीय संस्थानों तथा ऋणी संस्थाओं को दी जाने वाली सेवाओं को मजबूत करना'। विकास वित्तीय संस्थानों के कार्यों के लिए टैक्नोलाजी, विकास वित्तीय संस्थानों की ऋणी संस्थाओं के प्रबन्ध तथा परिचालनों को मजबूत करने में उनका दायित्व, आदि सत्रों से, देश तथा विदेश के भागीदार विकास वित्तीय संस्थानों में काफी रुचि उत्पन्न हुई।

अन्य देशों के विकास वित्तीय संस्थानों के साथ सम्बन्ध एवं सम्पर्क

4.14 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने विदेशों के अन्य विकास वित्तीय संस्थानों, विशेषकर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और क्रेडितांस्तल्त-फर-वाइडरफबाऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) के साथ निरन्तर निकट सम्पर्क बनाए रखा।

4.15 वर्ष के दौरान, महामहिम डा० जुरगेन वारे के जर्मन-गणराज्य के आर्थिक सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में एक आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली आया जिसमें अन्य के साथ-साथ के० एफ० डब्ल्यू० के बोर्ड के सदस्य डा० ई० जी० बाडर भी थे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को, इस प्रतिनिधिमण्डल के समक्ष अपने विषय में तथा जर्मन संघ गणराज्य और के० एफ० डब्ल्यू० की आर्थिक सहायता और सहयोग से भारतीय उद्योग को अपने योगदान के विषय में प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर के० एफ० डब्ल्यू० के डा० ई० जी० बाडर तथा भा० औ० वि० नि० के श्री बी० बी० सिंह द्वारा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 15 मिलियन जर्मन मार्क के अतिरिक्त ऋण के लिए करार पर हस्ताक्षर भी किए गए। बाद में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को, 10 नवम्बर, 1983 को हुए अपने आठवें रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष श्री मसाओ फुजीओका का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान

4.16 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 10 नवम्बर, 1983 को अपना आठवां रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान आयोजित किया जो श्री मसाओ फुजीओका, अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक द्वारा पूंजी निर्माण की कठिनाइयों के अन्तर्गत उद्योगीकरण विषय पर दिया गया। व्याख्यान की अध्यक्षता डा० मनमोहन सिंह, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई। भारी संख्या में श्रोताओं ने व्याख्यान को सुना और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के इतिहास में इसे उल्लेखनीय उपलब्धि समझा गया है। व्याख्यान का आधारभूत उद्देश्य अधिक मात्रा में आंतरिक बचत के माध्यम से घरेलू वित्तीय साधनों को बढ़ाकर जुटाया जाना है ताकि विदेशी ऋण पर निर्भरता को कम किया जा सके और यह वर्तमान तथा भविष्य में आर्थिक प्रयासों के लिए एक आधार-स्तम्भ माना जाएगा इस व्याख्यान और इस अवसर पर दिए गए भाषणों से वित्तीय और पूंजी बाजारों को विकसित और गहन बनाने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

संगठनात्मक विकास

(क) संगठनात्मक परिवर्तन

4.17 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबन्ध-ढांचे में आवश्यकता-आधारित परिवर्तन करने का अनुमोदन किया। श्री आर० एन० साहू, महाप्रबन्धक को कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया तथा सर्वश्री डी० जी० रमैया, एस० के० ऋषि और के० सी० हुकमानी, संयुक्त महाप्रबन्धकों को महाप्रबन्धक के रूप में पदोन्नति किया गया। संगठन की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अन्य स्तरों पर भी प्रासंगिक परिवर्तन तथा कार्य और दायित्वों का बेहतर आबंटन किया गया।

(ख) संगठनात्मक ढांचा

4.18 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त पांच क्षेत्रीय कार्यालय, दस शाखा कार्यालय और एक फ्रंट कार्यालय थे। पहली जुलाई, 1984 से, चंडीगढ़, गोहाटी तथा हैदराबाद, स्थिति निगम के तीन शाखा कार्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय बना दिया गया। इससे अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, और गोहाटी में आठ क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, [illegible] कोचीन, जयपुर और पटना में सात शाखा कार्यालय तथा पुणे में एक फ्रंट कार्यालय है। पुणे कार्यालय का दर्जा भी शीघ्र ही पूर्ण रूपेण शाखा कार्यालय के रूप में बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) अधिकारों का प्रत्यायोजन और कार्य का विकेन्द्रीकरण

4.19 परियोजना वित्त पोषण भागीदारी प्रमाण-पत्र योजना को गहन बनाने, विदेशी मुद्रा ऋण परिचालनों की संख्या में सम्भावित वृद्धि, स्थानीय स्तरों पर कार्य निपटाने के लिये उपयुक्त प्राधिकारी को कार्य के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को लघु-मध्यम आकार की इकाइयों को वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए अधिकारों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष के अन्त में प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय और शाखा

कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर वित्तीय अधिकारों तथा परिचालन प्राधिकारों के प्रत्यायोजन की समग्र समीक्षा की गई। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अधिकांश तथा वृद्धिशील, ऋणी संस्थाओं को बेहतर तथा दक्ष सेवा प्रदान करने की दृष्टि से निदेशक बोर्ड द्वारा निगम के प्रधान कार्यालय के प्रमुख अधिकारियों को तथा क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों को विस्तृत अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। भावी उद्यमियों और प्रवर्तकों को राज्य मुख्यालय में ही सम्पूर्ण उद्यमीय मार्गदर्शन तथा परियोजना परामर्श की सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के सभी कार्यालयों को सुसंगठित किया जा रहा है।

मानवीय साधन और विकास

(क) मानवीय साधन :

4.20 जून, 1984 की समाप्ति के समय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में (इसके क्षेत्रीय, शाखा और फ्रंट कार्यालय (यों) सहित, 1,045 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें से 153 कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, के उम्मीदवारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों भूतपूर्व सैनिकों, आदि की भर्ती अथवा पदोन्नति करते समय मापदंडों में ढील प्रदान करने की नीति अपनाए रखी।

(ख) मानवीय साधनों का विकास

4.21 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बनाई गई 'मानवीय साधन आयोजन-पुनरीक्षण समिति, 'स्टाफ विषयक समिति' और 'संचालन समिति (प्रशिक्षण)' का उल्लेख किया गया था। इन समितियों ने संगठन की मानवीय-साधन आवश्यकताओं की तथा कार्य सम्बन्धी एवं इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, इसके विकास की समीक्षा की।

4.22 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रशिक्षण केन्द्र ने 28 इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिससे विभिन्न स्तरों के 484 स्टाफ-सदस्य लाभान्वित हुए। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य स्टाफ के सदस्यों की व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने तथा उनमें सही एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है।

4.23 प्रशिक्षण केन्द्र ने, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सम्बन्धित विषयों पर प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा वार्ताओं का भी समय-समय पर आयोजन किया। निगम, विभिन्न व्यावसायिक निकायों द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण सुविधाओं का भी लाभ उठाता रहा। वर्ष के दौरान, निगम ने प्रबन्ध विकास संस्थान और विकास बैंकिंग केन्द्र द्वारा आयोजित 13 कार्यक्रमों मे 22 स्टाफ सदस्य तथा देश के अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए 47 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में 62 स्टाफ सदस्यों को भेजा।

4.24 प्रबन्ध विकास संस्थान के विकास बैंकिंग केन्द्र ने, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के स्टाफ के लिए दो इन-कम्पनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 53 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। निगम के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों के लिए विदेश भेजा गया तथा एक वरिष्ठ अधिकारी ने देश में हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

(ग) उत्पादकता सुधार

4.25 गहन इन-हाऊस तथा कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा स्टाफ सुझाव योजना के अन्तर्गत स्टाफ द्वारा दिए गए सुझावों पर पूर्ण विचार-विमर्श, स्टाफ के सदस्यों की समग्र उत्पादकता में सुधार लाने की प्रक्रिया के रूप में कार्य करता रहा है। पहले की भांति, स्टाफ के उन सदस्यों को नकद पुरस्कार/प्रशंसा-पत्र दिए गए जिनके सुझावों को सुझाव योजना समिति द्वारा सर्वोत्तम समझा गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्टाफ सदस्यों के फोटो भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बुलेटिन में, छापे गए।

नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध

4.26 सम्पूर्ण वर्ष के दौरान नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध सौहार्द और सद्भावपूर्ण बने रहे। इम्पलाइज एसोसिएशन ने 'अन्य बातों के साथ-साथ' 'कर्मकार' कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों में संशोधन के सम्बन्ध में मांग-पत्र प्रस्तुत किया।

4.27 कर्मकार कर्मचारियों के पदोन्नति अवसरों के सम्बन्ध में की गई बातचीत के परिणामस्वरूप 28 फरवरी, 1984 को प्रबन्धक-वर्ग तथा इम्पलाइज एसोसिएशन के बीच समझौता-ज्ञापन किया गया।

स्टाफ कल्याण

4.28 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1971 से 'स्टाफ कल्याण निधि' का ससंचालन कर रहा है। इस निधि के अब दो संघटक हैं अर्थात (क) कर्मचारियों को ऋण प्रदान करने के लिए आवर्तन निधि और (ख) स्टाफ कल्याण निधि नियमों में निर्धारित अन्य मदों से सम्बन्धित व्यय के लिए अनुदान और व्यय लेखा।

4.29 वर्ष के दौरान, स्टाफ सदस्यों को स्व-विकास, स्वयं अपने और आश्रित बच्चों, आदि के विवाह के लिए और टिकाऊ घरेलू सामान खरीदने के लिए, 3.00 लाख रुपए का ऋण दिया गया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के बच्चों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने, खेल और मनोरंजन क्लबों को अनुदान तथा निगम के अवकाश गृहों के रख रखाव पर 2.66 लाख रुपए का व्यय किया गया।

4.30 वर्ष के दौरान, पहली मई, 1984 से दार्जिलिंग में भी अवकाश गृह आरम्भ हो गया तथा पुरी अवकाश गृह को 16 जनवरी, 1984 से बेहतर स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अब शिमला, श्रीनगर, पुरी, ऊटी, गोआ, बंगलौर और दार्जिलिंग में सात अवकाश गृह हैं।

सामाजिक सुरक्षा के उपाय

4.31 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी सामूहिक बीमा और सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। इनका उद्देश्य (क) सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारियों के परिवारों और (ख) चोट/दुर्घटना, इत्यादि के कार विकलांग होने वाले कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है।

4.32 1983-84 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने दो मृत कर्मचारियों के नामितों को संवितरण के लिए सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम से दावा-राशियां प्राप्त की। उपर्युक्त योजनाओं के प्रारम्भ होने से अब तक 20 मृत कर्मचारियों के परिवारों को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत राहत प्रदान की गई तथा एक परिवार को दोनों बीमा योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ।

चिकित्सा सुविधाएं

4.33 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उलेख किया गया था कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने प्रधान कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये चिकित्सा अधिकारी स्टाफ सदस्यों तथा उनके आश्रितों को निर्धारित घंटो के दौरान चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराते हैं

4.34 वर्ष के दौरान, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों तथा उनके पति/पत्नी को चिकित्सा परिचर्या सुविधायें प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान की गई। सेवा-निवृत्त कर्मचारी तथा उनके पति/पत्नी, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय और पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम स्टाफ कालोनी में नियुक्त अंशकालिक चिकित्सा अधिकारियों के परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। सामान्य बीमारियों की दवाइयां कार्यालय क्लिनिकों में रखी जाएंगी तथा सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को भी, कार्यालय क्लीनिकों में उपलब्ध दवाइयां मुफ्त उपलब्ध की जाएंगी।

आवास

4.35 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पश्चिम विहार, नई दिल्ली में 3.35 एकड़ भूमि पर एक आवासीय परिसर बनाया गया है जिसमें 195 रिहायशी फ्लैट हैं।

4.36 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने कर्मकार कर्मचारियों के लिए घाटकोपर बम्बई में 32 फ्लैट खरीदे तथा आबंटित किए। घाटकोपर में 15 फ्लैट और खरीदने के लिए करार, जून, 1984 के अन्त में अन्तिम चरण में था।

4.37 बंगलौर में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को, बंगलौर विकास प्राधिकर द्वारा स्व-वित्तपोषण, आधार पर 45 फ्लैट आबंटित किए गए हैं। आशा है कि ये फ्लैट 1985 तक कब्जे के लिए उपलब्ध हो जायेंगे।

4.38 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास भोपाल, कलकत्ता, कोचीन और कानपुर में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। इन स्थानों पर गृह निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए कार्यवाही शुरु हो गई है। हैदराबाद और मद्रास में विद्यमान कार्यालय परिसरों को अन्य परिसरों में स्थानान्तरित करने के बाद स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

4.39 भुवनेश्वर, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, चण्डीगढ़, कानपुर और गोहाटी से भूमि या फ्लैट लेने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

कार्यालय परिसर

4.40 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को कार्यालय आवास के लिए सरकारी क्षेत्र काम्पलैक्स में स्वामित्वाधिकार के आधार पर 44,367 वर्ग फुट स्थान आबंटित किया गया है, जिसका निर्माण लोधी रोड, नई दिल्ली में सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा किया जा रहा है। इस काम्प्लैक्स के 1985 के आरम्भ तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अहमदाबाद, बंगलौर और पटना शाखा कार्यालयों के अपने कार्यालय परिसर हैं। कानपुर, कोचीन तथा भुवनेश्वर में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने कार्यालय काम्पलैक्स-व-स्टाफ क्वाटरों के निर्माण के लिए भूमि पहले ही खरीद ली है। जून, 1984 के अन्त की स्थिति के अनुसार कलकत्ता, पुणे, जयपुर, मद्रास और हैदराबाद में कार्यालय उपयोग के लिए और अधिक विस्तृत स्थान प्राप्त करने के लिए उपाय किए जा रहे थे।

जन-सम्पर्क

4.41 प्रधान कार्यालय में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के जन-सम्पर्क विभाग ने वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों, बांड निर्गम, नई प्रवर्तन योजनाओं को उदार बनाने और इनको लागू करने से सम्बन्धित तथा अध्यक्ष के पत्रकार-सम्मेलन के सम्बन्ध में 17 प्रैस विज्ञप्तियां जारी कीं।

4.42 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के गोहाटी स्थित उत्तर-पूर्वी शाखा कार्यालय के अध्यक्ष ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की गतिविधियों के विषय में 21 जनवरी, 1984 को आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक के साथ एक साक्षात्कार कार्यक्रम किया। अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने राज्य सरकार, राज्य-स्तरीय संस्थानों, बैंकों, आदि के प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाए रखा तथा नए और भावी उद्यमियों का उद्यम के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करता रहा है।

4.43 जन-सम्पर्क विभाग आन्तरिक परिचालन के लिए प्रतिमास 'इकनॉमिक एण्ड फाइनेंशियल न्यूज डाइजेस्ट', तथा सामान्य परिचालन के लिए त्रैमासिक 'भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बुलेटिन' निकालता है। इसके अतिरिक्त, विभाग वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अनेक प्रकाशन निकालने में सहायक रहा।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रकाशन

4.44 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने उद्यमियों, शिक्षाविदों, व्यावसायिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा

जन सामान्य के लाभ के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले :

—भा० औ० वि० नि०—उद्योग की सेवा में 35 वर्ष

—विकास बैंकिंग का प्रतिबिम्ब—भा० औ० वि० नि० रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान 1973-84 का सार-संग्रह

—अन्वेषण व अनुसन्धान—भा० औ० वि० नि० प्रोफेसरों द्वारा दिए गए व्याख्यानों का सार-संग्रह

—भा० औ० वि० नि० के प्रवर्तन कार्य

—भा० औ० वि० नि० का प्रवर्तन योजनाएं

30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार दो और प्रकाशन अर्थात् 'सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए मार्गनिर्देश' तथा 'भारत के उद्योगों में निवेश-प्रवासी और गैरप्रवासी उद्यमियों के लिए मार्ग निर्देशिका', मुद्रणाधीन थे।

सरकारी वित्तीय संस्थान (निष्ठा और गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व) अधिनियम, 1983

4.45 वर्ष के दौरान, संसद ने सरकारी संस्थान (निष्ठा और गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व) अधिनियम, 1983 पारित किया जिससे औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 39 में उपबन्ध जोड़कर संशोधन किया गया कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, अधिनियम, द्वारा अन्यथा अपेक्षित के सिवाय, किसी भी वित्त पोषित संस्था के सम्बन्ध में किसी भी सूचना को व्यक्त नहीं करेगा। परन्तु, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा विधि, अथवा व्यवहार और परम्परा बैंकों में आपसी रिवाज के अनुसार जो सूचना देनी आवश्यक या उचित हो, के सिवाय कोई सूचना प्रकट नहीं की जाएगी। लेकिन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऐसी सूचना जिसे यह उपयोगी समझे और ऐसी विधि से जिसे यह समय-समय पर उचित माने, अपने कार्यों के दक्ष निष्पादन के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, किसी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, आदि को ऐसी साख सूचना और अन्य सूचना दे सकता है और संकलित कर सकता है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

4.46 हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीति के अनुरुप, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने और उसमें तीव्रता लाने के लिये निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय हिन्दी की प्रगति देखने के लिए, प्रधान कार्यालय, सहित निगम के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में सोलह राजभाषा कार्यान्वियन समितियां कार्य कर रही हैं।

4.47 वर्ष के दौरान, सभी प्रशासन परिपत्र, परिचालन परिपत्र, प्रैस विज्ञप्तियां, अधिसूचनाएं, विज्ञापन, वार्षिक रिपोर्ट, आदि द्विभाषिक रूप में जारी किए गए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सामान्य विनियम 1982, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, कर्मचारीवृन्द विनियम, 1974, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम 1982, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (बांडों का निर्गम और प्रबन्ध), विनियम, 1949 द्विभाषी रूप में छपवाए गए। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रपत्र तथा आवेदन प्रपत्र से सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में छपावाए गए।

4.48 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अपनाई गई, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी स्टैनोग्राफी तथा बैंकिंग-उन्मुख हिन्दी पाठ्यक्रम सहित विभिन्न हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को मानदेय प्रदान किया जाता है। 1983-84 में 29 कर्मचारियों ने विभिन्न हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं। इस योजना के अपनाए जाने से अब तक स्टाफ के सदस्यों को विभिन्न परीक्षाएं पास करने पर 95,200/- रुपये का मानदेय अदा किया गया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने स्टाफ के उन सदस्यों को, जो शासकीय कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिन्दी में कार्य करके महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, आदि प्रदान करने की योजना भी अनुमोदित की।

आभार प्रदर्शन

4.49 निदेशक, बोर्ड, विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, भारत सरकार के विभागों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अन्य सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, विभिन्न राज्य, सरकारों और राज्य स्तर के वित्तीय और विकास संस्थानों से प्राप्त हुई सहायता, सहयोग और सद्भाव के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

4.50 निदेशक बोर्ड, तकनीकी सहलाहकारी संगठनों, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान तथा प्रबन्ध विकास संस्थान के अध्यक्षों और निदेशक बोर्डों द्वारा अपने-अपने संगठनों की गतिविधियों और भूमिका को बढ़ाने के लिये किए गए कार्यों की भी सराहना करता है।

4.51 बोर्ड क्षेत्रीय/आंचलिक/राज्य सलाहकार समितियों के सदस्यों और तकनीकी सलाहकारी/तदर्थ समिति सदस्यों का तथा सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं की ओर से नामित गैर-शासकीय सदस्यों का भी उनके अमूल्य सहयोग और सलाह के लिए आभारी है।

4.52 निदेशक बोर्ड, विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निरन्तर सहायता तथा सक्रिय सहयोग, विशेष रूप से क्रेडितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ, पश्चिमी जर्मनी के प्रबन्धक-वर्ग, यू० के० सरकार के समुद्रपार विकास मंत्रालय और स्वेडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, स्वीडन और विदेशों में समवर्ती बैंकों, आदि, से प्राप्त सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है और आगामी वर्षों में और अधिक लाभदायक सहयोग की आशा करता है।

4.53 अन्त में, निदेशक बोर्ड निगम के सभी कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए उनकी भी अत्याधिक सराहना करता है।

निदेशक बोर्ड की ओर से

डी० एन० डावर

अध्यक्ष

परिशिष्ट I

1983-84 के दौरान, चुने हुए उद्योगों की स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े इकाइयों की संख्या को द्योतक है)

क्रम सं०	उत्पाद	माप इकाई	1983-84 में स्थापित क्षमता और उत्पादन					
			सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के सम्बन्ध में		
			स्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1983-84 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग	स्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1983-84 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	चीनी	लाख टन	68.28	71.49	104.7	17.73	16.00	90.2
2.	सूती धागा (मिल क्षेत्र)		23.04 (मिलियन तकुए)	1345.30 (मिलयिन कि०	—	6.15 (मिलियन तकुए)	304.35 (लाख कि०	—
3.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)		2.10 (लाख खड्डियां)	3585.80 (मिलियन मीटर)	—	0.67 (लाख खड्डियां)	1133.05 (मिलियन मीटर)	—
4.	पटसन वस्तुएं	लाख टन	18.94	8.74	46.2	4.17	2.30	55.2
5.	कागज और कागज गत्ता	लाख टन	19.15	11.82	60.60	5.12	3.04	59.4
6.	सीमेंट	मिलियन टन	44.3	27.10	61.2	17.66	13.94	78.9
7.	नाइट्रोजन उर्वरक	लाख टन	51.44	34.91	67.9	19.00	15.81	83.2
8.	फास्फेटिक उर्वरक	लाख टन	14.18	10.48	73.9	5.29	5.37	101.5
9.	वी० एच० सी० (ठेक)	हजार टन	41.9	32.4	77.3	21.20	20.80	98.1
10.	कास्टिक सोडा	लाख टन	8.77	6.46	73.7	3.69	2.91	78.9
11.	सोडा एश	लाख टन	7.61	7.80	102.5	0.67	0.11	16.4
12.	कैल्शियम कार्बाइड	लाख टन	1.70	0.96	56.5	0.42	0.32	76.2
13.	एसिटिक एसिड	लाख टन	0.50	0.30	60.0	0.21	0.14	66.7
14.	कार्बन ब्लैक	लाख टन	1.15	0.78	67.8	0.60	0.24	40.0
15.	तरल क्लोरिन	लाख टन	5.36	2.89	53.9	1.75	1.06	60.6
16.	विस्कोस फिलामेण्ट यार्न	हजार टन	43.24	35.80	82.8	4.50	4.03	89.6
17.	नायलन फिलामेण्ट यार्न	हजार टन	29.39 (9)	30.50	103.8	10.65 (3)	10.30	96.7
18.	नायलन टायर कॉर्ड	हजार टन	15.49 (अप्राप्य)	16.60	106.5	12.81 (4)	14.32	111.8
19.	पालिएस्टर फिलामेण्ट यार्न	हजार टन	29.34 (8)	48.4	165.0	12.98 (5)	15.99	123.2
20.	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर	हजार टन	34.30 (5)	27.2	79.3	12.10 (2)	11.21	92.6
21.	बिक्री योग्य स्टील (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	91.96 (6)	63.97	69.6	22.96 (3)	20.50	89.3
22.	स्टील इंगोट्स (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	114.22 (6)	79.28	69.4	28.33 (3)	25.68	90.6
23.	स्टील इंगोट्स/बिल्लेट्स (मिनी स्टील संयंत्र)	लाख टन	27.89 (149)	20.22	72.5	3.57 (15)	2.53	70.9
24.	अल्मीनियम	हजार टन	362 (4)	220.1	60.8	262 (3)	160.00	61.1
25.	जिंक	हजार टन	89 (2)	60.3	67.8	14 (1)	7.00	50.0

*280 संयुक्त मिल सम्मिलित हैं

**51 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26.	आटो टायर	लाख संख्या	114.45	98.00	85.6	53.78	37.86	70.4
27.	आटो ट्यूबें	लाख संख्या	114.27	75.00	65.6	55.17	40.73	55.7
28.	मोटर साइकिलें	हजार संख्या	115	160.3	139.4	36	29.0	80.6
29.	स्कूटर	हजार संख्या	300	279.8	93.3	137	59.0	43.1
30.	वाणिज्यिक वाहन	हजार संख्या	103	88.3	85.7	51.5	45.5	88.3
31.	ट्रैक्टर (कृषि)	हजार संख्या	90	75.80	84.2	39.0	25.4	65.1
32.	रबड़ गर्भरोधक	मिलियन संख्या	713	500	70.1	200	31.12	15.6
33.	पुनर्प्रयोग की गई रबड़	हजार टनों में	34.00	21.85	64.3	4.80	4.18	87.1
34.	कन्वेयर बेल्टिंग	हजार टनों में	8.91	8.28	92.9	1.90	2.19	115.3
35.	पंखा और वी-बेल्ट	लाख संख्या	156.17	135.00	86.4	13.00	8.66	57.7
36.	प्लाईवुड	मिलियन वर्गमीटर	91.14	54.0	59.2	11.31	5.51	48.7
37.	फ्लोरोसेंट ट्यूबें	मिलियन संख्या	34.42	35.1	101.9	7.33	5.32	72.6
38.	जी० एल० एस० लैम्प	मिलियन संख्या	298.69	275.7	92.7	56.0	43.78	78.2
39.	पावर ट्रांसफार्मर	मिलियन किलोवाट्स	32.8	23.1	70.4	0.8	0.43	53.8
40.	कांच की शीटें	मिलियन वर्ग मीटर	40.79	20.66	50.6	10.81	9.71	89.8
41.	फाइबर ग्लास	टन	5290	1850	35.0	3853	999	25.9
42.	होटल	लाख संख्या@	48.82	31.36	64.2	7.44	4.22	56.7

@कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमशः किराए के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है।

परिशिष्ट II

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का ब्याज दर ढांचा
(1-7-84 की स्थिति के अनुसार)

	ब्याज की दर (% वार्षिक)
I. रुपया ऋण	
1. मूल उधार दर	14.00*
2. निम्नलिखित के लिए रियायती दरें:	
(क) निर्धारित सीमाओं तक अधिसूचित कम विकसित क्षेत्रों की इकाइयों को सहायता	12.50*
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण तथा स्थापित करने के लिये सहायता	12.50
(ग) संशोधित उदार ऋण योजना के अधीन आधुनिकीकरण के लिए 4.00 करोड़ रुपये तक की सहायता	11.50@
II. विदेशी मुद्रा ऋण : (आहरित परियोजना किसी भी स्थान पर लगी है)	
1. के० एफ० डब्ल्यू०, ऋणों, जर्मन मार्क आवर्ती निधियों, आदि में से मंजूर किये गये उप-ऋण	लंदन-इंटर बैंक की छमाही बिक्रय दर से 2% अधिक
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा यूरो मुद्रा बाजार से लिये गये उधार से मंजूर किए गए उप-ऋण	
	ब्याज की दर (% वार्षिक)
III. मंजूर की गई वित्तीय सहायता में से पूरक/अन्तरिम ऋण	अग्रणी संस्थान द्वारा प्रथम संवितरण की तारीख से 365 दिन की समाप्ति से लागू उधार दर से 1 प्रतिशत अधिक
IV. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा हामीदारी किये गये सार्वजनिक शेयर निर्गमों के अधीन पूरक ऋण	
V. आन्तरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से टेक्नोलाजी का विकसित करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की प्रवर्तन योजना के अधीन प्रदत्त सहायता (आन्तरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों से देशी तकनीक के विकास और इसके वाणिज्यिक पैमाने पर उपयोग में लाने में हुई कुल लागत का 50 प्रतिशत की सीमा या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो)	

*केवल नई इकाइयों पर लागू और वर्तमान परियोजनाओं की विस्तार/विशालन परियोजनाओं पर लागू नहीं।

@वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयों के मामले में ब्याज की दर 11.50 वार्षिक से घटाकर 10.00% वार्षिक की जा सकती है, लेकिन बाद में इकाई की वित्तीय स्थिति सुधारने पर रियायती दर की समीक्षा करने तथा इसे बढ़ाने का अधिकार है।

टिप्पणियां :

—कम विकसित क्षेत्रों में परियोजनाओं को पहली अप्रेल, 1983 से जिस सीमा तक ब्याज की रियायती दर उपलब्ध है उनका विवरण निम्नानुसार है :

श्रेणी 'क' जिले—5.00 करोड़ रुपये

श्रेणी 'ख' जिले—3.00 करोड़ रुपये

श्रेणी 'ग' जिले—2.00 करोड़ रुपये

—श्रेणी 'क' जिलों में परियोजना विशिष्ट अवस्थापना के लिए 5.00 करोड़ रुपये की सहायता पर भी परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से 12.5% की रियायती दर उपलब्ध है। परियोजना विशिष्ट अवस्थापना के लिये दिए गए ऋण पर परियोजना निर्माण की अवधि के दौरान कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है।

—होटल परियोजना को प्रत्येक होटल के लिए 75.00 लाख रुपये की सहायता राशि तक 1.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर में तब तक छूट मिलती रहती है जब तक यह उप-सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और होटल संस्था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अपने वायदे पूरे करने में किसी प्रकार की चूक नहीं करती।

—अपने निर्यात वायदों को पूरा किए जाने के आधार पर 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों को भी उत्पादन शुरू करने के पहले 5 वर्षों के दौरान 1.50% की ब्याज दर में छूट दी जाती है।

—प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों/समीप रूप से धारित कम्पनियों को मंजूर की गई सहायता के सम्बन्ध में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संभावित तारीख से लागू ब्याज से 1.00% वार्षिक का अतिरिक्त ब्याज लिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए सभी संस्थाएं जिनमें 75% अथवा अधिक साधन पूंजी प्रवर्तकों द्वारा धारित है, उन्हें समीप रूप से धारित कम्पनियां माना जायेगा।

—जो रुपया ऋण 5 वर्षों (प्रारम्भिक रियायत अवधि सहित) में पुनर्देय है और जिन पर संपरिवर्तनीय द्वारा लागू नहीं होती, उन पर लागू ब्याज दर से 1.00 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज लिया जाता है।

परिशिष्ट-III

1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान औद्योगिक संस्थाओं को "जन-हित" में मंजूर की गई सहायता का विवरण

[औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 26 (2)]

क्रम सं०	संस्था का नाम और परियोजना की स्थिति	परियोजना/स्कीम की प्रकृति	उत्पाद और विस्थापित क्षमता	परियोजना की लागत (रु० करोड़ों में)	भा० औ० वि० नि० द्वारा वित्तीय सहायता (रु० करोड़ों में)	संस्था से हितबद्ध भा० औ० वि० नि० के निदेशक का नाम
1.	स्पेशल स्टील्स लिमिटेड, (थाणे) महाराष्ट्र	पुनर्स्थापन	स्टील बिल्लटों, बायर छड़ों तथा स्टील बायरों का क्रमशः 70,000 60,000 और 50,000 वार्षिक विस्थापित क्षमता से उत्पादन	9.92	रु० ऋण, 0.30 (अति०) पुनर्स्थापन वित्त	*श्री जी० वी० कपाड़िया
2.	भूवनसरी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, (जबलपुर) पश्चिम बंगाल	नई परियोजना	प्रतिवर्ष 3000 टन पी० वी० सी० फिल्म, फायलों और शीटों का उत्पादन	6.31	रु० ऋण 0.48 वि० मु० ऋण 0.55 हामी 0.25	श्री एस० के० दत्ता

*12 जुलाई, 1984 से संस्था के निदेशक नहीं रहे।

वार्षिक लेखे 1983-84

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी

हम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षकों, ने निगम के 30 जून, 1984 को संलग्न तुलन-पत्र और लेखों का लेखा-परीक्षण किया और अंशधारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं।

1. तुलन-पत्र और लेखे, लेखा-पुस्तकों के साथ तालमेल में हैं।

2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं।

3. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र और तुलन-पत्र पर दी गई टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं और इसमें सभी सम्बन्धित जानकारी दी गई है तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है तथा इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है।

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी
समवर्ती लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 1984

30 जून 1984 को

देयताएं	अनुसूची	इस वर्ष रु०/	पिछले वर्ष रु०/
शेयर पूंजी	क	27,50,000,00	22,50,00,000
रिजर्व और आरक्षित निधियां	ख	88,08,63,440	66,93,27,058
दीर्घकालीन ऋण	ग	10,37,54,38,307	8,45,56,69,117
चालू देयताएं तथा व्यवस्थाएं	घ	49,64,87,648	46,90,49,614
अन्य देयताएं	ङ	5,00,84,438	3,42,76,726
दुतरफा मदों के अनुसार आकस्मिक देयताएं	च	4,10,53,186	2,40,26,155
		12,11,89,27,019	9,87,73,48,670

यलन—पत्र

परिसम्पत्तियां	अनुसूची	इस वर्ष रु०/	पिछले वर्ष रु०/
रोकड़ और बैंक शेष	छ	53,67,99,152	39,82,84,500
निवेश	ज	53,46,21,374	45,81,54,802
ऋण और अग्रिम	झ	10,56,18,65,597	8,64,73,40,858
स्थिर परिसम्पत्तियां	ञ	6,86,45,150	6,34,69,448
अन्य परिसम्पत्तियां	ट	37,59,42,560	28,60,73,627
दुतरफा मदों के अनुसार संघटक आभार	ठ	4,10,53,186	2,40,26,155
टिप्पणियां लेखे का भाग	ड		
		12,11,89,27,019	9,87,73,48,670

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी
सनदीलेखापाल
नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त 1984

अशोक चन्द्र	एस० एल० बालुजा
फिलिप थामस	बी० दीक्षित
जे० सी० खदेम्बारा	जे० यू० पटेल
एस० के० दत्ता	बी० एस० थोराट
पी० एल० करिहालू	
	निदेशक
आर० एन० साहू	डी० एन डावर
कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष

*30 जून, 1984 को समाप्त

व्यय		इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
बांड तथा ऋणों, आदि पर ब्याज		64,32,84,831	50,79,24,371
विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता भार		2,23,374	2,42,332
बांडों के निर्गम पर दलाली और कमीशन		87,76,855	61,07,659
निवेशों पर हानि		13,85,700	44,11,555
स्थापना व्यय		3,36,07,442	2,97,34,360
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस तथा खर्च		2,84,112	2,63,672
किराया, कर बीमा रोशनी		56,07,607	44,96,910
डाक, तार, टिकटें तथा टेलीफोन		18,40,781	13,54,416
छपाई, लेखन सामग्री तथा विज्ञापन		22,88,760	12,73,289
विधि प्रभार		60,722	6,774
लेखा-परीक्षा शुल्क		84,000	70,000
यात्रा व विराम व्यय		13,00,074	12,16,191
अन्य व्यय		69,86,132	50,23,614
मूल्य ह्रास		28,83,799	12.51,404
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान		5,00,000	5,00,000
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय		2,09,676	1,29,403
कराधान के लिए व्यवस्था	10,69,05,124		
घटाइए : पिछले वर्षों से सम्बन्धित समायोजन	55,09,933	10,13,95,191	9,70,71,083
वर्ष के लिए निवल लाभ नीचे ले जाया गया		23,89,43,986	17,31,09,392
निम्नलिखित को अन्तरित राशि		1,04,96,63,042	83,41,86,415
सामान्य आरक्षित निधि		8,15,00,000	3,87,62,000
विशेष रिजर्व [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) (8) के अधीन]		13,13,52,547	11,47,25,154
दातव्य आरक्षित निधि		50,00,000	35,00,000
कर्मचारी कल्याण निधि		1,50,000	1,00,320
लाभांश		2,09,41,439	1,60,21,918
		23,89,43,986	17,31,09,392

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 1984

अशोक चन्द्र — एस० एल० आलूजा
फिलिप थामस — बी० दीक्षित
जे० सी० लब्देसारा — जे० यू० पटेल
एस० के० दत्ता — बी० एस० थोरात
पी० एम० करिहालू
निदेशक

हुए वर्ष का लाभ–हानि लेखा

आय*	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
ब्याज	99,35,13,594	77,46,80,790
कमीशन	44,56,266	35,44,986
निवेशों की बिक्री से लाभ	1,61,71,742	1,52,41,880
परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	66,401	34,077
शेयरों पर अधिलाभांश	1,98,84,619	2,16,90,805
वचनबद्धता प्रभार	1,33,69,905	1,63,44,619
विनिमय में उतार चढ़ाव के कारण लाभ (निवल)	—	3,03,862
विविध आय	21,99,515	5,45,396
	1,04,96,63,042	83,41,86,415
वर्ष के लिए निवल लाभ नीचे ले आया गया	23,89,43,986	17,31,09,392
	23,89,43,986	17,31,09,392

*(घटाइए : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों तथा अन्य सामान्य प्रावधानों के लिए की गई व्यवस्था)

आर० एन० साह, कार्यपालक निदेशक — डी० एन० डावर, अध्यक्ष

7—389 GI/84

अनुसूची क
शेयर पूंजी

30 जून 1984 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
अभिदत्त		
पांच पांच हजार रुपये के 1,00,000 शेयर	50,00,00,000	50,00,00,000
जारी और अभिदत्त		
पांच पांच हजार रुपये के 60,000 शेयर (पिछले वर्ष—50,000 शेयर	30,00,00,000	25,00,00,000
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1984 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुनर्अदायगी और स्थूलम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त)		
प्रदत्त		
(1) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,00,000 शेयर	5,00,00,000	5,00,00,000
(2) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज)	2,00,00,000	2,00,00,000
(3) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज)	1,34,60,000	1,34,60,000
(4) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज)	1,65,40,000	1,65,40,000
(5) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवीं सीरीज)	5,00,00,000	5,00,00,000
(6) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज)	2,50,00,000	2,50,00,000
(7) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (सातवीं सीरीज)	2,50,00,000	2,50,00,000
(8) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (आठवीं सीरीज)	5,00,00,000	2,50,00,000
(9) पांच पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सीरीज) प्रारम्भ में मांगे गये प्रति शेयर पर रु० 2,500/- और प्रदत्त	2,50,00,000	—
	27,50,00,000	22,50,00,000

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थूलम वार्षिक लाभांश की गारन्टी मद संख्या (1) के लिए 2 1/4% मद संख्या (2) और (3) के लिए 4% और मद संख्या (4) के लिए 4½% तथा मद संख्या (5) से (9) के लिए 6% है ।

अनुसूची ख
रिजर्व और आरक्षित निधियां

30 जून, 1984 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1	2	3	4
(1) सामान्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन)			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	245,1,75,000		20,64,13,000
लाभ हानि लेखे से अन्तरित	8,15,00,000		3,87,62,000
		32,66,75,000	24,51,75,000
(2) आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन			
(3) दायित्व आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन)			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	1,31,93,924		99,00,000
लाभ हानि लेखे से अन्तरित	50,00,000		35,00,000
	1,81,93,924		1,34,00,000
घटाइए: उपयोग की गई राशि	34,47,537		2,06,076
		1,47,46,387	1,31,93,924

1	2	3	4
(4) विशेष रिज़र्व [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन]			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	39,10,75,454		27,63,50,300
लाभ–हानि लेखे से अन्तरित	13,13,52,547		11,47,25,154
		52,24,28,001	39,10,75,454
(5) भारत सरकार से विशेष अनुदान			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	98,82,680		93,02,032
क्रेदितांसलस्त बाइकरजनाइन के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त अनुदान	76,50,000		75,00,000
	1,75,32,680		1,68,02,032
घटाइए: विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई राशि	1,05,18,628		69,19,352
		70,14,052	988.7.680
		88,08,63,440	66,93,27,058

अनुसूची ग

30 जून, 1984 को तुलन–पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

दीर्घकालीन ऋण

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1	2	3
1. बांड (अरक्षित–औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त		
5 3/4 प्रतिशत बांड/1983	—	8,80,08,800
5 3/4 प्रतिशत बांड/1984	11,00,67,300	11,00,67,300
5 3/4 प्रतिशत बांड/1985	13,16,67,800	13,16,67,800
6 प्रतिशत बांड/1986	7,99,08,000	7,99,08,000
6 प्रतिशत बांड/1984	11,00,12,000	11,00,12,000
6 प्रतिशत बांड/1985	12,47,37,800	12,47,37,800
6 प्रतिशत बांड/1985 (द्वितीय सीरीज)	16,54,79,200	16,54,79,200
6 प्रतिशत बांड/1986	19,25,05,400	19,25,05,400
6 प्रतिशत बांड/1986 (तृतीय सीरीज)	32,45,87,200	32,45,87,200
6 प्रतिशत बांड/1987	19,88,73,800	19,88,73,800
6 प्रतिशत बांड/1987 (द्वितीय सीरीज)	25,39,45,500	25,39,45,500
6 1/4 प्रतिशत बांड/1988	33,00,00,000	33,00,00,000
6 1/4 प्रतिशत बांड/1988 (द्वितीय सीरीज)	35,01,54,000	35,01,54,000
6 1/4 प्रतिशत बांड/1989	34,93,75,000	34,93,75,000
6 1/2 प्रतिशत बांड/1989	40,06,25,000	40,06,25,000
6 3/4 प्रतिशत बांड/1992	38,50,00,000	38,50,00,000
6 3/4 प्रतिशत बांड 1992 (द्वितीय सीरीज)	39,60,00,000	39,60,00,000
7 1/4 प्रतिशत बांड/1996	23,92,22,000	23,92,22,000
7 1/4 प्रतिशत बांड/1996 (द्वितीय सीरीज)	61,05,00,000	61,05,00,000
7 1/4 प्रतिशत बांड/1997	15,53,00,000	15,53,00,000
7 1/2 प्रतिशत बांड/1997	50,00,00,000	50,00,00,000
7 1/2 प्रतिशत बांड/1997 (द्वितीय सीरीज)	59,95,00,000	59,95,00,000
8 1/4 प्रतिशत बांड/1995	79,75,00,000	79,75,00,000
8 3/4 प्रतिशत बांड/2000	50,04,80,000	
8 3/4 प्रतिशत बांड/2001	30,00,00,000	
9 प्रतिशत बांड/1999	1,21,00,00,000	
आगे ले जाया गया/	88,54,40,000	689,29,68,800

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
2. उधार,		
(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन] 1.50 करोड़ की राशि के 6 3/4 प्रतिशत तदर्थ बांड, प्रत्येक 4.25 करोड़ रुपये की राशि के 6.1/4 प्रतिशत तदर्थ बांड, 9.50 करोड़ रुपये की राशि के 6.1/2 प्रतिशत तदर्थ बांड और 20.00 करोड़ रुपये की राशि के 7.5 प्रतिशत तदर्थ बांड, 10.00 करोड़ रुपये राशि के 8.3 प्रतिशत तदर्थ बांड और 28.00 करोड़ रुपये की राशि के 10.7 प्रतिशत तदर्थ बांड ।	85,75,00,000	85,75,00,000
(2) भारत सरकार से [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन]	4,12,38,600	5,88,19,843
(3) क्रेडितान्स्टाल्ट फ्यूर वाइडरआउफबाउ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	5,36,73,100	4,96,03,400
(4) विदेशी मुद्राओं में विदेशी साख संस्थानों से (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	62,75,86,607	59,67,77,074
	10,37,54,38,307	845,56,69,117

अनुसूची घ

30 जून, 1984 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
क. चालू देयतायें				
(i) फुटकर लेनदार			23,52,46,388	24,15,08,473
(ii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं				
(क) उधार				
(i) भारत सरकार से	11,34,456			12,86,487
(ii) विदेशी मुद्रा में विदेशी साख संस्थानों से	2,21,431			2,00,511
(iii) अन्य	6,99,882			
		20,55,769		14,86,998
(ख) बांडों पर		6,64,59,918		4,53,34,146
			6,85,15,687	4,68,21,144
(iii) अग्रिम गारंटी कमीशन			1,33,178	78,395
(iv) विधिक प्रभार और मूल्यांकन के लिए प्राप्त अग्रिम			2,92,476	5,34,334
(v) दावा न किया गया लाभांश			6,948	1,365
(vi) विदेशी साख संस्थाओं से विदेशी मुद्राओं में लिये गये ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप-ऋणियों को लौटाई जाने वाली/भारत सरकार की देय राशि			3,31,29,487	2,06,48,866
ख. व्यवस्थाएं				
(i) विनिमय उचित लेखे में अन्तर			88,88,029	82,43,580
(ii) उचंत खाते डाली गई रकमें				
(क) ब्याज		4,64,50,871		5,59,87,827
(ख) वचनबद्धता प्रभार		5,014		5,014

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(ग) प्रासंगिक प्रभार		2,37,704		2,37,704
(घ) गारंटी कमीशन		—		1,66,033
			4,66,93,589	5,63,96,578
(iii) कराधान के लिए व्यवस्था :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		30,28,27,947		23,86,74,292
जोड़िए : वर्ष के लिए व्यवस्था		10,69,05,124		9,70,71,083
		40,97,33,071		33,57,45,375
घटाइए : गत वर्षों में समायोजन		8,48,48,277		3,29,17,428
		32,48,84,794		30,28,27,947
घटाइए : स्रोत पर काटा गया कर	1,97,12,152			1,86,56,020
अदा किया गया अग्रिम कर/ लौटाया जाने वाला कर	22,25,32,215			20,57,66,966
		24,22,44,367		22,40,22,986
			8,26,40,427	7,88,04,961
(iv) देय लाभांश			2,09,41,439	1,60,21,918
			49,64,87,648	46,90,49,614

अनुसूची क

30 जून, 1984 की तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य देयताएं

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) कर्मचारी कल्याण निधि :			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	11,00,000		9,99,680
जोड़िए : लाभ-हानि से अन्तरित राशि	1,50,000		1,00,320
		12,50,000	11,00,000
(ii) औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि		3,88,34,438	3,31,76,726
(iii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 के अधीन जमा		1,00,00,000	—
		5,00,84,438	3,42,76,726

अनुसूची च

30 जून, 1984 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

पुस्तकों मदों के अनुसार आकस्मिक देयताएं

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) गारंटियां [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1) (ख) के अधीन]	2,67,09,705	2,32,07,438
(ii) विदेशी ऋण गारन्टियां [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1) (ग) के अधीन]	1,38,07,088	--
(iii) मूलधन की अदायगी के लिए आस्थगित कालिसी ऋण	5,36,393	8,18,71
	4,10,53,186	2,40,26,155

अनुसूची छ

30 जून, 1984 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रोकड़ तथा बैंक शेष

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में रोकड़ तथा टिकटें हाथ में			45,266	52,986
(ii) चैक हाथ में तथा वसूली के अधीन			3,81,00,052	4,04,55,235
(iii) बैंक में शेष				
(क) चालू खाते में— भारत में	11,54,05,648			10,60,21,969
विदेशों में	20,21,575			96,36,631
		11,74,27,223		11,56,58,600
(ख) सावधिक जमा खाते में— भारत में	33,25,00,000			19,98,50,000
विदेशों में	4,87,26,611			4,22,67,699
		38,12,26,611		24,21,17,699
			49,86,53,834	35,77,76,299
			53,67,99,152	39,82,84,500

अनुसूची च
निवेश (लागत पर)

30 जून, 1984 की तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अधीन कुछ वित्तीय संस्थाओं की प्रारम्भिक पूंजी/शेयर		1,21,00,000	1,21,00,000
(ii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(ब) के अधीन			
(क) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाक, शेयर, बांड तथा डिबेंचर	31,32,49,007		28,09,16,942
(ख) शेयरों, डिबेंचरों, आदि पर अदा की गई आवेदन-मुद्रा	—		11,78,265
		31,32,49,007	28,20,95,207
(iii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(स) के अधीन			
(क) औद्योगिक संस्थाओं के शेयर तथा डिबेंचर	7,67,26,255		6,97,30,813
(ख) शेयरों के लिए अदा की गई आवेदन-मुद्रा	—		5,000
		7,67,26,255	6,97,35,813
(iv) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (झ) के अधीन डिबेंचर	1,74,52,450		40,76,100
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (झ) के परन्तुक के अधीन लिए गए शेयर	11,50,93,662		9,01,46,962
		13,25,46,112	9,42,23,062
		53,46,21,374	46,81,54,082
(क) कथित निवेश			
पुस्तक मूल्य		29,89,07,839	21,96,85,907
बाजार मूल्य		55,21,06,249	63,03,53,964
(ख) निवेशों के पुस्तक मूल्य, जिनके मूल्य उपलब्ध नहीं है		23,57,13,535	23,84,68,175

अनुसूची छ

30 जून, 1984 की तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

ऋण तथा अग्रिम

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
ऋण तथा अग्रिम		
—भारतीय मुद्रा में	992,19,20,056	802,73,68,147
—विदेशी मुद्राओं में	63,99,45,541	61,99,82,711
	1056,18,65,597	864,73,40,858
टिप्पणियां :		
(क) संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के निदेशक हितबद्ध हैं :		
(i) नामित निदेशक	11,35,66,102	5,67,26,987
(ii) निदेशक	18,17,86,314	29,18,14,632
(ख) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल रकम जिनमें निगम के निदेशक हितबद्ध हैं :		
(i) नामित निदेशक	1,46,43,673	58,89,648
(ii) निदेशक	3,02,13,235	5,74,33,670
(ग) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज की किस्तों की कुल अनिदेय रकमें, जिनमें निगम के निदेशक हितबद्ध		
(i) नामित निदेशक	—	—
(ii) निदेशक	1,10,60,706	1,51,92,117

अनुसूची-क

30 जून, 1984 की तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

स्थिर परिसम्पत्तियां

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1. पट्टे पर भूमि तथा भवन (कार्य की प्रगति सहित)			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य	2,55,02,308		2,04,42,449
वर्ष के दौरान वृद्धियां	45,74,002		50,59,859
घटाइए : अद्यतन तारीख तक मूल्यह्रास	2,00,76,210		2,55,02,308
	27,83,686		12,20,061
2. निष्कर भूमि तथा भवन		2,72,91,624	2,42,82,247
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य	1,27,82,452		69,50,030
वर्ष के दौरान वृद्धियां	59,99,810		58,32,422
घटाइए : अद्यतन तारीख तक मूल्यह्रास	1,87,82,262		1,27,82,452
	12,48,108		8,06,004
3. मोटर कारें, साइकिलें, फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग आदि		1,75,34,154	1,19,74,448
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य	76,65,955		58,91,476
वर्ष के दौरान वृद्धियां/समायोजन	10,53,534		18,28,839
	87,19,489		77,20,315
घटाइए : बेची गई/प्रयोग-रहित	1,78,558		57,430
घटाइए : अद्यतन तारीख तक मूल्य ह्रास	85,40,931		76,62,885
	42,12,191		34,56,647
4. कारोबार में नियोजित पूंजी संविदाओं के लिए अग्रिम		43,28,740	42,06,238
		1,94,89,632	2,30,06,515
		6,86,45,150	6,34,69,448

अनुसूची ट

30 जून, 1984 की तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(क) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं			
(i) बैंकों में सावधिक जमाओं पर	6,31,010		4,56,224
(ii) डिबेंचरों पर	61,882		1,53,091
(iii) ऋणों तथा अग्रिमों पर	29,34,88,213		22,67,63,622

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(iv) अन्य	31,89,308		25,43,729
		29,73,70,413	22,99,16,666
(ख) सवनबद्धता तथा अन्य केन्द्रपुन प्रभार		29,74,417	25,47,897
(ग) *फुटकर देनदार		3,19,14,935	*1,97,39,116
(घ) कर्मचारियों को अग्रिम		1,11,27,417	91,14,255
(ङ) पूर्वदत्त व्यय		1.72,715	2,13,092
(च) स्टाफ कल्याण निधि की नियत परिसम्पत्तियां		11,00,000	9,99,680
(छ) "कम्पनी जमा (आयकर पर अधिभार) योजना, 1983" के अधीन जमा		21,87,625	—
(ज) जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को ऋण (ब्याज–मुक्त)		2,39,80,600	2,10,55,300
(झ) जमा		51,14,438	24,87,621
		37,59,42,560	28,60,73,627

अनुसूची ड

30 जून, 1984 को तुलन–पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

बुनरफा मदों के अनुसार संघटक आभार

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(क) गारंटियां [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (ख) के अधीन]	2,67,09,705	2,32,07,[illegible]
(ख) विदेशी ऋण गारंटियां [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1) (ग) के अधीन]	1,38,07,088	—
(ग) मूलधन के लिए आस्थगित फार्मिसी ऋण	5.36,393	8,18,717
	4,10,53,186	2,40,26,155

अनुसूची म

30 जून, 1984 को तुलन–पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

टिप्पणियां—लेखे का भाग

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े हैं)

1. निगम, तुलन–पत्र में दर्शायी गई देयताओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रासंगिक रूप से उत्तरदायी है :—

(क) बकाया हामीदारी संविदा [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) के अधीन] 108.85 लाख रुपये (537.50 लाख रुपये)।

(ख) निवेश के रूप में अंशत: प्रदत्त शेयरों के लिए प्रत्याशित राशि [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) तथा 23 (च) के अधीन] 41.11 लाख रुपये (29.17 लाख रुपये)।

2. (क) (i) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों (ii) उनमें से उप-ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण (iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष और (iv) विदेशी मुद्रा के लिए की गई हामीदारी के सम्बन्ध में आकस्मिक देयताएं, सभी के लिए शेष, 30 जून, 1984 को लागू टेलीग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों पर भारतीय मुद्रा में अभिव्यक्त किया गया है।

(ख) मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले लाभ यदि कोई हों, का प्रत्येक ऋण के लिए गणन, विदेशी साख, संस्थानों द्वारा लिए गए ऋणों की पूर्णत: अदा किए जाने तथा उस ऋण से वित्तपोषित संस्थाओं को दिए गए ऋणों की पूर्णत: वसूली हो जाने के पश्चात् ही किया जाता है। प्रत्येक ऋण के लिए, उक्त उतार-चढ़ावों के कारण होने वाली हानियों, यदि कोई हों, का गणन उक्त ऋण के निगम द्वारा पूर्णत: अदायगी हो जाने पर ही किया जाता है। इस दौरान, (i) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली तथा पुनर्अदायगी;

(ii) वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा शेष के मपरिवर्तन; तथा

(iii) बैंकों के विदेशी मुद्रा खातों के लेन-देन से सम्बन्धित विनिमय-अन्तर को "विनिमय उचंत खाता अन्तर" में रखा गया है। विनिमय हानियों के रूप में केन्द्रीय से आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त हुए योगदान को भी उक्त खाते में जमा किया गया है।

3. निगम के पक्ष में/विरुद्ध कुछ मामलों के सम्बन्ध में आयकर विभाग/निगम ने अपील/संदर्भ किया है। इस सम्बन्ध में विवादास्पद देयता 40.60 लाख रुपये (10.60 लाख रुपये) है। वर्ष के लिए कर देयता की व्यवस्था निगम द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार की गई है।

4. फुटकर लेनदारों में 662.77 लाख रुपये (574.14 लाख रुपये) की राशि उन बांडों से सम्बन्धित है जो परिपक्व हो गए हैं परन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अदा नहीं किया गया है।

5. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) और 23(च) के अधीन निवेशों में 68.88 लाख रुपये की राशि (46.71 लाख रुपये) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पूंजी में नियोजित की गई है और जिन्होंने या तो ऐच्छिक परिसमापन कर लिया है अथवा 'रुग्ण' हैं और उनका स्वास्थ्य यूनिटों में मिलाये जाने का प्रस्ताव है। यदि इस सम्बन्ध में कोई हानि हुई तो उसका गणन अन्तिम अदायगी प्राप्त होने या निपटान पूरा होने के पश्चात् किया जाएगा।

6. राष्ट्रीय औद्योगिक निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान में से 30 जून, 1984 तक 33.92 लाख रुपये (30.70 लाख रुपये) का आंशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयरपूंजी में अभिदान करके किया गया है। अतः इस राशि का निगम के "निवेश" में गणन नहीं किया गया है।

7. तुलन-पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 1029.86 लाख रुपये (821.34 लाख रुपये) की राशि बकाया थी, जिनको कि केन्द्रीय/राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुआवजे में से अथवा सरकारों से उक्त राशि का कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, तुलन-पत्र की तारीख को 85.37 लाख रुपये (868.89 लाख रुपये) की राशि कुछ कम्पनियों पर बकाया है जिनकी देयताएं औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अवरुद्ध कर दी गई हैं।

8 (क) जिन मामलों में निगम की वसूली की सम्भावनाएं कम आंकी गई हैं, उनमें ब्याज, वचनबद्धता प्रभार और कमीशन आदि से आय का गणन नहीं किया गया है।

(ख) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय से आदेश प्राप्त किए हैं उनमें ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज केवल राशि के प्राप्त हो जाने पर ही गणन किया जाता है।

9. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक बनाने के उद्देश्य के लिए आवश्यकतानुरूप पुनः एकत्रित किया गया है।

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 12th December 1984

No. ODM|59172.—In pursuance of Regulation 76(1) of the State Bank of India General Regulations 1955, framed under Section 50 of the State Bank of India Act 1955, the Executive Committee of the Central Board hereby authorises the undernoted employees to exercise the following signing powers :—

(1) *To sign receipts for deposits tendered in cash or cheques in current accounts not exceeding Rs.* 2000|- *as well as to sign cash receipts deposits in Savings Banks Accounts, Recurring Deposit Accounts and Janta Deposit Accounts for amounts not exceeding Rs.* 2000|-

Tellers at branches.

(2) *To sign cash receipts of Bank as well as Government accounts for amounts not exceeding Rs.* 10000|- :— Deputy head cashiers at branches.

(3) *To sign routine printed advices to constituents other banks etc. pertaining to the concerned employee's desk, as may be authorised my the Managing Director from time to time* :—

Clerical staff at branches.

(4) *To sign debit/credit advices to customers on the Bank's standard forms for amount not exceeding Rs.* 2000|- :—

Clerical staff at branches.

(5) *To sign cash receipts on Bank as well as Government accounts for amounts not exceeding Rs.* 3000|- :— Cashiers at branches.

By Order of the Executive
Committee of the Central Board
A. S. PURI
Managing Director

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 26th November 1984

No 18-CWR(105)|84.—It is hereby notified in pursuance of Regulations of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Registered of Members the name of Shri Anal Kumar Das Sharma, M COM, AICWA, "Guha Bhawan", Port Blair Line, P. O Barrackpore 743 101, (Membership No. M|1075), with effect from 16th November 1984.

D. C. BHATTACHARYYA
Secretary

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER 9TH FLOOR, MAYUR BHAWAN, CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI

New Delhi, the 14th December 1984

No. P.III|Adm.CR II|16(63) 79|AP.—In exercise of the powers conferred by sub section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, with approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the employees Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations 1962, namely :—

(1) These Regulations may be called the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) ment) Regulations, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Third Schedule to the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, in the Table below paragraph 3 -

(a) against serial No. 3 relating to the post of Assistants (Headquarters Office) against the entry 25% after the words 'Stenographers (Junior)', the words and Assistant already promoted on seniority basis over whom any post falling under examination quota exists' shall be inserted;

(b) against serial No: 4 relating to the post of Head Clerks (regional Offices), against the entry 25%, after the words 'Stenographers (Junior), the words and Head Clerks already promoted on seniority basis over whom any post falling under examination quota exists' shall be inserted.

B. K. BHATTACHARYA
Central Provident Fund Commissioner

FOOT NOTE :

1. Original rules published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated the 19th Mya, 1962 vide G.S.R. No. 691.
2. The rules amended vide G.S.R. No. 1483 dated the 15th September, 1963 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (1) dated the 14th September, 1963.
3. The rules amended vide G.S.R. No. 592 dated 31-3-1964 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 11-4-1964.
4. The rules amended vide G.S.R. No. 896 dated the 2nd June, 1966.
5. The rules amended vide G.S.R. No. 1824 dated the 22nd November, 1966.
6. The rules amended vide G.S.R. No 127 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 17th January, 1967.
7. The rules amended vide G.S.R. No. 127 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 28th January, 1967.
8. The rules amended vide G.S.R. No. 787 dated the 16th May, 1970.
9. The rules amended vide G.S.R. No. 1155 dated the 7th August 1971.
10. The rules amended vide G.S.R. No. 1602 dated the 30th October, 1971.
11. The rules amended vide G.S.R No. 149 dated the 7th January, 1972.
12. The rules amended vide G.S.R. No. 88 dated the 8-1-1972.
13. The rules amended vide G.S.R. No. 533 dated the 26-5-1973.
14. The rules amended vide G.S.R. No. 547 dated the 26-5-1973.
15. The rules amended vide G.S.R. No. 591 dated the 2-6-1973.
16. The rules amended vide G.S.R. No. 645 dated the 16-6-1973.
17. The rules amended vide Govt.'s notification No. 19-(30)|69-PF. I dated 17-6-1975.
18. The rules amended vide notification No. A-12018|6|74-PF. I dated 25-8-76.
19. The rules amended vide G.S.R. No. 645 dated 16-6-77.
20. The rules amended vide G.S.R. No. dated the 28-10-1978.
21. The rules amended vide notification No. Adm. (R-II)|14(7)|80|3513 dated the 23-12-1980.
22. The rules amended vide G.S.R. No. Nil dated the 7th November, 1981 published in the Part-III Section 4 in the Gazette of India.

B. K. BHATTACHARYA
Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 10th December 1984

No. UT|145|DPD(P&R)89|84-85.—The provisions of the Income Unit Scheme 1985 (Cumulative and Non-Cumulative) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 are published herebelow for general information.

THE INCOME UNIT SCHEME 1985
CUMULATIVE AND NON-CUMULATIVE

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Scheme :

(I) *Short title and Commencement* :

(1) This Scheme shall be called the Income Unit Scheme Cumulative and Non-Cumulative), 1985.

(2) It shall come into force on the 1st day of January 1985.

(3) Units will be on sale only during the months of Panuary and February 1985.

(Provided that the Chairman or the Executive Trustee may suspend the sale of units under the Scheme at any time even before the expiry of the two months' period by biving a week's notice in such newspapers as may be decided.)

(II) *Definitions* :

In this Scheme, unless the context otherwise requires -

(a) the "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) "acceptance date" with refrence to an application made by an applicant to the Trust for sale or re-purchase of Units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same ;

(c) "eligible institution" means a Charitable or Religious Trust or Endowment which is administered or controlled or supervised by or under the provisions of any Central or State Enactment, which is for the time being in force or a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 engaged, as one of its activities in furthering or protecting the welfare and advancement of interest of handicapped persons, elderly persons or widows.

(d) "number of units to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and outstanding ;

(e) "recognised stock exchange" means a stockexchange which is for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (43 of 1956);

(f) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act ;

(g) "unit" means one undivided share of the face value of Rupees one hundred in the unit capital;

(h) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

(III) *Face value of each unit* :

The face value of each unit shall be one hundered rupees.

(IV) *Application for units* :

1 (a) Applications for units may be made by the following classes of persons :

(i) one individual or two individuals none of whom is a minor ;

(ii) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a minor.

1 (b) An Eligible Institution as defined under the Scheme.

(2) An application shall not be made jointly on behalf of a minor and another person. Applications in the names of two individuals can be either on joint basis or either or survivor basis.

3. Applications shall be made in such forms as may be approved by the Chairman of the Trust.

4. Applications shall be for a multiple of 10 units subject to a minimum of 20 units and a maximum of 1000 units. Provided that in the case of an application by an eligible institution the minimum shall be 20 units and there shall be no maximum.

5. (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque, draft or postal order. Cheques and drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust or by a designated branch of authorised bank. If payment is made by draft or postal order, the acceptance date will, subject to such draft or postal order being realised, be the date of issue of such draft or postal order provided the application is received by the Trust or a designated branch of authorised bank within a realised time. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded to him at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) A unit certificate will be sent by registered post with or without acknowledgement due to the address given by the applicant and the Trust will not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the unit certificate, so sent.

V. *Sale of units* :

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust, shall as soon thereafter as possible, send the applicant an acknowledgement thereof. As soon as possible thereafter the Trust shall issue to the applicant one unit certificate representing the units sold to him, or, if the applicant so desires, such number of certificates for such denomination in multiples of 10 as he may specify, provided each certificate shall be for a minimum of 20 units.

VI. *Repurchase of units* :

(1) The Trust shall not repurchase units before 1st January 1988.

(2) The Trust shall during the currency of the Scheme on and after 1st January 1988 repurchase at the repurchase price then prevailing on receipt by it of the unit certificate|s with the form on the reverse thereof duly filled in provided all the units comprised in the certificates are tendered for repurchase. No partial repurchase of units represented by the unit certificate|s shall be permitted.

(3) Payment for units repurchased by the Trust after deductions if any shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

VII. *Restrictions on sale and repurchase of units*

Notwithstanding anything contained in any provision of the scheme, the Trust shall not be under an obligation to repurchase units :—

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period when the register of unitholders is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

Explanation.—For the purposes of this scheme, the term "working day" shall mean a day which has note been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharastra or such other States where the Trust has its officers; or (ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

VIII. *Sale or repurchase to be as on the acceptance date*

The sale and repurchase of units by the Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that date.

IX. *Sale and repurchase prices*

(1) The units shall be sold at Rs. 100|- both in January and February 1985.

(2) The price at which a unit will be repurchased by the Trust (hereinafter referred to as "the repurchase price" shall be determined by the Trust on 15th of every month (or the next working day, if that day happens to be a holiday) and shall apply to repurchases in the succeeding month.

(3) The repurchase price shall be arrived at by dividing the value (determined as hereinafter indicated) as at the close of business on the working day on which the repurchase price is determined, of the assets pertaining to this scheme, reduced by liabilities pertaining to this scheme (not being contingent liabilities or liabilities in respect of the unit capital including reserves, if any) as at the close of business on the said working day, by the number of units in issue as at the close of business on the said day, deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage, commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to the realisation of investments by the Trust and adjusting downwards the resulting price by not more than ten paise per unit.

(4) The repurchase price of a unit shall be arrived at on the basis of the material available with the Trust on the day on which the repurchase price is arrived at.

(5) Notwithstanding anything contained to the contrary in sub-clauses (2), (3) and (4) when the Trust is satisfied that in the interest of the Trust, the unitholders and of the continuance and growth of the Scheme, it is necessary or expedient to do so, the Trust may determine the repurchase price at a rate which may not necessarily be in accordance with the provisions of sub-clause (3) and any such determination shall be deemed to be in the interest of the Trust and the unitholders.

(6) Notwithstanding anything contained to the contrary in sub-clause (2), the Trust may determine the repurchase price on any date other than the 15th day of a month and may deem any price fixed by it effective for such period as it may deem fit.

(7) In the event of a termination of the Scheme in the manner as specified in, Clause XXVI hereof the Trust shall determine the repurchase price by valuing the assets pertaining to the scheme as at the close of business on the date notified for termination reduced by the liabilities pertaining to the scheme and dividing them by the number of units outstanding and deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage, commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to realisation of investments by the Trust and other adjustments and the expenditure in connection with the closure and payment of the distribution to the unitholders of the assets in respect of the scheme. In such an event the repurchase prices shall in addition to the par value bear the other distributable component of the asset per unit arrived at by the Trust in a manner satisfactory to its auditors and as the Board may approve.

X. *Publication of final repurchase price*

(a) The Trust shall, as early as possible after the determination of the repurchase price, publish in such manner as it may deem fit, the repurchase price of units.

(b) Upon termination of the scheme in the manner provided in clause XXVI hereof the Trust shall as early as possible after determining the repurchase price publish it in such manner as it may deem fit.

XI. *Valuation of assets pertaining to this Scheme*

(1) For the purposes of valuation of the assets under sub-clause (2) of Clause IX, the assets shall be classified into : (a) cash, (b) investments, and (c) other assets.

(2) Investments shall be valued by taking :

(A) (a) the closing prices on the stock exchange as on the working day on which the valuation is made of the securities held by the Trust pertaining to this Scheme: Provided where a security is quoted on more than one stock exchange, the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust;

(b) where any investment was not, during the relevant period, dealt in or quoted on any recognised stock exchange, such value, as the Trust may, in the circumstances consider to be the fair value of such investment; and

(B) adding thereto :—

(a) in the case of interest earning deposits, interest accrued but not received;

(b) in the case of Government securities and debentures, interest accrued but not received; and

(c) in the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend, any dividend declared but not received.

(3) Other assets shall be valued at their book value.

XII. *Form of unit certificate*

Unit certificates shall be in Form A annexed hereto. Each unit certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of the unitholder.

XIII. *Manner of preparation of unit certificate*

The unit certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No unit certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof any person whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Trust. Provided that should the unit certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the certificate, the Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit certificate so issued shall also be valid.

XIV. *Trusts not to be recognised regarding unit certificates*

The person who is registered as the holder and in whose name a unit certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such unit certificate and the units which it represents; and the Trust may recognise such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice of the execution of any trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any trust or equity or other interest affecting the title to any unit certificate or the units thereby represented.

XV. *Exchange of unit certificates and procedure when certificate is mutilated, defaced, lost etc.*

(1) In case any unit certificate shall be mutilated or worn or defaced, the Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new unit certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn or defaced unit certificate. In case any unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, in its discretion, issue to the person entitled a new unit certificate in lieu thereof. No such new unit certificate shall be issued unless the applicant shall previously have

(i) furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original unit certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Trust the mutilated or worn out or defaced unit certificate; and

(iv) furnished to the Trust such indemnity as it may require

The Trust shall not incur any liability for issuing such certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant for the unit certificate to pay a fee of Rupee one per unit certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such certificate.

XVI. *Register of unitholders*

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Trust at its Head Office and there shall be entered in the register:

(a) the names and addresses of the unitholders;

(b) the distinctive number of the unit certificate and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) (a) If a unit certificate stands registered in the names of two persons, such persons shall be deemed to hold the unit certificates jointly and a discharge by the person first named in the register of the unit holders shall, as regards receipt of amounts due in respect of such units, discharge the Trust in respect of such amounts.

(b) Where two individuals, none of them being a minor, apply for issue of unit certificate in their favour and request in the application that either of them should be permitted to deal with the units, the Trust shall record in its books suitable entries to take note of such requests; and when a unit certificate has been issued in such circumstances, then either of the holders shall be entitled to deal with the unit represented by such certificate, and a discharge by either of such persons shall, as regards receipt of amounts due in respect of such units, discharge the Trust in respect of such amounts.

Provided that the income distribution declared in respect of the units represented by such certificates shall be paid to the person first named in the register of unitholders.

(3) Any change of name or address on the part of any unitholder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(4) Except when the register is closed in accordance with provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any unitholder without charge.

(5) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 60 days in any one year; the Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspapers as the Board may direct.

(6) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

(7) *Application by Registration of eligible institutions*

(a) An eligible institution may be registered as a unitholder.

(b) Applications by eligible institutions shall be accompanied by the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and Articles, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body, and a copy of the requisite power of attorney.

(c) A firm or other association of persons (not being incorporated) as such, shall not be registered as a unitholder.

XVII. *Receipt by unitholder to discharge Trust*

The receipt of the unitholder for any moneys paid to him in respect of the units represented by the certificate shall be a good discharge to the Trust.

XVIII. *Death or bankruptcy of unitholder*

(1) In case of death of either of the joint holders of a unit certificate the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the unit certificate. Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single holder, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units under the Regulations.

(3) In the absence of a valid nomination by a single unitholder, the executor or administrators of the deceased unitholder or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the unit.

(4) Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at the repurchase price ruling on the date on which all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

XIX. *Application on behalf of minors*

(1) An adult individual being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may apply for the units and deal with them in accordance with and to the extent provided in sub-section (2A) of Section 21 of the Act and in this scheme.

(2) Such adult while applying for units shall furnish to the Trust in such manner as may be specified, proof of age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor.

Provided that the Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

XX. *Transfer of units*

No transfer of units issued under this scheme shall be permissible.

XXI. *Nomination by unitholders*

(1) Unitholders holding singly may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the Regulations.

(2) A sole unitholder while making a nomination if he so desires may nominate more than one individual as a nominee, but in no case exceeding 3 individuals and shall specify the number of units in respect of which he wished to make each of them a beneficiary. In the absence of such mention the nominees shall be deemed to share the benefit equally. The Trust shall be fully discharged in recognising the claim of the nominees in the event of the death of the unitholder, to the exclusion of all others subject to the provisions of the Regulations.

(3) Unitholders being either parent or lawful guardian on behalf of a minor or holding units jointly and an eligible institution shall have no right to make any nomination.

XXII. *Investment limits*

(1) Investments by the Trust from the funds of the scheme in the securities of any one company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies.

Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial under-

takings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds, deposits and debentures of a company whether secured or not.

XXIII. *Income distribution*

The Trust shall pay dividend to the unitholders at the following rates :

Year (July — June)	*Rate*
1984 85	12 00%
	(On a prorata basis)
1985-86	12.50%
1986-87	12.50%
1987-88	13.00%
1988-89	13.00%
1989-90	13.00%
	(On a prorata basis)

Under two different options as given below - viz. the cumulative Income Distribution options, the unitholder should exercise his right to participate in either of the options at the time of joining the Plan. His decision once made will be irreversible.

A. *Non-Cumulative* :

(1) Dividend will be payable every half year ending 31st December and 30th June to those whose names stood on the register of unitholders as on the above dates. The income distributable shall be paid as soon as may be after the expiry of the relevant half year.

(2) Dividend for the Trust's year 1984-85 shall be paid alongwith the dividend for the half-year ending 30th June 1984 on a pro-rata basis. For 1984-85, unitholders buying units on or before 15th January 1985 shall be eligible for dividend for six months and those buying on or before 15th February 1985 will be eligible for dividend for five months and after 15th February 1985 for four months on a pro-rata basis.

Provided that the dividend for the first six or five or four months, as the case may be, shall be distributed to the unitholders while distributing the dividend for the half year ending 30th June 1985 and such distribution shall be at a rate equivalent to 12% per annum depending upon the month and time of acquisition of units and other relevant factors.

(3) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unitholders.

(4) The income distributable among unitholders shall be paid by means of a warrant payable at par at a branch of a specified bank.

B. *Cumulative* :

A unitholder exercising his right to participate under this option will not receive the dividend half yearly, but will authorise the Trust to reinvest the dividend every half year deemed to have been distributed on the units purchased by him, by purchase of further units at par on the 1st of July and 1st of January each year during the currency of the Scheme. The Truch will, however, forward to the unitholder, under this option, a statement showing the units originally purchased by the unitholder and the units acquired through reinvestment of dividends. Save and except the reinvestment of dividend, all other provisions of clause A above shall apply to unitholders under option B mutatis mutandis.

XXIV. *Publication of accounts* :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board, showing the working of the scheme during the period ending on the 30th June. The Trust shall, on a request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts so published.

XXV. *Additions and amendments to scheme* :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment thereof will be notified in the Official Gazette

XXVI. *Termination of the scheme* :

The scheme shall stand terminated as on 1st January 1990. All the unitholders of the scheme at that time shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the above date. Thereafter, no further benefit, whether by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any period subsequent to 31st December 1989 shall accrue to them. The repurchase value will be paid by the Trust as early as possible after the unit certificate with the form on the reverse thereof duly completed has been received by it The unit certificate shall be retained by the Trust for cancellation

XXVII. *Scheme to be binding on unitholders* :

The terms of this scheme, including any amendments thereof from time to time, shall be binding on each unitholder and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding.

XXVIII. *Suspension or closure of sales* :

Sales of units under this Scheme may be suspended or closed by the Trust at any time after giving notice of seven days in important daily newspapers of its intention to do so.

XXIX. *Copy of Scheme to be made available* :

A copy of this Scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours on payment of a sum of Rs. 5/-.

XXX. *Benefits to the unitholders* :

All benefits accruing under the Scheme in respect of capital reserves and surpluses if any available at the time of the closure of the scheme shall be distributable only among the unitholders who hold the units at its closure.

XXXI. *Power to construe provisions* :

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and such decision shall be final and conclusive.

XXXII. *Relaxation/Variation/Modification of provisions* :

The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and easy operation of the Scheme, relax, vary or modify any of the provisions of the Scheme in case of any unitholder, or class of unitholders upon such conditions as may be deemed expedient.

FORM—A

Emblem

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963)

INCOME UNIT SCHEME 1985

(Cumulative and non-Cumulative)

(Clause XII)

Unit Certificate No. No. of Units

This is to certify that the person|s named in this Certificate is|are the Registered Holder(s) of .... Units, each of the face value of Rupees One Hundred, subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the Regulations framed thereunder and the Income Unit Scheme, 1985 (Cumulative and non-cumulative).

Name|s

FOR THE UNIT TRUST OF INDIA

.....

.....

Date : ....

NOT TRANSFERABLE

Form of application for repurchase of units under Income Unit Scheme 1985 (Cumulative and Non-cumulative)

Date .....

To :

The Unit Trust of India,

.....

.....

I|We ..... am|are the registered holder(s) of ..... units of the Income Unit Scheme, 1985 (Cumulative and Non Cumulative) of the Unit Trust of India. I|We am|are desirous of selling to the Trust all the said ..... units and offer the same for repurchase by the Unit Trust of India at part|at the repurchase price determined by the Trust in respect of this application.

The price of the units may be paid to me by* cash£| cheque|bank draft at my cost.

.....

Signature of witness

Signature|s of holder(s)

1. .....

2. .....

- .....

Signature of witness

Occupation :

Address :

For the use of the office

Acceptance date.

* Delete inapplicable words.

£Payment in cash permissible only if the amount does not exceed Rs. 10,000|-.

A. P. KURIAN
Chief General Manager

PUNJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH

Notification No. 3-84|G.R.—The Central Government (Ministry of Education & Culture) have accorded approval vide their letter No. F.15-1|81-Desk(U) dated 19-1-1984 to the Regulations relating to Deposit-Linked Insurance Scheme, which shall read as under :—

Addition of Regulations 16 A.1, 16 A.2, 16 A.3 and 16 A.4 relating to the Chapter VI 'Conditions of Service of University Employees' at page 156 of the Calendar, Volume I, 1981.

DEPOSIT-LINKED INSURANCE SCHEME

16 A.1 On the death of a depositor while in service, the person(s) nominated by him, under Regulation 14.14 shall also be entitled to receive an additional amount equal to the average amount standing in the credit of the deceased depositor in his Provident Fund, during a period of three years immediately preceding the date of his death, subject to a maximum of ten thousand rupees.

16 A.2 Only the subscription of the depositor with interest thereon will be taken as the amount standing in the credit of the depositor in the Provident fund for this purpose.

16 A.3 The additional amount referred to in Regulation 16 A.1 shall be sanctioned subject to the fulfilment of the following conditions :

(i) The amount Standing in the credit of the depositor in the fund should not have fallen below the following limits at any time during the period of three years immediately preceding the date of death of the depositor :—

Class—A	.....Rs. 3,000
Class—B	.....Rs. 1,500
Class—C	.....Rs. 1,000

(ii) The depositor should have put in at least five years' regular University srevice at the time of his death.

16 A.4 The Registrar shall authorise the payment of additional amount referred to in this regulation without any further sanction.

Chandigarh-160014

Dated : November 30, 1984.

B. L. GUPTA
Deputy Registrar (General)

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University this day the 11th of December, 1984.

H. L. SHARMA
Registrar

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

36TH ANNUAL REPORT, 1983-84

REPORT OF BOARD OF DIRECTORS

(Under Section 35 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948)

1 *CHAPTER*

THE YEAR IN RETROSPECT

1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 36th Annual Report on the operations of IFCI together with the audited Statement of Accounts for the year ended the 30th June, 1984. As a backdrop to the operations and working results of IFCI in 1983-84, it may, however, be useful to have a synoptic view of (a) the country's economic scene, (b) the significant policy changes, (c) the operational developments in relation to IFCI, and (d) the performance of industries, in general,

(A) ECONOMIC SCENE

1.02 While 1982-83 was a year which witnessed a degree of resilience in the national economy, 1983-84 (April-March) figured to be a year of all-round improvement in the country's economic scenario.

1.03 Despite floods, cyclones and droughts in certain parts of the country, but helped by a good monsoon in general, the agricultural production recorded in 1983-84 a robust growth rate of 12.5%. The production of foodgrains in 1983-84 attained a record level of 151.0 million tonnes as compared to the earlier peak of 133.3 million tonnes in 1981-82 and the production of 128.4 million tonnes in 1982-83. Amongst commercial crops, only oilseeds recorded improvement in production over the previous year, whereas the production of sugarcane, cotton, jute and mesta was below normal. Sugarcane production declined from 189.1 million tonnes in 1982-83 to 170.0 million tonnes in 1983-84. The production of cotton was 7.7 million bales in 1983-84 against 8.3 million bales in 1982-83. Likewise, supply of raw jute fell short of the demand due to poor crops in two consecutive years—61 lakh bales in 1982-83 and about 65 lakh bales in 1983-84.

1.04 The overall growth rate in industrial production in 1983-84 was 5.2% as compared to the growth rate of 3.9% recorded last year.

1.05 The growth rate of the infrastructure sector, was still better at 7.4%. Power generation in the country during 1983-84 was 139.9 billion kwh as against 130.0 billion kwh in 1982-83 showing an increase of 7.6%. The production of coal in 1983-84 was 138.4 million tonnes as against 130.5 million tonnes in 1982-83, showing a growth rate of 6%. Despatches of coal also increased by 6% as against 5% in the previous year. There was a notable increase of 23.2% in the output of crude petroleum. The output of petroleum refinery products rose by 6.3% during 1983-84. The production of phosphatic and nitrogenous fertilisers showed a growth rate of 6.9% and 1.9% respectively. The production of cement rose to 27.1 million tonnes in 1983-84 from 23.4 million tonnes in 1982-83, showing an increase of 15.8%.

1.06 During 1983-84, the railways carried 230 million tonnes of revenue earning goods traffic, which was a little higher by 0.3% than that in 1982-83. Traffic in coal, cement, foodgrains and petroleum products, increased, while movement of iron-ore, fertilisers, pig iron and finished steel declined. There was however a substantial improvement in efficiency in terms of net tonne km per wagon per day.

1.07 For the first time, the cargo handled at 10 major ports in the country crossed the 100 million-tonne mark during 1983-84, i. e., 100.5 million tonnes compared to 98 million tonnes in the previous year, thereby showing an increase of 2.6%. The growth in the cargo handling operations would have been much higher but for two port strikes—a 26-day strike in Bombay port in October, 1983 and an all-India port strike in March, 1984. In line with the trend in the earlier years, crude oil and petroleum products accounted for 47% of the total cargo-traffic followed by iron-ore (22%) in 1983-84.

1.08 The growth rate of Gross National Product (GNP) at factor cost worked out to near 8% in 1983-84 compared to 1.8% in 1982-83, 5.2% in 1981-82 and 7.9% in 1980-81. The average annual growth rate during the first four years of the Sixth Five Year Plan (1980-85) thus worked out to 5.7% p.a., against the target of 5.2% p.a.

1.09 The investment climate, overall, remained favourable during the year. Despite the increase in the threshold limit for industrial licensing, from Rs. 3 crores to Rs. 5 crores, the number of Letters of Intent issued increased from 1,043 in 1982 to 1,055 in 1983. The process of conversion of Letters of Intent into Industrial Licences during 1983 was still impressive. The number of Industrial Licences issued in 1983 was 1,075 against 432 in 1982. The foreign collaboration approvals accorded during the year 1983 numbered 673 as against 590 in 1982 and 389 in 1981.

1.10 The contents for capital issues granted in 1983-84 (July-June) were for an aggregate amount of Rs. 1,184.5 crores as against Rs. 967.1 crores in 1982-83 (July-June). For the first time in the history of the capital market in India, the total capital raised during 1983-84, in the form of shares and debentures, reached Rs. 1,013 crores, marking an impressive step-up of 35% over Rs. 751 crores raised during 1982-83. This was accounted for by equity shares of Rs. 345 crores, preference shares of Rs. 1 crore, convertible debentures of Rs. 57 crores and non-convertible debentures of Rs. 610 crores. Non-compared to Rs. 10,442 crores or 16.7% in the structure of the corporate finance in the country.

1.11 The average increase in Wholesale Price Index, worked out to 9.3% in 1983-84 against 2.6% in 1982-83. The annual rate of inflation as measured by the Wholesale Price Index worked out in 1983-84, to 10.7%.

1.12 Aggregate monetary resources comprising money supply with the public, time deposits with banks and other deposits with Reserve Bank of India expanded by Rs. 12,699 crores or 17.4% during 1983-84 as compared to Rs. 10,442 crores or 16.7% in the previous year. The credit policy measures adopted in 1983-84 helped in mopping up excess liquidity both during the slack and busy seasons, without causing any strain on the needs of productive and priority sectors, as also continuing the inflationary pressure.

1.13 The Reserve Bank of India Security Price Index for ordinary shares (base 1970-71 = 100) at 201.1 on the 31st March, 1984 recorded an increase of 12.7% over the index of 178.5 on the 25th March, 1983 on point to point basis. All major industry groups contributed to the increase in general index, except cotton textiles, shipping and cement. The firmness in share prices, in particular, up to January, 1984, reflecter a very optimistic outlook of Indian economy as a result of excellent crop prospects, pragmatic economic policies followed by the Government, and the support provided by the Insecticides to the capital market.

1.14 The trend of improvement witnessed in India's foreign trade in the last year was maintained despite continuing difficult international trading environment. Exports rose by 9.9% from Rs. 8.805 crores to Rs. 9.676 crores while imports increased by 8.9% from Rs. 14,193 crores to Rs. 15,457 crores. The trade deficit during the year, thus, worked out to Rs. 5,781 crores against the deficit of Rs. 5,388 crores in the last year. If the prolonged port strike had not intervened, the total exports could have crossed the Rs. 10,000 crore mark, thereby containing the trade deficit at the previous year's level.

1.15 The balance of payments position saw a turn-around in 1983-84, mainly due to continued growth in invisible receipts. Following a number of steps taken by the Government to attract Non-resident-Indian Investments, the total deposits of Non-resident Indians rose from Rs. 1,332 crores at the end of March, 1982, to Rs. 2,695 crores at the end of December, 1983. The net inflow of external assistance rose to Rs. 1,551

crores in 1983-84 as against Rs. 1,302 crores in 1982-83. The foreign exchange reserves of India rose from Rs. 4,265 crores at the end of 1982-83 to Rs. 5,498 crores at the end of 1983-84—an increase of 28.9% over the previous year. In view of comfortable foreign exchange position and better economic management, India decided to refrain from making any further drawing under the Extended Fund Facility (EFF) arrangement with the International Monetary Fund (IMF) and also decided to give up SDR 1.1 billion out of the agreed SDR 5 billion, originally made available.

(B) POLICY CHANGES

(i) Licensing Policies and Procedures

1.16 During the year, the Industrial Licensing Policy, as well as the Investment Policy remained under constant review of the Government so as to ensure its continued growth orientation, within the overall framework of the Industrial Policy Resolution of 1956 and targets set in the Sixth Five Year Plan (1980-85).

1.17 The scheme of re-endorsement of additional industrial capacity was extended upto the 31st March, 1985. Re-endorsement of capacity would be allowed during 1984-85 in respect of units whose highest production plus one-third thereof in one of the five years ended the 31st March, 1984, is higher than their licensed capacity plus 25% thereof. Units which were unable to avail themselves of this facility earlier but were eligible to get benefit under the scheme, were made eligible to take advantage of this facility.

1.18 The MRTP companies were exempted subject to certain conditions from obtaining approval from the Central Government for substantial expansion or setting up new undertakings in selected industries of high priority, such as inorganic fertilisers, newsprint, portland cement, pig iron, electronic components, pollution control equipment, waste re-cycling equipment, dairy equipment, machinery for chemical industry, etc. The export obligation for such MRTP|FERA companies was brought down to 50% for setting up industries in category 'B' and 'C' Districts and 30% in respect of category 'A' Districts.

1.19 Under an amendment to the Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969, effected during the year, 100% export-oriented units and undertakings in free trade zones were exempted from the provisions of Sections 21 and 22 of the MRTP Act. With the amendment, the limit on share of production, supply, distribution or control of goods and services, rendering an undertaking as 'dominant' undertaking, was reduced from one-third to one-fourth. The 'dominant' undertakings, unless they proposed to set up undertakings in the same line of activity in which they held dominant position, were made free from the provisions of Section 22 of the Act. The scope for expansion resulting from modernisation and replacement of such undertakings was, however, restricted to 25% of the licenced capacity. Investment companies, often used as instruments of control in the corporate sector, were also brought under the purview of the MRTP Act.

1.20 The export-oriented units were also allowed, in 1983-84, to sell, in the domestic market, items manufactured by them for which import was permitted under the Open General Licence, subject to the overall limit of 25%.

1.21 A 'Technology Identification & Information Cell' was created in the Director-General of Technical Development to collect and disseminate information on technical advancement within the country and abroad.

1.22 The application forms for industrial licences, foreign collaborations and registrations were amended during the year to incorporate conditions and entries relating to pollution control, forest area preservation and geographical locations. It was decided not to issue any industrial licence, after the 30th September, 1983, in any State which had not notified the rules for preservation and control of air pollution, and constituted a State Pollution Control Board.

1.23 In June, 1984, in respect of certain highly polluting industries viz., zinc, lead, copper, aluminium, steel, paper, pesticides|insecticides, refineries, fertilizers, paints, dyes, leather tanning, rayon, sodium|potassium cyanide, basic drugs, foundry, batteries, acids|alkalies, plastics, rubber, cement and asbestos, the Government issued directions that Letters of Intent would be converted into Industrial Licences only after (a) the site of the project had been approved from the environmental angle by the competent State Authority, and (b) the entrepreneur(s) had committed, both to the State and Central Governments, to install appropriate equipment and take such measures as approved by the State Pollution Control Board for the prevention and control of pollution.

1.24 The licensing procedure for machine tools industry was liberalised on the 20th July, 1983 and machine tools were classified into 15 broad categories for the purpose of licensing.

1.25 Setting up of new spinning mills was permitted only in identified 'No-Industry Districts'. The textile industry, was also allowed some concessions and flexibility under the 'multi-fibre policy'. For looms installed under the concessional duty scheme linked to export obligation, full-fibre flexibility was allowed. In other cases, if shuttleless looms were installed by way of replacement manufacture of 100% synthetic fabrics of polyester fibre|filament yarn was allowed (except art silk fabrics made of viscose filament yarn|acetate filament yarn).

1.26 It was decided to raise the licensed capacity of PVC in view of the gap in demand and production. Additional capacity was licensed in the sphere of auto-electricals to diversify sources of supply and facilitate induction of latest technology in the field. Private sector was also allowed to undertake the manufacture of telecommunication equipment.

(ii) Policy relating to Sick Units

1.27 During the year, further steps were taken by the Government to implement the policy on sick industries announced in October, 1981. The 1981 policy guidelines required that the Administrative Ministries would consider the need for setting up Standing Committees for major industrial sectors where sickness was widespread and that such Committees would periodically review the extent of sickness and the policy measures required to tackle the problem. During the year, the Department of Textiles, in the Ministry of Commerce, and the Department of Steel in the Ministry of Steel & Mines, constituted Standing Committees for the Textile and Steel industries, respectively.

1.28 The Ministry of Finance, in the Government of India, also constituted a Standing Committee for the purpose of examining problem projects (other than the units taken over under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, or nationalised units) referred to it by the Reserve Bank of India, Public Financial Institutions, commercial banks, etc., and to consider the best course of action for resolving the problems of revival of sick units. The Financial Institutions also continued to intensify their efforts for revival of potentially viable sick units and to make a report in respect of such and other cases to the Government of India for taking appropriate steps in this direction.

(iii) Policy for Development of Backward Areas

1.29 The new policy of incentives to entrepreneurs setting up projects in specified areas was introduced in April, 1983, under which 'No-Industry|Special Region Districts' numbering 133, i.e. category 'A' Districts, were made entitled to Central Investment Subsidy at 25% of the fixed capital investment, subject to a ceiling of Rs. 25.00 lakhs. The entitlement for 54 Districts in category 'B' for Central Investment Subsidy remained 15% of the fixed capital investment with a ceiling of Rs. 15.00 lakhs. In category 'C', 112 Districts were made eligible for the first time, for the subsidy of 10%, subject to a ceiling of Rs. 10 lakhs.

1.30 One of the important features of the new scheme was that the industrial units coming up in blocks|talukas| urban agglomeration extension of townships in categories 'B' and 'C', where investments had exceeded Rs. 30 crores as on the 31st March, 1983, were not to be eligible for Central

Investment Subsidy. During the year, it was clarified that the facility of concessional finance for setting up small-scale industries would continue as heretofore, irrespective of the investment level in blocks|talukas|urban agglomerations|extension of townships in categories 'B' and 'C' where investment had exceeded Rs. 30 crores. It was also clarified that for working out the ceiling of Rs. 30 crores, only investments in industrial enterprises, i.e., private sector, public sector, or departmental, would be taken into account, and investments, if any, made in infrastructure like industrial estates|areas, power sub-stations, water works, common utilities and services, etc., would be excluded. Likewise, it was also clarified that investments in projects, where approval in terms of Letters of Intent C.G. Clearance|Foreign Collaboration approvals, etc., had been obtained on or before the 1st April, 1983, would continue to be eligible for Central Investment Subsidy irrespective of the ceiling of Rs. 30 crores as on the 31st March, 1983 applicable to category 'B' and 'C' Districts.

(v) *Export-Import Policy*

1.31 The Export-Import Policy announced for 1983-84 provided considerable inducements to promote exports and domestic production. Import of industrial technology was permitted in sophisticated, high priority areas and for export-oriented|import substitutive industries. Cash compensatory support was announced in respect of six items and raised in respect of a number of items having substantial export potential. The import duty on natural rubber was reduced to 35%. The procedure for import of capital goods was modified in respect of specified industries to boost domestic capital goods output. The import duty on four textile machinery items was reduced substantially. Imports of wide width shuttle-less looms and rotor spinning machines were allowed on concessional import duty linked with export obligation. Restrictions were imposed in respect of import of mutton tallow and its domestic use. The duty draw-back rates on various electronic items were either withdrawn or substantially reduced to lower domestic prices and increase domestic production. The procedure for participation by exporters in international exhibitions was simplified. A Co-ordination Committee was set up during the year to scrutinise and clear requests from certain category of exporters for imports to upgrade technology.

1.32 The Export-Import Policy for 1984-85 seeks to provide further impetus to export production and exports facilitating technological upgradation by import of technology in suitable cases leading to modernisation and improved access to raw materials, components and spares, etc., for manufacturers|exporters. The important features of the Policy include placement of 149 capital-goods-related items on the list of Open General Licence (OGL), taking out 53 items from OGL and moving 13 items from one category to another to make imports easier. The banned list (except tallow) has been abolished. The validity period of import licences has been extended from 12 months to 18 months. A special provision has been made for meeting import requirements for technology in certain priority areas like export production, environment, agriculture, optimal use of water resources, low cost housing, development and use of renewable|non-conventional energy sources, etc. Special provisions for encouraging exports, where net foreign exchange earnings are high have also been made. Incentives have been provided for promoting the exports of higher value added items. A new category of exporters viz., 'Entrepreneur Merchant Exporters' (EME) is being encouraged to boost exports of selected products of small scale|cottage sectors. Import replenishment rates below 10% have been increased by 1% point to provide additional access to inputs relevant to exports having high net foreign exchange earnings. Exporters of computer software can have import licences up to 50% of their foreign exchange earnings for import of hardware, testing equipment and software tools.

(v) *Credit Policy*

1.33 To mobilise the excess liquidity which had high credit potential, the Cash Reserve Ratio (CRR) for commercial banks was raised in 1983-84 in several stages from 7.5% to 8% with effect from the 29th July, 1983, to 8.5% with effect from the 27th August, 1983 and finally to 9% with effect from the 4th February 1984. With effect from the 12th November, 1983, the scheduled commercial banks were required to maintain CRR of 10% of the increase in demand and time liabilities over the level on the 11th November 1983. Changes were also made in the refinance limit for credit extended for financing food procurement. The busy season credit policy 1983-84 announced in October, 1983, included some liberalisation measures. With effect from the 25th November, 1983, banks were allowed refinance for export credit to the extent of 125% of the increase over the monthly average level for 1982. The other credit liberalisation measures included the enlargement from Rs. 100 crores to Rs. 150 crores in the rediscounting facility provided by IDBI for loans to the State Electricity Boards and the State Road Transport Corporations and raising the cut-off point for Credit Authorisation Scheme for working capital requirements from Rs. 3 crores to Rs. 4 crores.

1.34 Of late, the Statutory Liquidity Ratio (SLR) has been raised from 35% to 35.5% from the 28th July, 1984 and further to 36%, effective from the 1st September, 1984. Simultaneously, RBI has decided to release onefifth of the cash balances impounded between January, 1977 and October, 1980 under the Incremental Cash Reserve Ratio in two instalments on the 27th October, 1984 and the 1st December, 1984. This is with a view to providing resources for vital public sector investments within the framework of national priorities without generating primary money.

(C) *Operational Developments*

(i) *Scheme of Concessional Finance for Projects in Identified 'A', 'B' and 'C' category Districts*

1.35 In line with the new scheme of incentives announced by the Central Government for projects coming up in identified backward districts|areas and categorised as 'A', 'B' and 'C', the Financial Institutions also announced a new package of incentives for these areas. Under the new package of incentives made effective from the 1st April, 1983, projects set up in all the three categories of districts are eligible for concessional finances from the national-level Financial Institutions. On aggregate basis, (in addition to the outright Central Investment Subsidy from the Central Government) as under :

Districts/Areas	Loan Assistance (Rs. Crores)	Underwriting Assistance (Rs. Crores)
Category 'A'	5·00	2·50
Category 'B'	3·00	1·50
Category 'C'	2·00	1·00

The concessional portion of the loan assistance carries interest at the rate of 12.5% per annum.

1.36 In category 'A'|Special Region Districts, the projects set up are also entitled to the following concessions :—

—Promoters' contribution at 15% of the project cost to be reduced further to 10% in case of highly capital-intensive projects involving capital cost exceeding Rs. 25 crores sponsored by non-MRTP concerns. (For calculating promoters' contribution outlay on 'project-specific infrastructure' will be excluded from the project cost in respect of projects in category 'A' Districts. In other words, the portion of cost comprising 'project specific infrastructure' would not require promoters' contribution).

—More flexible approach with regard to debt equity ratio keeping in view the debt servicing capacity of the unit.

—No commitment charge on the undrawn portion of rupee loans in respect of projects located|to be located in category 'A' Districts.

—Interest-free loan for the development of 'project-specific infrastructure, limited to 20% of the project cost. After the project has gone into commercial production, the loan up to a ceiling of Rs. 5 crores, for 'project-specific infrastructure' will carry interest at the concessional rate of 12.5% per annum.

(ii) Support for Development of Infrastructure In Identified 'Growth Centres' In No-Industry Districts'

1.37 The Government has also decided to assist the State Governments concerned for taking up infrastructure development for two 'Growth Centres in each 'No-industry District'. The Central assistance is to be limited to one-third of the total cost of infrastructure development, subject to a maximum of Rs. 2 crores per district. In selecting a 'Growth Centre' in a 'No-Industry District', it has to be ensured that the growth centre has a populaion of 50,000 or more as per 1971 census and has less than 10,000 workers in non-household manufacuring sector as per 1971 census. The items of infrastructure which would qualify for Central assistance are approach roads, industrial water supply, social infrastructure like housing, schools, dispensaries, hospitals, etc., effluent discharge systems, common utilities and facilities like power sub-station, drainage, culverts, industrial housing, technical training facilities and such other facilities, as may be necessary taking into consideration the actual needs of the area. However, expenses on acquisition of land and development of industrial estates are to be normally a part of the total programme of the concerned State Government and would not be allowed to be met out of the Central assistance for the development of infrastructure. The Central assistance of Rs. 2 crores per district is to be made available in a phased manner in four instalments on the condition that the State Government's expenditure on the development of infrastructure in the growth centre aggregates to the extent of Rs. 4 crores or more.

1.38 IDBI would also provide finance for 'Area-specific Infrastructure Development' in identified growth centres through State Industrial Development Corporations (SICDCs), etc., by way of term-loans up to Rs. 5 crores per 'Non-Industry District' over and above the Central assistance of Rs. 2 crores and the State Government's contribution of Rs. 4 crores, to meet the gaps, if any, in the financing of need-based infrastructure development in 'No-Industry|Special Region Districts' under category 'A'.

(iii) Soft Loans Scheme for Modernisation of Industries

1.39 Durig the year, the Soft Loans Scheme for providing modernisation assistance was reviewed, and effective from the 1st January, 1984, the modified scheme with considerable liberalisations was introduced. The assistance under the revised scheme up to Rs. 4 crores in aggregate, which was initially made available at a concessional rate of interest of 12.5 per annum, was accorded further reduction in the rate of interest to 11.5% per annum from the 1st March, 1984. In the case of financially weak units, the rate of interest could be further allowed to be reduced to 10% per annum, subject to the Institutions reserving the right to step up the rate of interest at a later rate, should the financial state of affairs of the assisted units improve and so warrant.

1.40 The assistance under the Soft Loans Scheme is now available to production units for financing modernisation programmes aimed at (a) upgradation of process, technology and|or product (b) energy saving (c) antipollution measures (d) re-cycling and recovery of waste and by-products (e) export-orientation (f) import substitution (g) conservation| substitution of scarce raw-materials (h) improvement in capacity utilisation within the existing licensed capacity and (i) improvements in material handling resulting in significant improvement in the physical and financial performance of the unit.

1.41 Any Industrial concern to be eligible for assistance under the scheme should have been in operation for at least 10 years, and the plant and equipment proposed to be replaced should have been in use for more than 10 years. The 10 years' criteria is relaxable, if the project aims at increase in exports, import substitution, energy saving and anti-pollution measures.

1.42 The assistance under the Soft Loans Scheme in excess of Rs. 4.00 crores, carries the normal lending rate of interest of the Financial Institutions. But, the entire assistance sanctioned under the Scheme, whether on the concessional rate interest or at normal lending rate of interest, is exempt from the applicability of 'convertibility clause'.

(iv) Assistance to 100% Export-oriented Units

1.43 In addition to the 'priority' accorded in the matter of financing the 100% export-oriented units', the all-India Financial Institutions, during the year, agreed to allow, effective from the 1st January, 1984, a rebate of 1.5% per annum in the applicable rate of interest (normal or concessional, as the case may be) on rupee loans to such units for the first five operating years based on the unit's export performance, and its regularity in meeting its commitments to the Institutions.

(v) Convertibility Clause

1.44 During the year, the Central Government issued revised guidelines with regard to the convertibility option being retained|applied by the Financial Institutions while granting loan assistance to eligible industrial concern. As per the revised guidelines, 'Convertibility Clause' applies with effect from the 1st March, 1984, to only those cases where the outstanding and proposed financial assistance in aggregate (comprising rupee loans sanctioned and|or rupee debentures subscribed and|or devolved as a result of underwriting facility extended to public issue) from the all-India Financial Institutions exceeds Rs. 5 crores (as against the Rs. 1.00 crore limit prescribed earlier).

1.45 Normally, at the time of stipulation, and also at the time of actual exercise of conversion option, it is to be ensured that the combined shareholding of the Central and|or State Government(s), Government Undertakings|Companies, SIDCs|SIICs (excluding those covered by buy-back arrangements), State Bank of India, and nationalised banks (genuine investments) and the all-India Financial Institutions (including Investment Institutions) do not exceed 26% in the case of non-MTRP companies and 40% in the case of MTRP companies|Large Houses. However, Institutions would continue to have the right of conversion to be exercised in the event of mismanagement|default in all cases, irrespective of the size of the loan. Further, the Investment Institutions are free to buy shares in the market as part of their normal investment operations, even if by doing so, the holdings of Public Financial Institutions exceed 26% in non-MTRP companies and 40% in MTRP companies'Large Houses.

1.46 The extent to which, and the price at which, conversion option, wherever applicable, is to be exercised would be determined generally, in advance, i.e., while stipulating the conversion option after taking into account various relevant factors. The period of conversion would normally be three years from the date of commencement of optimum production and the option can be exercised even more than once during this period, but within the overall ceiling of conversion stipulation.

1.47 As the position now stands, the 'convertibility clause' is not applicable at all to—

—Rupee loans granted under the Soft Loans Scheme for modernisation purposes, or for acquiring additional balancing equipment within the existing capacity;

—Rupee loans in the nature of non-project finance, like acquisition of diesel generating sets for captive power generation, energy saving devices and pollution control equipment etc.;

—Rupee loans granted for financing small over-runs in respect of projects already financed, provided the over run is reasonable and is due to factors beyond the control of the management, and the promoters bring in significantly higher contribution;

—Rupee loans sanctioned for projects (whether set up by MRTP or non-MRTP concerns) in category 'A' Districts comprising notified 'No-Industry|Special Region Districts (NIDs);

—Sub-loans granted by Financial Institutions to Industrial concerns in foreign currencies;

—Rupee loans sanctioned to the units which either (a) are in public sector or (b) attract the provisions of Section 619B of the Companies Act, or (c) are in the co-operative sector;

—Companies where the aggregate financial assistance of all-India Financial Institutions (sanctioned and outstanding) works out to Rs. 5 crores or below (except in the case of defaulted|mismanaged|sick units);

—Rupee loans which are repayable within a period of 5 years (including period of moratorium) subject to application of additional interest of 1% p.a. on the loan;

—Rupee loans or debenture loans granted by commercial banks, SFCs, SIDCs and SIICs; and

—100% export-oriented units in the corporate sector.

(vi) *Role of Nominee Directors*

1.48 The Nominee Directors constitute a vital link between the Financial Institutions on the one hand, and the assisted concerns, on the other. During the year, the Government issued revised guidelines on the subject which became operative from the 1st March, 1984. These guidelines require the appointment of Nominee Director(s) in all MRTP concerns assisted by the all-India Financial Institutions irrespective of the level of their assistance or the extent of their combined shareholding in the concern. As regards non-MRTP concerns, the discretion to appoint nominees on the Board of Directors of the assisted concerns vests with the all-India Financial Institutions and is to be exercised on a selective basis, taking into consideration any of the following factors :

—the unit is running into problems and is likely to become sick;

—the Institutional shareholding is more than 26%;

—the Institutional stake by way of loans|investments exceed Rs. 5.00 crores.

1.49 Nominee Directors, without interfering in the day-to-day affairs of assisted concerns are now expected to shoulder clearly identified responsibilities, important from the public policy angle. The Nominee Directors are to ensure that the following aspects are reviewed and discussed *inter alia* at the Board Meetings of the assisted concerns :—

—financial performance of the unit;

—payment of dues to Institutions;

—payment of Government dues including excise and customs duties and statutory dues (where a concern feels that a particular tax|demand is unjustified; the Nominee Directors are expected to satisfy themselves about the *prima facie* reasonableness of the concern's case);

—inter-corporate investments in, and loans to or from associated concerns in which the promoter group has significant interests;

—all transactions in shares;

—award of contracts, purchase and sale of raw materials, finished goods, machinery, etc.; and

—major items of expenditure, particularly those relating to management (so as to ensure that tendencies towards extravagance, lavish expenditure and diversion of funds are curbed).

1.50 The Government guidelines on the subject also envisage the constitution of a small Audit Sub-Committee of the Board of Directors (comprising Non-functional Directors) for the purpose of periodical assessment of expenditure incurred by the assisted concerns in all those cases where the paid-up capital of a concern is Rs. 5.00 crores or more. The Institutional Nominee Director is to be a member of this Sub-Committee, which is expected to—

(a) liaise between statutory auditors and the Board;

(b) liaise between internal auditors and the Board;

(c) consider and introduce control mechanism and management information system; and

(d) ensure that the tendencies for extravagance, if any, are avoided.

(vii) *Streamlining and Simplification of Procedures*

1.51 During the year, in pursuance of their objective of steamlining the procedures the all-India Financial Institutions agreed to cover all projects irrespective of the cost under the 'Project Financing Participation Certificates Scheme' with a view to providing 'single-window dispensation of credit to applicant concerns. Also, the requirement of IDBI's clearance for financing pattern of projects involving rupee term loans exceeding Rs. 1.00 crore, was dispensed with. The commercial banks participation in the 'term financing' was allowed in projects with a capital cost upto Rs. 300 crores, and, thereafter, in projects costing above Rs. 7.00 crores.

1.52 Further, the practice of non-levy of additional interest of 1% per annum over and above the applicable lending rate for 365 days from the date of first disbursement, which was applicable in the case of bridging|interim loans sanctioned against rupee loans pending substantive documentation, including creation of regular security by the assisted concerns, was also extended to the interim loans sanctioned against foreign currency loans.

1.53 IFCI, effective from the 27th March, 1984, decided not to recover legal charges for the legal and documentation work connected with the disbursement of assistance. Only in those cases, where IFCI was either the lead institution or the sole financing institution at the all-India level, the actual out-of-pocket expenses for travel, search fees, etc., or for payment of the actual bill of costs of solicitors|advocates as settled by IFCI were to be recovered.

1.54 In the matter of recovery of commitment charge, the practice of levying the same from the date of execution of loan agreement or the expiry of 180 days from the date of issue of the Letter of Intent, whichever was streamlined, effective from October, 1983, so as to cover the execution of the 'Bridging Loan Agreement' also; and, thereby computing the commitment charge, accordingly, from the date of execution of bridging loan|regular loan or the expiry of 180 days from the date of issue of the Letter of Intent, whichever was earlier.

1.55 The appraisal and disbursement procedures continued to be streamlined during the year, principally to provide the applicants under 'consortium approach', the benefit of 'single-point appraisal' of the project, 'single-point documentation', 'single-point dispensation' of credit and 'single-point follow-up' by one Institution amongst IFCI, IDBI and ICICI, which came to be designated, on a case-to-case basis, as the 'Lead Institution'. For this purpose, the instrumentality of 'Participation Certificates Scheme' was extensively utilised and the mechanics thereof were considerably streamlined at the Inter-institutional level during the year.

(D) *General Review of Industries*

1.56 Despite the power shortage varying from 6% to 40% (in relation to demand) in different regions and 25.05 million man-days lost due to 1,432 strikes and 384 lockouts in 1983 in the country, the industry, in general, was able to step up the production, as also its profitability to some extent.

1.57 The General Index of Industrial Production (base 1970=100) went up from 173.8 to 182.9 registering a growth of 5.2% during 1983-84. The sectoral trends in industrial production during 1982-83 and 1983-84 are given in Table 1 :

Table 1 Sectoral trends in Industrial Production

weight	Sector	Percentage increase over the previous year	
		1982 83 (April-March)	1983-84 (April-March)
(1)	(2)	(3)	(4)
9·7	Mining	10·6	11·2
81·1	Manufacturing	2·3	4·0
9·2	Power	7·1	7·6
100·0	All industries	3·9	5·2

1.58 It would be observed from the above that mining and power, accounting for about a fifth of the total industrial activity, recorded significantly high percentage increases

(11.2% and 7.6% respectively) while the manufacturing sector, in sharp contrast, though accounting for bulk of industrial activity, recorded relatively modest growth of 4% only.

1.59 According to the data available, out of 149 industries (which together accounted for about 80% of the total weight in the Official Index of Industrial Production) as many as 102 industries registered an increase in their production in 1983-84. Only 44 industries recorded a negative growth in their production, while three industries were able to achieve the same production rate as in 1982-83.

1.60 The industries which were leading in production in 1983-84, i.e., recording a growth rate of 10% and above, over the production in 1982-83, were : crude petroleum (23.2%), tea (12.0%), cotton yarn (11.5%), cotton fabrics (16.5%), leather cloth (10.5%), leather footwear (16.7%), newsprint (45.7%), auto-tyres (11.4%), tractor tyres (24%), scooter tyres (19.9%), bicycle tyres (20.5%), caustice soda (12%), soda ash (25.7%), calcium carbide (42.8%), liquid chlorine (15%), high density polythylene (13.8%), PVC resins (57.6%), polystyrene (21.4%), caprolactum (18%), nylon filament yarn (18.2%), viscose staple fibre (65.7%), polyester filament yarn (98.4%), cellulose films (32.4%), DDT (25%), industrial explosives (19.6%), chloramphenicol (49.9%), Vitamin A (16.6%), cement (15.8%), saleable pig iron (27.4%), seamless pipes and tubes (10.4%), aluminium C.G. grade (20.4%), aluminium sheets and circles (13.5%), aluminium foils (27.7%), zinc (16%), bolts, nuts and rivets (69.4%), razor blades (11.3%), forged hand-tools (17.9%), boilers (10.7%), sugar machinery (20%), paper and pulp machinery (18.5%), rubber machinery (47.6%), air and gas compressors (62.9%), agricultural tractors (20.5%), domestic refrigerators (29.9%), sewing machines (10.4%), power transformers (24.2%), electric motors (12.5%), electric fans (14.6%), fluorescent tubes (51.3%), graphite electrodes (24%), railway wagon (13%), motor cycles (18.8%), mopeds (47.4%), 3-wheelers (20.7%), and bicycles (21.9%).

1.61 Industries which lagged behind in their production by 10% and above, and recorded negative growth rates were : sugar (–17.1%), jute textiles (–22.4%), cigarettes (–11.2%), linoleum (–65.8%), malathion (–25.6%), synthetic detergents (–12.1%), saleable steel (–12.3%), C.I. spun pipes (–12.1%), copper brass sheets and circles (–12.2%), twist drills (–10.7%), earth-moving machinery (–18.0%), road rollers (–44.5%), typewritters (–11.1%), PILC cables (–41.5%), clocks (–18.4%), pencils (–11.5%), and zip fasteners (–39.6%).

1.62 In view of substantial increase in the installed capacity, during the year, but less vigorous production, the general capacity utilisation percentage showed a marginal decline in the manufacturing sector from 76% in 1982-83 to about 75% in 1983-84. Appendix I to this Report gives the installed Capacity, Production, Capacity Utilisation percentage of certain selected industries for the year 1983-84 and in relation thereto, the corresponding data of 505 assisted concerns of IFCI based on the reports received from them.

1.63 In the consumer goods industries sector, which occupies a prominent place in IFCIs assistance portfolio, the performance of sugar, cotton, woollen and jute textiles as also paper remained somewhat subdued in 1983-84.

1.64 Lower production of sugar during the year was attributed to (a) widespread drought in the sugarcane growing area (b) shrinkage in the area under sugarcane cultivation leading to less production of cane (c) unremunerative sugarcane prices which the mills had to pay in certain regions, and (d) diversion of sugarcane to khandsari and jaggery due to various factors including excise relief to khandsari etc.

1.65 In textiles, the opening of Bombay-based textile mills, after a prolonged strike, was the major contributory factor for indicating rise in production compared with the previous year ; otherwise, the industry continued to face the problem of rise in prices of raw cotton due to demand outstripping its supply, high production costs, obsolescence of plant and equipment, accumulation of stocks due to lack of adequate demand and subdued market conditions and as a result thereof, strained working capital funds. The ever-increasing share of the decentralised sector (i.e., handlooms and powerlooms), and, particularly, the growth of powerloom sector, specially during the last two/three years, because of its capability to produce and sell fabrics comparatively at a lower cost (and with lower rates of excise duty etc.,) continued to affect reportedly the performance of the organised composite mill sector. Uneconomic functioning of the mills in the organised sector resulted in sickness in some of the mills. As on the 1st March, 1984, 46 cotton textile units, including three mills under the National Textile Corporation had been lying closed. During the period from April, 1983 to February, 1984, the loss of production due to closure of mills had been estimated to be around 61.49 million kgs. of yarn and 232.06 million metres of cloth.

1.66 For jute textiles also, 1983-84 was another year of setback due to (a) demand recession in overseas market (b) industry-wise strike for 84 days from the 16th January, 1984 to the 8th April 1984, and (c) increased in the price of raw jute due to the availability falling short of demand on account of poor crops in 1982-83 and 1983-84.

1.67 In paper industry, large mills, eight of which remained closed during 1983-84, suffered mainly from labour troubles, obsolescence of the plant and equipment and high cost of dwindling forest-based convetional raw materials and other inputs. Mini paper units of which about 35 remained closed during the year, continued to suffer on account of their high cost of production, particularly due to non-recovery of cooking chemicals, fluctuations in the availability and prices of agricultural residues and other secondary fibres, etc. The units based in 'second-hand imported paper machines' continued to face problems due to poor performance of these machines and frequent breakdowns.

1.68 In the basic industries group (viz., basic metals, basic industrial chemicals, fertilisers, cement, mining, power-generation, etc.) the performance of the industry remained, by and large, satisfactory, except in basic metals group.

1.69 Under basic metals, shortage of power and irregular supply of coking coal, subdued demand for steel products, accumulation of stocks and lack of appropriate marketing strategies resulted in decline in the production of saleable steel, steel ingots, etc. Shortage of power and management problems contributed to the decleration in the growth rate of aluminium, copper, zinc and lead.

1.70 Fertilisers, cement, mining and quarrying, heavy chemicals, thermoplastics and synthetics, dyestuffs, pesticides, drugs and pharmaceuticals recorded, by and large, better performance than last year.

1.71 The policy of 'partial de-control' of cement and 'need-based higher retention prices allowed by the Government, made a spectacular dent on the performance and profitability of almost all cement units. In view of satisfactory performance, the industry should consider implementing modernisation programmes, change from wet to dry process and take up mechanisation of lime-stone quarries, as expeditiously as possible, from its own resources.

1.72 Under the capital goods industries, excepting earth-moving and mining machinery, all other industrial machinery manufacturing units, in general, did better in 1983-84 compared with their performance in the last year. So also, in the electrical machinery group, except for wires and cables, the production of power transformers, electric motors, electric fans, lamps, and fluorescent tubes put up an impressive performance. Cables and wire manufacturers suffered from inadequate orders from the State Electricity Boards (SEBs) because of strained funds position of SEBs.

1.73 With the relaxation in the credit restrictions, the agricultural tractors industry showed, by and large, a satisfactory performance, production and sales-wise. However, some of the tractor units faced problems in procuring bought-out components, imbalances in plant and other constraints. The performance of power tiller units remained largely sub-optimal and a unit in U.P. had to suspend its production due to non-viable operations.

1.74 Production of railway wagons in the country marked an increase in 1983-84 because of larger procurement by the Railways, the only major buyers. In the transport equipment and automobiles group all units except those managerially weak, did well. As a result of the liberalisation in the licensing policy for automobiles, in almost all the segments of the automobile industry, creation of significantly large new capacity with better foreign technologies seemed to be a

good sign of progress in the Indian engineering industry. With a booming market for automobiles, production of tyres and tubes also registered a sharp increase in 1983-84.

1.75 Insofar as the profitability of the corporate sector is concerned, it may be stated that despite improvement in the growth rate of production, the financial performance of Industry on the whole, continued to remain less than satisfactory. Sales (net of excise duty) of about 400 selected concerns in 1982-83 grew at 10.6% compared to 21.7% in 1981-82. With a relatively faster rate of increase in expenditure than income, gross profits in 1982-83 showed a modest growth rate of 4.6%. Profits after tax and retained profits increased by 2.4% and 4.2% respectively.

1.76 One area in which the corporate sector started paying more attention, was the gross fixed capital formation. The rate of gross fixed assets formation almost doubled from 11.9% in 1979-80 to 21.4% in 1982-83. Investments in plant and machinery increased by 18.3% in 1982-83, compared to 15.2% in 1981-82 and accounted for 61% of growth in fixed assets.

1.77 One general conclusion is that the industry can improve its financial performance by adopting corporate strategies, (particularly when the going is good), which help it in (a) keeping its plant and equipment in an efficient condition by following a continuous policy of renewal and replacements, with a focus on technology upgradation, energy conservation, cost reduction and (b) making use of modern management techniques, particularly in the area of value engineering, inventory control and financial management. Since the viability and profitability of the Financial Institutions like IFCI is conditioned, to an appreciable extent by the financial health of its assisted concerns, the relevance of the aforementioned aspects in the corporate strategies of the concerns come into sharp focus.

OPERATIONS AND WORKING RESULTS

(A) PROJECT FINANCING OPERATIONS

Flow of Applications

2.01 During the year 1983-84, there was a marked improvement in the number of applications received for financial assistance. IFCI, jointly with other Financial Institutions, processed during the year, applications from 332 concerns for an aggregate assistance of Rs. 1,931.19 crores, as against applications from 290 concerns for an aggregate assistance of Rs. 1,538.88 crores in the previous year. Of these 332 applicant concerns, applications from 160 concerns were for the setting up of new projects, and applications from 172 concerns were for their expansion|diversification|modernisation schemes and|or additional assistance for meeting a part of over-run, etc.

2.02 Out of the applications from 332 concerns processed during the year 311 concerns were sanctioned gross financial assistance aggregating Rs. 355.14 crores and applications from four concerns had to be treated as withdrawn or closed. As at the end of the year, applications from 17 concerns under IFCI's lead for an aggregate assistance of Rs. 149.93 crores were pending.

Time taken for Processing of Applications

2.03 Of the 311 concerns sanctioned assistance during the year, 269 concerns were sanctioned assistance within a period of four months, 23 within a period of six months and 19 within a period of more than six months reckoned from the date of submission of complete information in each case.

Applications Pending at the Close of the Year

2.04 The position regarding pending applications in respect of which IFCI was in the lead, as on the 30th June, 1984 (with corresponding figures for the previous year) is given in *Table* 2.

Table 2 Pending Applications

(As at the 30th June, 1984) (Rs Crores)

Category of applications pending (IFCI lead cases)	Number of concerns from which applications were pending	Amount of assistance sought for jointly from institutions Rs.
(1)	(2)	(3)
Applications from concerns ready for processing (classified as category 'A')	8 (5)	29·78 (21·47)
Applications from concerns in regard to which certain important matters/ basic issues were outstanding and remained to be sorted out (classified as category 'B')	9 (21)	120·15 (159·92)
Total	17 (26)	149·93 (181·39)

Note : Figures in brackets denote the positions as at the close of the previous year i.e. 1982-83.

Sanctions and Disbursements

2.05 The gross financial assistance sanctioned by IFCI during the year aggregated Rs. 355.14 crores for 340 projects of 311 concerns as against Rs. 275.53 crores for 298 projects of 251 concerns in the previous year.

2.06 The net financial assistance sanctioned after adjusting for cancellations, etc. of Rs. 1.52 crores to three projects of three concerns amounted to Rs. 353.62 crores for 337 projects of 308 concerns, recording an increase of 29.1% over the net sanctions of Rs. 273.88 crores for 296 projects of 249 concerns for the previous year.

2.07 Disbursements in 1983-84 amounted to Rs. 253.42 crores as against Rs. 219.18 crores in 1982-83 recording an increase of 15.6%.

2.08 *Table* 3 gives the facility-wise classification of sanctions and disbursements during the year and also, since inception, up to the 30th June, 1984.

Table 3 : Facility-wise Classification of Sanctions and Disbursements (Rs. Crores)

Facility	1983-84 (July-June)		Cumulative up to the 30th June, 1984	
	Sanctors Rs.	Disbursements Rs.	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rupee loans				
—Soft loans scheme	30·87 (8·7%)	26·72 (10·5%)	205·50 (9·6%)	157·32 (9·8%)
—Normal	221·48 (62·6%)	207·50 (81·9%)	1451·92 (67·3%)	1142·44 (71·3%)
Foreign currency loans	55·05 (15·6%)	11·98 (4·7%)	254·79 (11·8%)	185·20 (11·6%
Underwritings and direct subscriptions	38·77 11·00%	5·30 (2·1%)	172·62 (8·0%)	60·25) (3·8%)
Guarantees for :				
—Deferred payments	5·45 (1·5%)	0·54 (0·2%)	45·17 (2·1%)	31·52 (2·0%)
—Foreign loans	2·00 (0·6%)	1·38 (0·6%)	26·75 (1·2%)	24·91 (1·5%)
Total	353·62 (100·0%)	253·42 (100·0%)	2156·75 (100·0%)	1601·64 (100.0%)

Note : Figures in brackets denote the percentage to the total.

2.09 The cumulative net financial assistance sanctioned by IFCI during the period of 36 years ended the 30th June, 1984, amounted to Rs. 2,156.75 crores to 1,894 industrial projects of 1,567 industrial concerns spread all over the country. The cumulative disbursements as on the 30th June, 1984 amounted to Rs. 1,601.64 crores, which represented 74.3% of the total sanctions. However, in relation to total loan assistance sanctioned, the disbursements against loan assistance accounted for 77.7% as at the end of the 30th June, 1984. The total assistance outstanding as on the 30th June, 1984, amounted to Rs. 1,112.49 crores from 1,166 concerns.

Assistance to Priority Sector

2.10 Industries of high national priority and other selected industries of importance (basically those listed in Appendix-I to the Industrial Policy Statement of 2nd February, 1973 read with the subsequent policy announcement of 21st April, 1982) accounted for 80.4% of the total assistance sanctioned during the year. Out of 337 projects assisted during the year, the number of projects in industries of high national priority and other selected industries of importance was 255 and accounted for the assistance aggregating Rs. 284.44 crores.

2.11 Insofar as the disbursements of Rs. 253.42 crores in 1983-84 are concerned 86.1% of these i.e. Rs. 218.25 crores were made during the year to projects in industries of high national priority and other selected industries of importance.

2.12 By and large, about 83.3% of the assistance granted by IFCI during the decade (1974-84) had gone to industries of high national priority and other selected industries of importance.

Purpose-wise Classification of Assistance

2.13 *Table* 4 gives the purpose-wise analysis of the assistance sanctioned and disbursed by IFCI during the year and also cumulatively up to the 30th June, 1984.

Table 4 : Purposewise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores

Purpose	1983-84 (July-June)			Cumulative upto the 30th June, 1984	
	No. of projects	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
New projects	147	252·25 (71·3%)	160·38 (63·3%)	1407·89 (65·3%)	992·85 (62·0%
Expansion/diversification	44	35·19 (10·0%)	45·32 (17·9%)	399·56 (18·5%)	347·86 (21·7%
Modernisation/renovation, etc.					
—Soft loans scheme	67	30·87 (8·7%)	26·72 (10·5%)	205·50 (9·5%)	157·32 (9·8%)
—Normal	79	35·31 (10·0%)	21·00 (8·3%)	143·80 (6·7%)	103·61 (6·5%)
Total	337	353·62 (100·0%)	253·42 (100·0%)	2156·76 (100·0%)	1601·64 (100·0%)

Notes : (i) Figures in brackets denote percentages to the total.
(ii) Assistance under modernisation/renovation, etc., during the yet includes assistance sanctioned to certain concerns for meeting a part of over-run in the costs of certain new/expansion/diversification projects which were assisted in earlier year (s).

2.14 Out of 337 projects assisted during the year, the number of new projects, which accounted for 71.3% of assistance, was 147. Of these, 16 projects each had a capital outlay up to Rs. 3 crores, 29 projects had individually a capital outlay exceeding Rs. 3 crores but up to Rs. 5 crores; 71 projects were in capital outlay range exceeding Rs. 5 crores but upto Rs. 10 crores and 31 projects were those whose capital cost was above Rs. 10 crores. It would thus, be observed that amongst the new projecst financed during the year, 30.6% of the projects were in the project cost range of up to Rs. 5 crores and 69.4% of the projects were those which individually had a project cost exceeding Rs. 5 crores.

2.15 Percentage-wise, 10.9% of assistance was claimed by new projects with individual capital cost up to Rs. 5 crores and the balance 89.10% was claimed by the projects whose capital cost per project was above Rs. 5 crores.

2.16 After new projects, the modernisation and renovation schemes comprising 146 projects claimed 18.7% of the assistance sanctioned during the year. This included assistance of the order of Rs. 30.87 crores to 67 projects under the Soft Loans Scheme, which was considerably liberalised effective from the 1st January, 1984.

2.17 Compared with the previous years, the share of new projects in IFCI's assistance in 1983-84 increased by 61%. So also, the share of modernisation assistance under the Soft Loans Scheme during the year showed an increase of 157.9% over the previous year.

SECTORAL CLASSIFICATION OF ASSISTANCE

(a) *Co-operative Sector*

2.18 During the year, IFCI sanctioned assistance of the order of Rs. 26.97 crores to 29 projects in the co-operative sector. These included 17 sugar co-operatives claiming assistance of the order of Rs. 14.66 crores, 11 textile co-operatives with an assistance of Rs. 10.75 crores, and one arecanut and cocoa-processing co-operative with an assistance of Rs. 1.56 crores.

2.19 Disbursements to the units in the co-operative sector during the year amounted to Rs. 40.01 crores, of which Rs. 23.94 crores were disbursed to 43 sugar co-operatives and Rs. 16.07 crores to 37 textile co-operatives.

2.20 Cumulatively, up to the 30th June, 1984, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 269.34 crores to 254 co-operatives, of which 84.4% had already been disbursed. *Table* 5 gives the break-up of the assistance sanctioned and disbursed to various industrial co-operatives.

Table 5 Assistance to Industrial Co-operatives (1983-1984)

(Rs. Crores)

Nature of industral co-operatives	No. of co-operatives	Amount sanctioned Rs.	Amount disbursed Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
Sugar	179	187·08	171·07
Cotton spinning	68	59·19	49·67
Jute	1	0·79	0·79
Fertilisers	3	18·00	3·00
Synthetic fibres	1	2·50	2·50
Vegetable oil	1	0·22	0·22
Cocoa powder	1	1.56	—
Total	254	269·34	227·25

The assistance to co-operative sector formed 12.5% in the total cumulative assistance portfolio of IFCI as on the 30th June, 1984.

(b) Corporate Sector

2.21 *Table* 6 gives the analysis of assistance sanctioned and disbursed during the year, and, cumulatively up to the 30th June, 1984, to industrial projects in the corporate sector, which includes industrial units in private, joint as well as public sectors.

Table 6 : Analysis of Assistance Sanctioned and Disbursed to the Corporate Sector

(Rs. Crores)

Sector	1983-84 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1984		
	Sanctions		Disburse-ments	Sanctions		Disburse-ment
	No. of projects	Amount Rs.	Rs.	No. of projects	Amount Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Private	230	202·94	147·22	1276	1320·90	1004·22
Joint	41	83·93	31·86	161	300·96	171·93
Public	37	39·78	34·33	203	265·55	198·24
Total	308	326·65	213·41	1640	1887·41	1374·39

2.22 Compared with the previous year, the quantum of assistance during the year increased by 36.1% to concerns in the private sector and by 66.1% to concerns in the joint sector. The share of assistance to public sector units, during the year, however, came down by 12.3%, compared with the sanctions accorded last year. The overall share of assistance, claimed during the year by private, joint and public sector units was 57.4%, 23.7% and 11.3% respectively. In the private corporate sector, it may be noted that the share of assistance of the large industrial houses, i.e., inter-connected undertakings registered under the MRTP Act, 1969 showed, during the year, a decline of 7.6% compared with 13.2% of the share in the total assistance sanctioned last year.

2.23 It needs to be appreciated that the basic role conceived for IFCI when it was set up in 1948, was financing of industries mainly in the private corporate sector and co-operative sector. It was in 1970 that IFCI took to financing of the public sector units also on the same basis as the private corporate sector, though selectively. It also began extending assistance to projects under the then evolved concept of

establishing industries in the joint sector. The share of the public and joint sector projects in IFCIs assistance portfolio has to be viewed in this context.

2.24 Cumulatively also, the share of assistance of private sector projects in IFCI's total assistance portfolio as on the 30th June, 1984 was the largest, i.e. 61.2%, the share of joint and public sector projects being 14.0% and 12.3% respectively. The assistance sanctioned to the entire corporate sector formed 87.5% of the total assistance portfolio of IFCI up to the 30th June, 1984. The cumulative disbursements against the aggregate assistance sanctioned worked out to 72.8% as on the 30th June, 1984.

Industry-wise Coverage of Assistance

2.25 Industry-wise coverage of assistance, during the year, and, cumulatively up to the 30th June, 1984, is given in Table 7.

Table 7: Industry-wise Coverage of Assistance

(Rs. Crores)

Industry	1983-84 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1984		
	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic industries						
(viz., basic metal industries, basic industrial chemicals fertilisers, cement, mining, power generation, etc.)	84	118·07	33·5	416	722·10	33·5
Capital goods industries						
(viz. machinery and accessories. electrical machinery and appliance, transport equipment, etc)	52	64·62	18·2	275	254·96	11·8
Intermediate goods industries (viz. chemical products, metal products. non -metalic mineral products, jute, tyres and tubes, etc.)	69	83·39	23·6	337	349·77	16·2
Consumer goods industries						
(viz. sugar, other food products, cotton/ woollen textiles, paper and other miscellaneous industries)	125	84·10	23·8	819	788·22	36·6
Service industries (viz. hotels, etc.)	7	3·44	1·0	47	41·7	1·9
Total	337	353·62	100·0	1894	2156·75	100·0

2.26 The industries which claimed a significant share in IFCIs assistance during the year were cement (16.1%) basic chemicals and chemical products (10.7%), synthetic fibres and resins (10.1%), textiles (10.8%), transport equipment (9.4%), electrical machinery (6.5%), fertilisers (5.8%), iron and steel (42%), sugar 5%), etc.

2.27 In the cumulative picture, textiles and sugar continued to be the largest beneficiaries of IFCI's assistance, having claimed together 27.4% of assistance in IFCIs total assistance portfolio, followed by cement (11.6%), basic industrial chemicals and miscellaneous chemical products (9.0%), paper and paper products (6.9%), iron and steel (6.1%), fertilisers (5.1%), synthetic fibres and resins (5.1%), transport equipment (4.5%), machinery (3.9%), electrical machinery and appliances (3.5%), rubber products (2.7%), non-ferrous metals (2.3%), non-metallic mineral products (2.2%), power generation (1.7%), etc.

State-wise Spread of Assistance

2.28 The State-wise spread of IFCI's assistance, during the year, and cumulatively up to the 30th June, 1984, is set out in Table 8.

Table 8 State/Territory-wise Spread of Assistance

(Rs. Crores)

State/Territory	1983-84 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1984		
	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
1	2	3	4	5	6	7
Andhra Pradesh	39	61·92	17·5	167	214·04	9·9
Assam	3	2·30	0·7	18	22·51	1·0
Bihar	11	4·12	1·2	57	60·07	2·8
Gujarat	40	48·86	13·8	185	239·73	11·1
Haryana	21	20·91	5·9	85	71·64	3·3

1	2	3	4	5	6	7
Himachal Pradesh	3	2·53	0·7	18	20·99	1·0
Jammu & Kashmir	3	2·52	0·7	9	6·85	0·3
Karnataka	21	13·88	3·9	147	160·17	7·4
Kerala	8	7·86	2·2	59	67·51	3·1
Madhya Pradesh	10	20·93	5·9	62	84·36	3·9
Maharashtra	40	33·30	9·4	341	329·57	15·3
Meghalaya	—	—	—	2	2·74	0·1
Nagaland	1	0·16	—	2	0·66	—
Orissa	8	17·27	4·9	43	68·33	3·
Punjab	14	15·06	4·3	69	91·40	4·
Rajasthan	20	16·89	4·8	81	124·11	5·8
Sikkim	1	1·00	0·3	1	1·00	0·1
Tamil Nadu	34	23·27	6·6	158	188·26	8·7
Tripura	—	—	—	1	1·16	0·1
Uttar Pradesh	39	48·32	13·7	196	234·70	10·9
West Bengal	16	8·41	2·4	153	121·50	5.6
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1	0.51	0.1
Arunachal Pradesh	1	0·16*	—	1	0·16	—
Chandigarh	1	—	—	2	0·35	—
Delhi	1	0·65	0·2	19	25·56	1·2
Goa	—	—	—	10	10·53	0·5
Pondicherry	3	3·30	0·9	8	8·34	0·4
Total	337	353·62	100·0	1894	2156·75	100·0

2.29 A special features of the State-wise pattern of assistance during the year was that Sikkim and the Union Territory of Arunachal Pradesh were covered by IFCI's assistance for the first time. Further, less developed States like Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir were able to improve their position in the share of IFCI's assistance sanctioned during the year, compared to last year. Among other States, Gujarat and Haryana were also able to improve their share of assistance in IFCI's State-wise portfolio, during the year.

2.30 Cumulatively, Maharashtra and Gujarat together had claimed 26.4% share of assistance in IFCI's portfolio. The next, in order, were Uttar Pradesh, followed by Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, etc.

Assistance to Projects in Less Developed Areas

2.31 A special feature of the assistance sanctioned by IFCI in 1983-84 was that the share of projects located|to be located in notified less developed districts|areas had gone up to 68.6% as against 57.6% last year.

2.32 With the re-classification of less developed districts|areas as category 'A' (No-Industry|Special Region Districts), 'B' and 'C', IFCI made special endeavours so that its assistance could reach as many 'No-Industry' Districts|less developed areas as possible. During the year, 23 projects were sanctioned assistance of the order of Rs. 26.97 crores in category 'A' (No-Industry|Special Region Districts) as against 15 projects with an assistance of Rs. 16.67 crores sanctioned last year. In category 'B' and 'C' districts, 102 and 62 projects were sanctioned assistance of the order of Rs. 135.35 crores and Rs. 80.10 crores respectively, as against Rs. 89.46 crores and Rs. 51.70 crores sanctioned to 94 and 40 projects respectively last year.

2.33 Of the projects assisted in the notified less developed districts|areas, 103 were new projects, of which 77 projects each involved a capital outlay of Rs. 10 crores and below and 26 projects each had a capital outlay of more than Rs. 10 crores.

2.34 The assisted projects in category 'A', 'B' and 'C' districts mainly pertained to industries like textiles (28), cement (21), chemicals and chemical products (20), iron and steel (9), electrical machinery (12), paper (12), fertilisers (10), misc. non-metallic mineral products (10), synthetic fibles (10), transport equipment (10), sugar (9), etc.

2.35 Cumulatively, upto the 30th June, 1984, IFCI had sanctioned financial assistance aggregating Rs. 1,082.64 crores to 837 projects located in notified less developed districts|areas. This constituted 50.2% of IFCI's net cumulative sanctions.

Projects Promoted by New Entrepreneurs

2.36 Out of 147 new projects assisted during the year, 20 projects happened to be promoted by new and technician entrepreneurs which claimed an assistance of Rs. 18.33 crores. Of these, in two projects, the promoters, were non-resident Indians. In addition, one more project set up by new|technician entrepreneur, which was assisted earlier, was provided further assistance of Rs. 0.28 crore for its completion.

2.37 During 36 years of its service to Indian industry, IFCI has been able to bring up a number of first generation entrepreneurs from diverse backgrounds on the industrial horizon of the country. As many as 235 projects promoted by these new entrepreneurs have claimed assistance of the order of Rs. 147.25 crores IFCI alone, out of its total assistance portfolio.

Encouragement to Projects aiming at Conservation of Energy and|or, use of Renewable and Alternate Energy Sources

2.38 During the year, IFCI continued to pay greater attention, while clearing the proposals for financing, to aspects relating to energy conservation, use of alternative sources of energy, recycling of waste and pollution control. For instance, instead of coalfired boilers, the emphasis was on boilers using rice husk, an agricultural waste, as fuel,. Likewise, in hotels, emphasis was on using equipment like solar water heaters and systems for heating water for the use of guests, etc. In sulphuric acid and single super phosphate projects, which were sanctioned assistance during the year for being set up in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, it was ensured that the plants adopted DDCA process to make the sulphuric acid plant pollution-free and had the facilities for recovery of the by-product, namely, sodium silico fluoride. It was further ensured that the plants were able to utilise properly the waste heat available from the process gases of sulphuric acid plants.

Assistance to Projects involving Foreign Collaborations and Technology Transfer from Abroad

2.39 Out of 95 new, expansion and diversification projects pertaining to industries in chemicals and chemical products group, fertilisers, machinery and accessories, electrical and electronic equipments, iron and steel and transport equipment, etc., as many as 38 projects financed by IFCI during

the year with an assistance of Rs. 117.75 crores, were based on sophisticated and imported technology from abroad. The countries from where, and the number of projects for which, the technology was obtained, were : Japan (8), U.S.A. (6), Federal Republic of Germany (7), Switzerland (4), Sweden (1), Italy (3), France (1), U.K. (3), Holland (1) German Democratic Republic (1), Canada (2) and Norway (1).

2.40 An endeavour was made to clear projects in the same line based on technologies from different sources either from the same country or different countries, so that in due course of time, it might be possible to assess the special advantages and benefits of parallel technologies. Care was also taken to ensure that the benefit of advancement in technology would be available to the projects being established in the country with foreign collaborations, during the period of the collaboration agreements.

Assistance to Export-oriented Projects

2.41 During the year, IFCI assisted three 100% export-oriented projects with an aggregate assistance of Rs. 3.78 crores. Other export-oriented projects numbering three accounted for IFCI's assistance to the extent of Rs. 4.91 crores during the year.

Breaking New Grounds

2.42 With a view to diversifying its assistance portfolio, IFCI during the year, entered, for the first time, into new lines of business, which, in effect, marked its breaking new grounds in the field of industrial finance.

2.43 After the amendment to IFC Act, 1948, in 1982, IFCI, for the first time, in 1983-84, financed projects relating to —

(a) development of an industrial estate at Chingleput in Tamil Nadu for the establishment of small scale units in the pharmaceutical industry, and

(b) construction of a passenger aerial repeway for the purpose of carrying pilgrims from the foot of Trikuta hills near Katra to the famous shrine of Vaishno Devi Temple in Jammu District of Jammu & Kashmir.

2.44 IFCI, for the first time, financed a project in West Bengal for the setting up of a modern off-set printing press with single and multi-colour processing facilities. So also, modernisation assistance in DM sub-loan was granted for the first time, by IFCI to a leading newspaper concern in Tamil Nadu to enable it to replace it 20 years old letter press machines with modern sophisticated web off-set printing machines. So also, a project for the manufacture of 2,500 nos. of battery-operated industrial and road model of electric vehicles to be set up in the District of Raigarh (Maharashtra) was the first project of its kind assisted by IFCI.

Plan-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

2.45 A significant feature of IFCI's operations over the years has been the integration of its lending and investment policies with the country's Five Year Plans. IFCI has been able to keep pace with the tempo of industrialisation in the country during each of the Plan periods, which is evident from Table 9.

Table 9: Plan wise Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Year ending the 30th June	Net financial assistance sanctioned				Financial assistance disbursed			
	Loans Rs.	Under-writings Rs.	Guarantees Rs.	Total Rs.	Loans Rs.	Under writings- Rs.	Guarantees Rs.	Total Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Period prior to the First Plan : 1949-51	8·13	—	—	8·13	5·79	—	—	5·79
The First Plan: 1952-56	27·03	—	—	27·03	10·94	—	—	10·94
The Second Plan : 1957-61	52·19	3·57	16·30	72·06	40·62	1·31	15·11	57·04
The Third Plan: 1962-63	121·41	17·22	29·48	168·11	98·23	14·00	26·80	139·03
The Annul Plans								
1967	13·07	1·87	4·00	18·94	34·16	2·90	5·64	42.70
1968	14·30	1·49	0·88	17·27	26·78	1·06	2·62	30·46
1969	24·11	2·41	0·39	26·91	16·32	1·68	0·28	18.28
Total :	52·08	5·77	5·27	63·12	77·26	5·64	8·54	91·44
The Fourth Plan :								
1970	12·05	1·24	0·04	13·33	17·89	0·85	0·34	19·08
1971	28·18	2·15	0·42	30·75	18·90	0·87	0·20	19·97
1972	33·67	4·57	—	38·24	23·76	1·00	0·11	24·87
1973	40·82	2·01	0·60	43·43	33·34	2·30	0·61	36·25
1974	35·38	2·47	0·04	37·89	30·63	1·46	0·05	32·14
Total :	150·10	12·44	1·10	163·64	124·52	6·48	1·31	132·31
The Fifth Plan:								
1975	29·58	3·89	—	33·47	37·68	1·07	0·34	39·09
1976	45·14	3·11	—	48·25	43·59	2·40	—	45·99
1977	84·52	8·28	—	92·80	58·79	1·72	—	60·51
1978	99·35	5·49	0·28	105·12	59·29	5·10	—	64·39
Total :	258·59	20·77	0·28	279·64	199·35	10·29	0·34	209·98

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1979	140·05	9·66	—	149·71	68·92	3·15	0·20	72·27
1980	142·23	8·70	—	150·93	92·67	2·24	—	94·91
Total :	282·28	18·36	—	300·64	161·59	5·39	0·20	167·18
The Sixth Plan:								
1981	180·57	17·15	0·70	198·42	125·79	2·14	—	127·93
1982	229·04	19·41	5·77	254·22	183·86	2·67	0·87	187·40
1983	243·39	19·16	5·57	268·12	210·81	7·03	1·34	219·18
1984	307·40	38·77	7·45	353·62	246·20	5·30	1·92	253·42
Total :	960·40	94·49	19·49	1074·38	766·66	17·14	4·13	787·93
Grand Total :	1912·21	172·62	71·92	2156·75	1484·96	60·25	56·43	1610·64

2.46 During the first four years of the Sixth Plan (1980—85), IFCI's total sanctions and disbursements were higher by 284.2% and 275.2% respectively, compared with the total sanctions and disbursements accorded by IFCI during the entire Fifth Plan Period.

Stipulation, exercise and Waiver of Convertibility Option

2.47 In respect of sanctions accorded during the year, convertibility clause was stipulated only in 141 cases. The convertibility right was exercised during the year in three cases and waived in 35 cases. Cumulatively, IFCI had stipulated the 'convertibility clause' in 929 cases, had exercised the convertibility option in 93 cases and had waived the same after taking into account all the relevant factors, in 285 cases. In the light of the increase in the threshold limit for the convertibility clause from Rs. 1 crore to Rs. 5 crores with effect from the 1st March, 1984, a further case-wise review was proposed to be undertaken after the modalities were finalised by the Institutions in this regard.

Nominations

2.48 During the year, IFCI appointed its nominees (officials as well as non-officials) on the Boards of Directors of 42 assisted concerns. As on the 30th June, 1984, IFCI had appointed 294 nominees on the Boards of 537 assisted concerns, of which 168 were non-officials.

Lending Rates

2.49 There was no change in the basic lending rate structure though certain modalities in regard to charging of interest, etc., underwent a few improvements. A complete picture about interest-rate structure obtaining in IFCI as at the close of the year on the 30th June, 1984 may be seen in *Appendix II*.

Sanctions Accorded in Public Interest

2.50 In terms of the Industrial Finance Corporation of India (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982, framed by the Board of Directors and approved by IDBI for the purpose of regulating the conduct of business attracting the provisions of Section 26 (2) of the IFC Act, 1948, a statement giving the list of concerns in which IFCI Directors were interested and to whom assistance was sanctioned by the Board of Directors in 1983-84 in 'Public Interest' is given in *Appendix III* to the Report.

(B) Promotional Activities —New Dimensions

2.51 The focus in IFCI's Promotional Activities, during the year, continued to be on 'supportive measures', i.e., on filling in gaps in the institutional infrastructure/support with a view to accelerating the process of industrialisation in the country.

2.52 During the year, IFCI incurred a sum of Rs. 180.28 lakhs as against Rs. 71.25 lakhs in 1982-83 on various Promotional Activities undertaken by it. The increase, thus, during the year, was 1530% over the amount spent on Promotion Activities last year.

2.53 *Table* 10 gives the break-up of the expenditure incurred on various Promotional Activities during the year and cumulatively upto the 30th June, 1984.

Table 10 : Expenditure incurred on the Promotional Activities

(Rs. Lakh)

Nature of Activities	1983-84 (July-June) Amount Rs.	Cumulative up to the 30th June 48 Amount Rs.
(1)	(2)	(3)
Industrial Potential Surveys	2·11	3·05
Promotional (Subsidy) Schemes	40·45	102·82
Special Research Studies Feasibility Reports and other assignments	0·62	9·78
Equity and other support to Technical Consutancy Organisation (TCOs)	3·38	43·17
Resources support to the Risk Capital Foundation (RCF)	80·62	410·86
Resources support to the Management Development Institute (MDI) including Development Banking Centre (DBC)	21·80	437·13
Support towards corpus of the Enterpreneurship Development Institute of India (EDII)	28·00	28·00
Support to the Entrepreneurship Development Programmes (EDPs)	1·56	2·04
Support to International Exposition on Rural Development (IERD)	1·00	1·00
Support to IFCI Chairs	0·74	20·04
Orientation programmes and assistance to State-level institutions	—	4·25
Others	—	59·36*
Total	180·28	1121·50

*Utilsed for direct financing of projects

Industrial Potential Surveys of 'No-Industry Districts'

2.54 A mention was made last year about IFCI having undertaken the responsibility for monitoring the developmental efforts in 'No-Industry Districts' (NIDs) in Rajasthan, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh. The survey work in respect of Kangra district was assigned to the Himachal Consultancy Organisation Ltd. (HIMCON), Jaisalmer district to the Rajasthan Consultancy Organisation Ltd. (RAJCON), Dhar, Guna, Jhabua and Sidhi districts to the Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd. (MPCON) and Chhindwara, Panna and Narsinghpur districts in Madhya Pradesh to the Andhra Pradesh Industrial & Technical Consultancy Organisation Ltd. (APITCO). During the year, the draft reports from the respective organisations were received and were being examined by the 'Special Guidance and Monitoring Committees' constituted in the concerned States under the Chairmanship of Secretary/Development Commissioner (Industries) of the State with representation from State-level organisations, District Industries Centres, IDBI, IFCI, ICICI, etc. An 'Inter-Institutional Screening Committee' had also been formed consisting of the representatives of IDBI, IFCI and ICICI with the objective of screaning the identified projects from the angle of *prima facie* technical feasibility and market availability, so that the State-level promotional institutions could be recommended to take further steps regarding establishment of selected projects in these areas.

2.55 It has been planned to cover all 'No-Industry Districts' (NIDs) in a phased manner under the 'Institutional Intensive Developmental Efforts Programme for NIDs', the cost of which is being shared by IDBI, IFCI and ICICI. The concerned State Governments are being consulted from time to time, for identifying additional districts that can be covered under the programme.

Promotional Schemes

2.56 A reference was made in the last year's Report about the following six Promotional Schemes which had been instituted by IFCI, on its own, and were in operation from the dates mentioned against each:

—Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology (30-11-1977).

—Scheme of Subsidy to New Enterpreneurs for meeting cost of Market Studies, etc. (30-11-1977).

—Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs for meeting cost of Feasibility Studies, etc. (1-7-1978).

—Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries (1-9-1978).

—Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors (28-6-1982).

—Scheme of Assistance for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons (28-6-1982).

2.57 During the year, as a result of the review made by the Board of Directors of IFCI, in the 'Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs for meeting cost of Feasibility Studies, etc.' the limits of subsidy were raised from Rs. 5,000 to Rs. 7,500 and from Rs. 6,000 to Rs. 8,500 in the case of physically-handicapped entrepreneurs and those belonging to Scheduled Castes|Scheduled Tribes; the other features of the Scheme, however, remained unchanged. Further, the overall limit of subsidy per annum, per TCO was raised, under the Scheme, from Rs. 2 lakhs to Rs. 3 lakhs.

2.58 Under the Scheme of Assistance for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Prsons, the ceiling on parents' combined annual income at Rs. 10,000 was removed from the eligibility criteria, so that a better coverage under the Scheme could be possible.

2.59 As at the close of the year, a further review was made with regard to the 'Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology', and, a new scheme known as 'Scheme of Assistance for Development of Technology through In-House R&D Efforts' was introduced with effect from the 1st July, 1984. The salient features of the two Schemes, as now obtaining, are as under:

(a) *Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology*

—Under the Scheme, all projects whether in tiny, small or medium scale sectors (with capital cost upto Rs. 5 crores) which have been set up with financial assistance either from the State Financial Corporations (set up under the State Financial Corporation Act, 1951) or Industrial Finance Corporation of India (IFCI) or Industrial Development Bank of India (IDBI) or Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI), are entitled to assistance in the form of a one-time subsidy, determinable on a case to case basis.

—In the case of tiny and small scale sector units, the subsidy is limited to 80% of the cost of acquisition of indigenous know-how, subject to a ceiling of Rs. 20,000 or 10% of the cost of the project, whichever is lower. In the case of medium sector units, with a total project cost upto Rs. 5 crores, the subsidy is limited to 80% of the cost of acquisition of indigenous know-how subject to a ceiling of an amount not exceeding Rs. 5 lakhs or 10% of the cost of the project, whichever is lower.

—To be eligible under the Scheme, the project should be of national priority and should be based on indigenous technology (including any process) or other know-how developed in or invented by Government laboratories, public sector companies, universities, National Research Development Corporation or any other institution recognised by the Government of India.

—The indigenous technology proposed to be adopted by the project should be one which has not already been expliloted on a commercial scale in the country, and should be basic to the manufacture of the proposed product and not merely peripheral to it.

—The Scheme is being operated in respect of tiny and small scale sector projects through the State Financial Corporations (SFCs) and in respect of other projects, directly by IFCI.

(b) *Scheme of Assistance for Development of Technology through In-House R & D Efforts*

—The Scheme which is first of its kind in the country is aimed at helping the development of technology indigenously through In-House R&D efforts undertaken by concerns in the corporate and co-operative sectors (excluding MRTP|FERA companies).

—under the Scheme, IFCI provides directly loan assistance on soft terms at 10% per annum rate of interest. The loan amount is limited to 50% of the cost of In-House R&D efforts for developing|harnessing technology from laboratory to commercial scale, or Rs. 25 lakhs, whichever is less.

—The repayment of the loan assistance, provided on soft terms by IFCI, commences after the developed technology has been successfully harnessed and operated on commercial scale, or after a period of three years from the date of the first disbursement, whichever event happens earlier.

—In the event of success of technology developed through In-House R&D efforts, IFCI, by virtue of the soft loan assistance provided by it, may also have the right to share the patent rights, if any, and the design and technology is not allowed to be treated by the beneficiary unit as its proprietory item.

—To be eligible for assistance under the Scheme, the applicant concern should be registered with the Department of Science & Technology, Government of India, and be actively engaged in developing a technology through In-House Research & Development efforts, which is basic to the manufacture of a particular product and is not available already indigenously. It is also necessary that the technology so developed should be able to compete with the comparable technologies available outside, in terms of cost, quality, output, technical process, etc.

—To be elligible for assistance under the Scheme, the total cost of R&D efforts for developing the technology from laboratoay to commercial scale should be above Rs. 5 lakhs but should not exceed Rs. 50 lakhs. Further, the concern should be an assisted unit of either a State Financial Corporation (SFC) or of IFCI, ICICI or IDBI.

2.60 Except the Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology and the Scheme of Assistance for Development of Technology through

In-House R&D Efforts, all other Scheme are being operated through the agency of Technical Consultancy Organisations (TCOs) established by the all-India Financial Institutions in collaboration with State-level Institutions and banks over the country. *Table* 11 below gives the amount disbursed by IFCI under the Promotional Schemes through TCOs in 1983-84, and, cumulatively up to the 30th June, 1984.

Table 11 : Subsidies Disbursed under IFCIs Promotional Schemes

(Rs. Lakhs)

Promotional Schemes	1983-84 (July-June)		Cumulative up to the 30th June 1984	
	No. of projects	Amount disbursed Rs.	No. of projects	Amount disbursed Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs	611	20·52	1720·77	67·63
Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries	12	2·00	90	9·67
Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for meeting cost of Market Studies	5	0·72	5	0·72
Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors	9	0·43	9	0·43
Total	637	23·67	2181	78·45

In addition to the above, under the Scheme of Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology, a sum of Rs. 16.94 lakhs had been disbursed during the year to a glyoxal unit in Rajasthan, and another Rs. 18.58 lakhs had been sanctioned under the Scheme to an ethylene-diamines unit in Gujarat. Cumulatively, the subsidy disbursed under the Scheme since its inception and up to the 30th June, 1984, amounted to Rs. 24.37 lakhs.

Funding of Special Assignments

2.61 IFCI has also been sharing, from time to time, on a case to case basis, the consultancy cost of special assignments relating to the feasibility studies, project reports, market surveys, techno-economic surveys, project profiles, industrial potential surveys, research, studies, etc., sponsored and/or undertaken by the consultancy organisations and various other national and State-level developmental agencies connected with the promotion of industries in their respective areas, where these cannot be subsidised under the existing Promotional Schemes of IFCI.

2.62 During the year, IFCI agreed to share the cost of a research study on the subject of *Manpower Plan for Industries and Strategy for Local People Participation.* The study, undertaken by the Gujarat Industrial & Technical Consultancy Organisation Ltd. (GITCO), envisages a deeper insight into the manpower needs and problems of industries in Developing areas, particularly, the districts of Bharuch, Panchmahals and Surendernagar in Gujarat, which together are reported to have more than 1,940 small scale sector industrial units. The study is also expected to project the level and nature of industrial development in selected developing areas of the State including an estimation of the mix of industries that can be developed. The industrial manpower plans as a result of the study, which are to be prepared for the three districts of Gujarat as mentioned hereinbefore besides providing skill-wise requirement, would also suggest ways of ensuring effective fulfillment of industry needs, policy measures for enlarging local people involvement in industrial employment insofar as they have a bearing on employment generation.

Technical Consultancy Support

2.63 With a view to providing low cost but quality consultancy services even to the tiniest amongst the tiny and smallest amongst the small as also to medium scale entrepreneurs, all-India Financial Institutions, including IFCI (jointly with the State-level organisations and banks), have set up Technical Consultancy Organisations (TCO). So far, 15 TCOs (including one set up by the Government of Karnataka) are in operation and the 16th TCO for catering to the needs of some of the States in the Northern part of the country was incorporated on the 28th March, 1984 under the name, 'North India Technical Consultancy Organisation Ltd.' (NITCON) with IFCI in the lead.

2.64 IFCI has participated in the growth and development of all TCOs sponsored by all-India Financial Institutions but it is holding the lead responsibility in respect of Himachal Consultancy Organisation Ltd. (HIMCON), Rajasthan Consultancy Organisation Ltd. (RAJCON) and Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd. (MPCON) established in 1977, 1978 and 1979 respectively

Table 12 Summary of Operations of IFCI Sponsored TCOs.

Particulars	HIMCON		REJCON		MPCON	
	1983	Cumulative up to 31-12-83	1983	Cumulative up to 31-12-83	1983	Cumulative up to 31-12-83
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. No. of assignments (involving investment) completed	103	488	65	288	236	586
2. Estimated investment contemplated in respect of 1 above (Rs. Crores)	16·11	119·07	10·81	50·07	148·17	323·41
3. Employment potential (No. of persons) in respect of 1 above	2467	22696	1251	8725	5358	12572
4. Other assignments completed	18	82	49	89	13	509
5. No of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) conducted	2	4	2	7	13	28
6. No. of entrepreneurs trained	30	64	50	170	336	668

2.65 Table 12 gives, in brief, the operations of HIMCON, RAJCON and MPCON for their accounting year ended the 31st December 1983 and cumulatively upto the end of December, 1983.

2.66 The working results of HIMCON for 1983 showed a deficit of Rs. 1.87 lakhs because of all in consultancy income from Rs. 8.50 lakhs in 1982 to 6.49 lakhs in 1983. The working results of RAJCON and MPCON for the year ended the 31st December, 1983, however, showed a midest surplus of Rs 0.08 lakh and Rs. 0.16 lakh respectively.

2.67 Overall, all the 15 TCOs put together, had executed upto the 30th June, 1984, 13,263 assignments pertaining to feasibility studies, project reports, project profiles, industrial potential surveys, rehabilitation studies, appraisals and other assignments, etc., which bear testimony to the on-going impact being created by them in the area of consultancy to the small and small-medium industrial projects.

2.68 In the field of development of entrepreneurship, the TCOs in most of the States are functioning as nodal agencies for Entrepreneurship Development Programmes. Altogether upto the 30th June, 1984, the TCOs had imparted training to 6,647 entrepreneurs and had rendered help to the trained entrepreneurs in implementation of their projects.

2.69 During the year, apart from IDBI convening a Conference of the Managing Directors of all TCOs with a view to discussing issues relating to their organisational setup and long-term strategies, IFCI also held a Conference of the Chairmen and Managing Directors of the TCOs under its lead. The focus at the Conference was on the preparation of the corporate plans for the next five years by the TCOs after studying the respective plans of their States, the exercises being done for the Seventh Plan, etc., so that they could respond successfully to the long-term process of industrial development in the respective States and could become an instrument of bringing technology to the door-steps of the small entrepreneurs. Emphasis was also laid on implementation part of the studies/reports prepared by them and placement of entrepreneurs as also integration of their business plans with such of the developmental programmes of the States as were covered by their area of of activities.

Support for Seed/Risk Capital Assistance

2.70 Recognising the need for suitable institutional mechanism to provide equity support to the professionals who wanted to set up medium and large scale industrial ventures, IFCI filled in an important gap in the institutional infrastructure, when in 1975, it sponsored the Risk Capital Foundation (RCF), at New Delhi.

2.71 RCF, which provides entrepreneurs (including non-resident Indians) interest-free personal loans ranging from Rs. 15 lakhs to Rs. 30 lakhs (depending upon the number of the promoters) to enable them to meet upto 50% of their quota of promoters' contribution for setting up new projects had provided in 1983 (January-December), risk capital assistance of the order of Rs. 93.24 lakhs to 15 promoters in respect of their eight projects. Subsequent to that RCF, during the six months' period ended the 30th June, 1984, had provided risk capital assistance of Rs. 149.00 lakhs to 20 entrepreneurs in respect of 11 projects promoted by them. The substantial increase in the assistance during the six months' period ended the 30th June, 1984, was due to the liberalisation of the Risk Capital Assistance Scheme and the enlargement of the scope and eligibility criteria for the same, a reference to which had been made in the last year's Annual Report.

2.72 Comulatively, RCF's assistance up to the 30th June, 1984, aggregated Rs. 602.58 lakhs for 111 promoters for their 67 projects over eight years of its operations. Against this, Rs. 384.88 lakhs had been disbursed by RCF up to the 30th June, 1984.

2.73 The resources of RCF, for the present, are being met totally by IFCI.

Support for Professionalisation of Management and Upgradation of Managerial Skills

2.74 For developing and improving the quality of day-to-day management and also with a view to encouraging professionalisation in management, IFCI had sponsored a Management Development Institute (MDI) in 1973, near Delhi.

2.75 Later, with a view to meeting the increasing training needs of professionals and executives of development banks, industrial development agencies, Technical Consultancy Organisations, etc., a Development Banking Centre (DBC) was constituted in 1977 as a wing of MDI

2.76 MDI (including DBC), which provides training in modern management techniques so as to meet the specific needs of industries, requiring specialised training, research and consultancy services, had successfully organised, during the year 1983 (January-December), 101 training programmes benefiting 2,502 participants, of whom 36 were from other developing countries.

2.77 During the next six months' period, MDI (including DBC) had conducted 42 programmes benefiting 844 participants, of whom 66 were from other developing countries.

2.78 Commulatively, MDI (including DBC), which had completed a decade of its operations, was successful in organising 546 programmes upto the 30th June, 1984, benefiting 14,027 participants, of whom 479 were from outside the country.

2.79 During the same period, MDI (including DBC) had completed, in the area of research and consultancy, as many as 38 research projects in various fields in the country.

2.80 MDI (including DBC) has the distinction of organising several programmes in collaboration with the United Nations Development Programme (UNDP), International Labour Organisation (ILO), Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP), Economic Development Institute (EDI), United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO), Asian Productivity Council (APC), German Foundation for International Development (DSE), etc.

Support of Development of Entrepreneurship

2.81 IFCI's contribution in the field of entrepreneurship development has been in the form of extending (a) financial support to the agencies conducting Entrepreneurship Development Programmes (EDPs), (b) assisting in the establishment of an Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) at the national level, and (c) sharing the cost of science and technology entrepreneurship development programmes of the National Science & Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB), set up by the Government of India.

2.82 The National Science & Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB), has drawn up programmes covering entrepreneurship training and development and setting up of 'Science & Technology Entrepreneurial Parks' (STEP) on the lines of Science Parks, in USA and UK. STEP envisages creation of suitable conditions for fledgeling entrepreneurs to enable them to translate their ideas into industrial projects at a pilot level. STEP is considered to be a nursery industrial estate, which would accept potential entrepreneurs, with science and technology background, into its fold and transform them into confident entrepreneurs in a period of two to three years. The all-India Financial Institutions have agreed 'inprinciple', to provide financial support to 'bankable' proposals for setting up STEPs in selected universities and Institutes of Technology.

2.83 The Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) which commenced its operations in July 1983, carried out within a period of one year, six general Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) two at Trivandrum (Kerala), one at Port Blair (Andaman & Nicobar Islands), one at Panaji (Goa) and two in the Union Territory of Chandigarh. The Chandigarh EDP was conducted in collaboration with the Technical Teachers Training Institute (TTTI) with the prime objective of developing polytechnic diploma holders at entrepreneurs and introducing EDPs in polytechnics.

2.84 EDII, as a national focal point for pooling of resources and expertise in the field of entrepreneurship development, launched, during the year, a National Documentation Programme with primary focus on the EDPs conducted by various Technical Consultancy Organisations (TCOs), State Bank of India (SBI), Small Industries Service Institutes (SISIs), other voluntary organisations, etc. With the involvement of several research teams and organisations and after finalising the instruments, methodology and plans for

the research activity, the documentation and evaluation work was started during the year in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

Support to Rural Development and Development of Entrepreneurship in Village and Tribal Areas

2.85 During the year, IFCI participated in an International Exposition of Rural Development (IERD) organised by the Institute of Cultural Affairs : India. The IERD was able to make an assessment of the rural development programmes undertaken by some 52 countries and share their experiences, particularly in regard to methods, approaches, technologies, etc., that had proved successful and could be of benefit for the purpose of implementation in other countries. IERD was also able to enlighten the corporate sector's role, activities and intents as partners in rural industrial development.

2.86 IFCI, as reported last year, agreed to contribute a sum of Rs. 5 lakhs to the Xavier Institute of Social Service (XISS), Ranchi, for setting up a Rural Entrepreneurship Development Institute (REDI), at Ranchi, to cater to the tribal population in the State of Bihar and training the tribal youths to become successful enterpreneurs and generators of self-employment.

2.87 IFCI also agreed during the year, to provide support (both for capital and recurring expenditure) for a period of three years to Gram Vikas Trust (GVT) for setting up of a Rural Management and Entrepreneurship Development Centre (RMEDC) in Karjat Taluka, Raigarh District of Maharashtra. The objective of RMEDC is to provide training and management inputs which are necessary and relevant to rural development so as to bring about sustained growth and meaningful development in rural and semi-urban areas. In order to make the training more effective and practical, RMEDC has provided demonstration units in the field of 'dairy' and 'rural industries'.

Promotion of Research and Development

(i) *Study of Standardised 1,250 tonnes Capacity per day of Sugar Plants*

2.88 IFCI had commissioned last year a special study of standardised 1,250 tonnes capacity per day of sugar plants capable of expansion to 2,000 tonnes capacity per day, from the point of view of optimising energy use by suggesting improvement in the design of plant and equipment, and by conserving bagasse for other important applications. The study which was completed during the year, by the National Productivity Council, provided useful data on sugar plant specifications as also on improving energy productivity in sugar industry. The recommendations made in the Report, have been passed on to the Technical Committee constituted by the Government of India for revising the specifications for standard sugar plants with the prime objective of improving economic viability, technical practices and energy productivity.

(ii) *Research study on Management of Turnaround of Sick Industrial Projects*

2.89 This study, sponsored and funded by all-India Financial Institutions including IFCI, which was undertaken by the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA), when completed, would be able to provide meaningful data relating to the management processes by which large enterprises can be restored to health. The field work relating to the study was reportedly completed by IIMA during the year.

(iii) *IFCI Chairs*

2.90 IFCI, over the years, has built up good nexus with the Management Institutes and Universities in the area of research and development in Development Banking, Financial and Industrial Management Industrial Economics, etc. Six Chairs, one each at the Universities of Delhi, Bombay, Calcutta, Gauhati and Madras and one at the Indian Institute of Management, Ahmedabad, have been created by IFCI for promoting research in specified areas.

2.91 During the year, Dr. R. S. Sabnis, IFCI Professor, delivered the Second IFCI Annual Lecture at the Bombay University Convocation Hall on the 5th October, 1983, on the subject of Some Issues of Industrial Policy and Finance in India. The Lecture was presided over by Dr. M. S. Gore, Vice-Chancellor, Bombay University, and Shri B. B. Singh, the then Chairman, IFCI, was the Chief Guest.

2.92 Prof. S. C. Kuchhal, IFCI Professor of Management at the Indian Institute of Management, Ahmedabad delivered the 'Fifth IFCI Annual Lecture' at IIMA campus on the 26th March, 1984, on the subject of 'Financial Behaviour of Growth Companies'. The Lecture was based on a study made of 61 companies with specific growth attributes over a period and provided considerable insight into the *modus operandi* adopted by the fast growing enterprises with a view to deciding the requisite line of action by other concerns.

2.93 At Gauhati University, Dr. P. C. Goswami joined as IFCI Professor during the year. It is expected that some useful research work would follow in the coming years in respect of problems related with the economic development of the North-Eastern Region.

Resources for Financing Promotional Activities

2.94 The Promotion Activities of IFCI are being financed either out of Benevolent Reserve Fund (BRF) or Interest Differential Fund (IDFs).

2.95 The Benevolent Reserve Fund (BRF) was created in 1972-73, to which, up to the 30th June, 1983, a sum of Rs. 362.00 lakhs had been transferred out of the profits of IFCI. During the year ended the 30th June, 1984, another sum of Rs. 50.00 lakhs had been transferred with the result that the total amount of BRF as on the 30th June, 1984, stood at Rs. 412.00 lakhs. As against this, a sum of Rs. 264.54 lakhs had been utilised till the said date on various Promotional Activities of IFCI.

2.96 Interest Differential Funds (IDFs) represent the moneys received from the Government of India, out of the interest paid by IFCI on KFW loans in terms of agreements amongst IFCI Kreditanstalt-fur-Winderauf-bau (KFW), Government of India and the Federal Republic of Germany. Up to the 30th June, 1983, IFCI had received a sum of Rs. 1,060.60 lakhs by way of loans and grants under the IDFs. During the year, a sum of Rs. 76.50 lakhs was received by way of grants and Rs. 58.00 lakhs by way of loans. With this, the total allocation of IDFs as on the 30th June, 1984, stood at Rs. 1,195.10 lakhs, against which an amount of Rs. 856.96 lakhs had been utilised on various Promotional Activities of IFCI.

(C) *Resources*

2.97 The resources of IFCI comprise its Share Capital, Reserves, Borrowings from the Market by Issue of Bonds, Loans from the Industrial Development Bank of India (IDBI) and Central Government, Foreign Credits secured from Foreign Financial Institutions, Borrowings in the International Capital Market, Repayments of loans by the Borrowers and Sale/Redemption of Investments held by it. Developments on the resources scene of IFCI in 1983-84 are reported below.

Share Capital

2.98 During the year, the paid-up Share Capital of IFCI was raised from Rs. 22.50 crores to Rs. 27.50 crores by calling the balance amount of Rs. 2,500 per share on 10,000 (Eighth Series) shares of Rs. 5,000 each and making an additional issue of 10,000 shares (Ninth Series) of Rs. 5000 each on which 50 per cent of the amount by way of application money per share, was called up.

Reserves

2.99 With the transfer of Rs. 21.80 crores out of the profits for the year ended the 30th June, 1984, and after making adjustments on account of utilisation of funds under Interest Differential Funds (Grants portion) to the extent of Rs. 0.29 crore, and under the Benevolent Reserve Fund (BRF) to the extent of Rs. 0.34 crore, the reserves of IFCI, increased from Rs. 66.93 crores to Rs. 88.09 crores. These exceeded the paid up capital of IFCI by Rs. 60.59 crores.

Bond Issues

2.100 During the year, IFCI made three public issues of Bonds, viz., 8.75%—Bonds, 2000, for Rs. 45.50 crores on the 24th October, 1983, 8.75%—Bonds, 2001, for Rs. 27.50 crores on the 27th February, 1984, and, 9%—Bonds, 1999, for Rs. 110.00 crores on the 14th June, 1984. All the issues were fully subscribed, and, including the permissible 10% amount of the issues which could be retained by IFCI, the total amount of funds mobilised by issue of bonds during the year amounted to Rs. 201.05 crores.

2.101 After redeeming 5½%—Bonds, 1983, for Rs. 8.80 crores, the net amount of Bonds as on the 30th June, 1984, stood at Rs. 881.54 crores as against Rs. 689.30 crores on the 30th June 1983.

Borrowings from IDBI and the Central Government

2.102 Except temporary borrowings from Industrial Development Bank of India (IDBI), which were repaid well before the 30th June, 1984, no loans were raised either from IDBI or from the Central Government. However, Rs. 2.00 crores and Rs. 1.76 crores were repaid to IDBI and the Central Government respectively during the year, with the result that the net outstandings of borrowings from IDBI and Central Government came down from Rs. 85.75 crores and Rs. 5.88 crores to Rs 83.75 crores and Rs. 4.12 crores respectively as on the 30th June, 1984.

2.103 Insofar as the loan portion under the Interest Differential Funds (IDFs) is concerned, during the year, a sum of Rs. 0.58 crore was obtained from the Central Government, and, a sum of Rs. 0.17 crore was repaid under this account. Thus, the total loan portion of IDFs payable to the Central Government aggregated Rs. 5.37 crores as on the 30th June, 1984, as against Rs. 4.96 crores on the 30th June, 1983.

Borrowings from Forcign Financial Institutions

2.104 With the allocation of 22nd line of credit of DM 20 million, during the year, IFCI's borrowings in foreign currency, which comprise DM Lines of Credit sanctioned by Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Federal Republic of Germany, aggregated DM 277.500 million, against which IFCI had sanctioned sub-loans to eligible industrila concerns aggregating DM 281.305 million up to the 30th June, 1984. In addition, sub-loans for DM 162.372 million had been sanctioned against DM Revolving Funds which represented the amounts recovered from the DM sub-borrowers and converted, with the approval of the Government of India, into DM, pending repayment of the same to KFW.

2.105 As on the 30th June, 1983, the outstanding balance of DM Lines of Credit availed of by IFCI from KFW was DM 148.359 million. During the year, a sum equivalent to DM 12.178 million was availed of and an amount of DM 4.833 million was repaid. The outstanding amount against borrowings in foreign currency as on the 30th June, 1984 stood at DM 155.704 million (equivalent to Rs. 62.76 crores on the basis of TT selling rates prevailing on the 30th June, 1984).

Borrowings in the International Capital Markets

2.106 To augment its foreign exchange resources, IFCI was authorised by the Central Government during the year to raise borrowings in the International Capital Market, in terms of which IFCI entered, for the first time, the Euro-Currency Market for raising an Euro-Currency Loan of U.S. $ 20.00 million (equivalent to Rs. 22.00 crores approximately). An agreement to this effect was signed on the 24th July, 1984, between IFCI and the Continental Bank S.A./N.V. Brussels (Belgium) acting as Manager and Agent for other participating Banks/Financil Institutions, viz., Mitsubishi Bank (Europe) S.A., Bank of Yokohama (Europe) S.A., European Arab Bank (Brussels) S.A., and Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe) S.A.

2.107 The Euro-Currency Loan has been raised on commercial terms and as such, the period of the loans granted against it to the sub-borrowers and their repayment would be determined in such a manner that the same synchronise with IFCI's repayment obligations. To sub-borrowers, the loan shall carry a rate of interest which would be 2% p.a. above the six-monthly London-Interbank-Offered Rate (LIBOR).

2.108 The raising of Euro-Currency Loan marks the opening of a new era in the history of IFCI. The loan would enabe IFCI to meet the foreign exchange requirements of even those industrial projects as e.g. mining shipping seal fishing, generation of electricity, power and gas, hotels, etc., which, otherwise, were not eligible under the existing foreign currency resources of IFCI. Moreover, large projects, including those in public sector, would be considerably benefited by euro-currency resources raised by IFCI.

Repayments of the Loans and Sale/Redemption of Securities

2.109 During the year, the net cash receipts on account of repayment of principal made by the borrowers amounted to Rs. 57.75 crores as against Rs. 45.75 crores in the previous year.

2.110 The receipts from sale/redemption of investments amounted to Rs. 1.85 crores during the year, as against Rs. 1.51 crores in the previous year.

2.111 With the total receipts on account of (a) repayment of loans, (b) sale/redemption of investments (c) loans converted into equity shares to the extent of Rs. 0.52 crore, aggregating Rs. 60.12 crores in 1983-84, the increase over the previous year's receipts of the order of Rs. 48.09 crores worked out to 25%.

Sources and Uses of Funds

2.112 In 1983-84, the total requirements of funds for disbursement of assistance, repayment of borrowings, redemption of bonds, payment of interest, dividend and tax, etc., aggregated Rs. 347.29 crores, signifying an increase of 19.9% over the previous year's requirement of funds of the order of Rs. 289.61 crores.

2.113 The aforesaid requirement of funds was met by (i) increase in the paid-up capital—Rs. 5.00 crores, (ii) generation of profits before tax—Rs. 34.03 crores, (iii) recoveries from borrowers and sale of investments, etc.—Rs. 60.12 crores, (iv) borrowings from market by way of bonds—Rs. 201.05 crores, (v) borrowings in foreign currency equivalent to Rs. 4.91 crores, (vi) receipt of Rs. 1.35 crores under Interest Differential Funds (vii) Rs. 1.00 crore from miscellaneous sources, and (viii) the balance of Rs. 39.83 crores, out of opening cash balance.

(D) *Recoveries, Defaults, etc*

Recoveries

2.114 A sum of Rs. 83.88 crores was recovered by way of interest, of which, Rs. 69.75 crores was against the amount of Rs. 107.50 crores, which fell due during the year and the remaining Rs. 14.13 crores represented the recoveries against the arrears of interest amounting Rs. 18.77 crores, outstanding at the beginning of the year. The recovery percentage of interest therefore, worked out to 64.9% for the dues during the year and 75.3% for interest in arrears.

2.115 Insofar as principal amount was concerned, out of Rs. 57.75 crores received during the year, Rs. 50.61 crores was against the principal amount of Rs. 89.50 crores which fell due during the year and the remaining Rs. 7.14 crores represented recoveries against the arrears of principal of Rs. 33.75 crores outstanding at the beginning of the year. The recovery percentage worked out to 56.5% for the principal amount due during the year and 21.2% for the principal in arrears. The amount of recoveries against 'principal in arrears' needs to be viewed in the context of the established accounting practice of adjusting the recoveries against the 'overdues' first towards the 'arrears of interest' and thereafter against the 'overdue principal in arrears'.

Defaults.

2.116 As on the 30th June, 1984, IFCI had in its outstanding assistance portfolio, loans aggregating Rs. 1,056.19 crores from 1,109 assisted concerns. Undoubtedly, a few of them had run into difficulties, some at the implementation stage, a few during initial operating years and yet some became sick after having run successfully for a number of years. Further, due to poor performance of some of the industries during the year, as e.g., sugar, textiles, paper, engineering, etc., most of the concerns found it genuinely difficult to meet their obligations to the Institutions in time. As such, IFCI, in tune with its policy of helping the units in difficulties (particularly where the reasons for the defaults were purely 'external' discernible in a large group of industrial units), provided them need-based reliefs by way of postponement/rescheduling of overdue amounts, etc.

2.117 After accounting for the reliefs given to the concerns in difficulties, there were, as at the end of the year, 193 defaulting concerns with a total amount in default

(covering principal Rs. 37.42 crores and interest Rs. 24.51 crores) aggregating Rs. 61.93 crores. This formed about 5.9% of IFCI's total outstanding loans portfolio as on the 30th June, 1984, as against 6.1% on the 30th June, 1983.

2.118 The industry-wise analysis of these defaults for the year 1983-84 revealed that out of 193 concerns in default, 41 concerns in cotton textiles, 30 in sugar, 14 in paper, 9 in jute and 12 under the metal products group accounted for Rs. 10.18 crores, Rs. 17.20 crores, Rs. 7.52 crores, Rs. 3.29 crores and Rs. 2.67 crores in default respectively. The aforesaid five industries together constituted 66% of the total defaults of IFCI as on the 30th June, 1984.

Rehabilitation of Sick Units

2.119 The Problem Cases Department (PCD) in IFCI, in consonance with the Government's policy towards revival of sick units, evolved rehabilitation schemes in respect of eight cases, strengthened the management set-up in one case, brought about changes in management/controlling interest in five cases, leased out and/or agreed to support holding on operations in three cases, approved schemes of merger in three cases and reached arrangements for settlement of dues in two cases.

2.120 During the year, two tyre units and one aluminium unit in West Bengal were nationalised by the Central Government. A composite textile mill in Orissa was nationalised by the State Government through acquisition of all private shareholdings. Legal proceedings had to be instituted by the Institutions during the year in two cases, with a view to safeguarding and protecting the interests of lending Institutions. In other cases, the rehabilitation programmes or appropriate courses of action were in the process being sorted out by the concerned Lead Institution jointly with other Institutions, banks and other concerned agencies. Reports about inherently non-viable units were made to the Central Government from time to time and liaisbn was maintained with the concerned State Governments as also State-level agencies involved in such cases.

(E) Working Results

Gross Profit

2.121 The gross profit for the year amounted to Rs. 34.03 crores as against Rs. 27.02 crores for 1982-83, showing an increase of 25.9%.

Net Profit

2.122 The net profit for the year 1983-84 after providing Rs. 10.14 crores for taxation, amounted to Rs. 23.89 crores as against Rs. 17.31 crores for 1982-83, showing an increase of 38.0%.

Appropriations

2.123 The appropriations out of the net profit made by the Board of Directors of IFCI are given in *Table* 13.

Table 13 : Appropriations of Net Profit

(Rs. Crores)

	This year (1983-84) (July-June) Rs.		Previous year (1982-83) (July-June) Rs.	
Net Profit for the year		23·89		17·31
Appropriations				
Transferred to—				
(a) General Reserve Fund	8·15		3·88	
(b) Benevolent Reserve Fund	0·05		0·35	
(c) Special Reserve (under Section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961)	13·14		11·47	
		21·79		15·70
Allocation to Staff Welfare Fund		0·01		0·01
Payment of Dividend		2·09		1·60
Total		23·89		17·31

Dividend

2.124 In view of the satisfactory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on shares at 8½% per annum, as against 8% per annum declared last year.

Tax

2.125 A sum of Rs. 10.14 crores has been provided in the accounts for taxation for the accounting year ended the 30th June, 1984, as against Rs. 9.71 crores provided last year. Since inception, IFCI has paid to the National Exchequer, by way of tax alone, Rs. 65.05 crores, which is more than twice its paid-up capital.

Expenditure on Entertainment, etc.

2.126 During the year, IFCI incurred a sum of Rs. 1.40 lakhs on Entertainment, Rs. 1.13 lakhs on the maintenance of its Staff-Transit Rooms (STRs), Rs. 3.15 lakhs on Publicity and Advertisement, and Rs. 0.41 lakh on the visits/participation in courses/seminars by its officers abroad. The expenditure on the Chairman's foreign tours, duly approved by Government, aggregated Rs. 0.99 lakh.

Working Result Trends

2.127 The working results of IFCI for the last five years are given in Table 14.

Table 14—: Summary of Working Results for Five Years

(Rs. Crores)

Particulars	Year ended the 30th June				
	1980 Rs.	1981 Rs.	1982 Rs.	1983 Rs.	1984 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest earned	37·23	44·38	59·15	77·65	99·35
Other Income	2·54	3·87	4·78	5·77	5·62
Total Income:	39·77	48·25	63·93	83·42	104·97

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest paid	26·30	30·80	39·49	50·80	64·33
Commission and Brokerage paid	0·48	0·26	0·52	0·61	0·88
Establishment Expenses	1·82	2·57	2·52	2·97	3·36
Loss on Investments	0·03	0·47	0·64	0·44	0·14
Other Expenditure	0·96	1·21	1·40	1·58	2·23
Total Expenditure :	29·59	35·31	44·57	56·40	70·94
Gross Profit	10·18	12·94	19·36	27·02	34·03
Taxation	5·39	4·56	6·85	9·71	10·14
Net Profit	4·79	8·38	12·51	17·31	23·89
Dividend	6·5%	7·0%	7·5%	8·0%	8·5%

2.128 It would be observed from the above—

* The Gross Income crossed the mark of Rs. 100 crores for the first time in 1983-84.
* The Gross Income in 1983-84 increased by 25.8% over the previous year.
* The Gross Profit for the year showed an increase of 25.9% over the previous year.
* The Gross Profit as percentage to Gross Income worked out to 32.4% in 1983-84 same as last year.
* The Net Profit for the year showed an increase of 38.0% over the previous year's net profit.
* The Net Profit as percentage to Gross Income worked out to 22.8% in 1983-84.

Financial Position

2.129 The position of assets and liabilities of IFCI for the last five years is indicated in Table 15 below.

Table 15 : Summary of Balance Sheets for Five Years

(Rs. Crores).

Particulars	Year ended the 30th June				
	1980 Rs.	1981 Rs.	1982 Rs.	1983 Rs.	1984 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assets					
Investments	32·43	35·48	39·52	45·82	53·46
Loans & Advances	442·85	548·01	690·82	864·73	1056·19
Guarantees and Underwriting Contracts	0·74	0·50	1·21	2·40	4·10
Cash and other Assets	58·41	44·77	74·67	74·78	98·14
Liabilities					
Borrowings					
(a) Bonds	378·28	433·47	554·55	689·30	881·54
(b) From the Government & IDBI	55·57	59·84	85·25	96·60	93·24
(c) In Foreign Currencies	21·96	42·51	51·01	59·67	62·76
Current and Other Liabilities including Provisions	30·11	34·82	43·00	50·33	54·66
Contingent Liabilities (Guarantees & Underwritings)	0·74	0·50	1·21	2·40	4·10
Net Worth represented by					
Share Capital	15·00	17·50	20·00	22·50	27·50
Reserves	32·18	39·22	50·27	65·94	87·39
Interest Differentail Funds (Grants)	0·59	0·90	0·93	0·99	0·70
Debt : Equity Ratio	9.6:1	9.3 : 1	9.7:1	9.5 : 1	9.1 : 1

Accounts

2.130 The audited acounts of IFCI comprising Profit & Loss Account for the year and the Balance Sheet as at the 30th June, 1984, giving details of assets and liabilities are annexed to this Report.

2.131 During the year, a review of Accounting Systems was made by M|s. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co., New Delhi, with a view to streamlining the existing systems and procedures and study the scope and feasibility for computerisation of systems in IFCI. The Reports of the Consultants were under examination of a Departmental Computerisation Committee as at the close of the year.

Audit

2.132 Apart from having a regular 'internal audit system', the statutory audit of accounts of IFCI is carried out every year by two auditors, of whom one is nominated by the Industrial Development Bank of India (IDBI) and the other one elected by the shareholder (other than IDBI). For the year 1983-84, M|s. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co., Chartered Accountants, New Delhi, were appointed

as Statutory Auditors by IDBI. The shareholders of IFCI (other than IDBI) had elected at the last Annual General Meeting held on the 19th October, 1983, M/s. Haribhakti & Company,, Chartered Accountants, Bombay as auditors for the same period. The Report of the Auditors for the year 1983-84 is also given with the Accounts for the year in this Report.

CHAPTER 3

ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF IFCI'S OPERATIONS

(A) Project Financing Operations

Planned Industrial Development

3.01 IFCI's operations reflect, in a small but significant measure, the pattern of industrial investment and the structural changes that have taken place during the last three-and-a-half decades of the planned economic development in the country. Since its inception and up to the 30th June, 1984, IFCI has sanctioned financial assitance of the order of Rs. 2,156.75 crores to as many as 1,894 industrial projects of 1,567 industrial concerns. More important than the quantum of assistance sanctioned by IFCI has been its catalytic role, which has been instrumental in overall resource mobilisation of Rs 17,561.71 crores for the completion of these assited projects. In its assistance, IFCI has covered a wide spectrum of industries, and it is no exaggeration to say that there is hardly any industry in the organised sector which has not been the beneficiary of some asistance from IFCI.

3.02 The quantitative performance of IFCI also bears testimony to the fact that IFCI has continued fulfilling the objectives set under its Charter, in an appreciable measure. According to its Charter, IFCI was expected to provide medium and long-term credit to the eligible medium and large-sized industrial projects coming up in the corporate and co-operative sectors. It was not empowerd to set up or promote any industrial venture on its own. The flow of financial assistance from IFCI, therefore, depended upon the number of new, medium and large-sized industrial projects coming up in various States/Union Territories in the country as a sequel to the Letters of Intent/Industrial Licences procured by them. IFCI can say with confidence that from the ranking point of view, its share of assitance to various States/Union Territories has well kept pace with the Letters of Intent/Industrial Licences obtained by them, year after year.

Qualitative Achievements

3.03 Much more important than the quantitative achievements are IFCI's qualitative achievements in the field of industrial financing in the country. IFCI, over the year, has been able to create along with other national-level Development Finance Institutions acceptability of the concept of project-oriented approach in place of the concept of 'security-oriented approach' which had been prevailing in the realm of industrial finance, particularly in the banking sector, for a long time. Today, the wider considerations of profitability and productivty of an industrial venture, its overall viability and bankable nature, the quality of its management, the organisational set-up, the likely contribution of the project to the economy of the country as well as furtherance of the objectives of public policy, govern the authorised business of IFCI.

Impact on the Management Culture of Assisted Units

3.04 In its follow-up measures and mechanics, the endeavour of IFCI has been to inculcate amongst the managements as better awareness of the financial and managerial imperatives as also disciplines important for the succes of an industrial venture. Enlightened promoters and competent manegements are now able to appreciate in an increasing measure, the benefits derived by them from the various exercises that IFCI requires them to carry but during implementation and operational stages of the project. There has been, over the years, a gradual, but quite perceptible impact in the management culture of the industrial units assisted by Public Finnacial Institutions including IFCI, with the result that a trend has set in the industry, towards the 'professionalisation of management.'

Socio-economic Contribution

3.05 The socio-economic contribution of IFCI's assistance during the last 36 years can be perceived in the overall industrialisation spread-effect all over the country since Independence. To be more specific, IFCI's assistance during the last five years has been able to create/catalyse substantial capacities in various industries like sugar (13.45 lakh tonnes), cotton textiles (20.78 lakh spindles), cement (165.53 lakh tonnes), paper (2.94 lakh tonnes of writing and printing paper), fertilisers (38.39 lakh tonnes), etc. In addition, substantial capacities under various items have been created out of industrial units assisted under various other industry-groups, including hotels. The new, expansion and diversification projects assisted during the last five-years period are estimated to generate direct employment for about three lakh persons.

3.06 An analysis of the economic contribution based on the study of new and expansion /diversification projects assisted by IFCI in 1983-84 is given in Table 16.

Table 16: Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects Assisted by IFCI during 1983-84

(Rs. Crores)

Industry	Projects (nos.)	Total capital cost (Rs.)	Expected direct employment (nos.)	Value of output (Rs.)	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar	16	137·70	7,282	99·72	24·07	2.88 lakh tonnes of sugar.
Cotton textiles	22	138·10	12,359	137·36	37·58	3·78 lakh spindles
Cement and cement prodcuts	19	524·41	4,636	216·20	120·82	50·63 lakh tonnes of cement and 0·30 lakh tonnes of cement pressure pipes.
Chemical and chemical products	35	652·58	7,760	493·97	184·45	0·40 lakh tonnes of industrial explosives, 0·15 lakh tonnes of ammonium nitrate, 0·33 lakh tonnes of alum, 32·50 lakh cu. mtrs. of oxygen, 2·00 lakh cu. mtrs. of acetylene, 9·20 lakh cu. mtrs. of nitrogen, 0·36 lakh cu. mtrs of argon gas, 300 tonnes of ethylene diamines and polyamines, 3·30 lakh tonnes of soda ash 0·08 lakh tonnes of phthalic anhydride, 300 tonnes of disperse dyes, 0·20 lakh tonnes of methanol, 0·50 lakh tonnes of metallurgical thermal carbon paste, 400 tonnes of chemical carbons, 0·11 lakh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						tonnes of chloromethanes, 37 tonnes of ampicillin trihydrate, 30 tonnes of amoxycillin trihydrate, claxocillin sodium and methicillin sodium, 1,500 tonnes of gelatine, 1,285 million nos. of empty gelatine capsules, 20·73 lakh nos, of automobile tyres & tubes and 0·30 lakh nos. of flaps, 0·03 lakh tonnes of PVC films and sheets 0·02 lakh tonnes of sheet moulding compound and dough mould compound, 0·01 lakh tonnes of plastic components, refining of 0·41 lakh tonnes of rice bran oil, 0·02 lakh tonnes of multifilament polypropelene yarn, 0·03 lakh tonnes of polypropelene filament yarn, 0·30 lakh tonnes of polyester staple fibre, 0·06 lakh tonnes of nylon-6 filament yarn, 55 lakh sq. mtrs. of vinyl (PVC) floor coverings, sheets, films and coated fabrics, 5·7 million nos. of multi laminated collapsible tubes, 2,400 tonnes of reclaimed rubber and 242 tonnes of sodium silico fluoride, 1,919 tonnes of anurvedic durg solid, 2,709 kilo litres of ayurvedic drug liquid and 1,577 million nos. of ayurvedic drug tablets.
Paper and paper products	4	15·56	242	5·18	1·70	0·31 lakh tonnes of writing & printing paper, 3,300 tonnes of kraft paper, 0·13 lakh tonnes of bagasse pulp and 3,300 tonnes of corrugated media.
Fertilisers	11	160·81	2,508	206·72	48·98	5·54 lakh tonnes of single super phosphate, 2·92 lakh tonnes of sulphuric acid and 3·06 lakh tonnes of diammonium phosphate.
Machinery & accessories	8	55·40	2,694	122·55	37·93	2,200 tonnes of cement machinery, 2,000 nos. of hydraulic cylinders, 100 nos. of hydraulic mobile excavators and cranes, 850 tonnes of bulk-material handling systems, 2,500 nos. of tractors, 75 nos. of hermetic centrifugal refrigerators. 500 nos. each of semi-hermetic compressors, open type compressors and water cooled/ air-cooled split system package units and 1,000 nos. of high pressure multi-zone weather makers.
Electrical machiery, appar tus, appliances and parts	15	115·49	3,004	169·57	46·88	300 nos. of instrument transformers, 34,000 nos.of starters, 38,000 nos. of generators 44,000 nos. of regulators/alternators, 31,250 nos. of rotary compressors, 4,790 nos. of electronic and pneumatic process control instruments, 47 million nos. of aluminium electrolytic capacitors, 1,000 million running metres of audio magnetic tapes, 500 metres of video and computer magnetic tapes, 1,200 kilo metres of XLPE cables. 23·75 lakh conductor kilo metres of polyethylene insulated jelly filled telephone cables, 18,500 nos. of black and white TV glass bulbs, 5 lakh nos. of black and white TV picture tubes, 50 lakh nos. of fluorescent tubes and 64·80 lakh nos. of GLS lamps.
Iron & steel	13	60·88	3,208	90·14	23·70	29,500 tonnes of SG quality graded special grey/grey iron malleable iron castings, 44,500 tonnes of mild high carbon steel ingots, 6,200 tonnes of cold rolled ss strips, 10,200 tonnes of mild steel and high carbon stteel wires, 16,000 tonnes of hot rolled steel products and 500 tonnes of sintered high speed steel.
Transport equipment	13	224·52	9,107	486·16	111·09	10,000 nos. of commercial vehicles, 10,000 nos. of light commercial vehicles, 2,500 nos. of industrial and road model battery operated vehicles, 2,20,000 nos of motor cycles, 1,00,000 nos. of light weight scooters 75,000 nos. of mopeds 10,000 nos.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						of bicycles and 1,710 tonnes of sintered powder automobile components, 48,000 nos. of viper motors, 2.00 lakh nos. of propellar shafts, 31,250 nos. of rotary compressors with clutches.
Hotel	2	8·52	481	4·00	1·84	217 rooms
Others	33	249·79	9,275	231·68	72·26	
Total	191	2343.76	62,556	2263·25	711·31	

3.07 It will be observed from the Table that IFCI's assistance during the year is expected to help create|catalyse substantial capacities in various industries like sugar (2.88 lakh tonnes), cotton textiles (3.78 lakh spindles), cement (50.63 lakh tonnes, paper 0.31 lakh tonnes of writing & printing paper). fertilisers (8.60 lakh tonnes), etc. In addition, substantial capacities under various items are expected to be created out of industrial units assisted under the chemicals and chemical products group, machinery and accessories, electrical machinery, apparatus and appliances, transport equipment and parts, iron and steel, hotels, etc.

3.08 The aforesaid 191 projects are expected to create direct employment for about 62,556 persons. The value of output from these projects is expected to be in the range of Rs. 2,263.25 crores. The gross value added is likely to be as much as Rs. 711.31. The total cost of all the 337 projects assisted during the year is estimated to be of the order of Rs. 2,923.00 crores, which is an indication of the total resources to be mobilised for the implementation of these projects.

Development of Industrially Backward Areas

3.09 One of the national objectives is the balanced economic development in various parts of the country. As already mentioned earlier, 68.6% of the assistance in 1983-84 aggregating Rs. 242.42 crores was sanctioned for 187 projects in notified backward districts|areas. Of these, 23 projects were sanctioned assistance of the order of Rs. 26.97 crores in Category 'A' (No-Industry|Special Region Districts) as against 15 projects with an assistance of Rs. 16.67 crores sanctioned last year. The economic and social impact of IFCI's assistance to projects in notified less developed districts||areas is evidenced by the developmental impact created by these projects in meeting the economic welfare of the local people and strengthening the social infrastructure. Since most of the projects in notified less developed districts|areas have been set up in rural and|or semi-urban atmosphere, the economy of these areas has undergone a sea-change. The assistance to projects in notified backward|less developed areas has, above all, created a 'development consciousness' among the people in these areas because of their providing impetus to the generation of direct as well as indirect employment, establishment of a number of tiny, small scale and ancillary units and varied business, shops, repair services, etc.

Impetus to Co-operative Movement in the field of Industry

3.10 Another objective of the national policy has been to help the growth of the co-operative movement in its multifaceted form amongst growers, producers, consumers, etc. In the field of industry, IFCI can claim with pardonable pride to have contributed significantly to the development of the co-operative sector in the industrial economy of the country. The co-operative movement entered the industrial field with the setting up of a co-operative sugar factory in Maharashtra in the year 1949-50, which incidentally was also the first co-operative to be assisted by IFCI. Since then, the number of sugar co-operatives has steadily increased all over the country, no doubt, due to the initiative and drive on the part of the various State Governments and the encouragement and guidance provided by the Central Government, but in no less a measure, as a result of substantial assistance extended by IFCI. As on the 30th June, 1984, IFCI has assisted as many as 254 co-operatives with an aggregate assistance of Rs. 269.34 crores.

3.11 A noteworthy feature of IFCI's assistance to these agro-based industrial co-operatives has been that it has gone even to the units located in somewhat remote corners of the country and has been instrumental not only in bringing industries to places where there were none, but also in changing the entire rural scene. The initiative on the part of the growers and the State Governments in placing the co-operative organisations on a relatively sound footing has also been a contributing factor. The sugar co-operatives, in particular, have been able to make a dent in the practices relating to intensive as well as extensive cultivation of sugarcane resulting in higher yield per acre and better recovery and have also helped the development of the requisite infrastructure facilities. It is not unoften that the coming into being of an industrial co-operative in a rural area has brought in its wake such amenities as improved roads, better irrigation facilities, provision of drinking water, setting up of schools and hospitals, apart from strengthening the villagers' faith in the co-operative movement and mobilising the savings of the agricultural sector for productive purposes. Ancillary and associated industries like distilleries for the manufacture of industrial alcohol, confectionery units or bagasse-based paper plants or production of mixed and granulated fertilisers, etc., have also come into being as off-shoots of co-operative sugar factories. The successful operation of most of the co-operatives in some of the States has strengthened the confidence of the massages in the co-operative movement, thereby creating and adding a new class of entrepreneurs in the country. The spread of the co-operative movement to many other industries like textiles, jute, fertilisers, synthetic fibres, vegetable oil extraction, cocoa powder, etc. over the years bears testimony to the above.

(B) *Promotional Activities*

3.12 The promotional activities of IFCI have also been designed with a view to accelerating the overall process of industrial growth and ensure its dispersal not only amongst backward regions but also amongst new entrepreneurs with adequate thrust to the growth of industry in medium, ancillary and small scale sectors. These activities are in keeping with the overall national objectives and priorities, such as balanced development of different parts of the country, encouragement to new entrepreneurs and broadening the entrepreneurial base in the country through development of entrepreneurship, provision of much needed guidance to the medium and small scale entrepreneurs in their tasks of project identification, formulation, implementation operation etc.

Support to Tiny and Small Scale Industries Sector

3.13 In its promotional and developmental role, the thrust of IFCI has been on providing such 'supportive measures as can help improve the productivity of human and material resources with a focus on the growth of industry in the tiny and small scale (including ancillaries) sectors. At the same time, the objectives of ensuring a better deal to the weaker and under-privileged sections of the society, in consonance with the socio-economic policy requirements and particularly, the emphasis given under the 20-Point Programme, have been kept in view.

(C) *Broadening of the Entrepreneurial Base*

3.14 The Risk Capital Foundation (RCF) sponsored by IFCI, for instance, provides equity support to the professionals who want to set up medium and large scale industrial ventures, have necessary experience, expertise and entrepreneurial talent, but do not have enough resources for mobilising the promoters' quota of equity. By making available a part of the risk capital to the promoters of the medium and la[illegible]e projects, by way of interest-free personal loans, R[illegible] itself has set a model in the area of risk capital financing in the country.

Consultancy Support to Small Ventures

3.15 The Technical Consultancy Organisations (TCOs) by providing under one roof a total package of consultancy services right from 'concept to the commissioning' stage, including extension and counselling services, marketing intelligence, etc., have been of immense help to the first generation entrepreneurs, particularly in the tiny, small and medium scale sectors. The sixteen TCOs all over the country have opened the doors of consultancy to all tiny, small as well as medium scale entrepreneurs who could not, otherwise, dare to go to big consultants operating on commercial considerations. The TCOs provide at a very low cost (because of subsidies provided by IFCI) quality consultancy services to tiny, small and medium scale entrepreneurs and also help in the development of entrepreneurship by undertaking Entrepreneurship Development Programmes (EDPs), well-tied in most cases, with project consultancy, financial and other assistance from concerned State-level institutions and banks, etc.

Upgradation of Management Skills and Development of Entrepreneurship

3.16 The Management Development Institute (MDI) including its Development Banking Centre (DBC) sponsored by IFCI is engaged in developing and improving the quality of day-to-day management and also inculcating the professionalisation, in management and upgradation of managerial skills. The Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) set up by IFCI and other all-India Financial Institutions as also the State Bank of India is helping in initiating, supporting and accelerating the spread of entrepreneurship development movement in all parts of the country.

Promotional Schemes

3.17 Promotional Schemes of IFCI equally lay considerable emphasis on the development of tiny and small scale industries, use of bio-gas and other alternative energy sources, rehabilitation of sick units in the tiny and small scale sectors, use of the indigenously available technology and development/harnessing of the same through in-house R&D efforts, provision of self-employment to unemployed young persons, etc.

Support to Ancillarisation

3.18 Ancillarisation has to be viewed as a means of achieving the economies of modern large scale production on the one hand and the benefits of the decentralised operations on the other. IFCI's Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries helps in the process of ancillarisation by making available a feasibility study/project report/viability report of the product(s) suitable for ancillarisation and processing in the small scale sector, 100% free of cost to an entrepreneurs, if he gives the assignment to a TCO/Specified Agency. Payment of subsidy upto 75% is made to TCO/Specified Agency upon completion of the assignment and the balance 25% subsidy is released after the ancillary unit has been able to tie-up its financial assistance and has acquired ancillary status by formalising the arrangement with the parent unit.

Support to the Development of 'Consultancy Culture'

3.19 Two of IFCI's Schemes, viz., Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs for meeting cost of Feasibility Studies, etc., and Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors, have been extremely popular and have been instrumental in encouraging a 'culture for consultancy' among the tiny and small scale entrepreneurs who dare not go to big professional consultants. Under both the schemes, where the assignment is from a Scheduled Caste/Scheduled Tribe or a physically handicapped entrepreneur, the extent of subsidy is 100% of the free chargeable by a TCO (subject to certains ceilings) for preparation of a feasibility study or the project report, etc.

Support to Self-Development and Self-Employment Measures

3.20 Another scheme which helps in the eradication of poverty and unemployment and endeavours to inculcate a sense of resourcefulness, instead of helplessness, in the unemployed youths of the country, is IFCI's Sc[illegible] of Assistance for Self-Development and Self-Employ[illegible] of Unemployed Young Persons. Under the Scheme su[illegible] sons who have undergone an Entrepreneurship Development Programme are provided soft loans through the agency of TCO/Specified Agency, to meet their margin money requirements for obtaining loans from banks, etc., from IFCI.

20-Point Programme and Promotional Activities of IFCI

3.21 The 20-Point Programme aims at giving new orientation to the philosophy of economic growth with social justice. The areas which are of special significance to the Development Banks like IFCI are rural development, power generation, development of bio-gas and alternative and renewable energy sources, improvement in the working of the corporate sector enterprises, etc. Even in regard to these areas, the role of institutions like IFCI is basically a supplementary one, since other specialised institutions/agencies are already charged with the responsibility of playing a predominant role. All the same, the promotional activities of IFCI bear testimony to the fact that the same are in keeping with the spirit of the 20-Point Programme and help in filling the gaps in the socio-economic infrastructure in a modest form, wherever considered necessary or desirable from the national angle.

CHAPTER 4

BOARD, ADMINISTRATION, PERSONNEL AND MISCELLANEOUS

Board of Directors

4.01 During the year, the Board of Directors held 12 meetings—10 at New Delhi and one each at Bangalore and Calcutta.

4.02 During the year, Shri B. B. Singh relinquished the office of Chairman of IFCI on the 29th February, 1984 consequent upon his appointment as Secretary to the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilisers. In his place, Shri D. N. Davar, Executive Director, IFCI, was appointed as Chairman for a term of four years with effect from the 19th April, 1984. The Board of Directors of IFCI place on record their high appreciation of the very valuable services rendered and contribution made by Shri B. B. Singh during his tenure as Chairman of IFCI.

4.03 Shri R. K. Kaul, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, resigned from the Directorship of IFCI with effect from the 30th September 1983 consequent upon his taking over the office of Deputy Governor, Reserve Bank of India and the Chairman of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). In terms of Section 10(1)(b) of the IFC Act, 1948, the Central Government appointed, with effect from the 11th November, 1983, Shri V. K. Dar, Additional Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), as Director of IFCI in place of Shri R. K. Kaul. Shri Dar also looked after the duties of the Chairman of IFCI during the period from the 1st March, 1984 to the 18th April, 1984. Effective from the 24th April, 1984, the Central Government, in terms of Section 10(1) (b) of the IFC Act 1948 appointed Shri Ashok Chandra, Joint Secretary to the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), as a Director on IFCI's Board in place of Shri V. K. Dar.

4.04 Indutrial Development Bank of India (IDBI), in terms of Section 10(1)(aa) of the IFC Act, 1948 nominated Shri P. L. Karihaloo as a Director of IFCI with effect from the 29th November, 1983, in place of Shri K. P. Tripathi, who had resigned from the Directorship of IFCI with effect from the 15th January, 1983.

4.05 At the 35th Annual General Meeting of the Shares holders of IFCI held on the 19th October, 1983, Shri S. L. Baluja, Chairman & Managing Director, Punjab National Bank, was elected as a Director under Section 10(1)(c) of the IFC Act, 1948, to represent Scheduled Banks in place of Shri O. P. Gupta. At the same meeting, Shri G. V. Kapadia was re-elected as a Director under Section 10(1)(d) of the IFC Act, 1948, to represent Insurance Concerns, Investment Trusts, etc. Further Shri B. S. Thorat the then Chairman, Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., was also elected as a Director to represent Co-operative Banks in terms of Section 10(1)(e) of the IFC Act, 1948 in place of Shri N. S. Sapkal.

4.06 The Board of Directors of IFCI place on record their high appreciation of the very valuable services rendered by Shri R. K. Kaul, Shri V. K. Dar, Shri O. P. Gupta and Shri N. S. Sapkal during the period of their association as Directors with IFCI.

Technical Advisory Committees (TACs)

4.07 IFCI continued to avail itself of the services of its six Technical Advisory Committees (TACs) on specific project proposals. During the year, meetings of Ad-hoc Committees of Advisers were also convened to make a study on techno-economic viability of 'aspirin projects', and to consider proposals relating to polyester staple fibre and calcium silicide/ferro-silicon projects.

State Advisory Committees (SACs)

4.08 During the year five meetings of the State Advisory Committees (SACs) were held, one each for the States of Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar and Gujarat. These meetings helped IFCI in promoting a better understanding and appreciation about its role, contribution and activities, and also afforded valuable feedback to IFCI about its own policies procedures, etc. The meetings also enabled IFCI in understanding, on the spot, the problems and prospects of industrialisation in the concerned States and helped bridge communication gaps, from the public relations angle, between IFCI and concerned State Government authorities, State-level institutions, banks, representatives of industry and commerce, economists, clients of IFCI in private, joint, public and co-operative sectors, sister institutions, etc.

Inter-Institutional Co-ordination

4.09 During 1983-84, eleven Inter-Institutional and twenty-three Senior Executives' Meetings of all-India Term-lending and Investment Institutions (IDBI, IFCI, ICICI, LIC, GIC, UTI, IRCI) were held under the aegis of IDBI, the apex institution, to consider policy matters as well as individual cases for financial and/or rehabilitation assistance. The meetings also helped in evolving and adopting co-ordinated approach in problem and/or sick cases. Wherever necessary, representatives of commercial banks and State-level institutions were also invited to participate in the deliberations at these meetings.

Participation at International Forums

4.10 Shri B. B. Singh (the then Chairman, IFCI), participated in the Second Ordinary General Assembly Meeting of the World Federation of Development Financing Institutions and the Conference of the Development Bankers (jointly sponsored by the World Federation and the German Foundation for International Development) held at Lima, Peru, during the period from the 3rd December, 1983 to the 12th December, 1983. The Assembly considered subjects like the *Response of Development Banks to Changing Political and Economic Scenario, Portfolio Problems of Development Finance Institutions, the Role of Development Banks in Asia and the Pacific in influencing changes in their Operating Environment,* etc.

4.11 Shri D. N. Davar, (the then Executive Director, IFCI) participated in the International Seminars organised by the Indian Investment Centre, New Delhi in the World Trade Fair at Hanover, Federal Republic of Germany, during the period from the 4th April, 1984 to the 10th April, 1984. He addressed participants at the Hanover Fair on the subject of *Financing of Joint Ventures and Third Country Projects.* At a seminar on *Investment Opportunities in India for Non-Residents of Indian Origin,* Shri D. N. Davar addressed the participants on the subject of *Financial Assistance by Term-Lending Institutions for Industries in India.*

4.12 As Chairman IFCI, Shri D. N. Davar participated in another seminar, *India—Your Economic Partner* organised by the Indian Investment Centre, New Delhi, at Hong Kong during the period from the 15th May, 1984 to the 20th May, 1984. The background paper presented by Shri D. N. Davar at this seminar, is being published by the Indian Investment Centre for the benefit of Indian investors both at home and abroad.

12—389 GI/84

Seventh Annual Conference of Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific

4.13 The most important international event from the viewpoint of development banking fraternity was the Seventh Annual Conference of Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) which was hosted jointly by IDBI, IFCI and ICICI, at New Delhi, during the period from the 19th April, 1984. The Conference which was attended by a large number of delegates from various countries in Asia and the Pacific, besides delegates from several all-India and State-level institutions, was inaugurated by Hon'ble Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee. The theme of the Conference was *Strengthening of DFI and Client Services to Meet New Challenges.* The sessions on *Emerging Technologies for DFI Operations, the Role of DFIs in strengthening their Clients' Management and Operations,* etc., evoked considerable interest amongst the participating DFIs at home and abroad.

Association and Contact with Development Finance Institutions in other Countries

4.14 IFCI continued to maintain close contacts and liaison with other Development Finance Institutions abroad, particularly the World Bank, the Asian Development Bank, the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), etc.

4.15 During the year, an economic delegation led by H.E. Dr. Jurgen Wamke, Federal Minister for Economic Co-operation of the Federal Republic of Germany, and consisting of *inter alia* Dr. E. G Broeder, Member of Board of KFW, visited New Delhi. IFCI had an opportunity to make a presentation before this delegation about itself and its contribution to Indian industry with the economic aid and assistance of Federal Republic of Germany and KFW. An agreement for additional DM 15 million credit to IFCI was also signed on this occasion by Dr. F. G. Broeder of KFW and Shri B. B. Singh of IFCI. Later, IFCI had the privilege of welcoming Mr. Masao Fujioka, President, Asian Development Bank at its Eighth Silver Jubilee Memorial Lecture delivered on the 10th November, 1983.

IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture

4.16 IFCI had its Eighth Silver Jubilee Memorial Lecture delivered on the 10th November, 1983 by Mr. Masao Fujioka, President, Asian Development Bank (ADB), on the subject of *Industrialisation under Capital Constraints.* The lecture was presided over by Dr. Manmohan Singh, Governor, Reserve Bank of India (RBI). The Lecture, which was well attended, was considered to be a landmark in the history of IFCI. The central theme of the Lecture, enjoining mobilsation of domestic resources in an increasingly sustained manner through higher level of domestic savings, with a view to mitigating dependence on external debt, was considered to be cornerstone for economic endeavour now and hereafter. So also, developing and deepening financial and capital markets was an important direction which was built up by the Lecture and the speeches that followed on the occasion.

ORGANISATIONAL DEVELOPMENTS

(a) *Organisational Changes*

4.17 During the year, the Board of Directors approved need-based changes in the management set-up of IFCI. Shri R. N. Sahoo, General Manager, was appointed as Executive Director and Sarvashri D. G. Ramaiah, S. K. Rishi and K. C. Hukmani, Joint General Managers, were upgraded as General Managers. Consequential changes and better allocation of work and responsibilities at other levels were also effected, aiming at improvement in the productivity of the organisation.

(b) *Organisational Set-up*

4.18 Apart from its Head Office at New Delhi, IFCI had, as on the 30th June, 1984, five Regional Offices, ten Branch Offices and one Front Office. Effective from the 1st July, 1984, three of IFCI's Branch Offices at Chandigarh, Gauhati and Hyderabad have been upgraded to the status of Regional Offices. With this, IFCI now has eight Regional Offices, one each at Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Kanpur, Chandigarh, Hyderabad and Gauhati seven Branch Offices, one each at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Cochin, Jaipur and Patna; and a Front Office at Pune. The Pune office

is also proposed to be upgraded shortly as a full-fledged Branch Office.

(c) *Delegation of Powers and Decentralisation of Work*

4.19 Having regard to the deepening of the Project Financing Participation Certificates Scheme, expected increase in the volume of foreign currency loan operations, need for decentralisation of work with adequate authority to dispose of the same at local levels, and the need for delegating powers to sanction financial assistance to small-medium-sized units to Regional Offices of IFCI, a total review of delegation of financial powers and operational authorities at various levels at Head Office, Regional and Branch Offices was made as at the close of the year. As a result thereof, wider powers have been delegated by the Board of Directors to Principal Executives at Head Office and to the Regional and Branch Offices of IFCI, with a view to providing a better and efficient service to the large and increasing clientele of IFCI. These also include powers to sanction financial assistance at Regional Office levels subject to certain ceiling, as also to authorise disbursements, subject to certain safeguards, at local office levels. All offices at IFCI are being gradually equipped to provide complete entrepreneurial guidance and project counselling to prospective entrepreneurs and promoters at the State head-quarters itself.

HUMAN RESOURCES AND MANPOWER DEVELOPMENT

(a) *Human Resources*

4.20 As at the end of June, 1984, IFCI had a complement of 1,045 employees [inclusive of staff strength at its Regional Branch and Front Office(s)], of which 153 employees belonged to Scheduled Caste/Scheduled Tribe categories. IFCI continued to follow the policy of applying relaxed norms while recruiting or promoting candidates belonging to the category of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Physically handicapped, Ex-servicemen, etc.

(b) *Manpower Development*

4.21 A mention was made in the last year's Report of a 'Manpower Planning & Review Committee', a 'Staff Affairs Committee', and a 'Steering Committee (Training)', all headed by the Chairman. These Committees continued to review the manpower requirements of the organisation and its development through the process of on-the-job and in-house training programmes.

4.22 The Training Centre of IFCI organised 28 Inhouse Training Programme benefiting 484 staff members at various levels. The focus in the programmes was on upgrading the professional skills and building up correct and positive attitudes amongst the staff members.

4.23 The Training Centre also organised periodical talks by eminent experts on subjects of relevance to IFCI. IFCI also continued to avail itself of the facilities for training provided by various professional bodies. During the year, IFCI deputed 22 staff members to 13 programmes conducted by the Management Development Institute (MDI) and Development Banking Centre (DBC) and 62 staff members to 47 training programmes and seminars organised by other professional institutes in the country.

4.24 The Development Banking Centre (DBC) of Management Development Institute (MDI) organised two In-Company Training Programmes for IFCI's staff, in which 53 staff members participated. Three senior executives of IFCI were sent abroad for specialised training programmes/seminars and one senior executive participated in an International Training Programme within the country.

(c) *Productivity Improvement*

4.25 Intensive in-house and on-the job training and through consideration to the suggestions made by staff under the staff suggestion Scheme continued to operate as mechanics for improving the overall productivity of the staff. As in the past, cash awards/commendation certificates were given to those members of the staff whose suggestions were adjudged as the best by the Suggestion Scheme Committee. Photos of the award-winning staff members were also published in the *IFCI Bulletin*.

Employer-Employee Relations

4.26 The employer-employee relations continued to be cordial and harmonious throughout the year. The Employees' Association submitted Charter of Demands, *inter alia*, in regard to revision of pay scales and allowances to workmen employees.

4.27 As a sequel to the negotiations on promotional avenues in respect of workmen employees, a Memorandum of Settlement was entered into between the Management and Employees' Association on the 28th February, 1984.

Staff Welfare

4.28 IFCI has been operating the 'Staff Welfare Fund' since 1971. The Fund now consists of two components, viz., (a) Revolving Fund for grant of loans to staff, and (b) Grants and Expenses Account for covering expenditure to be incurred on other items set out in the Staff Welfare Fund Regulations.

4.29 During the year, a sum of Rs. 3.00 lakhs was given as loans to staff members for self-development, self-marriage, marriage of dependent children, etc., and for purchasing house-hold durables. Further, an amount of Rs. 2.66 lakhs was utilised by way of awards for merit scholarships to children of employees grants to sports and Recreation Clubs and maintenance of IFCI Holiday Homes.

4.30 During the year, the Holiday Home at Darjeeling became operational with effect from the 1st May, 1984 and the Holiday Home at Puri was shifted to a better location from the 16th January, 1984. IFCI is now having seven Holiday Homes at Simla, Srinagar, Puri, Ooty, Goa, Bangalore and Darjeeling.

Social Security Measures

4.31 All full-time employees of IFCI are covered under the Group Insurance and Group Personal Accident Insurance Schemes with a view to providing relief (a) to families of those employees who die while in service, and (a) to disabled employees due to injury/accident, etc.

4.32 In 1983-84, IFCI received claim amounts from the Life Insurance Corporation of India under Group Insurance Scheme in respect of two deceased employees for disbursement to their nominees. Since the introduction of the aforesaid schemes, 20 families of the deceased employees have been granted relief under the Group Insurance Scheme and one family has been benefited under both the Schemes.

Medical Families

4.33 It was mentioned in the last year's Report that IFCI had appointed part-time Medical Officers at Head Office and also at all Regional and Branch Offices. These Medical Officers were providing medical attendance to the members of staff and their dependents during specified hours.

4.34 During the year, it was agreed that the facility of medical attendance will also extend to the retired employees and their spouses. The retired employees and their spouses will get the benefit of consultation with the part-time Medical Officers appointed at Regional Branch Offices as well as Head Office and the IFCI Staff Colony at Paschim Vihar, New Delhi. Medicines for the common ailments will be stocked in the office clinks and retired employees will also be supplied medicines available in the office clinics free of cost.

Housing

4.35 For the staff serving at New Delhi Offices of IFCI there is a housing complex consisting of 195 residential flats in an area of 3.35 acres of land at Paschim Vihar, New Delhi.

4.36 During the year, IFCI acquired and allotted 32 flats at Ghatkopar, Bombay for the workmen employees. Agreement for acquiring further 15 flats at Ghatkopar was in the process of finalisation as at the end of June, 1984.

4.37 At Bangalore, IFCI has been allotted 45 flats by the Bangalore Development Authority on self-financing basis. It is expected that these flats would be available for occupation by 1985.

4.38 IFCI is having land for construction of staff quarters at Bhopal, Calcutta and Cochin. Action has been initiated to start construction of houses at these places. The existing office premises at Hyderabad and Madras are proposed to be utilised for construction of staff quarters after the shifting of offices to other premises.

4.39 Steps are being taken to acquire land or flats at Bhubaneswar, Ahmedabad, Jaipur, Patna, Chandigarh, Kanpur and Gauhati.

Office Premises

4.40 IFCI has been allotted on ownership basis 44,367 sq. ft. of office accommodation in the public sector complex which is being constructed by the Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) at Lodhi Road, New Delhi. The complex is expected to be ready by early 1985. The Regional Offices of Bombay, Calcutta, Madras and Hydera- and Branch Offices at Ahmedabad, Bangalore and Patna, have their own office premises. At Kanpur, Cochin and Bhubaneswar, IFCI had already purchased land for construction of office complex-cum-staff quarters. At Calcutta, Pune, Jaipur, Madras and Hydarabad, steps were underway for acquiring more spacious accommodation for office use as at the close of June, 1984.

Public Relations

4.41 The Public Relations Dapartment of IFCI at Head Office issued 17 Press Releases during the year, relating to the performance of IFCI, issue of bonds, liberalisation and introduction of new Promotional Schemes, and organised Chairman's Press Conferences.

4.42 The Head of North--Eastern Regional Office of IFCI at Gauhati had an interview programme with the Station Director of All India Radio about activities of IFCI in the North-Eastern region on the 21st January, 1984. The Regional and Branch Offices at other places continued to maintain close liaison with the authorities in the State Government, State-level institutions, banks, etc., and provided entrepreneurial guidance both to new and prospective entrepreneurs.

4.43 The Public Relations Department continued to bring out a *Monthly Economic & Financial News Digest* for internal circulation and a quarterly *IFCI Bulletin* for general circulation. In addition, the Department was instrumental in bringing out several publications of IFCI during the year.

Publications of IFCI

4.44 During the year, IFCI brought out the following publications for the benefit of the entrepreneurs, academicians, practitioners, researchers and other general public :

- *IFCI—A Saga of 35 Years of Service to Industry*
- *Searchlight on Development Banking—A Compendium of IFCI Silver Jubilee Memorial Lectures* 1973-84
- *Search & Research—A Compendium of Lectures delivered by IFCI Professors*
- *Promotional Activities of IFCI*
- *Promotional Schemes of IFCI*

Two more publications, viz., *Guidelines to Applicants Seeking Assistance and Investing in Industries in India—A Guide to Resident and Non-resident Entrepreneurs,* were under print as at the 30th June, 1984.

Public Financial Institutions (Obligation as to Fidelity and Secrecy) Act, 1983

4.45 During the year, the Parliament passed the Public Financial Institutions (Obligation as to Fidelity and Secrecy) Act, 1983, which made an amendment to Section 39 of the IFCI Act, 1948, by adding provisions that IFCI shall not, except as otherwise required by the Act, divulge any information on, or relating to, the affairs of its constituents except in circumstances in which it is in accordance with the law or practice and usage, customary among bankers, necessary or appropriate for IFCI to divulge such information. IFCI, however, may, for the purpose of efficient discharge of its functions, collect or furnish to the Central Government, State Bank of India, any Scheduled Bank, Co-operative Bank, IDBI, etc., such credit information or other information as it may consider useful for the purpose, in such mnaner and at such time as it may deem fit.

Progressive Use of Hindi

4.46 In pursuance of the Government's policy regarding the progressive use of Hindi for official purposes, efforts are being made continually to promote and accelerate the use of Hindi in IFCI. At present, sixteen Official Language Implementation Committees (OLICs) are functioning at Regional|Branch Offices of IFCI, including at Head Office, with a view to monitoring the progress made for furthering the cause of Hindi.

4.47 During the year, all Administrative Circulars, Operational Circulars, Press Releases, Notifications, Advertisements, Annual Report, etc., were issued bilingually. IFCI General Regulations, 1982, IFCI Staff Regulations, 1974, IFCI (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982, IFCI (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1949 were printed in diglot form. The common application form for financial assistance and booklet containing explanatory notes to the application form were also printed both in English and Hindi in a diglot manner.

4.48 Under the Hindi Teaching Scheme of the Government of India adopted by IFCI, employees were deputed for training in Hindi, Hindi typewriting, Hindi stenography as also banking-oriented course in Hindi. In 1983-84, 29 employees qualified in various Hindi examinations. Since the adoption of the Scheme, a sum of Rs. 95,200 has been paid as honorarium to the members of staff for passing various examinations. IFCI has also approved a scheme for grant of cash-awards, momentos, etc., to the members of the staff who make a significant contribution towards progressive use of Hindi in official work by doing actual work in Hindi.

Acknowledgements

4.49 The Board of Directors express their gratitude for the assistance, co-operation and cordiality received from the various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, the Industrial Development Bank of India (IDBI), the other sister all-India Financial Instituteions, various State Governments and the State-level financial and developmental institutions.

4.50 The Board of Directors also place on record their appreciation of the work done by the Chairmen and Board of Directors of Technical Consultancy Organisations (TCOs), Risk Capital Foundation (RCF), and the Management Development Institute (MDI), particularly in furthering the activities and the role of their respective organisations.

4.51 The Board are also grateful to the members who have served on the Regional|Zonal|State Advisory Committees and Technical Advisory|Ad-hoc Committees for their valuable co-operation and advice, as also to several non-officials who have served as IFCI's nominees on the Board of various assisted concerns.

4.52 The Board of Directors further acknowledge the continued support and active co-operation received from various Development Finance Institutions (DFIs) abroad, particularly, the assistance received from the management of Kreditanstalt-fur-Wederaufbau (KFW), Federal Republic of Germany, Overseas Development Ministry of the U.K. Government and the Swedish International Development Authority Sweden, the Corespondent Banks abroad, etc., and expected a more fruitful co-operation in the years to come.

4.53 Finally, the Board of Directors wish to record their deep sense of appreciation for the loyal and devoted services put in by all members of staff, at all levels, in IFCI during the year.

On behalf of the Board of Directors
Sd. (D. N. DAVAR)
Chairman

Appendix I

Statement showing the installed capacities, production and capacity utilisation of selected industries in 1983-84

(Figures in brackets denote the number of units)

Sl. No.	Name of the product	Unit of measurement	Installed capacity and production in 1983-84					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns		
			Installed capacity and no. of units	Production 1983-84 (April—March)	Capacity utilisation %	Installed capacity and no. of units	Production 1983-84 (April-March)	Capacity utilisation %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sugar	Lakh Tonnes	68·28 (339)	71·49	104·7	17·73 (95)	16·00	90·2
2.	Cotton yarn (Mill sector)		23·04 (Million spindles) (841)*	1345·30 (Million kgs.)	—	6·15 (Million spindles) (177)**	304·35 (Million kgs.)	—
3.	Cotton cloth (Mill sector)		2·10 (Lakh) looms)	3585·80 (Million meters)	—	0·67 (Lakh looms)	1133·05 (Million metrs)	—
4.	Jute goods	Lakh tonnes	18·94 (69)	8·74	46·2	4·17	2·30	55·2
5.	Paper & paperboard	Lakh tonnes	19·15 (222)	11·82	60·60	5·12 (33)	3·04	59·4
6.	Cement	Million Tonnes	44·3 (93)	27·10	61·2	17·66 (48)	13·94	78·9
7.	Nitrogenous fertiliser	Lakh tonnes	51·44 (36)	34·91	67·9	19·00 (9)	15·81	83·2
8.	Phosphatic fertiliser	Lakh tonnes	14·18 (16)	10·48	73·9	5·29 (5)	5·37	101·5
9.	B. H. C. (Tech.)	Thousand tonnes	41·9 (7)	32·4	77·3	21·20 (2)	20·80	98·1
10.	Caustic soda	Lakh tonnes	8·77 (34)	6·46	73·7	3·69 (8)	2·91	78·9
11.	Soda ash	Lakh tonnes	7·61 (5)	7·80	102·5	0·67 (2)	0·11	16·4
12.	Calcium carbide	Lakh tonnes	1·70 (7)	0·96	56·5	0·42 (2)	0·32	76·2
13.	Acetic acid	Lakh tonnes	0·50 (14)	0·30	60·0	0·21 (3)	0·14	66·7
14.	Carbon black	Lakh tonnes	1·15 (5)	0·78	67·8	0·60 (2)	0·24	40·0
15.	Liquid Chlorine	Lakh tonnes	5·36 (27)	2·89	53·9	1·75 (6)	1·06	60·6
16.	Viscose Filament Yarn	Thousand tonnes	43·24 (8)	35·80	82·8	4·50 (1)	4·03	89·6
17.	Nylon Filament Yarn	Thousand tonnes	29·39 (9)	30·50	103·8	10·65 (3)	10·30	96·7
18.	Nylon Tyre Cord	Thousand tonnes	15·49 (NA)	16·50	106·5	12·81 (4)	14·32	111·8
19.	Polyester Filament Yarn	Thousand tonnes	29·34 (8)	48·4	165·0	12·98 (5)	15·99	123·2
20.	Polyester Staple fibre	thousand tonnes	34·30 (5)	27·2	79·3	12·10 (2)	11·21	92·6
21.	Saleable Steel (Main Plants)	Lakh tonnes	91·96 (6)	63·97	69·6	22·96 (3)	20·50	89·3
22.	Steel Ingots (Main Plants)	Lakh tonnes	114·22 (6)	79·28	69·4	28·33 (3)	25·68	90·6
23.	Steel Ingots/billets (Mini Steel Plants)	Lakh tonnes	27·89 (149)	20·22	72·5	3·57 (15)	2·53	70·9
24.	Aluminium	Thousand tonnes	362 (4)	220·1	60·8	262 (3)	160·00	61·1
25.	Zinc	Thousand tonnes	89 (2)	60·3	67·8	14 (1)	7·00	50·0
26.	Auto Tyres	Lakh Nos.	114·45 (18)	98·00	85·6	53·78 (6)	37·86	70·4

*Includes 280 composite mills.

**Includes 51 composite mills.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27.	Auto Tubes	Lakh Nos.	114·27 (20)	75·00	65·6	55·17 (6)	30·73	55·7
28.	Motor Cycles	Thousand Nos.	115 (4)	160·3	139·4	36 (1)	29·0	80·6
29.	Scooters	Thousand Nos.	300 (13)	279·8	93·3	137 (4)	59·0	43·1
30.	Commercial Vehicles	Thousand Nos.	103 (8)	88·3	85·7	51·5 (2)	45.5	88·3
31.	Tractors (Agricultural)	Thousand Nos.	90 (15)	75·80	84·2	39·0 (4)	25·4	65·1
32.	Rubber Contraceptives	Million pieces	713 (3)	500	70·1	200 (1)	31·12	15·6
33.	Reclaimed Rubber	Thousand tonnes	34·00 (11)	21·85	64·3	4·80 (2)	4·18	87·1
34.	Conveyor Belting	Thousand tonnes	8·91 (9)	8·28	92·9	1·90 (1)	2·19	115·3
35.	Fan & V-Belts	Lakh Nos.	156·17 (15)	135·00	86·4	15·00 (2)	8·66	57·7
36.	Plywood	Million Square Metres	91·14 (51)	54·0	59·2	11·31 (4)	5·51	48·7
37.	Fluorescent Tubes	Million Nos.	34·42 (11)	35·1	101·9	7·33 (3)	5·32	72·6
38.	GLS Lamps	Million Nos.	296·69 (17)	275·7	92·7	56·0 (2)	43·78	78·2
39.	Power Transformers	Million KVA	32·8 (30)	23·1	70·4	0·8 (1)	0·43	53·8
40.	Sheet Glass	Million Square Metres	40·79 (8)	20·66	50·6	10·81 (2)	9·71	89·8
41.	Fibre Glass	Tonnes	52·90 (3)	18·50	35·0	38·53 (2)	999	25.9
42.	Hotels	Lakh Nos.	48·82 (425)	31·36	64·2	7·44 (15)	4·22	56·7

*Figures in columns 4 & 7 and 5 & 8 refer to the number of lettable rooms and the number of rooms occupied respectively.

Appendix II

Interest rate Structure of IFCI
(As on 1.7.1984)

	Rate of Interest (%p.a.)
Rupee loans	
2. Basic lending rate	14·00
Concessional rates for	
(a) Assistance to units in notified backward areas up to specified limits	12·50*
(b) Assistance for manufacture and installation of renewable energy systems	12·50
(c) Assistance under the revised Soft Loans Scheme for modernisation assistance upto Rs 4·00 crores.	11·50†
Foreign currency loans (Irrespective of the location of the project)	
1. Sub-loan sanctioned out of KFW lines of credit, DM Revolving Funds, etc.	14·00
Sub-loan sanctioned out of borrowings raised by IFCI from Euro currency market	2% above the six monthly London-Inter Bank Offered Rate (LIBOR).
Bridging/Interim loans against sanctioned loan assistance	1% above the applicable lending rate after the expiry of 365 days from the date of the first disbursement made by the Lead Institution
IV. **Bridging loans against public issue of shares under-written by IFCI**	10·00
V. **IFCI Promotional Scheme of Assistance for Development of Technology through In-House R & D Reorts** (Upto a limit of 50% of the cost of in-house R&D efforts for indigenously developing/harnessing the technology from laboratory to commercial scale or Rs. 25 lakhs, whichever is lower	10·00

*Applicable to new units only and not to expansion/diversification projects by existing projects.

†In the case of financially weak units, the rate of interest can be reduced from 11·50% per annum to 1000% per annum subject to right to eview and step up the concessional rate, at a later date, sould the improvement in the financial health of the unit so warrant.

Notes :

The limits of loan assistance to projects located in backward areas to which the concessional rate of interest is applicable with effect from the 1st April, 1983 are as under:

Category 'A' districts—Rs. 5.00 crores

Category 'B' districts—Rs. 3.00 crores

Category 'C' districts—Rs. 2.00 crores

In category 'A' districts loan assistance up to Rs. 5.00 crores for 'project-specific infrastructure' also carries the concessional rate of interest of 12·50% per annum after the project has gone into commercial production. No interest is chargeable on the 'project-specific infrastructure' loan assistance during the construction period of the project.

Assistance granted up to Rs. 75·00 lakhs per hotel project is eligible for a a subsidised rate of interest so long as the subsidy of 1·00%p.a. is being borne by the Government and the hotel concern does not make default in meeting its commitments to IFCI.

A rebate of 1·50% in the applicable rate is admissible on loans to 100% export-oriented units for first five years depending upon fulfilment of stipulated export obligation (s).

Additiomal interest at the rate of 1·00% per annum over and above the applicable lending rate of interest is chargeable from the expected date of commercial production in respect of assistance sanctioned to private limited/closely held companies. For this purpose, all concerns where the promoters hold 75% or more of the equity capital are deemed as closely held companies.

Rupee loans which are repayable witnin a period of five years (including the period of moratorium) and which are not subject to convertibility clause, are liable to be charged an additional interest of 1.00% over and above the applicable lending rate of interest

Appendix III

Particulars of Asssistance Sanctioned to Industrial Concerns in 1983—84 (July-June) in "Public Interest"

(Section 26 (2) of I. F. C. Act, 1948)

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Nature of the project/ scheme	Product and install d capacity	Cost of the project (Rs. crores)	Financial assistance by IFCI (Rs. crores)	Name of the Director of IFC-Interested in the concern
1.	Special Steels Ltd., (Thane), Mahar ashtra	Rehabilitation	Manufacture of steel billets, wire rods and steel wires with a capacity of 70,000, 60,000 & 50,000 tonnes p.a. respectively.	9·92	RL 0·30 (Addl.) Rehabilitation Finance	*Shri G. V. Kapadia
2.	Bhubansri Plastic Industries Ltd., (Kharagpur) West Bengal	New project	3,000 tonnes p.a., PVC film, foils and sheets.	6·31	RL 0·48 FCL 0·55 U/W 0·25	Shri S. K. Datta

*Ceased to be a Director of the concern w.e.f. the 12th July,1984.

REPORT OF THE AUDITORS

To the Shareholders of the Industrial Finance Corporation of India

We, the undersigned, auditors of the Industrial Finance Corporation of India, have audited the attached balance Sheet and Accounts of the Corporation as at 30th June, 1984, and report to the shareholders as follows :

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.

2. The necessary information and explanation called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.

3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet together with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation act, 1948 and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

Haribhakti & Co.
Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.
Chatered Accountants

Place : New Delhi

Date : 29th August, 1984.

BALANCE SHEET AS A

Liabilities	Schedule	This year Rs.	Previous year Rs.
Share Capital	A	27,50,00,000	22,50,00,000
Reserves and Reserve Fund	B	88,08,63,440	66,93,27,058
Long Term Borrowinas	C	10,37,54,38,307	8,45,56,69,117
Current Liabilities and Provisions	D	49,64,87,648	46,90,49,614
Other Liabilities	E	5,00,84,438	3,42,76,726
Contingent Liabilities as per Contra	F	4,10,53,186	2,40,26 155
		12,11,89,27,019	9,87,73,48,670

As per our report of even date
Haribhakti & Co.
Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
New Delhi
Date : 29th August, 1984

Ashok Chandra
Philip Thomas
J. C. Sandesara
S. K. Datta
P. L Karihaloo
S L. Baluja
V. Dixit
J. U. Patel
B. S. Thorat

Directors

THE 30TH JUNE 1984

Assets	Schedule	This year Rs.	Previous year Rs.
Cash and Bank Balances	G	53,67,99,152	39,82,84,500
Investments	H	53 46,21,374	45,81,54,082
Loans and Advances	I	10,56,18,65,597	8,64,73,40,858
Fixed Assets	J	6,86,45,150	6,34,69,448
Other Assests	K	37,59,42,560	28,60,73,627
Constituents' Obligations as per Contra	L	4,10,53,186	2,40,26,155
Notes Forming Part of Accounts	M		
		12,11,89,27,019	9,87,73,48,670

R. N. Sahoo
Executive Director

D. N. Davar
Chairman

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE

Expenditure		This year Rs.	Previous year Rs.
Interest on Bonds, Borrowings, etc.		64,32,84,831	50,79,24,371
Commitment Charges on Foreign Currency Loans		2,23,374	2,42,322
Brokerage and Commission on issue of Bonds		87,76,855	61,07,659
Loss on Investments		13,85,700	44,11,555
Establishment Expenses		3.36,07,442	2,97,34,360
Directors' and Committee Members' Fees and Expenses		2,84,112	2,63,672
Rent, Taxes, Insurance and Lighting		56,07,607	44,96,910
Postage, Telegrams, Stamps and Telephones		18,40,781	13,54,416
Printing, Stationery and Advertisement		22,88,760	12,73,289
Law Charges		60,722	6,774
Audit Fees		84,000	70,000
Travelling and Halting Expenses		13,00,074	12,16,191
Other Expenses		69,86,132	50,23,614
Depreciation		28,83,799	12,51,404
Grant to Management Development Institute		5,00,000	5,00,000
Staff Welfare Fund Expenses		2,09,676	1,29,403
Provision for Taxation	10,69,05,124		
Less ; Adjustments relating to earlier years	55,09,933	10,13,95,191	9,70,71,083
Net Profit for the year carried down		23,89,43,986	17,31,09,392
		104,96,63,042	83,41,86,415
Amounts Transferred to—			
General Reserve Fund		8,15,00,00	3,87,62,000
Special Reserve (under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961)		13,13,52,547	11,47,25,154
Benevolent Reserve Fund		50,00,000	35,00,000
Staff Welfare Fund		1,50,000	1,00,320
Dividend.		2.09,41,439	1.60,21,918
		23,89,43,986	17,31,09,392

As per oure port of even date
Haribhakti & Co.
Thakur Vaidyanath Aiyar Co.
Chartered Accountants
New Delhi
Date : 29th August, 1984

Ashok Chandra
Philip Thomas
J. C. Sandesara
S. K. Datta
P. L. Karihaloo

S.L. Baluja
V. Dixit
J. U. Patel
B. S. Thorat

Directors

YEAR ENDED 30TH JUNE 1984

Income	This year Rs.	Previous year Rs.
Interest	99,35,13,594	77.64,80,790
Commission	44,56,266	35,44,986
Profit on sale of Investments	1,61,72,742	1,52,41,880
Profit on sale of Assets	66,401	34,077
Divide d on Shares	1,98,84 619	2,16,90,805
Commitment Charges	1,33,69,905	1,63,44,619
Profit on Exchange Fluctuations (Net)	—	3,03,8626
Miscellaneous Inco.ne	21,99,515	5,45,396
*(Less : Provision for bad and doubtful debts and other usual provisions)		
	104,96,63,042	83,41,86,415
Net Profit for the year brought down	**23,89,43,986**	17,31,09,392
	23,89,43,986	17,31,09.392

R. N. Sahoo
Executive Director

D. N. Davar
Chairman

Schedule A

SHARE CAPITAL

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June 1984

Description	This year	Previous year Rs.
Authorised		
1,00,000 shares of Rs. 5,000/- each	50,00,00,000	50,00,00,000
Issued and Subscribed		
60,000 shares (Previous year—50,000 shares) of Rs.-5,000/- each.	30,00,00,000	25,00,00,000
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the IFC Act 1948)		
Paid-up		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid -up	5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	2,00,00,000	2,00,00,000
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,34,60,000	1,34,60,000
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,65,40,000	1,65,40,000
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	5,00,00,000	5,00,00,000
(vi) 5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/-—each fully paid -up	2,50,00,000	2,50,00,000
(vii) 5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000—each fully paid-up	2,50,00,000	2,50,00,000
(viii) 10,000 (Eighth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	5,00,00,000	2,50,00,000
(ix) 10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000/- each Rs. 2,500/- per share called and paid-up	2 50,00,000	—
	27,50,00,000	22,50,00,000

Note : Minimum annual dividend is 2¼% in case of item (i) 4% in case of item (ii) and (iii), 4½% in case of item (iv) and 6% in case of items (v) to (ix) has been guaranteed by central Government.

Schedule B

RESERVES AND RESERVE FUND

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(i) General Reserve Fund (under Section 32 of the IFC Act 1948)			
Balance Sheet as per last Balance Sheet.	24,51,75,000		20,64,13,000
Transferred from Profit & Loss Account	8,15 00,000		3,87,62,000
		32,66,75,000	24,51,75,000
(ii) Reserve Fund (under Section 32A of the IFC Act, 1948)		1,00,00,000	1,00,00,000
(iii) Benevolent Reserve fund (under Section 32B of the IFC Act, 1948)			
Balance as per last Balance Sheet	1,31,93,924		99,00,000
Transferred from Profit & Loss Account	50,00,000		35,00,000
	1,81,93,924		1,34,00,000
Less : Amount utilised	1,34,47,537		2,06,076
		1,47,46,387	1,31,93,924
(iv) Special Reserve (under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961)			
Balance as per last Balance Sheet	39,10,75,454		27,63,50,300
Transferred from Profit & Loss Account	13,13,52,547		11,47,25,154
		52,24,28,001	39,10,75,454
(v) Specific Grant from the Government of India			
Balance as per last Balance Sheet	98,82,680		93,02,032
Grant received in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	76,50,000		75,00,000
	1,75,32,680		1,68,02,032
Less : Amounts utilised for specific purposes	1,05,18,628		69,19,352
		70,14,052	98,82,680
		88,08,63,440	66,93,27,058

Schedule C

LONG TERM BORROWINGS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

Description	This year Rs.	Previous year Rs.
1. **Bonds** (unsecured—Issued under Section 21 of the IFC Act 1948—Guaranteed by the Government of India)		
5¾% Bonds 1983	—	8,80,08,800
5¾% Bonds 1984	11,00,67,300	11,00,67,300
5¾% Bonds 1985	13,16,67,800	13,16,67,800
6% Bonds 1986	7,99,08,000	7,99,08,000
6% Bonds 1984	11,00,12,000	11,00,12,000
6% Bonds 1985	12,47,37,800	12,47,37,800
6% Bonds 1985 (Second Series)	16,54,79,200	16,54,79,200
6% Bonds 1986 (Second Series)	19,25,05,400	19,25,05,400
6% Bonds 1986 (Third Series)	32,45,87,200	32,45,87,200
6% Bonds 1987	19,88,73,800	19,88,73,800
6% Bonds 1987 (Second Series)	25,39,45,500	25,39,45,500
6¼% Bonds 1988	33,00,00,000	33,00,00,000
6¼% Bonds 1988 (Second Series)	35,01,54,000	35,01,54,000
6¼% Bonds 1989	34,93,75,000	34,93,75,000
6½% Bonds 1989 (Second Series)	40,06,25,000	40,06,25,000
6¾% Bonds 1992	38,50,00,000	38,50,00,000
6¾% Bonds 1992 (Second Series)	39,60,00,000	39,60,00,000
7¼% Bonds 1996	23,92,22 000	23,93,22,000
7¼% Bonds 1996 (Second Series)	61,05,00,000	61,05,00,000
7¼% Bonds 1997	15,53,00,000	15,53,00,000
7½% bonds 1997	50,00,00,000	50,00,00,000
7½% Bonds 1997 (Sesond Series)	59,95,00,000	59,95,00,000
8¼% Bonds 1995	79,75,00,000	79,75,0,000
8¾% Bonds 2000	50,04,80,000	—
8¾% Bonds 2001	30,00,00,000	—
9% Bonds 1999	121,00,00,000	—
2. **Borrowings**		
(i) From Industrial Drvelopment Bank of India (under Section 28 (4) of the IFC Act, 1948) in the form of 6¾ % Ad-hoc Bonds of Rs. 1.50 crores, 6½% Ad-hoc Bonds of Rs. 4.25 crores, 6¼% Ad hoc Bonds of Rs. 4.50 crores, 6½% Ad-hoc Bonds of Rs. 9.50 crores 7 5% Ad-hoc Bonds of Rs. 20.00 crores, 8.3% Ad-hoc Bonds of Rs. 16.00 crores and 10.7% Ad-hoc Bonds of Rs. 28.00 crores.	83,75,00,000	85,75,00,000
(ii) From Government India (under Section 21 (4) of the IFC Act, 1948).	4,12,38,600	5,88,19,843
(ii) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt fur-Wiederaufbau	5,36,73,100	4,96,03,400
(iv) From Foreign Credit Institution in foreign currencies (Secured by Guarantees of Government of India)	62,75,86,607	59,67,77,074
	10,37,54,38,307	8,45,56,69,117

Schedule

CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

Description	Rs.	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
A. Current Liabilities				
(i) Sundry Creditors			23,52,46,388	24,15,08,473
(ii) Interest accrued but not due :				
(a) On borrowings from :				
(i) Governmnt of India	11,34,456			12,86,487
(ii) Foreign credit institutions in foreign currencies	2,21,431			2,00,511
(ii) Others	6,99,882			—
		20,55,769		14,86,998
(b) On bonds		6,64,59,918		4,53,34,146
			6,85,15,687	4,68,21,144
(iii) Advance Guarantee Commission			1,33,178	78,395

Schedule D (Contd.)

Description	Rs.	Rs.	This year Rs.	previous year Rs.
(iv) Advance received on acount of legal charges and expenses for approval			2,92,476	5,34,334
(v) Unclaimed dividend			6,948	1,365
(vi) Amount refundible to sub-borrowers/payable to the government of India out of interest charged on borrowings from Foreign Credit Institutions in foreign currency			3,31,29,487	2,06,48,866
B. Provisions				
(i) Difference in Exchange Suspence Account			88,88,029	82,33,580
(ii) Amounts held in suspense				
(a) Interest		4,64,50,871		5,59,87,827
(b) Commitment Charges		5,014		5,014
(c) Incidental Charges		2 2,37,704		2,37,704
(d) Guarantee Commission		—		1,66,033
			4,66,93,589	5,63,96,578
(iii) Provision for Taxation :				
Balance as per last Balance Sheet		30,28,27,947		23,86,74,292
Add Provision for the year		10,69,05,124		9,70,71,083
		40,97,33,071		33,57,45,375
Less : Adjustments in respect of earlier years		8,48,48,277		3,29,17,428
		32,48,84,794		30,28,27,947
Less : Tax deducted at source	1,97,12,152			1,86,56,020
Tax paid in advance/refundable	22,25,32,215			20,57,66,966
		24,22,44,367		22,40,22,986
			8,26,40,427	7,88,04,961
(iv) Dividend Payable			2,09,41,439	1,60,21,918
			49,64,87,648	46,90,49,614

Schedule E

OTHER LIABILITIES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(i) Staff Welfare Fund :			
Balance as per last Balance Sheet	11,00,000		9,99,680
Add : Amount transferred from profit & Loss Account	1,50,000		1,00,320
		12,50,000	11,00,000
(ii) Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund		3,88,34,438	3,31,76,726
(iii) Deposit in terms of Section 22 of the IFC Act, 1948		1,00,00,000	—
		5,00,84,438	3,42,76,726

Schedule F

CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

Description	This year Rs.	Previous year Rs.
(i) Guarantees (under Section 23 (1) (b) of the IFC Act, 1948)	2,67,09,705	2,32,07,438
(ii) Foreign Loan Guarantees (under Section 23 (1) (c) of the IFC Act, 1948)	1,38,07,088	—
(iii) Deferred French Credit on account of principal amount	5,36,393	8,18,717
	4,10,53,186	2,40,26,155

Schedule G

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

CASH AND BANK BALANCES,

Description	Rs.	Rs.	This year Rs.	This year Rs
(i) Cash and stamps in hand at Head Office and at Regional and Branch Offices			45,266	52,966
(ii) Cheques in hand and under collection			3,81,00,052	4,04,55,235
(iii) Balance with Banks				
(a) On Current Account—				
In India	11,54,05,648			10,60,21,969
Outside India	20,21,575			96,36,631
		11,74,27,223		11,56,58,600
(b) On Fixed Deposit Account :				
In India	33,25,00,000			19,98,50,000
Outside India	4,87,26,611			4,22,67,699
		38,12,26,611		24,21,17,699
			49,86,53,834	35,77,76,299
			53,67,99,152	39,82,84,500

Schedule H

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

INVESTMENTS (AT COST)

Description	Rs.	Rs. This year	Rs. Previous year
(i) Under Section 20 of the IFC Act, 1948			
Initial Capital/Shares of certain Financial Institutions		1,21,00,000	1,21,00,000
(ii) Under Section 23 (d) of the IFC Act, 1948			
(a) Stocks, Shares, Bonds and Debentures of industrial concerns	31,32,49,007		28,09,16,942
(b) Application money paid on Shares, Debentures, etc.	—		11,78,265
		31,32,49,007	28,20,95,207
(iii) Under Section 23 (f) of the IFC Act, 1948			
(a) Shares and Debentures of industrial concerns	7,67,26,255		6,97,30,813
(b) Application money paid on Shares	—		5,000
		7,67,26,255	6,97,35,813
(iv) Under Section 23 (i) of the IFC Act, 1948			
Debentures	1,74,52,450		40,76,100
Shares acquired under the proviso to Section 23 (i) of the IFC Act, 1948	11,50,93,662		9,01,46,962
		13,25,46,112	9,42,23,062
		53,46,21,374	45,81,54,082
(a) Quoted Investments			
Book Value		29,89,07,839	21,96,85,907
Market Value		55,22,08,249	63,03,53,964
(b) Book Value of Investments, for which quotations are not available		23,57,13,535	23,84,68,175

Schedule I

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

LOANS AND ADVANCES

Description	This year Rs!	Previous yeaar Rs.
Loans and Advances :		
—In Indian Currency	992,19,20,056	802,73,58,147
—In Foreign Currenceies	63,99,45,541	61,99,82,711
	1056,18,65,597	864,73,40,858
Notes :		
(a) Debts due by concerns in which the Directors of the Corporation are as interested as :		
(i) Nominee Directors	11,35,66,102	5,57,26,987
(ii) Directors	18,17,86,314	29,18,14,632
(b) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors of the Corporation are interested as:		
(i) Nominee Directors	1,46,43,573	58,89,548
(ii) Directors	3,02,13,235	5,74,33,670
(c) Total amount of instalments, whether of principal or interest overdue by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as :		
(i) Nominee Directors		
(ii) Directors	1,10,60,706	1,51,92,117

Schedule J

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

FIXED ASSETS

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
1. Leasehold Land and Buildings (including work-in progress)			
Cost as per last Balance Sheet	2,55,02,308		2,04,42,449
Additions during the year	45,74,002		50,59,859
	3,00,76,310		2,55,02,308
Less : Depreciation up to date	27,83,686		12,20,061
		2,72,92,624	2,42,82,247
2. Freehold Land and Buildings			
Cost as per last Balance Sheet	1,27,82,452		69,50,030
Additions during the year	59,99,810		58,32,422
Less : Depreciation up to date	12,48,108		8,08,004
		1,75,34,154	1,19,74,448
3. Motor Cars, Cycles, Furniture, Fixtures Fittings, etc.			
Cost as per last Balance Sheet	76,65,955		58,91,476
Additions/Adjustments during the year	10,53,534		18,28,839
	87,19,489		77,20,315
Less : Sold/discarded	1,78,558		57,430
	85,40,931		76,62,885
Less : Depreciation up to date	42,12,191		34,56,647
		43,28,740	42,06,238
4. Advance against capital contracts		1,94,89,632	2,30,06,515
		6,86,45,150	6,34,69,448

Schedule K

OTHER ASSETS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(a) Interest accrued but not due			
(i) On Fixed Deposits with Banks	6,31,010		4,56,224
(ii) On Debentures	61,882		1,53,091
(iii) On Loans and Advances	29,34,88,213		22,67,63,622
(iv) Others	31,89,308		25,43,729
		29,73,70,413	22,99,16,666
(b) Commitment and other charges accrued		29,74,417	25,47,897
(c) Sundry Debtors		3,19,14,935	1,97,39,116
(d) Advances to Staff		1,11,27,417	91,14,255
(e) Pre-paid Expenses		1,72,715	2,13,092
(f) Net Assets of Staff Welfare Fund		11,00,000	9,99,680
(g) Deposit under "Companies Deposits (Surcharge on Income Tax) Scheme 1983"		21,87,625	—
(h) Loans to Risk Capital Foundation (Interest-free)		2,39,80,600	2,10,55,300
(i) Deposits		51,14,438	24,87,621
		37,59,42,560	28,60,73,627

Schedule L

CONSTITUENTS' OBLIGATIONS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1984

Description	This yeear Rs.	Previous year Rs.
(a) Guagantees (under Section 23(1) (b) of the IFC Act, 1948)	2,67,09,705	2,32,07,438
(b) Foreign Loan Guarantees (under Section 23(1)(c) of the IFC Act 1948)	1,38,07,088	—
(c) Deferred French Credit on account of principal Amount	5,36,393	8,18,717
	4,10,53,186	2,40,26,55

1. The Corporation has contingent liabilities in respect of the following, in addition to such liabilities appealing in the Balance Sheet :—

   (a) Outstanding underwriting contracts (under Section 23(d) of the IFC Act, 1948) Rs. 108.85 lakhs (Rs. 537.50 lakhs)

   (b) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as Investment (under Section 23(d) and Section 23(f) of the IFC Act, 1948) Rs. 41.11 lakhs (Rs. 29.17 lakhs)

2. (a) The balances of—

   (i) foreign currency loan availed of by the Corporation, (ii) the loans granted to sub-borrowers therefrom, (iii) balances in foreign currency accounts with Banks and (iv) contingent liabilities in respect of obligations undertaking in foreign currency are all expressed in Indian Currency at TT Selling rates prevailing as on the 30th June, 1984.

   (b) Profit, if any, arising on account of fluctuations in currency exchange rates is accounted for in respect of each line of credit only after the borrowings are fully repaid to the foreign lending institutions and the loans granted out of such borrowings to assisted concerns are fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuations in respect of each line of credit is accounted for when such line is fully repaid by the Corporation. Meanwhile, the exchange differences relating to—(i) the recoveray and repayment of foreign currency loans; (ii) conversion of year-end foreign currency balances, and (iii) operations in the foreign currency accounts with Banks are accounted for in 'Difference in Exchange Suspense Account'. The contribution received from Central Government in part reimbursement of exchange losses has also been credited to the said suspense account.

3. The Income-Tax Department/the Corporation have gone in appeal/reference on certain matters in which the earlier orders have gone in favour of/against the Corporation. The disupted liability in this regard amounts to Rs. 40.60 lakhs (Rs. 40/60 lakhs). The provision for taxation for the year has been made on the basis of the stand taken by the Corporation.

4. Sundry Creditors inclusive Rs. 662.77 lakhs (Rs. 574.14 lakhs) in respect of Bonds which have matured but have remained unclaimed|unpaid.

5. Investments under Section 23 (d) and 23 (f) of the IFC Act, 1984 include sum of Rs. 68.88 lakhs (Rs. 46.71 lakhs) in the share capital of some companies which have either gone into liquidation or which are 'sick' and are proposed to be merged with healthier companies. Loss, if any, will be accounted for either when the final payment is received or the merger is completed.

6. Up to the 30th June, 1984, a sum of Rs. 33.92 lakhs (Rs. 30.70 lakhs) has been utilised partly out of Benevolent Reserve Fund and partly out of Specific Grant from Government of India, for subscribing to the share capital in certain Technical Consultancy Organisations as part of the Corporation's promotional activities. This amount has not been included in the 'Investments' of the Corporation.

7. An aggregate amount of Rs. 1029.86 lakhs (Rs. 821.34 lakhs) was due on the date of the Balance Sheet from certain companies, the undertakings of which have been acquired by the Central|State Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the gradutors. Besides, a sum of Rs. 85.37 lakhs (Rs. 868.89 lakhs) is due on the Balance Sheet date from certain companies, whose liabilities have been frozen under the Industrial (Development and Regulation Act, 1951).

8 (a) The Corporation does not account for Income by way of Interest, Commitment Charges and Commission. etc., in cases where the possibility of recovery is considered remote. Commitment charge are accounted for an income only on conclusion of the loan agreements.

(b) Interest on those loans and advances where court orders have been obtained by the Corporation is accounted for only when such amount is received.

9. Previous year's figures have been recast, wherever necessary, to make them comparable to those of the current year.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984